न्यायमूर्ति ठक्कर-नटराजन जांच आयोग

(फेयरफेक्स ग्रुप इक. के उपयोग के संबंध में जांच)

की

Y:45R.2.N8t
M7

रिपोर्ट

Y:45R.2.N8t
M7
222100

1987

ananjayarao Gadgil Library
GIPE-PUNE-222100

न्यायमूर्ति ठक्कर-नटराजन जांच आयोग

(फेयरफैक्स ग्रुप इक. के उपयोग के संबंध में जांच)

की

रिपोर्ट

1987

आयोग के सदस्य

अध्यक्ष	:	न्यायमूर्ति श्री एम.पी. ठक्कर
सदस्य	:	न्यायमूर्ति श्री एस. नटराजन

*****

आयोग के वकील
श्री जी. रामास्वामी
भारत के अपर महासालिसिटर

केन्द्रीय सरकार के वकील
श्री कुलदीप सिंह
भारत के अपर महासालिसिटर

श्री नसली एन. वाडिया के वकील
श्री राम जेठामालानी

*****

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
I	भूमिका	1-13
II	आयोग को भेजी गई सरकारी फाइलों में निर्दिष्ट सूचना के अभाव तथा भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री द्वारा दायर किए गए लिखित बयान और इस सूचना के अभाव के संदर्भ में जांच कार्रवाई के लिए अनुवर्ती आवश्यकता	14-16
III	जांच आयोग (केन्द्रीय) नियमावली,1972 के नियम 5(2)(ख) के अनुसार आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रतिक्रिया	17-19
IV	आयोग के कार्य के स्वरूप के संदर्भ में कुछ गलत धारणाएं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है ।	20-22
V	जांच आयोग अधिनियम 1952 में कमियां, जिनसे इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग को सौंपे गए काम में हानि हो सकती है अथवा उसका प्रयोजन ही निष्फल हो सकता है ।	23-27
VI	जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत गठित अनेक आयोगों का कठिन कार्य करने हेतु न्यायायिक संस्थाओं की ओर से बुलाए गए न्यायपालिका के सदस्यों की सुरक्षा की आवश्यकता ।	28-33
VII	जांच के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आयोग पर गैर न्यायोचित दबाव ताकि ऐसे मामलों को भी शामिल किया जा सके जो कि आयोग के सम्मुख मुद्दे नहीं थे	34-36
VIII	क्या सर्वश्री गोयनका (अध्यक्ष, इंडियन एक्सप्रेस), गुरूमूर्ति,(इंडियन एक्सप्रेस के एक संवाददाता), पांडे (भूतपूर्व राजस्व सचिव और भूरेलाल (भूतपूर्व प्रवर्तन निदेशक)ने फेयरफैक्स के श्री हर्शमैन जो उसके अध्यक्ष थे, को समपार्श्व प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से नियुक्त किया था ?	37-43
IX	श्री हर्शमैन के माध्यम से मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक की सेवाओं का उपयोग किए जाने के संबंध में श्री एस. गुरूमूर्ति द्वारा अदा की गयी भूमिका-आयोग के पत्रों के उत्तर में श्री गुरूमूर्ति का जानकारी देने से इंकार	44-56
X	श्री भूरेलाल, तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक द्वारा मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक., एक विदेशी गुप्तचर एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग जिन परिस्थितियों में किया गया, उनका ब्यौरा	57-64

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
XI	क्या तत्कालीन राजस्व सचिव (श्री वी.डी.पांडे), फेयरफैक्स इंक, विदेशी गुप्तचर एजेंसी की सेवाएं प्राप्त करने से संबंधित मामले के बारे में जानते थे और यदि हाँ, तो क्या ?	65-71
XII	तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कथित आर्थिक अपराधों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विदेशी निजी जासूसी अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करने के विषय में क्या और किस सीमा तक जानते थे और क्या उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति दी थी ?	72-78
XIII	क्या श्री नसली एन. वाडिया ने पर्दे के पीछे से ऐसा हेरफेर किया कि एक गैर-सरकारी अमरीकी जासूसी अभिकरण की सेवाओं को (मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंकार्पोरेटिड) भारत सरकार की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन निदेशक श्री भूरेलाल की मार्फत भारत सरकार के द्वारा उपयोग में लाया गया।	79-99
XIV	क्या मैसर्स फेयरफैक्स इंकार्पोरेटिड (श्री हर्शमैन, अध्यक्ष) जांच के लिए एक उपयुक्त निजी जासूस एजेन्सी थी और क्या यह इस प्रयोजन के लिए सुसज्जित थी ?	100-115
XV	सामान्यतः किसी विदेशी गुप्तचर एजेन्सी की नियुक्ति या उसकी सेवाओं के उपयोग में और विशेषतः मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक. में अन्तर्ग्रस्त जोखिम	116-122
XVI	रूपरेखा तथा निष्कर्ष	123-131
	आभार	132

अध्याय 1

भूमिका

प्रस्तावना

केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनिय, 1952(अधिनियम) की धारा 3 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 अप्रैल 1987 को जारी की गई अधिसूचना [1] के अनुसरण में, नियुक्त जांच आयोग की पृष्ठभूमि का संक्षेप में पता लगाना आवश्यक है। यह बात प्रकाश में आई कि एक विदेशी निजी जासूसी अभिकरण अर्थात संयुक्त राज्य अमरीका की फेयरफेक्स ग्रुप इनकार्पोरेटड को कुछ कम्पनियों द्वारा किए गए कथित आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में कुछ अन्वेषणात्मक कार्य सौंपे गए। यह प्रतीत होगा कि शासक दल के कुछ सदस्यों तथा विरोधी प्रक्ष के कुछ सदस्यो ने भी इस बात को बड़ी गम्भीरता से महसूस किया कि इस प्रकार के कार्यों को किसी विदेशी जासूसी अधिकरण को सौंपना राष्ट्र के उत्तम हितो में नहीं था और यह खतरनाक हो सकता था। यह भी मसहसूस किया गया कि जिन परिस्थितियों में इस प्रकार का कार्य सौंपा गया वे भी स्पष्ट नहीं थी और उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता थी। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए माननीय संसद सदस्यो ने 31 मार्च 1987 को लोक सभा में हुए विचार विमर्श के दौरान जो भाषण दिए थे उसके कुछ उदधरण देना उपयुक्त होगा। सदन के दोनों अंगो में निजी विदेशी जासूसी अभिकरण को इस प्रकार के कार्यों के सौंपे जाने पर जो आपत्ति की गई यह विपक्ष के माननीय सदस्य (श्री दिनेश गोस्वामी) की अभ्युक्तियो से स्पष्ट हो जाती है, जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इस अभिकरण को नियुक्त करने के बारे में यह कहा कि "सदन के दोनो अंगो के अनुसार यह एक संदिग्ध स्वरूप की प्रतीत होती है।" आरम्भिक अभ्युक्तियों में जिन अन्य पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया गया है उनका पता इसके बाद जो उदधरण दिए गए हैं उनसे भी पता चल जाता है जिनमें प्रासंगिक अभ्युक्तियो पर प्रकाश डालने और बल देने की दृष्टि से कुछ भागों को रेखांकित किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जीः (विपक्षः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

"यह बात अब मान ली गई है कि सरकार ने अपने कुछ कार्यों के निर्वहन के लिए एक विदेशी अन्वेषण अभिकरण को नियुक्त किया। इस बारे में कोई विवाद नहीं है लेकिन जो हमारी नितांत चिंता का विषय है, वह यह है कि एक ऐसे देश को चुना गया है और ऐसे देश की कम्पनी को चुना गया है जिनके साम्राज्यवादी इरादे सुविदित है। संयुक्त राज्य अमरीका इस देश की सुरक्षा और एकता को अस्थिर करने को तरजीह देता है। क्या यह ठीक और उपयुक्त कम्पनी थी अथवा सी आई ए और एफ बी आई जैसे अमरीकी अभिकरणों के साथ इसके क्या संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं है। इसलिए अब अमरीका जैसे साम्राज्यवादी देश की एक कम्पनी को हमारी अर्थव्यवस्था से संबधित बहुत ही गम्भीर मामलो का अन्वेषण करने के लिए चुना गया है। मैं इस प्रकार के अभिकरण के चयन का जोरदार तरीके से विरोध करता हूं और इसलिए उस देश के ऐसे अभिकरण का विरोध करता हूं जिसकी

---

1. भारत का असाधारण राजपत्र सं0 168 भाग II खण्ड 3 - उप खण्ड (ii): दि0 6 अप्रैल 1987

अन्य देशों में विभिन्न दलों, सरकारों और प्रणालियों, विशेषतः हमारे जैसे देश के बारे में अस्थिरता उत्पन्न करने की योग्यता सुविदित है । .... इसलिए प्रयत्न के विरुद्ध यह मेरा विरोध है । ..... मैं यह जानना चाहूंगा कि इस अभिकरण को नियुक्त करने के लिए सरकार के किस स्तर पर निर्णय किया गया था । क्या यह नौकरशाही स्तर-सचिवों के स्तर पर था ? अथवा यह मंत्री के स्तर पर लिया गया था ? अथवा क्या यह प्रधान मंत्री के स्तर पर लिया गया था ? ..... अब ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वी पी सिंह की गलती यह है कि उन्होंने अमरीकी कम्पनी की सहायता की, उन्हें यह अपने ही अभिकरण के माध्यम से करना चाहिए था ।"

श्री पी आर कुमारमंगलम (शासक दलः कांग्रेस (इ)

"..... पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या फेयरफैक्स को ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है जिसे इस प्रकार के निजी अन्वेषण अभिकरण को नियुक्त करने के लिए विधि द्वारा शक्तियां प्रदत्त हो ...... मेरा विचार है कि यह पहला अवसर है कि अमरीकी विदेशी अन्वेषण अभिकरण को आर्थिक अपराधों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है, हमें यह मालूम है कि ऐसा अभिकरण जो केवल राजनीतिक अन्वेषणों से सम्बद्ध रहा है न कि आर्थिक अन्वेषणों से । इसके अलावा यह वह अभिकरण है जिसके आसूचना अभिकरण, अमरीका की सेन्ट्रल इंटेलिजेंस एजेन्सी (सी आई ए) से सम्बन्ध अब विवादास्पद है । उनके सम्बन्ध कितने घनिष्ठ है, उनकी पहुंच क्या है, यह सदन में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । .... दूसरा, जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या फेयरफैक्स की नियुक्ति विशिष्ट अपराधों और अपराधियों के बारे में कुछ अन्वेषणों को समाप्त करने के लिए की गई अथवा क्या उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के विदेशी अंग (आर्म) के जरिए नियुक्त किया गया था । ..... हम अवश्य यह महसूस करते हैं कि भारत सरकार को जोरदार उपाए करने चाहिए और उन्हें निश्चित रूप से फेयरफैक्स जैसे निजी अभिकरणों को नियुक्त करने की प्रकिया से नहीं गुजरना चाहिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जीः (विपक्षः भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

पहले तो जैसा कि स्पष्ट है मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस प्रकार के अमरीकी अभिकरण को नियुक्त करना देश के उत्तम हित में नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगी कि यह नियुक्ति कैसे की गई ।"

श्री दिनेश गोस्वामीः (विपक्षः असम गण परिषद)

"हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह जी ने यह कहा है कि विदेशी अभिकरण की नियुक्ति करना गलत है । ..... मैं श्री वी पी सिंह से एक बात जानना चाहूंगा । क्या उन्होंने ऐसा अपने आप किया अथवा क्या उन्होंने ऐसा प्रधान मंत्री के परामर्श से किया । और यदि उन्होंने ऐसा देश के प्रधान मंत्री के परामर्श के बिना अपने आप किया तो क्या वे इस प्रकार के संगठन को नियुक्त करने के उत्तरदायित्व के लिए तैयार हैं, जिसका स्वरूप सदन के दोनों अंगों के अनुसार संदिग्ध प्रतीत होता है ।"

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (शासक दलः कांग्रेस(इ)

"मैं निश्चित रूप से उत्तरदायित्व वहन करता हूं" ।

लोक सभा में हुए विचारविमर्श और बहस के परिणामस्वरूप, जिसके कुछ उदधरण ऊपर दिए गए हैं, उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसरण में वर्तमान आयोग का गठन किया गया । इसकी प्रस्तावना से भी यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है ।

"यतः संयुक्त राज्य अमरीका की फेयरफैक्स ग्रुप इनकार्पोरेटड के उपभोग करने का प्रश्न बहस का विषय रहा है और एक लोक महत्व का निश्चित मामला है और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि यह आवश्यक है कि सभी विवादों को हल करने के लिए अन्वेषण करने के

प्रयोजन हेतु एक जांच आयोग नियुक्त किया जाए" ।

विचारार्थ विषयः

आयोग को निम्नलिखित मामलों की जांच का कार्य सौंपा गया है -

(i) क्या फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को नियुक्त किया गया था ?

(ii) यदि हां, तो -

(क) वे तथ्य ओर वे परिस्थितियां जिनमें उसे नियुक्त किया गया था,

(ख) इस नियुक्ति की क्या प्रकृति थी ?

(ग) किसके प्राधिकार के अधीन उसे नियुक्त किया गया था ?

(घ) किस प्रयोजन के लिए उसे नियुक्त किया गया था ?

(ङ) किन शर्तों और निबंधनों के अधीन उसे नियुक्त किया गया था ?

(च) क्या यह उस कार्य को करने के लिए सक्षम था जो उसे सौंपा गया था ?

(iii) (क) क्या फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को संदाय किया गया था ?

(ख) क्या फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को संदाय किया गया था ?

(ग) यदि हां, तो किन सेवाओं के लिए ?

(iV) भारत सरकार ने फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड से कोई सूचना प्राप्त की है ?

(V) भारत सरकार ने फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को क्या कोई सूचना दी है ?

(Vi) क्या इस ठहराव से भारत की सुरक्षा पर किसी भी रीति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

अपनाई गई प्रक्रिया

आयोग को ऐसी बातों अथवा ऐसे विषयों के संबंध में जो कि जांच पड़ताल की विषयवस्तु से सुसम्बद्ध हों अथवा उसके लिए उपयोगी हों, जानकारी, बहुत से व्यक्तियों से, अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन व्यक्तियों को लिखित प्रश्नावलियां भेजकर या लिखित अनुरोध भेजकर एकत्रित करनी थी । आयोग ने श्री भूरे लाल से भी जोकि उस समय प्रवर्तन निदेशक थे और प्रवर्तन निदेशालय के अध्यक्ष थे, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौखिक जानकारी उस समय मांगी जब वह 5 मई, 1987 को आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए । यह कार्यवाई शीघ्रातिशीघ्र की जानी थी ताकि उस व्यक्ति से पूरी जानकारी हासिल की जा सके जिसने, जैसाकि रेकार्ड से साफ था, फेयरफैक्स ग्रुप इंक के अध्यक्ष श्री हर्षमैन से और डा. हैरिस से शुरू में नवम्बर 1986 में और बाद में अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 21-12-86 से 3-1-87 के बीच सम्पर्क स्थापित किया था । आयोग ने महसूस किया कि यह जानकारी समय गंवाए बिना एकत्रित की जानी चाहिए ताकि उपर्युक्त विदेशी प्राइवेट जासूसी अभिकरण की सेवाओं का उपयोग किए जाने के मामले से संबंधित मुख्य व्यक्ति का वक्तव्य सबसे पहले प्राप्त किया जा सके । यह रास्ता इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए अपनाया गया ताकि इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके बयान को अपने प्रयोजन के अनुरूप ढालने या उसे वैसी ही शक्ल दिलवाने का अवसर प्राप्त न कर सकें ।

विनियमः

आयोग अपनी प्रक्रिया को समय समय पर स्वयं प्रतिपादित कर सकता है किन्तु यह व्यवस्था इस प्रबन्ध के अधीन है कि ऐसी प्रक्रिया और ऐसे विनियम केन्द्रीय नियमों (जांच आयोग (केन्द्रीय) नियमावली, 1972 के नियम 5(8) के विपरीत न हों । यद्यपि समुचित प्रक्रिया का विकास समय समय पर, जब भी आवश्यक अवसर आए, किया जा सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि आयोग विनियम तैयार करें और उनको प्रकाशित करवाए, तदापि आयोग ने उपयुक्त विनियम

तैयार किए है, जो कि नियम 5(8) के विपरीत नहीं हैं। ये परिशिष्ट में सम्मिलित कर दिए गए हैं।

श्री नुसली एन. वाडिया को 8ख/8ग का नोटिस और विलम्ब के कारण

आयोग ने एक प्रश्नावली या सूचना प्राप्ति अनुरोध, अधिनियम की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नुसली एन. वाडिया, अध्यक्ष बाम्बे डाइंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लि. (जिसे इसमें इसके पश्चात बम्बई डाइंग कहा गया है) के नाम 11 मई 1987 को जारी की जिसमें इन मुद्दों अथवा विषयों पर जानकारी प्राप्त करने की याचना की गई जोकि आयोग की राय में जांच के विषय के लिए उपयोगी होंगे अथवा उससे सुसम्बद्ध होंगे। किन्तु ऐसा मालूम हुआ कि श्री वाडिया को उपर्युक्त प्रश्नावली प्रेषित किए जाने से तीन दिन पहले, वे यूरोप जाने के लिए भारत से बाहर जा चुके थे और इस बात की सूचना बम्बई के उनके कार्यालय से 13 मई, 1987 को प्राप्त पत्र के माध्यम से मिली। यह प्रश्नावली श्री वाडिया को उसके बम्बई कार्यालय से उनके लंदन के पते पर आगे भिजवाई, किन्तु इसका कोई उत्तर नहीं आया। श्री वाडिया दो मास तक अर्थात् 8 मई, 1987 से 8 जुलाई, 1987 तक विदेश में रहे। इन परिस्थितियों में उनके मामले में इन दो महीनों में आयोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। श्री वाडिया के साथ आयोग के कहने पर बाम्बे डाइंग के दिल्ली कार्यालय ने संदेशों के आदान प्रदान के बाद आयोग को सूचना दी कि श्री वाडिया 20 जून, 1987 को भारत लौटेंगे और वह अपना उत्तर वापस आने पर ही देंगे। फिर भी विदेश से भारत वापस आने के बाद श्री वाडिया ने उनसे मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने में आपत्ति की। किन्तु अन्ततोगत्वा जब आयोग ने आग्रह किया और श्री वाडिया को 15 जुलाई 1987 के एक पत्र के द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा तभी श्री वाडिया ने 19 जुलाई, 1987 को अपना प्रत्युत्तर दिया। इस प्रकार दो महीने से ज्यादा अर्से तक आयोग इस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। यह राय अनंतिम रूप से कायम कर लिए जाने के बाद कि श्री वाडिया के आचरण की जांच पड़ताल करना जरूरी है और उनकी शोहरत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, पहली अगस्त, 1987 को श्री वाडिया को अधिनियम की धारा 8ख/8ग के अन्तर्गत "कारण बताओ" नोटिस जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् 14 अगस्त, 1987 को उनके विरुद्ध जांच की कार्यवाई शुरू की गई। उनके द्वारा दी गई दरख्वास्तें निपटा दी गईं, मौखिक साक्ष्य रैकार्ड कर लिया गया और उनकी दलीलों की सुनवाई हुई। यह कार्यवाई 26 सितम्बर, 1987 को पूरी हुई, जो वह तारीख थी जिसको सभी ओर से प्राप्त समर्थन पूरे कर दिए गए थे। इन परिस्थितियों में श्री वाडिया के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाई को लगभग चार महीने तक पूरा नहीं किया जा सका।

आयोग के सम्मुख उपस्थित समस्याएं

कई मामलों में, इन दो कारणों से आयोग मौखिक साक्ष्य रैकार्ड नहीं कर सका और/अथवा अधिनियम की धारा 8ख/ग के अधीन कार्यवाई शुरू नहीं कर सका, अर्थात्ः

(1) सम्बद्ध व्यक्ति की, जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे अनुरोध पत्र का प्रत्युत्तर देने में असफलता, और

(2) उन व्यक्तियों की हठधर्मिता, जिनसे जानकारी मांगी गई थी।

आयोग की सुविचारित राय में, उपर्युक्त अनुरोध पत्रों के प्रत्युत्तर में जानकारी देने से इनकार करने के लिए कोई वैध औचित्य उपलब्ध नहीं है। वास्तव में अधिनियम के संगत उपबंधों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी दायित्व आता है कि वे आयोग के द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करें अन्यथा, उस अनुरोध का अनुपालन न करने के लिए उनपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अतः इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों में आयोग के समक्ष उन पर मुकदमा चलाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। किन्तु उस समय आयोग ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। इस पहलू का आगे चलकर विस्तृत विवेचन किया गया है।

गलत और अनुचित आलोचना.

आयोग की गलत और अनुचित आलोचना इस आधार पर भी की गई कि आयोग अध्यक्ष के निवास स्थान से अपने कार्य का संचालन गुप्त रूप से कर रहा है और अध्यक्ष का निवास स्थान

सुरक्षा कर्मचारियों के घेरे में है। आयोग ने अध्यक्ष के निवास स्थान से इस कारण कार्य करना आरंभ किया कि आयोग के कर्मचारियों को बिठाने के लिए कार्यालय का स्थान आयोग को लगभाग डेढ़ महीने तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका। वस्तुतः पूरा मामला भी नियुक्त नहीं हुआ था और आयोग, जैसाकि इसमें आगे चलकर निर्धारित तारीखवार विवरण से स्पष्ट होगा, 4-6-1987 तक कार्यालय के भवन कार्य का संचालन नहीं कर सका। इन परिस्थितियों में, आयोग ने कार्य संचालन के लिए उस समय तक जब तक कि कार्यालय का भवन उनको न मिल जाए और फिर वहीं से काम शुरू किया जाए, प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा। आयोग ने महसूस किया कि ऐसा करने से अनावश्यक विलम्ब हो जाएगा, जिससे बचा जाना चाहिए। इसी कारण आयोग ने अध्यक्ष के निवास स्थान से ही कुछ थोड़े से कर्मचारियों के साथ ही शुरू में कार्य करना आरंभ कर दिया। जहां तक इस आशय की आलोचना का संबंध है कि अध्यक्ष के निवास स्थान पर सुरक्षा-गार्ड तैनात थे, यह आलोचना बिल्कुल अयथार्थतापूर्ण है और गलत धारणाओं पर आधारित है। पिछले 10 वर्षों से भी पहले से भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश के सरकारी निवासस्थान पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए ही जाते हैं। इसलिए सुरक्षा गार्डों की तैनाती का सम्बन्ध न तो आयोग की नियुक्ति से है और न ही यह तैनाती इस कारण की गई कि आयोग गुप्त रूप से कार्य करता रहे।

जहां तक आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं और जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किए गए अनुरोध-पत्रों का सम्बन्ध है, निवास स्थान से ऐसे पत्रों को जारी करना न तो कोई असमान्य और न ही कोई आपत्तिजनक बात थी। वस्तु स्थिति के स्वरूप को देखते हुए अधिसूचना और अनुरोध पत्रों को एक सार्वजनिक स्थान पर घोषित नहीं किया जा सकता था और न ही इन को लिखवाया अथवा तय किया जा सकता था और न ही समय-समय पर विभिन्न माध्यमों के माध्यम को प्रचारित किया जा सकता था। ऐसा करना व्यवहारिक अथवा सम्भव नहीं था। अतः इस आलोचना के लिए कोई भी औचित्य अथवा आधार विध्यमान नहीं था और इस के अलावा तथ्य यह भी है कि अधिनियम की धारा 8 [1] आयोग को गुप्त स्थान से कार्य संचालन करने का अधिकार देती है।

कुछ एक प्रचार माध्यमों ने, केवल उन्हीं को ज्ञात कारणों के आधार पर आयोग की अतीव अनुचित एवं निराधार निन्दा की। आयोग यह जरूरी समझता है कि इस पहलू पर कुछ विस्तृत रूप से कहा जाए तदअनुसार उसने इस विषय पर एक पृथक अध्याय में चर्चा की।

सार विषयक रिपोर्ट तथा अन्य खण्ड

: सार विषयक रिपोर्ट इस खण्ड में विहित है। इस के साथ तीन जिरोक्सकृत प्रतियां भी संलग्न हैं।

श्री नुसली एण्ड वाडिया से सम्बन्धित कार्यवाही, जिसमें उन के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, उन आवेदन पत्रों पर दिए गए आदेश, और जांच के समय अभिलिखित साक्ष्य शामिल है, खण्ड 1क में दी गयी है।

---

1. *"8. आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया.- आयोग को किन्हीं नियमों के जो इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत उसकी बैठकों के स्थान और समय नियत करना तथा यह विनिश्चय करना भी है कि बैठकें खुली हों या प्राइवेट हों) स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।*

: अन्यों को जारी किए गए अनुरोध पर और उन से प्राप्त उत्तर तथा वे दस्तावेज जिन से आयोग ने सार विषयक रिपोर्ट के दौरान निष्कर्ष प्राप्त किए हैं खण्ड 1-ख 2 में दिए गए हैं ।

: शेष पत्र खण्ड 2 में शामिल कर दिए गए हैं ।

आयोग के कार्य संचालन से सम्बन्धित कुछ संगत तारीखें

तारीख	विषय
1. 6.4. 1987	: आयोग की नियुक्ति की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुई ।
2. 20.4. 1987	: आयोग को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूना की प्रति वित्त सचिव के माध्यम से प्राप्त हुई ।
3. 20.4. 1987	: आयोग ने अध्यक्ष के निवास-स्थान से कार्य प्रारम्भ किया ।
4. 20/25.4. 1987	: आयोग के सचिव नियुक्त हुए । सेवा प्रविष्ट हुए
5. 25.4. 1987	: नियम 5(2)(ख) के अधीन पब्लिक नोटिस जारी हुआ ।
6. 7.5. 1987	: आयोग के लिए कर्मचारी हुए ।
7. 25.5. 1987.	: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने आयोग के कार्यालय के लिए विज्ञान भवन एनेक्सी का खाली कब्जा दिया ।
8. 2.6. 1987	: आयोग की सहायता के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हुई ।
9. 3.6. 1987	: आयोग की सहायता के लिए कौन्सिल की नियुक्ति हुई ।
10. 4.6. 1987	: आयोग ने विज्ञान भवन एनेक्सी से अपना कार्य प्रारम्भ किया ।
11. 5.7. 1987	: आयोग के कार्यकाल की अवधि बढ़ाए जाने की पहली अधिसूचना जारी हुई ।
12. 1.10.1987	: आयोग के कार्यकाल की अवधि बढ़ाए जाने की दूसरी अधिसूचना जारी हुई

यहां पर प्रारम्भिक अध्याय समाप्त होता है । शेष अध्याय आगे दिए गए हैं ।

परिशिष्ट जिस में आयोग को नियुक्त करने वाली सरकारी अधिसूचनाएं, जांच आयोग अधिनियम 1952 से लिए गए संगत उद्धरण; जांच आयोग (केन्द्रीय) नियमावली 1972 से लिए गए संगत उद्धरण, आयोग द्वारा प्रतिपादित विनियम और भारत सरकार की पुरस्कार नियमावली के संगत उद्धरण दिए गए हैं ।

परिशिष्ट - I	: सरकारी अधिसूचनाएं, जिन के द्वारा आयोग का गठन किया गया और कार्यकाल गठन किया गया और कार्यकाल बढ़ाया गया ।
परिशिष्ट - II	: जांच आयोग अधिनियम 1952 से संगत उद्धरण ।
परिशिष्ट - III	: जांच आयोग (केन्द्रीय) नियमावली 1972 से संगत उद्धरण ।
परिशिष्ट - IV	: आयोग के द्वारा प्रतिपादित विनियमन ।
परिशिष्ट - V	: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के द्वारा जारी की गई पुरस्कार नियमावली से संगत उद्धरण ।

2. *भारी भरकम आकार होने के नाते खण्ड 1ख को दो संस्करणों में जिल्द में बान्धा गया है । और उनको भाग एक और भाग दो के रूप में अंकित कर दिया गया है ।*

परिशिष्ट 1

भारत का राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड-3-उप-खण्ड (ii) प्राधिकरण से प्रकाशित

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

का.आ. 328(अ) संयुक्त राज्य समरीका के फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड का उपयोग करने का प्रश्न विचार विमर्श की विषय-वस्तु रहा है और यह सार्वजनिक महत्व निश्चित मामला है,

केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सभी विवादों को प्राप्त करने के लिए इस मामले की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति करना आवश्यक है ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम 1952(1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जोः-

(i) न्यायमूर्ति श्री एम.पी.ठक्कर, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश-अध्यक्ष

(ii) न्यायमूर्ति श्री एस.नटराजन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश-सदस्य

से मिलकर बनेगा और नीचे पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में जांच करेगा ।

2. आयोग उन घटनाओं और परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके कारण फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड के साथ ठहराव किया गया है और विशिष्टतया निम्नलिखित विनिर्दिष्ट पहलुओं का अवलोकन करेगा, अर्थात्ः-

(i) क्या फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को नियुक्त किया गया था ?

(ii) यदि हां, तो -

(क) वे तथ्य और वे परिस्थितियां जिनमें उसे नियुक्त किया गया था,

(ख) इस नियुक्ति की क्या प्रकृति थी ?

(ग) किसके प्राधिकार के अधीन उसे नियुक्त किया गया था ?

(घ) किस प्रयोजन के लिए उसे नियुक्त किया गया था ?

(ङ) किन शर्तों और निबंधनों के अधीन उसे नियुक्त किया गया था ?

(च) क्या यह उस कार्य को करने के लिए सक्षम था जो उसे सौंपा गया था ?

(iii) (क) क्या फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को संदाय किया गया था ?

(ख) क्या फैयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को संदाय किया गया था ?

(ग) यदि हां, तो किन सेवाओं के लिए ?

(iv) भारत सरकार ने फैयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड से कोई सूचना प्राप्त की है ?

(v) भारत सरकार ने फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को क्या कोई सूचना दी है ?

(vi) क्या इस ठहराव से भारत की सुरक्षा पर किसी भी रीति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

3. आयोग अपनी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को तीन मास की अवधि के भीतर देगा और रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाएगी ।

4. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली हरएक स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग पर लागू किए जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार उक्त धरा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू होंगे ।

(फाईल सं. 23015/5/87-प्रशासन III)
के.पी.गीताकृष्णन, अपर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

दिनांक 5 जुलाई, 1987

का.आ. 673(अ) - केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952(1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के तारीख 6 अप्रैल, 1987 के संख्यांक का.आ.328(अ) की अधिसूचना में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा तीन में, "तीन मास" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द रखे जायेंगे ।

(फाइल सं. 23015/5/87-प्रशासन-3)
के.एस.शास्त्री, अपर सचिव

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 अक्तूबर, 1987

का.आ. 872(अ)- केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 6 अप्रैल, 1987 की संख्यांक का.आ. 328(अ) की अधिसूचना इसके द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 में, "छह मास की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "30 नवम्बर, 1987 को अथवा इससे पूर्व" शब्द एवं अंक रखे जाएंगे ।

(फा.सं0 23015/5/87-प्रशा॰ 111)
के.पी.गीताकृष्णन, अपर सचिव

परिशिष्ट - II

जांच अधिनियम, 1952 के आयोगों के संगत उद्धरण ।

धारा 5(2) । आयोग को किसी व्यक्ति से, किसी ऐसे विशेषाधिकार के अध्यधीन, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

धारा 5-क : जांच से संबंधित अन्वेषण करने के लिए कतिपय अधिकारियों और अन्वेषण अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने की आयोग की शक्ति -(1) आयोग, जांच से संबंधित अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा :-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण; अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहमति से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण ।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जा रहा है, आयोग के निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए,-

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण एवं पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; तथा

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) धारा 6 के उपबन्ध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाए, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाए वह जाच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसी कालावधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को रिपोर्ट (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अन्वेषण रिपोर्ट कहा गया है) देगा ।

(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों के तथा निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हो, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी जांच (जिसके अन्तर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो) कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

धारा 6 : आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन - आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह तब जबकि ऐसा कथन -

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषय-वस्तु से सुसंगत है ।

धारा 8 : आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया.- आयोग को किन्ही नियमो के जो इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत उसकी बैठको के स्थान और समय नियत करना तथा यह विनिश्चय करना भी है कि बैठकें खुली हों या प्राइवेट हों) स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी ।

धारा 8-ख : उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो- यदि जांच के किसी अनुक्रम में,-

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है;

तो आयोग उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का यथोचित अवसर देगा।

परन्तु इस धारा कि कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा हो ।

धारा 8-ग : प्रतिपरीक्षा और विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार- समुचित सरकार, धारा 8ख में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और, आयोग की अनुज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाता है -

(क) अपने द्वारा पेश किए गए साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

(ख) आयोग को संबोधित कर सकेगा; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करा सकेगा ।

धारा 10-क : आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित कार्यों के लिए शास्ति -

(1) यदि कोई व्यक्ति या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा या कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जो आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित हो तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898(1898 का 5) की धारा 198ख के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन के अपराध के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त धारा 198ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में लागू होते हैं; किन्तु यह इस उपान्तर के अध्यधीन है कि ऐसे अपराध की बाबत कोई परिवार लोक अभियोजक द्वारा निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं-

(क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग या ऐसे आयोग के सदस्य की दशा में, केन्द्रीय सरकार , अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग या ऐसे आयोग के सदस्य की दशा में, राज्य सरकार ।

परिशिष्ट - III

जांच आयओग (केन्द्रीय) नियम, 1972 से संगत उद्धरण

नियम 5(2)कः जांच प्रक्रिया

जांच आयोग का गठन होते ही वह:-

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है जिसे उसके विचार में जांच आयोग में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह उन मामलों के संबंध में आयोग को विवरण प्रस्तुत कर सके जिन्हें नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

नियम 5(2)(ख)ः

(ख) एक अधिसूचना जारी करेगा जिसे इस प्रकार प्रकाशित किया जाएगा जैसा कि वह ठीक समझे जिसमें जांच के विचारणीय विषय से परिचित उन सभी व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया होगा जो अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे मामलों से संबंधित विवरण आयोग को प्रस्तुत कर सकें ।

नियम 5(8)

आयोग को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में अपनी स्वयं बनाई गई प्रक्रिया लागू करने की शक्ति प्राप्त होगी जिसके संबंध में इन नियमों में कोई व्यवस्था न हो ।

परिशिष्ट - IV

11 अगस्त, 1987 तक यथासंशोधित
जांच आयोग द्वारा
अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विनियम

जांच आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली आयोग एतदद्वारा प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित विनियम तैयार करता हैः

1. जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के साथ पठित नियम 5(8) के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 के प्राधिकार के अधीन विनियम तैयार किए जा रहे हैं ।
2. समय-समय पर अतिरिक्त विनियम तैयार किए जा सकते हैं और मौजूदा विनियमों को समय-समय पर समाप्त, संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है जैसा कि शीघ्र कार्यवाही के लिए आवश्यक समझा जाएगा ।
3. आयोग का कार्यालय विज्ञान भवन एनेक्सी, दूसरा तल (कमरा न.320 से 332 तक) मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 में स्थित होगा ।
4. आयोग का कार्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा मनाई जाने वाली छुट्टियों को छोड़ कर अन्य सभी दिवसों को प्रातः 10 बजे से सायं 1.30 बजे तक और सायं 2 बजे से 5 बजे तक कार्य करेगा ।
5. आयोग ऐसे मुद्दों या विषयों के संबंध में सूचना देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है जो कि आयोग के विचार में जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 5(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच के विचारणीय विषय के संबंध में उपयोगी अथवा महत्वपूर्ण हो । और वह ऐसे किसी व्यक्ति से हलफनामा लेकर या अन्य प्रकार से उससे प्रश्न पूछ सकता है ।
6. आयोग जांच आयोग अधिनियम, 1952 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति

अथवा प्राधिकारी को पत्र लिख कर किसी भी विषय के संबंध में सूचना भी मांग सकता है। ऐसे पत्र में उन मुद्दों का उल्लेख किया गया होगा जिनके बारे में सूचना मांगी गई हो और इसमें वे प्रश्न भी शामिल किए जा सकते हैं जिनका उत्तर दिया जाना हो। आयोग यदि आवश्यक अथवा जरूरी समझता हो तो यह ऐसे व्यक्तियों को पत्र के उत्तर में दी गई सूचना अथवा जवाबों के समर्थन में हलफनामा देने के लिए भी कह सकता है।

7. (1) सूचना मांगने सम्बन्धी कोई भी पत्र अथवा (2) किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी व्यक्ति को आमन्त्रित करने अथवा (3) जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 4(2) के अधीन जारी किए गए किसी समन पर अगर आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों तो उस पर आयोग के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जैसी भी स्थिति हो। आयोग का सचिव आयोग के निर्देशानुसार आयोग की ओर से पत्रों पर भी हस्ताक्षर करेगा।

8. आयोग एतद्द्वारा आयोग के कार्य के प्रयोजनों के लिए शपथ दिलाने अथवा स्वीकारोक्ति लेने के संबंध में आयोग के सचिव को शक्तियां प्रदान करता है।

9. आयोग, उचित समय पर यह निर्णय लेगा कि जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 5 द्वारा परिकल्पित जांच कार्य सार्वजनिक रूप से होगी अथवा प्राइवेट रूप से।

10. ये विनियम तुरन्त लागू हो जाएंगे।

11. आयोग किसी काउंसेल की नियुक्ति करेगा जिसे आयोग के काउंसेल के रूप में अभिहित किया गया होगा। यह आयोग के पूरे कार्य में आयोग की सहायता करेगा और साथ ही गवाहों से प्रश्न पूछ कर अथवा जिरह करके तथा आयोग के सामने मामले को मौखिक और/अथवा लिखित रूप में प्रस्तुत करके तथा जब कभी उसे अपेक्षित हो सभी स्थितियों में आयोग के सामने अपने विचार प्रस्तुत करके जांच कार्य में आयोग की सहायता करेगा।

12.(क) विभिन्न मामलों से संबंधित पूछ-ताछ जोकि भारत सरकार द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति संबंधी अपनी अधिसूचना में जारी किए गए विचारणीय विषयों के अनुसार जांच के विचारणीय विषयों का अंग है, प्रत्येक मामले अथवा मामले के एक-एक अंग के संदर्भ में अलग से तथा/अथवा चरणबद्ध तरीके से की जा सकती है।

12(ख) केवल उन पक्षों को जो आयोग के मतानुसार किसी ऐसे विशेष भाग अथवा विषयवस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है अथवा प्रभावित है, जिसके संबंध में अलग से और/अथवा चरणबद्ध तरीके से जांच की जा रही है, ऐसी जांच में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। वे व्यक्ति जोकि आयोग के मतानुसार जांच के उस भाग की विषय वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं उसके संबंध में चल रही जांच में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

13(क) वे व्यक्ति जिनके खिलाफ 8ख/8ग के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हों, उनमें से प्रत्येक के संबंध में अलग से जांच अथवा कार्रवाई की जा सकती है। अलग-अलग व्यक्तियों के संबंध में जांच सामूहिक रूप से अथवा संयुक्त रूप से नहीं की जा सकती।

13(ख) आयोग उन व्यक्तियों को बुला सकता है जिनके खिलाफ अधिनियम की धारा 8ख और 8ग के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं ताकि वे तथ्यों का सत्यापन करने वाले हलफनामों सहित जांच से संबद्ध तथ्यों के संबंध में बयान दर्ज कर सकें।

13(ग) जांच के किसी भाग अथवा चरण के दौरान जिन व्यक्तियों से पूछ-ताछ की गई हो उन्हें दुबारा बुलाया जा सकता है और यदि आयोग जरूरी समझे तो जांच के किसी अन्य भाग अथवा चरण में उनसे पूछ-ताछ अथवा जिरह कर सकता है।

14. आयोग जांच अथवा किसी कार्यवाही के किसी भाग अथवा भागों को अथवा जांच आयोग

अधिनियम, 1952 की धारा 8ख/8ग के अधीन किसी कार्यवाही की, अथवा उसके किसी भाग अथवा चरण की सार्वजनिक रूप से या कैमरा में कार्यवाही आयोजित कर सकता है जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर उपयुक्त अथवा आवश्यक समझा जाए।

15. आयोग उन स्थानों पर और उन तारीखों को और उस समय पर (जिसमें शनिवार और सार्वजनिक छुट्टियां भी शामिल हैं) अपनी बैठकें कर सकेगा जिन्हें कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

16. समाचारपत्रों के प्रत्यायित संवाददाताओं को जिन्हें उच्चतम न्यायालय के मामलों की नियमित कार्यवाही नोट करने के लिए अदालतों में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है उन्हें अदालत नं.9 में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त होगी जिसमें कि यह कार्यवाही आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जनता के उन सदस्यों को भी जिन्हें कि उच्चतम न्यायालय की अन्य अदालतों में जहां कि उच्चतम न्यायालय के दैनिक मामलों पर बहस होती है, प्रचलित प्रवेश पद्धति के अनुसार प्रवेश पत्र प्राप्त हों अदालत नं.9 में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जो कि इस बात पर निर्भर होगी कि जनता के लोगों के लिए बाड़ों में कितनी जगह उपलब्ध है बशर्ते कि कार्यवाही कैमरा में न चल रही हो।

17. आयोग यदि जरूरी अथवा आवश्यक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि कार्यवाही के किसी भाग को प्रेस द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाएगा। प्रेस के उन संवाददाताओं पर भी यह शर्त लागू होगी जिन्हें कि कोर्ट के उन कमरों में प्रवेश की अनुमति प्राप्त होगी जिनमें कि बैठकें चल रही हों।

(एम.पी. ठक्कर) अध्यक्ष	(एस.नटराजन) सदस्य

टिप्पणी:

1. विनियम 1 से 10 को 25 अप्रैल, 1987
2. विनियम 3 को 4 जून, 1987 को प्रतिस्थापित किया गया।
3. अतिरिक्त विनियम 11 को 5 जून, 1987 को तैयार किया गया।
4. अतिरिक्त विनियम 12(क) और (ख) तथा 13(क), (ख) और (ग) को 30 जुलाई, 1987 को बनाया गया।
5. अतिरिक्त विनियम 14 से 17 को 11 अगस्त, 1987 को बनाया गया।

परिशिष्ट - V

भारत सरकार (सं.आर-13011/3/85 एडी-V दिनांक 30.3.85 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग) के पुरस्कार नियमावली से उधृत संगत उद्धरण

3.2.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी अथवा उत्पादन को छुपाने अथवा दबाने, शुल्क लगने वाली वस्तुओं को छुपाकर ले जाने आदि का पता लगने पर सूचना देने वाले तथा सरकारी कर्मचारी लगाए गए/थोपे गए तथा वसूल किए गए शुल्क, जुर्माने और दण्ड की राशि का 20 प्रतिशत भाग पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते कि यह राशि अन्तर्ग्रस्त माल के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक न हो।

3.5.1 सूचना देने वाले और सरकारी कर्मचारी जब्त किए गए माल में अन्तर्ग्रस्त राशि का 20 प्रतिशत पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने के पात्र होंगे लेकिन अगर माल जब्त करने अथवा जब्त न करने के अलावा कोई जुर्माना किया गया हो और उसकी 20 प्रतिशत राशि वसूल हो गई हो तो उसे भी इस उच्चतम सीमा का हिसाब लगाते समय ध्यान में रखा जाएगा।

अध्याय II

आयोग को भेजी गई सरकारी फाइलों में निर्दिष्ट सूचना के अभाव तथा भारत सरकार की ओर से वित्त सचिव द्वारा दायर किए गए लिखित बयान और इस सूचना के अभाव के संदर्भ में जांच कार्यवाही के लिए अनुवर्ती आवश्यकता ।

20 अप्रैल, 1987 को वित्त सचिव ने आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा, जिसके साथ फैयरफैक्स ग्रुप इन्क के साथ हुए समझौतों के कारणों की जांच करने के लिए जांच आयोग की स्थापना संबंधी दिनांक 6 अप्रैल, 1987 के राजपत्रित अधिसूचना की एक प्रति भेजी गई थी । इस पत्र के साथ उपयुर्क्त समझौतों की जांच करने के लिए आयोग के सदस्यों को भेजे गए राष्ट्रपति जी के अनुरोध की एक प्रति भी भेजी गई थी ।

21 अप्रैल, 1987 को आयोग ने वित्त सचिव को एक पत्र भेजा, जिसमें उनसे आयोग के सदस्यों के उपयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स फेयर फैक्स इन्क को नियुक्त करने संबंधी फाइलों की दो प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । उसी दिन वित्त सचिव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स फेयर फेक्स ग्रुप इन्क की नियुक्ति से संबंधित फाईल की दो प्रतियां भेजी । उसी दिन वित्त सचिव ने आयोग को गुप्त फाइल संख्या (23015/5/87-प्रशा0 111 (63)/ एफ0एस0/87/टी0एस0) (पृष्ठ संख्या 1 से 39) भी भेजी थी ।

मैसर्स फेयर फेक्स ग्रुप इन्क की नियुक्ति से संबंधित फाइल में अन्य बातों के साथ-साथ मैसर्स फेयर फैक्स ग्रुप इन्क को नियुक्ति के तरीकों तथा शर्तों के बारे में वित्त सचिव द्वारा श्री भूरे-लाल से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, उनके द्वारा 6-2-1987 को राजस्व सचिव, श्री पांडे को प्रस्तुत की गई दौरा रिपोर्ट की एक प्रति, तत्कालीन राजस्व सचिव, श्री वी0सी0 पांडे की एक टिप्पणी निहित हैं । इस टिप्पणी में यह पुष्टि की गई कि मैसर्स रिलायंस के खिलाफ जांचाधीन मामलों में पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए विदेशी एजेन्सी से सम्पर्क करने हेतु व्यय विभाग को पूर्व अनुमति दे दी गई है और यह कि तत्कालीन वित्त मंत्री (श्री वी0एन0पी0 सिंह) की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी, परन्तु किसी विशेष एजेन्सी को नियुक्त करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी तथा इस बारे में केवल यह कहा गया था यह करार विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए तथा ऐसी सूचना के प्राप्त होने के पश्चात भुगतान किया जाना चाहिए । इस फाइल में वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरण हो जाने के बाद श्री वी0पी0सिंह द्वारा किया गया पृष्ठांकन भी दिया गया है । इस पृष्ठांकन में उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में 11.3.1987 को यह उल्लिखित है कि यह केवल फाइल नहीं चाहते, बल्कि यह यह बात रिकार्ड करना चाहेंगें कि उन्होंने मौखिक अनुमति दी थी । यह बातें उन्होंने उस समय कही, जब कि यह मामला राजस्व सचिव द्वारा उनके साथ उठाया गया था । रक्षा मंत्री द्वारा किए गए पृष्ठांकन का पूर्ण सार श्री पांडे तथा श्री वी0पी0 सिंह द्वारा भेजी गई सूचना संबंधी अध्याय में उद्धरित किया गया है । इस फाइल में मैसर्स डूपोंट द्वारा उनको भेजी गई प्रश्नावलियों के संदर्भ में दिए गए उत्तर तथा मैसर्स कैमटेक्स से पूछे गए प्रश्न भी दिए गए हैं । अन्ततः इस फाइल में "जिस किसी से संबंध हो" की संबधित प्राधिकार की एक प्रति भी दी गई है, जो श्री भूरेलाल द्वारा डा0 हैरिस तथा श्री गोर्डन एन्ड्यू मेकके को दिया गया, ताकि वे प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उक्त कम्पनी के खिलाफ अपनी जांच के दौरान रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई के संबंध में सूचना एकत्र कर सकें ।

जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 5(2)(ख) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाने वाली सार्वजनिक अधिसूचना, जिसमें जांच की विषय वस्तु से जानकारी रखने वाले सभी व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था, आयोग द्वारा प्रकाशन हो जाने के बाद, भारतीय संघ की ओर से वित्त सचिव, श्री एस.वेंकिटारमन ने 18 मई, 1987 को एक लिखित बयान दायर किया, इस बयान में यह उल्लिखित है कि प्रवर्तन निदेशक द्वारा फेयरफैक्स इन्क की सेवाओं का उपयोग करने के बारे में सरकार के पास उपलब्ध पूर्ववर्ती दस्तावेज दिनांक 6-2-1987 की दौरा टिप्पणी है (अनुबन्ध-I) यह टिप्पणी श्री भूरे लाल ने अपने 21 दिसम्बर 1986 से 3 जनवरी, 1987 तक के दौरे के संबंध में तत्कालीन राजस्व सचिव, श्री वी0सी0 पांडे को प्रस्तुत की थी । तत्पश्चात् यह उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन राजस्व सचिव, श्री वी0सी0 पांडे ने श्री भूरे लाल के प्रस्ताव के अनुमोदन की सिफारिश की और तदन्तर पैट्रोलियम राज्य मंत्री ने, जिन्होंने 24-1-1987 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त भार संभाला था, समझौते के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी चाही (कार्यवृत की प्रति अनुबन्ध-II के रूप में है), इस संबंध में श्री भूरे लाल ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1987 के पत्र द्वारा श्री पांडे को उत्तर भेजा था (अनुबन्ध-III), तत्पश्चात् इस विषय से संबंधित कागजात श्री पांडे द्वारा 9 मार्च, 1987 को सीधे तत्कालीन रक्षा मंत्री (श्री वी0पी0 सिंह) को भेजे गए, जिन्होंने 24-1-1987 को वित्त मंत्रालय का कार्यभार छोड़ दिया था (श्री पांडे की टिप्पणी की प्रति अनुबन्ध-IV के रूप में दी गई है), तत्कालीन रक्षा मंत्री (श्री वी0पी0 सिंह) ने 11 मार्च, 1987 को अपने कार्यवृत रिकार्ड किए (प्रति अनुबन्ध V के रूप में दी गई है), जिनमें उन्होंने कहा कि वह इस बात को रिकार्ड में लाना चाहते है कि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री के रूप में मौखिक अनुमति दी थी । यह बात उन्होंने उस समय कही, जब यह मामला श्री वी0पी0 पांडे द्वारा उनके साथ उठाया गया था । यह भी बताया गया था कि 24-1-1987 को वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद जब प्रधान मंत्री जी को मामले के रिकार्ड प्रस्तुत किए गए थे, तब उन्होने बहुत सारे मामले उठाए और वित्त सचिव को शीध्र ही मामले के पहलओं की जांच करने के लिए कहा था (प्रधान-मंत्री जी को सचिव द्वारा रिकार्ड किए गए दिनांक 23-3-1987 की टिप्पणी की प्रति अनुबन्ध VI में रूप में दी गई है) चूंकि इन पहलुओं के संबंध में रिकार्ड में उपलब्ध सूचना अपूर्ण थी, इसलिए श्री वी0सी0 पांडे और श्री भूरे लाल से कहा गया कि वे प्रधान मंत्री जी के प्रश्नों के बारे में उत्तर बयान दें, इन प्रश्नो के उत्तर में श्री वी0सी0 पांडे और श्री भूरे लाल के विचार प्राप्त किए गए (अनुबन्ध VII), तदनन्तर वित्त सचिव ने श्री भूरे लाल के बयान को रिकार्ड किया (अनुबन्ध VIII) ।

लिखित बयान में "जिस किसी से संबंध हो" शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 7-1-1987 के प्राधिकार पत्र (अनुबन्ध IX) का उल्लेख किया गया । यह प्राधिकार रिलांयस इन्डस्ट्रीज के खिलाफ जांच करने के लिए डा0 हैरिस तथा श्री गौर्डन एन्ड्यू मैकके के पक्ष में था तथा इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ 7-1-1987 को मैसर्स कैमटेक्स के प्रतिनिधियों तथा 22-1-1987 (अनुबन्ध XI) को संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्देशीय राजस्व सेवा के आपराधिक जांच विभाग के ग्रुप प्रबन्धक, श्री बरूनी को संबोधित श्री भूरे लाल के पत्रों के संबंध में था कि प्रवर्तन निदेशालय मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इन्क की सहायता ले रहा था ।

बाद में लिखित बयान के पैरा 3 में बताया गया कि फेरा उल्लंघनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इन्क. की सेवाओं के उपयोग किए जाने का प्रश्न जनसाधारण के वाद-विवाद का विषय बन गया और यह कि इस मामले पर 31-3-1987 को लोक सभा तथा 15-4-1987 को राज्य सभा में बहस हुई (लोक सभा तथा राज्य सभा की संशोधित

कारवाईयां अनुबन्ध XII और अनुबन्ध XIII के ग्रुप में दी गई हैं । तदन्तर यह बताया गया है कि इस विषय के बारे में सरकार को केवल इन्हीं तथ्यों की जानकारी थी और यह कि सरकार के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने यू0 एस0 ए0 के फैयरफैक्स ग्रुप इन्क को नियुक्त नहीं किया था, परन्तु दस्तावेजों से यह निष्कर्ष सामने आता है कि फैयर फैक्स की सेवाओं का उपयोग फेरा उल्लंघन के कतिपय मामलों से संबंधित विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशक (श्री भूरे लाल) द्वारा किया जाना था । इस उपर्युक्त मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही थी । 'दस्तावेजों तथा साक्ष्यों' के मुख्य-मुख्य खंडों के प्रस्तुत किए जाने पर ही फैयरफैक्स ग्रुप इन्क को किसी प्रकार की अदायगी की जानी थी, जैसाकि अनुबन्ध-1 में उल्लिखित था । उपलब्ध रिकार्डों से पता चलता है कि भारत सरकार या प्रवर्तन निदेशालय को फैयरफैक्स ग्रुप इन्क से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । कोई अदायगी नहीं की गई है अथवा उनको अदायगी करने के लिए किसी को प्राधिकृत नहीं किया गया है । उपलब्ध रिकार्ड से यह भी पता नहीं चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय तथा फैयरफैक्स ग्रुप इन्क. के बीच किसी प्रकार की सूचना यदि कोई है, का आदान-प्रदान किया गया है ।

यह भी बताया गया है कि उपलब्ध रिकार्ड से पता चलता है कि यू0 एस0 ए0 के फैयर फैक्स ग्रुप इन्क के पूर्ववृतों की जांच नहीं की गई थी । यह बताया गया कि उपर्युक्त अनुरोध तथ्यों के आधार पर तथा सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर किए गए थे, ताकि आयोग जांच की विषय वस्तु संबंधी विभिन्न मसलों के बारे में निर्णय ले सके ।

उपर्युक्त बातों को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि सरकार की फाइल में केवल अपूर्ण सूचना दी गई है और अतः सरकार ने एक आयोग गठित किया है, जो स्वयं जांच करें ताकि विचारार्थ विषय में निर्धारित मामले के सभी पहलुओं के बारे में सूचना एकत्र कर सके और तत्पश्चात् ऐसी जांच करें, जो आयोग द्वारा ठीक समझी जाए तथा इनके निष्कर्षों को देखते हुए सरकार को एक रिपोर्ट पेश करें । उपर्युक्त तथ्यों की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आयोग को प्रथमतः अपने आप को जांच कारवाई में लगाना पड़ेगा, ताकि किसी प्रकार के सम्बद्ध मामले पर संभावित किसी प्रकार की बैठक से पूर्व जांच के लिए सम्बद्ध सामग्री एकत्र की जा सके ।

टिप्पणीः *इस अध्याय में निर्दिष्ट अनुबन्ध 18 मई, 1987 को वित्त सचिव के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दायर लिखित बयान के अनुबन्ध हैं । उपयुक्त लिखित बयान तथा निर्दिष्ट अनुबन्धों अर्थात अनुबन्ध-I से XIII को खंड I बी. में शामिल किया गया है ।*

अध्याय III

जांच आयोग (केन्द्रीय) नियमावली, 1972 के नियम 5(2)(ख) के अनुसार आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रतिक्रिया

आयोग ने 25 अप्रैल, 1987 को समाचार पत्रों में एक अधिसूचना जारी करवाई जिसमें जांच की विषय वस्तु से भिज्ञ सभी व्यक्तियों से जांच आयोग (केन्द्रीय) नियमावली, 1972 के नियम 5(2)(ख) के अनुरूप अधिसूचना में विशिष्ट मामलों से संबंधित विवरण आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में आयोग को 18 मई, 1987 को केवल एक[1] विवरण प्राप्त हुआ था जो केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रस्तुत विवरण के अलावा था जिसके संबंध में अध्याय-II में विस्तार से दिया गया है । उक्त विवरण पर कांग्रेस (आई) दल के सात माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे, अर्थात्

1.	श्री वी नारायणस्वामी	(राज्य सभा)
2.	श्री ए. जया मोहन	(लोक सभा)
3.	श्री पवन कुमार बंसल	(राज्य सभा)
4.	श्री जी. स्वामीनायक	(राज्य सभा)
5.	श्री एच.एस. हंसपाल	(राज्य सभा)
6.	सुश्री वीनावर्मा	(राज्य सभा)
7.	श्रीमति कृष्णा कौल	(राज्य सभा)

विवरण में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो उन हालातों एवं ढंग पर प्रकाश डाले जिसमें विदेशी मुद्रा के तथाकथित उल्लंघनों से संबंधित भारतीय नागरिकों और विदेशों में स्थित भारतीय कंपनियों के विरुद्ध जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी एजेन्सी मैसर्ज फेयरफैक्स ग्रुप की सेवाएं प्राप्त की गई है । परन्तु विवरण में भारत सरकार की ओर से जांच करने के लिए अनुचित रूप से विदेशी एजेन्सियों की सेवाएं प्राप्त करने के बारे में तथा प्रधानमंत्री/मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन के बिना विदेशी एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करने में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए अनौचित्य के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां दी हुई है । इसलिए विवरण के हस्ताक्षरकर्ताओं ने आयोग से अनुरोध किया है कि वह सरकार के भावी आचरण के लिए ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए जिसके अनुसार ऐसा तन्त्र निर्धारित करे जिसका आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध जांच करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसी पद्धति निर्धारित करे जिसके अनुसार आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध जांच करने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार की एजेन्सी नियुक्त की जानी चाहिए । उक्त संसद सदस्यों ने स्वीकार किया है कि आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध निःसन्देह कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती । लेकिन उनका

---

1. *श्री आर.जी. केवलरमानी का भी एक विवरण प्राप्त हुआ था परन्तु इसमें जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई सूचना नहीं है । इसी प्रकार सुश्री प्रोतिमा थापर से भी एक विवरण प्राप्त हुआ था इसमें जांच की विषय-वस्तु से संबंधित कोई सूचना नहीं थी । इसलिए हमने इन्हें जांच की विषय वस्तु से संबंधित सार्वजनिक अधिसूचना के प्रत्युत्तर में विवरण के रूप में नहीं लिया और तदनुसार हमने इन पर समय एवं स्थान का प्रयोग नहीं किया ।*

तर्क है कि विदेशी मुद्रा का तथाकथित उल्लंघन करने वाले भारतीय नागरिकों और कम्पनियों के विरूद्ध जांच करने के लिए केवल अनुमोदन-प्राप्त सरकारी एजेन्सी नियुक्त की जानी चाहिए और यह भी अपेक्षित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात । और यह कि किसी भी विदेशी एजेन्सी को इस प्रकार का जांच-कार्य सौंपा जाना चाहिए ।

अब हम विवरण में कथनों को कुछ और अधिक विस्तार से दे सकते हैं । 18 पृष्ठों में दिया गया विवरण विभिन्न विषयों से संबंधित है । परन्तु हमारे वर्तमान प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त है यदि हम केवल शिकायत के आधार और चाहे गये उपचारात्मक उपाय निर्दिष्ट करें

1. एक विदेशी प्राइवेट गुप्तचर एजेन्सी, फैयरफैक्स की सेवाएं प्राप्त करने में अधिक राष्ट्रीय हित की सुरक्षा हेतु अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई । दूसरी ओर न्यूनतम सावधानी बरते बिना अन्य इच्छुक पार्टियों की सहायता से सेवाएं प्राप्त की गई थी ।
2. प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना फेयरफैक्स की सेवाएं प्राप्त करना चिन्ता का विषय है क्योंकि बिना अपेक्षित सुरक्षात्मक उपायों के विदेशी एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करना देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का भारी जोखिम उठाना है ।
3. मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना विदेशी एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करना अनुचित है क्योंकि यह मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व के सिद्धान्त का उल्लंघन है ।
4. देश, सरकार और नागरिकों को प्रभावित करने वाले विषयों में जांच करने के लिए विदेशी एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करना "किसी विदेशी प्राइवेट गुप्तचर एजेन्सी को जांच कार्य सौंपना ही नहीं होगा बल्कि आवश्यक रूप से संभवतः एक ऐसे देश की गुप्त सेवा अथवा अन्वेषण विंग के हाथों सौंपने के समान होगा जिस देश से यह प्राइवेट विदेशी एजेन्सी संबंध रखती है ।" फलस्वरूप विदेश का अन्वेषण विंग जांच के दौरान एकत्र सामग्री का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है जिससे भारत की अस्थिरता सहित उसके अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो ।
5. एक बार सरकार द्वारा अपने नागरिकों और उद्योगपतियों के कार्यों की जांच करने के लिए किसी विदेशी गुप्तचर एजेन्सी को सरकारी तौर पर प्राधिकृत किया जाता है तो विदेशी एजेन्सी पर नियन्त्रण समाप्त हो जाता है क्योंकि यह भारतीय कानून द्वारा शासित अथवा सरकार के सीमाक्षेत्र के अधीन नहीं होगा ।
6. फेयरफैक्स की सेवाएं प्राप्त करना अवैध था क्योंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन जांच करने के लिए किसी प्राइवेट व्यक्ति अथवा एजेन्सी, चाहे वह विदेशी हो अथवा स्वदेशी की सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति नहीं है । फेयरफैक्स की सेवाएं प्राप्त करना स्वयं में एजेन्सी कायम करने के समान है । लेकिन यदि ऐसा न भी होता, फेयरफैक्स की सेवाओं का प्रयोग अवैध होगा क्योंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 किसी विदेशी एजेन्सी की सहायता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान नहीं करता ।
7. अन्वेषित तथ्यों की गोपनीयता तथा प्रकटीकरण की कोई लिखित वचनबद्धता लिये बिना, प्रवर्तन निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करना अविवेकपूर्ण तथा लापरवाही का कार्य था । बिना कोई प्रतिबन्धित शर्तों के विदेशी एजेन्सी को सूचना किसी अन्य विदेशी व्यक्ति अथवा पार्टी अथवा मीडिया को बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी ।
8. अन्य अन्वेषण एजेन्सियों जैसेकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो, अनुसंधान और

विश्लेषण विंग के परामर्श के बिना विदेशी एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करना स्पष्टतः अविवेकपूर्ण था । ऐसा प्रस्तुत स्पष्टीकरण कि विदेशी एजेन्सी की सेवाएं आकस्मिकता के आधार पर प्राप्त की गई थी, सुलभता से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई विदेशी एजेन्सी बिना किसी प्रकार के भुगतान के मामलों की जांच करने को सहमत हो जाएगी ।

9. अन्वेषण कार्य करने के लिए एक बार प्राधिकृत विदेशी एजेन्सी को दुर्जेय शक्ति प्राप्त हो जाएगी और इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि विदेशी एजेन्सी उसे दी गई शक्ति का दुरूपयोग नहीं करेगी और इस प्रकार के दुरूपयोग से ईमानदार और भोलेभाले व्यक्तियों को भी असंख्य दुःख और कष्ट उठाने पड़ सकते हैं । अतः आयोग को मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने चाहिएं जिससे कि निम्नलिखित सुनिश्चित हो सके :-

(i) कि केवल ऐसा तन्त्र जो ऐसे मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए, स्वयं आर्थिक अधिनियम द्वारा व्यवस्थित तन्त्र होगा जो संसद का आदेश है और कोई अन्य प्रक्रिया उस आदेश का उल्लंघन होगा;

(ii) कि यह आवश्यक है कि कोई भी ऐसा निर्णय न तो विभाग के अधिकारियों के स्तर पर, न ही संबद्ध व्यक्तिगत मंत्रियों के स्तर पर लिया जाना चाहिए बल्कि, दूसरी ओर, मंत्रिपरिषद के सामूहिक निर्णय पर होना चाहिए;

(iii) कि यदि कामकाज के नियमों में आज की तारीख तक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मंत्रिपरिषद ऐसे महत्वपूर्ण परिणाम वाले निर्णय की अन्तिम जिम्मेवारी स्वीकार करे और जिसमें गम्भीर खतरा सन्निहित हो तो कामकाज के नियमों को ही बदलना होगा ताकि मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय की व्यवस्था की जा सके ।" (देखिये पैरा 19) ।

आयोग की टिप्पणी

प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना और केन्द्रीय जांच ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण विंग आदि जैसी अन्य अन्वेषण एजेन्सियों के परामर्श के बिना फेयरफैक्स की सेवाएं प्राप्त करने के बारे में विवरण के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई आलोचना निर्विवाद तथ्यों के संदर्भ में उठने वाले सभी विषय हैं । जहां तक जांच के प्रयोजन के लिए विदेशी एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करने में अन्तर्ग्रस्त जोखिमों का सम्बन्ध है , आयोग ने अपना ध्यान आकर्षित किया है और इसके लिए एक अलग अध्याय लिखा है । अन्त में, समुचित तन्त्र जिसकी ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध जिन पर विदेशी मुद्रा के उल्लंघन करने का संदेह है, जांच करने के लिए सेवाएं प्राप्त की जानी चाहिए और प्रक्रिया जो समुचित एजेन्सी आदि की नियुक्ति के मामले में अपनायी जानी चाहिए, के बारे में सरकार के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए आयोग को किये गये अनुरोध अनिवार्यतः नीति के मामले हैं और इसलिए नीति निर्धारण करना सरकार का काम है । इन कारणों से आयोग ने यह आवश्यक नहीं समझा कि हस्ताक्षरकर्ता और उनके प्रतिनिधि आयोग के समक्ष उपस्थित हों और लिखित विवरण में दिये गये विषयों के बारे में मौखिक प्रतिनिधित्व करें । आयोग ने केवल ऐसी समुचित टिप्पणियां की हैं जो आवश्यक समझी गई हैं और सम्बद्ध विषयों पर चर्चा के दौरान जिस सीमा तक आवश्यक समझी गई हैं ।

अध्याय IV

आयोग के कार्य के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ गलत धारणाएं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है

आयोग द्वारा किए गए कार्य के दौरान उसे दो बातें महसूस हुई है। पहली बात यह है कि आम जनता के कुछ वर्ग और यहां तक कि कुछ कानूनी व्यवसाय वाले व्यक्तियों के मन में उस कार्य के स्वरूप के सम्बन्ध में पूर्णतः मिथ्या धारणा का होना, जो आयोग को करना है। केवल मात्र इसलिए कि किसी आयोग द्वारा की जाने वाली जांच कभी-कभी मुक्त रूप से न्यायिक जांच कही जाती है, और मात्र इसलिए कि आयोग को गठन में पीठासीन न्यायाधीश होते हैं, एक आम विश्वास बन जाता है कि आयोग तत्काल जांच कर सकता है और यह तत्काल जांच करना शुरू कर देगा तथा जांच किसी दीवानी या फौजदारी मामले में किए जाने वाले मुकदमे के समान होगी या उसी प्रकार का रास्ता अपनाया जाएगा। इस मिथ्या धारणा को बनाने वाले व्यक्ति यह महसूस नहीं करते कि दीवानी मामलों में दोनो तरफ व्यवस्थित पक्षकार होते हैं और उनकी अपनी-अपनी दलीलें उनकी बहस में पाई जाती है। फौजदारी मकदद्मों में, अभियोजन पक्ष का आधार आरोप-पत्र में, पड़ताल के दौरान रिकार्ड किए गए गवाहो के बयानों में और उन दस्तावेजों में पाया जाता है जिनपर अभियोजन पक्ष का अवलम्ब हो। इसके अतिरिक्त, दीवानी या फौजदारी मामला विरोधात्मक प्रकार का होता है आर न्यायालय का कर्तव्य पक्षकारों द्वारा एकत्रित की गई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्य के आधार पर पत्रकारो की विरोधी दलीलों के गुण-दोषों के संबध में केवल अधिनिर्णय करना है। दूसरी ओर, जांच आयोग का कार्य स्वयं अपने लिए सामग्री एकत्रित करना उसके गुणों और संगतता के अनुसार उसकी छानबीन करना और फिर स्वयं अपने लिए यह पता लगाना है कि मामले के तथ्य क्या है। आयोग का कार्य अधिनिर्णयक प्रकार का नहीं है बल्कि तथ्यान्वेषी पकार का है। ऐसा होने पर, जांच आयोग अधिनियम के अधीन नियुक्त तथा सार्वजनिक जांच करने वाले किसी आयोग से तत्काल जांच करने और उसके बारे में छानबीन करने की अपेक्षा करना और उसके लिए शोर गुल मचाना जनता के किसी भी सदस्य के लिए (और उससे भी अधिक कानून से जुड़े हुए ययक्तियो के लिए अनुचित ही नहीं बल्कि अवास्तविक भी है। कार्यवाही के स्वरूप से ही यह सम्भव नहीं है। जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 5(2)(क) के अधीन यदि आयोग की राय में किसी व्यक्ति विशेष को सुनवाई कराने का अवसर दिया जाना चाहिए तो उसे नोटिस जारी करना होता है उसे उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अपना बयान देने के लिए कहा जाता है। यह सम्भव हो सकता है बशर्ते कि विचारार्थ विषय से शुरू में पता लग जाए कि किसी व्यक्ति विशेष की सुनवाई करना आवश्यक है। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति के लिए अपना बयान फाइल करना अनिवार्य नहीं है और यदि बयान फाइल करके यह उसका प्रत्युत्तर न दे तो उसे कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता। निस्सन्देह, नियम 5(2)(ख) के अधीन एक अधिसूचना जारी करनी पड़ती है जिसमें जांच के विषय से अवगत सभी व्यक्तियों को आयोग के समक्ष ऐसे मामलों के बारे में बयान देने के लिए आमन्त्रित किया जाता है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। संयोगवश, यह भी उल्लेखनीय है कि चाहे आयोग ने नियम 5(2)(क) के अधीन विचार किए जाने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत न भी दिया हो, तब भी यह नियम 5(2)(ख) के अधीन आयोग द्वारा जारी की गई सामान्य अधिसूचना के उत्तर में आयोग के समक्ष अपनी जानकारी में होने वाली सूचना देने वाला बयान भली प्रकार फाइल कर सकता है, हालांकि

यदि वह ऐसा नहीं करता तो उससे उस पर कोई दायित्व भी नहीं है । जो कुछ भी है, नियम 5 द्वारा आयोग को सौंपी गई स्वयं कार्य विधि से ही प्रकट हो जाएगा कि आयोग की नियुक्ति के अगले दिन से ही उससे जांच करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।

नियम 5 के अधीन आयोग द्वारा अपनाई जाने के लिए निर्दिष्ट कार्य विधि को एक तरफ रखते हुए यदि हम स्वयं अधिनियम को देखे तो मालूम होगा कि आयोग को 5(2) के अन्तर्गत किस आशय के कानूनबद्ध अधिकार प्राप्त हैं कि वह किसी भी व्यक्ति से ऐसे मुद्दों अथवा ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जोकि आयोग की राय में जांच पड़ताल की विषयवस्तु से सम्बद्ध हो अथवा उसे आगे बढ़ाने में उपयोगी हों, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है । किसी भी व्यक्ति को सम्बद्ध जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आदिष्ट करने के आयोग के इस अधिकार को और भी अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के उद्देश्य से इस धारा में यह व्यवस्था भी की गई है कि "कोई भी व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 और 177 के अर्थों के अधीन ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य समझा जाएगा।" केवल ऐसी एक मात्र परिस्थिति, जिसमें धारा 5(2) के अन्तर्गत आयोग द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया कोई व्यक्ति उन्मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तभी उत्पन्न होती है जबकि वह व्यक्ति तत्कालीन प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत आयोग को ऐसी जानकारी देने से छूट दिए जाने का विशेषाधिकार प्राप्त करने का हकदार हो ।

आयोग को जांच पड़ताल करने के लिए जो अधिकार दिए हैं उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए धारा 5(3) के द्वारा आयोग को और उसके द्वारा अधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी को किसी भी ऐसे भवन अथवा ऐसे स्थान में प्रवेश करने का अधिकार दे दिया गया है, जिसमें आयोग के आधारपूर्ण निश्चय के अनुसार जांच पड़ताल के विषय से सम्बन्धित हिसाब-किताब की पुस्तकें अथवा अन्य सम्बद्ध दस्तावेज पाए जा सकें और उनको दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 और 103 के उपबन्धों के अधीन, जहां तक वे प्रवृत्त हों, हिसाब-किताब की ऐसी किसी भी पुस्तक अथवा दस्तावेज को जब्त करने का अथवा उससे उद्धरण लेने का अथवा उसकी प्रतियां तैयार करवाने का अधिकार भी दे दिया गया है ।

धारा 5 के अन्तर्गत, किसी भी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करने और किसी भी भवन अथवा स्थान में प्रवेश करने और लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों आदि को जब्त करने के लिए आयोग को मिले अधिकार के अतिरिक्त, धारा 5(क) के अन्तर्गत आयोग को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह जांच के विषय से सम्बन्धित पड़ताल करने के लिए आयोग को नियुक्त करने वाली केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारियों तथा जांच अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग भी यथास्थिति कर सकेगा । आयोग को निर्दिष्ट की गई पड़ताल करने के लिए नामजद सम्बद्ध अभिकरण को कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत जांच पड़ताल अभिकरण को (क) किसी भी व्यक्ति को तलब करने या उसे उपस्थित करवाने और उससे पूछताछ करने, (ख) किसी भी दस्तावेज को तलाश करवाने और उसे पेश करवाने और (ग) किसी भी कार्यालय से किसी भी सरकारी रिकार्ड को प्राप्त करने अथवा उसकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार भी दे दिया गया है ।

एक आयोग को धारा 5 और धारा 5(क) के अन्तर्गत जांच पड़ताल करने के जो अधिकार दिए गए हैं यद्यपि उनको आयोग के अतिरिक्त अधिकार कहा गया है तथापि उनको अधिनियम की

धारा 4 के अन्तर्गत "आयोग के अधिकार" शीर्षक के अधीन प्रदत्त शक्तियों की वृद्धि के रूप में प्रयोग में लाए जा सकने वाले अधिकार नहीं माना जा सकता । धारा 4 में यह व्यवस्था है कि आयोग को खण्ड (क) से (च) में दर्ज मामलों के संबंध में व्यवहार न्यायालय की वे शक्तियां प्राप्त होंगी जोकि उसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक दावे की सुनवाई करते समय अर्थात् निम्नलिखित विषयों में, प्राप्त होती हैं:-

(क) (भारत के किसी भाग) से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक-अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

धारा 5 के अन्तर्गत प्रयोज्य पड़ताल के अधिकारों को आयोग के द्वारा सम्बद्ध सूचना अथवा सम्बद्ध सामग्री प्राप्त करने के लिए केवल जांच पड़ताल के वास्तविक रूप से शुरू होने से पहले चाहे यह जांच पड़ताल खुली हो या वह गुप्त रूप से चल रही हो - ही प्रयोग में लाया जा सकता है । दूसरे शब्दों में आशय यह है कि इन अधिकारों को उस समय प्रयोग में लाया जाए जबकि आयोग ने अपनी बैठकें शुरू न की हों और उसने अपना कार्य आरम्भ न किया हो । धारा 5 और धारा 5(क) के अन्तर्गत प्रयोज्य अधिकार किसी आयोग पर धारा 4 के अन्तर्गत दिए गए अधिकारों से उद्भूत नहीं होते हैं । जांच पड़ताल के यह अधिकार धारा 5 और 5(क) के अनुसरण में सोच समझकर और इस बात को अच्छी तरह महसूस करके दिए गए हैं कि एक आयोग को बड़ी व्यापक भूमिका अदा करनी पड़ती है अर्थात् प्रथमावस्था में उसे अनुसंधानकर्ता की भूमिका निभानी पड़ती है और उसके पश्चात् तथ्यों की खोजबीन करने वाले माध्यम के रूप में कार्य करना पड़ता है । इस बात को समझने के लिए यह उदाहरण बहुत उपयोगी सिद्ध होगा अर्थात् यदि कोई विमान दुर्घटना हो जाए अथवा किसी बड़े उद्योग में से जहरीली गैस रिसकर फैल जाए और उस विमान दुर्घटना अथवा गैस के रिसाव का कारण जानने के लिए किसी जांच आयोग का गठन किया जाए तो आयोग से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपना काम ऐसे विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में जो दुर्घटना के कारणों पर प्रकाश डालें, पूर्वसूचना या सूचना इकट्ठी किए बिना सीधे ही सार्वजनिक पूछताछ का कार्य आरम्भ कर देगा । किन्तु आश्चर्य की बात तो यही है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचार माध्यमों ने और जनता के एक वर्ग ने जिनमें कानूनी व्यवसाय करने वाले कुछ सदस्य भी शामिल हैं, इस बात को ठीक तरह से महसूस नहीं किया है ।

अध्याय V

जांच आयोग अधिनियम, 1952 में कमियां, जिनसे इस अधिनियम के अन्तर्गत आयोग को सौंपे गए काम में हानि हो सकती है अथवा उस का प्रयोजन ही निष्फल हो सकता है ।

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोक महत्व के निश्चित मामलों की जांच करने के प्रयोजन हेतु आयोग गठित करने के संबंध में जारी की गई अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसरण में आयोग द्वारा किए गए कार्य के दौरान आयोग ने बड़े दुख के साथ यह अनुभव किया है कि आयोग अपने कामकाज को आसानी से और वस्तुतः बिना रोकटोक निपटाने में बिल्कुल ही निष्प्रभावी हो सकता है । यह निष्कर्ष उन लोगों द्वारा निकाला जा सकता है जो अपने ही आधार पर ऐसा सोचें अथवा जो यह समझें कि जांच परिपूर्ण हो सकती है । आयोग गठित करने का प्रयोजन और इसे सौंपे गए काम ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्फल बनाए जा सकते है क्योंकि अधिनियम के उपबंध बिल्कुल ही अपर्याप्त है और उन में कारगरता का अभाव है जिससे कि आयोग अपना काम कर सके और इस बात की सम्भावना तो दूर है कि यह विनिर्दिष्ट समय के अंदर ही अपना काम पूरा कर सके जैसा कि आगामी पैराग्राफों में की गई चर्चा से पता चलता है ।

उन मामलों को छोड़कर, जो अनिवार्यतः प्रकृति से "विरोधात्मक" है, कोई आयोग शायद ही "प्रभावी शक्ति" के अभाव में (जैसा कि "कागजी शक्ति" से प्राप्त) आयोग ऐसे मुद्दों अथवा मामलों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का काम कर सके जो उसकी राय में जांच की विषयवस्तु से सम्बद्ध अथवा उपयोगी हो । जिन मामलों में जांच की विषयवस्तु प्रकृति में "विरोधात्मक" हो और सम्बन्धित पक्ष अपने प्रयत्नों से ही साक्ष्य प्राप्त करें और उसे आयोग के सम्मुख प्रस्तुत करें ताकि उन के द्वारा लगाए गए आरोप अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण सिद्ध हो सके, ऐसे मामलों में आयोग ऐसे व्यक्ति से सूचना देने के लिए नही कह सकता अथवा उसे ऐसा करने की आवश्यकता अथवा अवसर ही नही होगा जिससे कि आयोग अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके । किन्तु उन मामलों में ऐसा नही है जिन में जांच केवल एक तथ्य निर्धारण जांच हो जिस में कि किसी पक्ष के पास सम्बन्धित तथ्य न हो अथवा कोई भी पक्ष अपेक्षित सामग्री आयोग के सम्मुख रखने के लिए प्राप्त करने की स्थिति में न हो, ऐसी जांच में (यह जांच इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती है) आयोग को ही अपेक्षित सूचना प्राप्त करनी होती है और बिना किसी सहायता के जांच की विषयवस्तु के बारे में अपनी राय बनानी होती है जबकि ऐसी जांच के दौरान जो पर्याप्त रूप में प्रकृति में "विरोधात्मक" हो, सामान्यतः सहायता प्राप्त हो जाती है । ऐसे मामले मे आयोग अपना काम नही कर सकता जब तक कि इसे ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को बाध्य करके सूचना प्राप्त करने की "प्रभावी, शक्तियों से लैस न किया जाए । जो शक्तियां प्रभावी संस्वीकृति से लैस होती है उनकी आसानी से अथवा बिना किसी रोकटोक के अवहेलना नही की जा सकती । ऐसी स्थिति की परिकल्पना करते हुए विधान ने निःसन्देह अधिनियम की धारा 5(2) और धारा 5क का अधिनियमन करके इस सम्बन्ध में प्रावधान किए हैं । किन्तु इन उपबंधों में यह तीखापन नही है जो उन्हें वस्तुतः प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य है ताकि अपने कार्य का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, बजाय इसके कि यह केवल सजाने योग्य "कागजी शेर" बने रहें । इस आग्रह का कारण वर्तमान जांच से स्पष्ट हो जाएगा ।

धारा 5(2) [1] के अन्तर्गत आयोग के किसी भी व्यक्ति से ऐसे मुद्दों अथवा मामलों पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने हेतु शक्ति प्राप्त है जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु से सम्बन्धित हो अथवा उपयोगी हो । ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना प्रस्तुत करने से केवल एक ही स्थिति में छूट की मांग कर सकता है यथा "यदि ऐसा अधिकार उसे "उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत" प्राप्त हो ।

धारा 5 - क [2] में स्पष्टतः यह अधिनियमित है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रारम्भिक जांच करे ताकि आयोग सूचना एकत्र कर सके और अपेक्षित सामग्री अपने पास इकट्ठी कर सके जिस के आधार पर आयोग मौखिक साक्ष्य, यदि आवश्यक हो, रिकार्ड कर

---

1. *5(2)* आयोग को किसी व्यक्ति से, किसी ऐसे विशेषाधिकार के अध्यधीन, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हों और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

2. *5 - क* जांच से संबंधित अन्वेषण करने के लिए कतिपय अधिकारियों और अन्वेषण अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने की आयोग की शक्ति -(1) आयोग, जांच से संबंधित अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा :-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहमति से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण ।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जा रहा है, आयोग के निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए,-

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण एवं पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; तथा

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) धारा 6 के उपबन्ध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाए, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाए वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसी कालावधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को रिपोर्ट (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अन्वेषण रिपोर्ट कहा गया है) देगा ।

(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों के तथा निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी जांच (जिसके अन्तर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो) कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

सके और जांच आयोजित कर सके । आयोग, धारा 5क(1)(क) के अन्तर्गत अपेक्षित सहमति से सम्बन्धित सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है और अन्य बातों के साथ-साथ इसे निर्देश दे सकता है कि यह उन व्यक्तियों की जांच कर जिनसे आयोग के निर्देशानुसार सूचना मांगी गई हो, किन्तु ये शक्तियां, जैसा कि पहले बताया गया है, बिल्कुल ही अपर्याप्त है और इनमें कारगरता का अभाव है क्योंकि जांच के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने में असमर्थता का एक ही परिणाम है । उत्तर न देना भारतीय दंड संहिता की धारा 179* के अन्तर्गत एक अपराध है । ऐसा व्यक्ति ऐसी स्थिति में उपयुक्त प्रावधान के अन्तर्गत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभियोजन चलाए जाने और दंडित किए जाने का जोखिम उठाता है । इसमें मात्र जोखिम है और अन्यथा कुछ नहीं । इसी प्रकार आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी अभियोजन चलाया जा सकता है जैसे कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 176** और 177*** के अर्थों में ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य है । ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अधिकतम अभियोजन ही चलाया जा सकता है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अन्तर्गत एक सक्षम न्यायालय द्वारा यथासमय (जो सामान्यतः एक लम्बी अवधि होती है ।) दंडित किया जा सकता है । किन्तु क्या यह पर्याप्त है ? क्या यह पर्याप्त रूप से प्रभावी है कि अपेक्षित सूचना देने के लिए आज्ञा का पालन किया जाए जिस के बिना आयोग वस्तुतः काम नहीं कर सकता ?

यह शक्ति रखना कि किसी व्यक्ति को किसी सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाए जाने मात्र के जोखिम से सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना बहुत कम महत्व रखता है । जितना कि किसी ऐसी न्यायालय में शिकायत किए जाने के आधार पर आदेश पालन न करने के दोषी व्यक्तियों को किसी नियमित आपराधिक न्यायालय से अनुरोध करना, इस से आयोग के प्रयोजन

---

* "179" *जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।*

** *"जो कोई किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने*
या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर
ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक
मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,
अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तिला किसी अपराध के किए जाने के
विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी
को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो
सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से ।

*** *जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तिला देने के लिए*
वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला के रूप में ऐसी इत्तिला देगा जिसका
मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह
सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार
रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,
अथवा यदि वह इत्तिला, जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध किए
जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी
अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

को प्रभावी बनाने का काम नहीं चलता. आयोग को अपने कार्य करने के लिए जरूरी सूचना एकत्र करना और उचित समय के अन्दर और हर हालत में उस के कार्यकाल के दौरान ऐसा करना जरूरी है । आयोग को अपना कर्तव्य निभाने में समर्थ बनाने के लिए अनिवार्य सूचना इकट्ठी करने के वास्ते किसी आपराधिक न्यायालय में बहुत लम्बे समय के बाद किसी तारीख को दंडित करना और ऐसी सजा देना जिस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर्याप्त नहीं है । कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 5(2) अथवा 5(क)(2)(क) के अन्तर्गत मांगी गई सूचना देने से इंकार कर के सूचना को रोक कर अभियोजन के जोखिम को उठना पसंद कर सकता है । सूचना के अभाव में और सामग्री एकत्र करने के किसी प्रभावी अधिकार के बिना कोई भी जांच आयोग अपना कामकाज बिल्कुल करने में असमर्थ रह सकता है । किसी नियमित न्यायालय में अवश्य ही काफी समय लगता है । किसी तकनीकी या अन्य आधारों पर कोई भी दलील दे कर न्यायालयों के क्रम में अपील कर के और कार्यवाही को आगे बढ़ा कर, जो अन्ततः न मानने योग्य हो सकता है किन्तु जो तर्क योग्य हो सकती है, मामले को लम्बा खींचा जा सकता है और उस समय तक, जब तक न्यायालयों में कार्यवाही पूरी हो इतना समय बीत गया होगा कि उस का कोई वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । वस्तुतः मुकदमें वाले न्यायालय में ही एक अथवा दो वर्ष का समय लग सकता है और वह भी तब जब कि कुछ न्यायलय द्वारा कार्यवाही बीच में न रोक दी जाए । यदि सभी न्यायालयों में कार्यवाहियां ठीक ढंग से चलें तो भी सम्भवतः 3 से 5 वर्ष तक का समय लग सकता है यदि वर्तमान समय की स्थिति को वास्तविकता से देखा जाए । निसन्देह दोनों में से किसी भी उपबंध के अन्तर्गत मांग का प्रत्युत्तर देने में असमर्थ रहना रोजाना के लिए एक दोहराए जाने वाला अपराध का नियम होगा । प्रत्येक दिन मांग का अनुपालन करने में असमर्थ रहने से सम्बन्धित व्यक्ति एक अपराध करेगा और यह दंड दिए जाने के लिए पात्र होगा । किन्तु पहले अभियोजन का परिणाम प्राप्त होने तक बार-बार किए जाने वाले अपराधों के लिए लगातार अभियोजन शुरू करना शायद ही व्यवहार्य होगा और जब भी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी तो परिणाम के तौर पर यदि सम्बन्धित न्यायालय के मामले में उदारता बरती तो साधारण और भ्रामक जुर्माने की सजा को रूप में ही परिणाम सामने आएगा । और इस प्रकार के व्यक्तियों को जुर्माना भरने में कोई अनिच्छा नहीं होगी क्यों कि जुर्माने की सजा या यहां तक कि अल्पावधि सजा मुश्किल से निवारक का कार्य करती है । अतः जब तक इस प्रकार के व्यक्तियों की तेजी से न्यायिक जांच नहीं की जाती और मांग का अनुपालन न करने के लिए तत्काल दंडित नहीं किया जाएगा, कोई भी लाभकारी उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा ।

इस परिस्थितियों में अपेक्षित सूचना समुचित समयावधि में प्राप्त नहीं की जा सकती । किसी भी हालत में यह निर्धारित समयावधि में सम्भवतः प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे यह समय लिया जाए कि आयोग को अपना कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय दे दिया जाएगा किन्तु यह उल्लेखनीय है कि ऐसे सभी मामलों में समय एक महत्वपूर्ण अंग है और यदि सूचना शीघ्रता से नहीं इकट्ठी की जा सकती और कार्यवाही को समुचित समय के अन्दर पूरा नहीं किया जा सकता तो आयोग गठित करने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा । आयोग की इस बात की आवश्यकता है कि उसे सूचना प्राप्त हो, जिस का उसे सम्बन्धित व्यक्तियों से पाने का अधिकार है । उसे इस विकल्प की आवश्यकता नहीं है कि वह व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन चलाए और इस आशा से कई वर्ष तक इन्तजार करे कि कुछ कड़ी सजा देने की अनिश्चित सम्भावनाओं से सम्बन्धित व्यक्ति अपेक्षित सूचना देने के लिए बाध्य होगा बजाय इस के कि वह व्यक्ति अभियोजन का सामना करे । सम्भवतः एक मात्र उपाय जिससे प्रयोजन सिद्ध हो सकता है और वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं वह यह है कि आयोग को ऐसे व्यक्ति को सरसरी तौर पर उसे न्यायालय की अवमानना करने के लिए समय कर दंड देने का अधिकार दिया जाए । इस प्रयोजन के लिए अधिनियम में तथा अन्य कानूनों में भी उपयुक्त संशोधन करने होंगे । ऐसे किसी कारगर उपाय के अभाव में आयोग की मांग की वस्तुतः अवहेलना बिना किसी दंड के हो सकती है और उस का काम रुक जाएगा अथवा निष्फल हो जाएगा । इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना और

उपयुक्त उपाय करना प्राधिकारियों का काम है जिस से कि आयोग को सम्बद्ध प्रावधानों का अनुपालन और दंड देने के लिए अधिकार दिए जा सकें और यह कानून के अन्तर्गत व्यक्तियों के दायित्वों को मनवाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को बाध्य कर सके ।

इस मामले में एक और प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3)• में विहित संवैधानिक उपबंध के संदर्भ में है । अधिनियम के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को मांग भेजी जाती है वह अकसर यह दलील देता है कि वह उक्त उपबंध के तहत संरक्षण पाने का हकदार है और यह कि वह सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है । कानून सम्बन्धी स्थिति सुस्पष्ट है और अधिनियम की धारा 6# में यह स्पष्ट है कि आयोग के समक्ष दिए गए किसी वक्तव्य का किसी सिविल अथवा फौजदारी कार्यवाही में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा सिवाय झूठी गवाही देने के लिए एक अभियोजन चलाने के वास्ते । इस सम्बन्ध ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को अनुपात से इस दलील की कोई गुंजाइश नहीं है कि अधिनियम द्वारा सौंपी गई सांविधिक जिम्मेदारी के संदर्भ में अनुच्छेद 20(3) लागू नहीं होता है जिस के अन्तर्गत अलधिनियम की धारा 6 में विहित सुरक्षा की व्यवस्था है । इस बात की भी सरलता से अनदेखी की जाती है कि आयोग कोई अदालत नहीं लगाता है, ऐसा कोई अपराध नहीं है जिस के लिए सम्बन्धित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा रहा है और आयोग केवल तथ्य सोचने का काम करता है जिस के फलस्वरूप सजा या दंड नहीं दिया जा सकता और जिस का परस्पर कोई महत्व नहीं है । ऐसा होने पर भी प्रायः यह दलील दी जाती है जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है ।

पुनः दोहराया जाता है कि अनुपालन न किए जाने की स्थिति में आयोग केवल सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन ही शुरु कर सकता है और सम्बन्धित व्यक्ति वही दलील देगा, उन्हीं मामलों को उठाएगा और मामले को उसी क्रम में चलाएगा तथा इस तथ्य का लाभ उठाएगा कि कानूनी कार्यवाही काफी समय लेती है । इस प्रकार यह आयोग के लिए वस्तुतः असम्भव हो जाता है कि वह उसे सौंपे गए कार्यों को निपटाए जब तक कि अधिनियम तथा अन्य कानूनों में जहां आवश्यक हो, उपयुक्त संशोधन कर के आयोग के ही उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन चलाने और दंडित करने का अधिकार न सौंप दिया जाए ।

इस प्रकार इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता कि अधिनियम में, जैसा कि वह आज है और स्थिति को देखते हुए जो इस समय चल रही है, आयोग को नियुक्त करने का प्रयोजन ही समाप्त हो सकता है और यदि कोई व्यक्ति कार्यवाही का अन्य रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो तो आयोग का कार्य ही निष्फल हो सकता है । इस आयोग ने बहुत निराशा और दुख के साथ वर्तमान मामले में ही ऐसी स्थिति में सम्बद्ध प्रावधानों की निष्प्रभावशीलता का अनुभव किया है जैसा कि उपयुक्त स्थान पर चर्चा के दौरान स्पष्ट होगा ।

"किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा"।

आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन - आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरूद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह तब जबकि ऐसा कथन -

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषय-वस्तु से सुसंगत है ।

अध्याय VI

जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत गठित अनेक आयोगों का कठिन कार्य करने हेतु, न्यायिक संस्थाओं की ओर से बुलाए गए न्यायपालिका के सदस्यों की सुरक्षा की आवश्यकता

आयोग अपने कर्तव्य निर्वहन में असफल हो जाएगा यदि उसने उस समस्या पर प्रकाश नहीं डाला जिसका उसे अपने कार्य करने के समय सामना करना पड़ा है । अधिनियम के अन्तर्गत गठित किए गए आयोग का कार्य देखने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायधीश को नियुक्त किया जाता है । समाज की ओर से बुलाए गए ऐसे न्यायधीश, जिन्हें कि ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि जनहित की दृष्टि से अति आवश्यक माने जाते हैं, उनके लिए वास्तव में, मीडिया द्वारा उनके चरित्र हनन से बचाव की ऐसी दशा में कोई व्यवस्था नहीं है जब मीडिया शत्रुता रखता हो । इस प्रकार की शत्रुता का कारण यह भी हो सकता है कि वह जांच संस्था द्वारा जिस विषय में जांच-पड़ताल की जा रही हो उसे पसन्द न करता हो अथवा उसकी उन लोगों के प्रति सहानुभूति हो जिन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा कोई अन्य कारण हो । भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा किसी राज्य के उच्च-न्यायालय का कोई वर्तमान न्यायधीश जिसे कि इस प्रकार का कार्य करने के लिए भारत के मुख्य न्यायधीश अथवा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से ऐसा कार्य करने को कहा है, वह ऐसे कठिन कार्य को मात्र इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि यह कठिन अथवा खतरनाक है । अधिनियम के अनुसार आयोग में जब जनहित में किसी वर्तमान न्यायधीश को नियुक्त किया जाना है, तब उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश आयोग में नियुक्ति के लिए भारत के अथवा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायधीश से सम्पर्क नहीं करेगा । जब मुख्य न्यायधीश उसे इस प्रकार का कार्य करने हेतु बुलाता है तो वह मना नहीं कर सकता, केवल अपवादस्वरूप निजी कारणों से इसमें छूट है । एक वर्तमान सदस्य को इस प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी इस बात को मद्देनजर रखते हुए दी जा सकती है कि वह राष्ट्र के अथवा संबंधित राज्य के सबसे बड़े न्यायालय का पदाधिकारी है और वह बिना किसी डर के तथा अपने पद से प्राप्त अनुभव के आधार पर अपने कार्य का निष्पादन कर सकता है । आयोग में उसकी नियुक्ति का सीधा संबंध उसके उस कार्यालय से भी है, जिसमें वह संबंधित न्यायालय का वर्तमान न्यायधीश है । यदि ऐसा नहीं होता तो मुख्य न्यायधीश के लिए सरकारी तौर पर न तो यह आवश्यक है और न ही वह उसे इस प्रकार की नियुक्ति स्वीकार करने के लिए बुला सकता है । निसन्देह, एक मुख्य न्यायधीश इस स्थिति में नहीं होता है कि वह संबंधित न्यायधीश को इसे स्वीकार करने हेतु मजबूर कर सके । लेकिन न्यायधीश अनुशासन तथा मर्यादा के कारण प्रत्येक न्यायाधीश न्यायपालिका परिवार के मुखिया की मांग का आदर करता है, क्योंकि अन्तःकरण से वह पलायन का सहारा नहीं ले सकता । जब अधिनियम के अनुसार वह एक आयोग का कार्य करता है तो वह संबंधित न्यायालय का वर्तमान सदस्य नहीं रह जाता है ।

जिस संस्था से वह संबंधित है और उसके मुख्या द्वारा उसे आमंत्रित करने पर, अपने कार्यालय के आधार पर उसे जो काम करने को कहा गया है उस काम को चाहे वह पसन्द करता है अथवा नहीं और चाहे वह काम भयंकर है अथवा जोखिम भरा है, लेकिन यह अनुचित तथा अविवेकपूर्ण होगा कि उसे न्यूनतम सुरक्षा प्रदान किए बिना ऐसे कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, जिसकी प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का स्वतन्त्रतापूर्वक एवं निडरता से निष्पादन

करने के लिए जरूरत है । यदि एक वर्तमान न्यायाधीश न्यायालय कक्ष में अपने न्यायिक कार्य करते समय स्वतंत्रता एवं निडरता से कार्य करने के लिए यदि उसे किसी प्रकार की सुरक्षा तथा चरित्र-हनन से बचाव का हकदार है तो वही वर्तमान न्यायाधीश जब अधिनियम के अनुसार एक आयोग के रूप में कार्य करता है और जो कि उसे इस बात को मध्यनजर रखते हुए कहा गया है कि यह उस कार्यालय का पदाधिकारी तथा उस संस्था का वर्तमान न्यायाधीश है तो इन्हीं कारणों से यह उसी तरह की सुरक्षा का पात्र है । एक वर्तमान न्यायाधीश जो आयोग के रूप में कार्य करता है उसका चरित्र-हनन अदालत की अवमानना से कम नहीं है जब एक वर्तमान न्यायाधीश का अदालत के कमरे में कार्य करते हुए चरित्र-हनन होता हो । अदालत की अवमानना के विषय पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ ने अपने शोध पत्र [1] में इसी प्रकार का दृष्टिकोण स्वीकार किया है । सम्बद्ध पैरा का सारांश निम्नलिखित है:-

"बहामा प्रायद्वीप से संबंधित विशेष सन्दर्भ के विषय में प्रिवी-कौंउसिल ने सुझाव दिया है कि रेजीडेण्ट मुख्य न्यायाधीश से संबंधित नसाऊ गार्जियन में एक प्रकाशन से किसी भी प्रकार की अवमानना नहीं होती है क्योंकि वह स्वयं भी पहले स्थानीय सफाई स्थिति की आलोचना कर चुके हैं । यद्यपि बहुत ही व्यंगमात्मक रूप में प्रस्तुत यह प्रकाशन किसी भी तरह से मुख्य न्यायाधीश के सरकारी स्थिति से संबंधित नहीं है जो कि व्यक्तिगत के विपरीत है । यद्यपि यह एक अपमान लेख है लेकिन यह अवमानना नहीं है ।

जबकि यह सीमा सुस्थापित है इसका पूरा आशय कम स्पष्ट है । इस संबंध में यह बहस हो सकती है कि जब एक न्यायाधीश किसी क्षेत्र में कठोर राजनीतिक व्यंजना से सरकारी जांच करता है तो उसके संबंध में प्रकाशन, पूर्वाग्रह आरोपित करता है तो यह अवमानना माना जा सकता है । इसमें सन्देह है कि क्या इस प्रकार के दोषारोपण को 'यह उसके कार्यालय से संबंधित नहीं है' कहा जा सकता है जबकि यह स्वयं ही कार्यालय है और जो कि अपनी निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है । यही वह कारण है जिसके लिए जांच बिठाई गई । किसी भी समय में यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं रही है कि जब किन्हीं वरिष्ठ न्यायाधीशों को सरकारी जांच कार्यों की अध्यक्षता के लिए बार-बार आमंत्रित किया गया हो और जब तब कानूनी एवं राजनैतिक निर्णयों की सीमा अस्पष्ट न हो गई हों । यह मान लेना भी वास्तविक नहीं होगा कि उच्च न्यायालय का कार्य करने में पूर्वाग्रह के दोषारोपण की तरह इस न्यायेत्तर स्थिति में दोषारोपण से जनता का न्याय-प्रशासन में विश्वास कम नहीं आंका जाना चाहिए ।

आयोग बड़े खेद और क्षोभ के साथ यह कहता है कि वर्तमान गठित आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर मीडिया के एक वर्ग विशेष द्वारा निरर्थक और जानबूझ कर चरित्र-हनन के प्रहार किए गए हैं । आयोग को इस बात से कुछ राहत अवश्यक मिलती यदि वह संस्था, जिससे वे संबंधित हैं इस मामले में स्वयं ध्यान देती और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती क्योंकि उन्होंने यह कार्य उस संस्था के प्रमुख की इच्छा पर लिया है जिसमें उन्हें इन कार्यों के निष्पादन के लिए आमंत्रित किया था । एक तरह से वे इस संस्था के लिए ही कार्य कर रहे थे क्योंकि उस संस्था से संबंधित किसी ने तो यह कार्य करने ही थे और वे ऐसा कर रहे थे यद्यपि उन्हें अपनी सहमति से ऐसा करने के लिए कहा गया था । इस आयोग के सदस्यों ने यह उचित नहीं समझा तथा अपने कार्यालय की गरिमा को देखते हुए किसी प्रकार की अदालती कार्यवाई नहीं की क्योंकि इससे एक भारी उलझन पैदा हो जाती कि जिस अदालत का ये एक महत्यपूर्ण अंग है उसके

1. *"अदालत की अवमानना" सी जे.मिल्लर (पृष्ठ 184 पर)*

सम्मुख ही वे याचिकादाता के रूप में स्थित हैं । उन्हें इस बात से भी राहत मिलती यदि भारतीय प्रेस परिषद स्वयं इस मामले में कुछ ध्यान देती । स्वयं यदि किसी अन्य कारण से स्वमं ध्यान नहीं दिया जाता है, तब भविष्य में किसी भी अवसर पर जब भी संस्था की ओर से किसी काम के लिए कहा जाएं तो उसमें कम से कम न्यायपालिका के सदस्यों के लिए यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि उनके कार्य में रुकावट नहीं डाली जाएगी । सारांश में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की अवमानना का यह अर्थ नहीं कि यह उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय भवन अथवा संस्था की अवमानना है । अदालत की अवमानना तब मानी जाएगी जब उस न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश का चरित्र-हनन इस प्रकार से हो कि जिसके परिणामस्वरूप उस कथित संस्था के न्यायाधीश के कार्यालय के पदाधिकारी का अपमान करने से उस न्यायालय का एक संस्था के रूप में अपमान हो । अतः यह आयोग अपने आप से इस बात को रिकार्ड पर रखने से नहीं रोक पा रहा है कि जब तक कि सम्बद्ध अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन नहीं किए जाएं और पूरे मामले को हर प्रकार के सन्देह, विवाद अथवा बहस से परे रख कर पूरी तरह स्पष्ट करके कि जब एक वर्तमान न्यायाधीश को अधिनियम के अन्तर्गत कर्तव्य निष्पादन के लिए बुलाया जाए तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम के अनुसार यह सुरक्षा पाने का पात्र हो । अन्यथा उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का कोई भी स्वाभिमानी न्यायाधीश भविष्य में इस प्रकार की नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे ।

यह आयोग मीडिया के एक वर्ग को नाराज करने के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी रिकार्ड पर रखना उचित समझता है कि मीडिया जो हमेशा न्यायिक संस्थाओं की गरिमा को ऊंचा बनाए रखने में विश्वास रखता है तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका के रोल की प्रशंसा की है तथा जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निडरता के मूल्यों को संजोया है, उसके लिए भी इस दिशा में कुछ करने के लिए रोल है । अब मीडिया के लिए सही समय आ गया है कि वह अपने मस्तिष्क में राष्ट्रीय हित के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा स्वयं अनुशासन की आवश्यकता महसूस करते हुए अपने लिए भी अपनी अन्तरात्मा की आवाज के परामर्श से एक आचरण संहिता का निर्माण करें । मीडिया एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है जिससे राष्ट्रीय हित का संवर्द्धन किया जा सकता है । जिस प्रकार यह बहुत शक्तिशाली है उसी प्रकार यह हानिकारक भी है और मीडिया द्वारा पहुंचाई गई हानि कभी भी पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकती है । मीडिया यह आशा करता है कि न्यायपालिका प्रेस की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धान्तों को कायम रख कर अपने हितों की सुरक्षा कर सकती है । जब भी मीडिया सही या गलत तरीके से यह अनुभव करता है कि उसके हितों को खतरा है तो वह अपने अधिकारों को कायम रखने के लिए सहायतार्थ न्यायपालिका की तरफ दौड़ता है । मीडिया यह आशा करता है कि यदि प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई आक्रमण हो अथवा खतरा हो तो न्यायिक संस्थान स्वतंत्रता एवं निडरता से कार्य करें । यही मीडिया न्यायपालिका के स्वतंत्रता के सिद्धान्त की जरा सी भी इज्जत नहीं करता और न यह सुनिश्चित करना आवश्यक समझता है कि वह निडर होकर अपना कार्य कर सके । जब वह न्यायाधीशों के चरित्र-हनन में लिप्त हो जाता है तो वह उस न्यायिक संस्थान की छवि खराब तथा उस संस्था की प्रभुसत्ता को नष्ट करता है । इस तथ्य को यह आयोग इतने अधिक विस्तृत एवं प्रभावशाली तरीके से रेखांकित करने में समर्थ नहीं है जैसाकि किसी अन्य संदर्भ में पोप जोन पाल द्वितीय ने कहा है । पोप ने यह स्मरणीय शब्द अभी हाल ही में 16 सितम्बर, 1987 को अभिव्यक्त किए हैं :-

"एक तरह से संसार आप लोगों की कृपा पर हैं" पोप ने दूरदर्शन, रेडियो, मुद्रण, फिल्म तथा

रिकार्डिंग उद्योगों के 1600 अधिकारियों, अभिनेताओं तथा नीति-निर्माताओं के सामने अपने स्पष्टवादी भाषण में कहा .....आपका काम महान अच्छाई कर सकता है और भारी बुराई भी। आप स्वयं खतरों को तथा आपके सामने जो शानदार अवसर खुले हैं, उनको भी जानते हैं... दूसरी ओर संचार द्वारा लोगों में कव्याप्त भ्रष्टाचार, अश्लील साहित्य द्वारा अमानवीय सैक्स, अथवा सैक्स और मानव जीवन पर आकस्मिक दृष्टिकोण द्वारा, लालच एवं भौतिकवाद तथा उपभोक्तावाद द्वारा अपील कर सकते है तथा बढ़ा सकते हैं। आपके पास अच्छाई के लिए अनेकों संभावनाएं हैं तथा विनाश के लिए अनिष्ट संभावनायें भी। जीवन और मृत्यु के बीच में यही अन्तर है—वही आत्मा की मृत्यु तथा जीवन है.....संचार से संबंधित नेता "अत्यधिक रूप में उत्तरदायी थे- भगवान के प्रति, समाज के प्रति और इतिहास की गवाही के प्रति। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ आपके ही हाथों में हो।

(महत्व/बलाघात जोड़ा गया)

प्रेस द्वारा गहराई से अपने अन्दर में यह देखना अच्छा होगा कि वे गंभीरता-पूर्वक यही प्रदर्शित करें कि क्या अधिकारों को इस प्रकार प्रयुक्त करना आवश्यक नहीं कि इसके परिणामस्वरूप अधिकारों का दुरुपयोग न हो। यह कहावत कि "प्रयोग करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं कि दुरुपयोग करने का अधिकार है" को प्रेस द्वारा भी सम्मान दिया जाना चाहिए,क्योंकि प्रत्येक मर्त्य के समान सभी हमेशा सही, भ्रमातीत अथवा सही जानकारी प्राप्त नहीं होते। इस तरह के उदाहरण जहां प्रेस ने गंभीर त्रुटियां की हैं, उचित नहीं है। इस मुद्दे को सिद्ध करने के लिए ऐसे उदाहरणों की श्रृंखला को सूचीबद्ध करना अनावश्यक प्रतीत होता है। अभी हाल के ही एक उदाहरण का हवाला देना पर्याप्त होगा। उसी साप्ताहिक पत्र जिसका बड़े व्यापक आधार पर परिचालन होता है और जो इस आयोग के बहुत ही अभद्र तरीके से चरित्र हनन का जिम्मेवार रहा है, ने उन्हें स्वयं ज्ञात कारणों से हाल ही में 15-11-87 को एक "'आश्रम" और उसके श्रद्धालुओं से माफी मांगी है, जिसका प्रकाशन नई दिल्ली स्थित एक ख्यातिप्राप्त दैनिक पत्र [1] में लगभग आधे पृष्ठ में बड़े और स्पष्ट अक्षरों में हुआ है। प्रत्याहार रूपेण यह स्वीकार किया गया कि इसके दो संस्करणों में मुखपृष्ठ पर प्रकाशित प्रश्नगत समाचार "दूसरों द्वारा लगाए गए और हमारे द्वारा प्रकाशित" आरोप "गलत" हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में खेद व्यक्त किया है। यह बात अवश्य है कि इसमें संशोधन इसलिए किए गए कि इसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया गया। आयोग ने इसके साथ-साथ, ऐसा इस विश्वास से नहीं किया कि लेखक,संपादक और प्रकाशक किसी दिन उन्हें गलत साबित करने, जिन्होंने उन्हें गलत साबित नहीं किया और जिन्होंने अपने एक चौथाई शताब्दी के न्यायिक जीवन के दौरान अनेक लोगों के साथ किए गए गलत व्यवहार और गलत बातों को सही रूप दिया, के लिए पश्चाताप करेंगे और हम कभी-कभी यह कहने का साहस करते हैं कि वे जो यह नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया 'आज उसे महसूस करके अपनी रातों की नींद हराम कर लेंगे। उनकी अंतरात्मा आज नहीं तो कल उन्हें इसके लिए धिक्कारेगी। इस तरह के मामले में, प्रेस को सचेतन होकर और गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि उनके द्वारा गलत अथवा मानहानिसूचक बातें प्रकाशित करने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति की ख्याति और सुरक्षा को अपरिकलनीय हानि पहुंच सकती है और प्रभावित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कितना कष्ट और उनकी प्रतिष्ठा को कितना धक्का पहुंच सकता है। इसके पश्चात कितना भी खेद प्रकट किया जाए यह प्रभावित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को पहुंची हानियों और कष्टों को दूर नहीं कर सकता। क्योंकि कलम तलवार से शक्तिशाली ही नहीं बल्कि तलवार से घातक भी है।

1. दिनांक 17-9-1987 के "स्टेट्समैन" समाचार पत्र के नई दिल्ली संसकरण में रिपोर्ट किया गया

इसलिए महान तमिल कवि, थिरुवल्लुवर ने 2000 वर्ष पूर्व अपनी अमर कृति "थिरूक्कूरल"* में लिखा था कि भीषण अग्नि से हुई हानि यहां तक कि उससे पहुंचे जख्म भर सकते हैं लेकिन एक मानहानि सूचक शब्द के परिणामस्वरूप पहुंची हानि अथवा उससे पहुंचे कष्टों के जख्म कभी नहीं भरते ।

इस मामले के दो अन्य पहलू भी हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है । जैसा हमने पहले भी बताया है कि एक मानहानि सूचक लेख, जिसके घातक प्रकाशन से व्यक्तियों को हुई हानि अथवा कष्ट पहुंचा है, को प्रत्याहारित करने से उससे निरस्त नहीं हुआ जा सकता । परन्तु फिर भी पश्चाताप की भावना से स्वेच्छापूर्वक किए गए प्रत्याहार में उस प्रत्याहार, जो अपराधपूर्ण लेख के प्रकाशन से हुए अपराध को फोजदारी अदालत द्वारा प्रस्तुत करने और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अदालत में बुलाने तथा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का उत्तर देने, के लिए किया गया हो, से अधिक वजन और हार्दिकता होती है क्योंकि उसमें शालीनता का पुट होता है । अतएव, यह माना जा सकता है कि लेखक और मानहानिसूचक लेख के प्रकाशक के विरुद्ध मुकदमा दायर किए गए फोजदारी मुकदमे के पश्चात् जारी किए गए प्रत्याहार में सत्य पर रहने या साफ-सुथरे की बजाए सजा से बचने की चिंता भावना अधिक प्रतीत होती है ।

इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध प्रकाशित मानहानि सूचक लेखों के प्रकाशकों के खिलाफ चलाए जाने वाले फोजदारी मुकदमों के संदर्भ में भी न्यायाधीशों की स्थिति कमजोर रहती है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जब भी देश के नागरिकों के उन अधिकारों के संरक्षण को प्रभावी रूप में सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को कहा जाता है तब न्यायाधीशों को कभी-कभी अपने बोलने, आवागमन, मिलने-जुलने की स्वतंत्रता आदि संवैधानिक अधिकारों का भी त्याग करना पड़ता है । पेशे के रूप में उस स्थिति में होने के कारण किसी न्यायाधीश, जो अपने कर्तव्यों से संबंधित एक मानहानिसूचक प्रकाशन से प्रभावित हो, से अपने लिए अपनी प्रतिष्ठा का औचित्य प्रमाणित करने और न्यायपालिका के संरक्षण प्रदान करने की आशा शायद ही की जा सकती है । यह क्षति संबंधित न्यायाधीश की ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था, जिससे वह संबंधित है, की भी होती है । इससे केवल एक कोने का पत्थर ही नहीं गिरेगा बल्कि समस्त भवन धराशायी हो जाएगा, अगर ऐसे मानहानि सूचक लेखों का प्रकाशन विधिक अथवा यहां तक कि विचार व्यक्त करने की संवैधानिक स्वतंत्रता की आड़ में होता रहेगा ।

अन्य दूसरा मुद्दा जिसे आयोग महसूस करने के लिए बाध्य है यह जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 10क द्वारा प्रदत्त संरक्षण से संबंधित है, जो निम्नानुसार है:-

"10क-आयोग *अथवा* उसके किसी सदस्य को अप्रतिष्ठित करने वाले किसी कार्य के लिए दंड *अथवा अर्थदंड*:- (1) अगर कोई व्यक्ति ऐसे शब्द जिसे बोले जाने अथवा पढ़े जाने की आशा हो, कोई ऐसा बयान देता या प्रकाशित करता है, *अथवा* ऐसा कार्य करता है, जिससे आयोग *अथवा* उसका कोई सदस्य अप्रतिष्ठित होता है, तो वह व्यक्ति छः महीने तक की साधारण सजा *अथवा* जुर्माने *अथवा* दोनों का ही पात्र होगा । (2) फौजदारी दंड-प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 198ख का उपबंध उक्त धारा 198ख की उपधारा (1) के अधीन होने वाले किसी एक अपराध पर लागू होगा, बशर्ते ऐसे संशोधन किए जाने पर कि निम्न मामलों के पूर्व स्वीकृति को छोड़कर, ऐसे अपराधों के संबंध में

दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 15-11-87 का नई दिल्ली संस्करण

शिकायत सरकारी वकील द्वारा किया जाएगाः-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग अथवा किसी आयोग के एक सदस्य के मामले में, अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य सरकार के किसी आयोग अथवा किसी आयोग के सदस्य के मामले मे ।"

आयोग यह बात प्रकाश में लाना चाहता है कि आयोग अथवा उसके किसी सदस्य को अप्रतिष्ठित करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 10क के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है और यह मुकदमा सरकार, यथा कार्यपालिका की पूर्वानुमति से चलाया जा सकता है । साधारणतया, कार्यपालिका चरित्र हनन के मामले में ऐसी स्वीकृति को रोके नहीं रखेगी, जिससे उक्त धारा में विहित उपबंध प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं । तथापि, एक पीठासीन न्यायाधीश को इस स्थिति में लाकर खड़ा करना बहुत ही असमंजसपूर्ण बात होगी, जब उसे इस प्रकार के मामलों में कार्यपालिका से सिफारिश करने की आवश्यकजता पड़े । समस्त उपस्थित मामले में यह चुनौती दी जाए कि दी गई स्वीकृति दोषपूर्ण है । इसके अतिरिक्त, यह मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय में चलाया जाना होगा और यह उच्च स्तरीय न्यायालयों में अपील, संशोधन अथवा याचिका दायर करके आगे और कार्यवाही करने का पात्र होगा और यह एक लंबी अवधि तक चलने वाला मामला होगा जिसके फलस्वरूप कार्यवाही का प्रचार होगा और जिससे और भी अधिक परेशानी होगी ।

आयोग इन पहलुओं को प्रकाश में लाने के लिए बाध्य है ताकि भविष्य में अगर ऐसा कोई अवसर आए और न्यायिक सेवा के किसी व्यक्ति, जिन्हें ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाए तो उन्हें परेशानी अथवा असमंजसपूर्ण स्थिति का सामाना न करना पड़े । उपर्युक्त वैध कारणों के आधार पर इस कार्य को संभालने से उस समय तक बखूबी इन्कार कर सकते हैं जब तक कि संबद्ध कानूनों को उपयुक्त रूप से परिवर्तित न कर दिया जाए और संबद्ध अधिकारियों को समस्त पार्श्वों से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की सुनिश्चित व्यवस्था न कर दी जाए ।

अध्याय VII

जांच के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आयोग पर गैर न्यायोचित दबाव ताकि ऐसे मामलों को भी शामिल किया जा सके जोकि आयोग के सम्मुख मुद्दे नहीं थे ।

परिस्थितियों द्वारा बाध्य किए जाने पर, आयोग के विचारार्थ विषयों से बाहर मामले को निपटाने के लिए, आयोग को एक अलग अध्याय पर ध्यान देने के लिए बाध्य होना पड़ा और जिसकी जांच से आयोग को जांच के मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाना पड़ा । यह अध्याय ऐसे मामले से संबंधित है जोकि वास्तव में जांच आयोग के विषय के अंतर्गत नहीं आता है । फिर भी, आयोग को अलग अध्याय में इस विषय पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि जानकारी देने के लिए आयोग द्वारा बुलाई गई कुछ पार्टियों द्वारा जोर दिया गया था कि आयोग इस अध्याय में विचारार्थ विषयों की जांच के लिए अपने जांच कार्य का विस्तार करे ।

ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 20 नवम्बर, 1986 को फेयरफैक्स की लेखनसामग्री पर तथाकथित पत्र की विषय वस्तु को स्टेट्समैन के दिनांक 20 मार्च, 1987 के संस्करण में प्रकाशित किया गया था जिस पर फेयरफैक्स के उपाध्यक्ष मिस्टर मैकके के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं, जिसे श्री गुरुमूर्ति को संबोधित किया गया था और जिसमें श्री वाडिया और अन्य लोगों को लपेट में लिया गया था । विचारार्थ विषय के अंतर्गत आयोग को इन पत्रों को विद्यमानता, अथवा इन पत्रों की वास्तविकता अथवा इनकी विषय वस्तु की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए नहीं कहा गया था । भारत सरकार अथवा इसकी किसी एजेन्सी द्वारा आयोग को इन तथाकथित पत्रों का मूलरूप अथवा इनकी प्रतिलिपियां भी नहीं दी गई थी ।

स्टेट्समैन द्वारा इस पत्र को अपने 20 मार्च, 1987 के अंक में प्रकाशित करने के तुरंत बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि वाशिंगटन में स्टेट्समैन के एक संवाददाता द्वारा मिस्टर हर्शमैन का साक्षात्कार लिया गया और ऐसी रिपोर्ट मिली है कि मिस्टर हर्शमैन ने संवाददाता को बताया कि "यह पत्र, असंदिग्ध जालसाजी है"

जब मिस्टर हर्शमैन को आयोग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास के माध्यम से जांच की विषय वस्तु के संबंध में कुछ संगत मामलों पर जानकारी देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने प्रतिउत्तर देने में अपनी नारजामंदी जाहिर की कि जब तक आयोग उनके तीन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं देता जिनमें से एक था "कुछ लोगों द्वारा उनकी लेखन सामग्री पर जाली पत्र के मामले के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई"। आयोग ने मिस्टर हर्शमैन को सूचित किया कि जहां तक "जाली-पत्रों" से संबंधित प्रश्न का संबंध है, आयोग जिन विषयों से संबंधित नहीं है उनके संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इस संबंध में आयोग उन्हें अवगत नहीं करा सकता । इस प्रकार मिस्टर हर्शमैन को तभी स्पष्ट कर दिया गया था कि कथित "जाली-पत्रों" का विषय, आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक नहीं है और तथाकथित "जाली पत्र" ऐसे मुद्दे हैं जो उस जांच की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते हैं जिसके लिए आयोग बिठाया गया है ।

श्री गुरुमूर्ति ने 12-5-1987 को स्वेच्छा से एक आवेदन दिया जिसमें यह आरोप था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी करना और हवालात में रखने के लिए रिमांड लेना उन दो पत्रों के आधार पर किया गया था जो संभवतः फेयरफैक्स ग्रुप इंक वर्जिनिया के मिस्टर जी.ए.मैकके

ने उन्हें लिखे थे और मद्रास में 14 मार्च को जिस समय ये पत्र केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अन्वेषण अधिकारियों द्वारा उन्हें दिखाए गए थे, उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को बता दिया था कि ये पत्र अवश्य ही जाली और मनगढ़न्त हैं । श्री गुरुमूर्ति ने इसलिए अपने आवेदन में यह कहा है कि "फेयरफेक्स के तथाकथित पत्रों का मुद्दा स्पष्टतः आयोग द्वारा जांच की गारंटी की परिधि में आता है और फेयरफेक्स के कथित पत्रों की वास्तविक अथवा अन्यथा का मामला उनके लिए माननीय आयोग के विचारार्थ एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है । फिर 14-8-1987 को मिस्टर वाडिया के खिलाफ धारा 8 बी. के अंतर्गत जांच आरम्भ करने से पूर्व, श्री गुरुमूर्ति ने जोकि जांच से संबंधित नहीं थे और आयोग द्वारा उन्हें भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर देने में असफल रहे, एक आवेदन दायर किया है और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि जिन परिस्थितियों में फेयरफेक्स को नियुक्त किया गया है वे आयोग के विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आती हैं, अर्थात इन निबन्धनों के अन्तर्गत जिनके अंतर्गत जिसमें यह कहा गया है "सरकार के साथ मिलकर गुप्त माध्यमों द्वारा की गई जालसाजी भी शामिल होगी" ।

धारा 8बी. के अंतर्गत की गई जांच के पूर्व श्री वाडिया की ओर से भी फेयरफेक्स ग्रुप इंक के दो तथाकथित पत्रों को प्रस्तुत करने के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को निदेश प्राप्त करने के लिए आयोग को एक आवेदन दिया गया था । कथित आवेदन में, स्वयं, श्री वाडिया के एडवोकेट द्वारा आयोग को दिनांक 6-8-1987 को लिखे गए पत्र का संदर्भ है जिसमें फेयरफेक्स ग्रुप इंक के लेटर हेड्स पर लिखे गए कथित जाली पत्रों की प्रतियां मांगी गई हैं और आयोग के दिनांक 13 अगस्त, 1987 के पत्र के उत्तर में कहा गया है कि कथित पत्र "अभी तक आयोग के कब्जे में नहीं आए हैं"। आवेदन में <u>अन्य</u> बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि श्री वाडिया के लिए यह आवश्यक हो गया था "जिरह और परिस्थिति जन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करना कि मिस्टर हर्षमैन के संबंध में कम्प्यूटर प्रिंट आऊट में बाम्बे डाइंग का नाम जोड़ दिया गया था", और मिस्टर हर्षमैन के कम्प्यूटर प्रिंट आऊट में जाली प्रविष्टि साबित करने के लिए यह आवश्यक था कि तथाकथित जाली पत्र आयोग द्वारा रिकार्ड में लाए जाने चाहिए और यह पता लगाने के लिए आयोग द्वारा जांच की जानी चाहिए कि क्या ये पत्र वास्तविक अथवा जाली थे और इसलिए आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को निदेश देने चाहिए कि इसके सम्मुख कथित जाली पत्रों को प्रस्तुत करवाएं ।

श्री वी. पी. सिंह को जारी की गई प्रश्नावली के प्रश्न सं. 8(क) कि क्या उन्हें मालूम है कि बाम्बे डाईंग के लोग, फेयरफेक्स इंक ग्रुप के मिस्टर हर्षमैन के साथ सम्पर्क बनाए हुए थे, के उत्तर में उन्होंने कहा है कि उनका ध्यान पहली बार ऐसे आरोपों की ओर तब खींचा गया जब दो पत्र प्रेस में छपे थे जोकि संभवतः फेयरफेक्स द्वारा श्री गुरुमूर्ति को लिखे गए थे जिसमें कहा गया था कि श्री वाडिया ने फेयरफेक्स आदि को अदायगी की व्यवस्था की है और बाद में यह रिपोर्ट की गयी कि ये पत्र जाली थे और इसलिए, उन्होंने प्रधान मंत्री को इन पत्रों की प्रामाणिकता की जांच करने और कि क्या ये पत्र वास्तविक अथवा जाली हैं, के आधार पर निर्भर करते हुए, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कारंगाई करने के लिए अनुरोध किया था । श्री वी.पी. सिंह का मत था कि दोनों पत्रों की वास्तविकता के बारे में स्वतंत्र जांच की जाए और जांच के परिणाम के अनुसरण में उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ।

श्री वाडिया के विरुद्ध 8बी की जांच करने से पहले आयोग ने श्री वाडिया के वकील के साथ-साथ सरकार के वकील और श्री वाडिया द्वारा दिए गए उन सभी आवेदन पत्रों पर आयोग के

वकील की दलीलें सुनी जिनमें फेयरफैक्स समूह इन्क से सम्पर्क करने का अर्थ निकालने और श्री गुरुमूर्ति को सम्बोधित तथाकथित दो जाली पत्रों को पेश करने के लिए भारत सरकार को निदेश देने के लिए आयोग को दिया गया आवेदन पत्र भी शामिल था। इस मामले पर उचित विचार करने के बाद आआयोग ने निम्नलिखित रूप में एक आदेश दिया:-

"इस विचार से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की एक पक्ष द्वारा यह मांग करना ताकि उनका प्रयोग यह सिद्ध करने के लिए किया जा सके कि उसके शत्रुओं द्वारा विरुद्ध सम्भाव्यतः जालसाजी की गई है, 8ख प्रक्रियाओं में शामिल मुख्य मुद्दे से विषयान्तर करना होगा। उस अवस्था में आयोग को उसके छान-बीन के क्षेत्र से परे की उस जांच में खींच लिया जाएगा जिसके बारे में जांच करने के लिए इस आयोग को स्थापित नहीं किया गया है और यह बात भी नहीं है कि आयोग से धारा 8ख के अन्तर्गत अथवा उसके बाद आरम्भ की गई प्रक्रिया में विचार करने की अपेक्षा की जाए। इसके परिणामस्वरूप मुख्य मुद्दे से ही पूर्णतया विषयान्तर हो जाएगा और आयोग के कार्य-क्षेत्र से परे के ऐसे विषय क्षेत्र में कार्यवाही शुरू हो जाएगी जो उसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। वस्तुतः इसके परिणामस्वरूप उस जांच में बाधा उत्पन्न हो जाएगी जिसे कि समय अवधि की समाप्ति की अन्तिम तारीख के भीतर अर्थात 5 अक्तूबर, 1987 तक पूरा किया जाना है। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसे निश्चित समय सीमा के कारण प्रार्थना को स्वीकार करने से रोका नहीं गया। हम प्रार्थना को स्वीकार करने से मात्र इसलिए इन्कार करते हैं क्योंकि हमारी यह पक्की राय थी कि आवेदक उन दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की मांग नहीं कर सकता जोकि स्वयं पार्टी के मतानुसार किसी संबंधित प्रयोजन के लिए जालसाजी से तैयार किए गए हैं ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि कथित दस्तावेजों को प्रमाणित किया जा सके और आयोग का ध्यान एक इतर क्षेत्र में आकृष्ट किया जाए और कार्यवाई की मुख्य धारा से उसे परे हटा कर या मार्ग से भ्रष्ट करके बाहर की बातों में जोकि उसके व्याप्ति क्षेत्र से परे की बातें हैं, लगाया जा सके--------इसलिए हम इस प्रार्थना को नामंजूर करते हैं"।

आयोग द्वारा पास किए गए आदेश के सार भाग से यह देखा जा सकता है कि तथाकथित जाली पत्रों के संदर्भ में उठाए गए सभी प्रश्न जांच विषय वस्तु और परिधि से स्पष्टतः परे थे और इसलिए कथित दस्तावेजों को पेश करने के लिए निदेश देना आयोग के लिए कोई आवश्यक अथवा जरूरी नहीं था (यह मानकर कि ये पत्र विद्यमान हैं चूंकि श्री वाडिया के वकील द्वारा आयोग के वकील को भेजे गए पत्र जिसकी एक प्रति आयोग के सचिव को पेषित की गई थी में कहा गया था कि उन पत्रों को नष्ट कर दिया गया है) और उनका निरीक्षण करना और तब जांच करना कि क्या ये पत्र वास्तव में फेयरफैक्स ग्रुप इन्क से प्रकट हुए थे अथवा नहीं, और क्या ये यथार्थतः श्री गुरुमूर्ति को सम्बोधित थे और क्या उनके विषय सच थे अथवा नहीं और यदि ये पत्र जाली थे तो उनकी कैसे जालसाजी हुई और किनके द्वारा तथा किस प्रयोजन से ? आदि के बारे में जांच करना आयोग के लिए ज़रूरी नहीं था। इसके अलावा यदि आयोग द्वारा यह पता लगाने के लिए कोई जांच की जाए कि क्या ये पत्र जाली थे तो क्या उसमें मिस्टर हर्षमैन तथा/अथवा मिस्टर मैककें की जांच आवश्यक रूप से शामिल नहीं होगी जबकि उन्होंने आयोग को सहयोग देने के लिए मना कर दिया है और उन्होंने आयोग द्वारा भेजे गए पत्रों अथवा प्रश्न सूचियों में से किसी का भी उत्तर नहीं दिया है और गवाही देने के लिए उनकी उपस्थिति आयोग द्वारा पक्की नहीं की जा सकी है। आयोग का यह भी विचार था, जैसाकि उसके आदेश में दर्शाया गया है, कि कम्प्यूटर द्वारा निकाले गए प्रिन्ट आउट और मिस्टर हर्षमैन को जारी किए गए बिल की किसी जालसाजी का प्रमाण स्वतंत्र विषयों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है न कि काफी बाद में प्रकाशित की जाने वाले किसी आरोप्य जालसाजी के दस्तावेज के माध्यम से। अतएव आयोग की यह स्पष्ट राय थी कि श्री गुरुमूर्ति और श्री वाडिया के सभी प्रयास केवल, आयोग को अपने जांच क्षेत्र से भटकाने के लिए और आयोग की जांच पूरी न होने के लिए किए गए थे तथा उनका उद्देश्य आयोग को ऐसे मामलों में उलझाए रखना था जिनकी जांच करने के लिए आयोग की स्थापना नहीं की गई थी।

अध्याय VIII

क्या सर्वश्री गोयंका (अध्यक्ष इंडियन एक्सप्रेस), गुरुमूर्ति (इंडियन एक्सप्रेस के एक संवाददाता), पाण्डे (भूतपूर्व राजस्व सचिव) और भूरे लाल (भूतपूर्व प्रवर्तन निदेशक) ने फेयरफेक्स के श्री हर्ष मेन जो उसके अध्यक्ष थे, को समपार्श्व प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से नियुक्त किया था ?

उपर्युक्त प्रश्न इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एक प्रवक्ता [1] द्वारा स्टेट्समेन के एक रिपोर्टर जो "रहस्यमय पत्रों पर कोई विश्वास नहीं [1] शीर्षक के अन्तर्गत स्टेट्समेन के दिनांक 20 मार्च 1987 के अंक में एक रिपोर्ट के लेखक थे को दिए गए वक्तव्य संदर्भ में उत्पन्न हुआ है । यह रिपोर्ट आयोग की नियुक्ति से लगभग एक पखवाड़े पूर्व 6 अप्रैल 1987 को और लोक सेवा में फेयरफेक्स के मामलों से संबंधित विचार-विमर्श (जो 31 मार्च 1987 को हुई थी) से लगभग 10 दिन पूर्व प्रकाशित हुई थी । इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है –

" उन्होंने यह भी बात स्वीकार की कि तब निदेशक प्रवर्तन श्री भूरे लाल, श्री गुरु मूर्ति के उन्हें (एजेन्सी) किराए पर खरीदने के लिए अधिक खर्चीले पाए जाने के पश्चात् अभिकरण से सम्पर्क कायम रखा था । प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि मैसर्स गोयंका, पाण्डे, सचिव राजस्व, भूरे लाल, गुरु मूर्ति और फेयरफेक्स के प्रतिनिधि की नई दिल्ली में यह देखने के लिए बैठक हुई थी कि क्या अभिकरण को सरकार द्वारा किराए पर लिया जा सकता है ।"

ऊपर जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है उससे निम्नलिखित मुद्दे सामने आए है कि----

1. इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के प्रवक्ता ने वास्तव में स्टेट्समेन के "इनसाइट" रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया था। ।
2. इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के प्रवक्ता [1] ने यह बात "स्वीकार" की थी कि श्री भूरे लाल ने अभिकरण और श्री गुरुमूर्ति के बीच पिछले सम्पर्क के संदर्भ में अभिकरण (फेयरफेक्स) से सम्पर्क रखा था ।
3. मैसर्स गोयंका, पाण्डे, भूरे लाल, गुरुमूर्ति और फेयरफेक्स के एक प्रतिनिधि के बीच हुई बैठक के बारे में प्रश्न इण्टरव्यू में विशेष रूप से उठाया गया था ।
4. यह मामला उठाया गया कि क्या वास्तव में उपर्युक्त व्यक्तियों के बीच इस प्रकार की कोई बैठक नई दिल्ली में हुई थी और उपर्युक्त प्रवक्ता द्वारा इस प्रकार की बैठक होने की पुष्टि की गई थी ।
5. इस अभिकरण (अर्थात् फेयरफेक्स) को किराए पर लेने का कारण यह था कि गुरु-मूर्ति ने अपनी ओर से इसे किराए पर लेना बहुत खर्चीला पाया ।
6. प्रतिनिधि का नाम विशेष रूप से नहीं बताया गया । बैठक की तारीख और नई दिल्ली में स्थान को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया ।

---

1. कृपया इस अध्याय की अनुसूची देखें ।

1. श्री गोयंका के दिनांक 8 अक्तूबर, 1987 के उत्तर के अनुसार स्टेट्समेन के "इनसाइट" के रिपोर्टर को इंटरव्यू देने वाले प्रवक्ता श्री अरूण शोरी थे जो उस समय इंडियन एक्सप्रेस के कार्यकारी सम्पादक थे ।

इस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप स्टेट्समेन ने अगले दिन अपने "विशेष संवाददाता" द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रकाशित की:--

> " स्टेट्समेन के इनसाइट शीर्षक "रहस्यमय पत्रों पर कोई विश्वास नहीं" के अन्तर्गत आज प्रकाशित रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हमारे विशेष संवाददाता ने कहा कि एक्सप्रेस ग्रुप के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह बात स्पष्ट की थी कि श्री आर.एन. गोयंका, श्री पाण्डे, सचिव राजस्व, श्री भूरे लाल, श्री गुरूमूर्ति और फेयरफैक्स के एक प्रतिनिधि के बीच कोई बैठक नहीं हुई थी।"

इस रिपोर्ट के बारे में जो उल्लेखनीय बात है वह यह है कि

(1) यह इनसाइट के उस रिपोर्टर द्वारा नहीं है जिसने इससे पहले दिन पीछे रिपोर्ट दी थी जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के प्रवक्ता के साथ इंटरव्यू के प्रसंग में "स्वीकार किया" और "पुष्टि की " अभिव्यक्तियों का स्पष्ट रूप में प्रयोग किया था बल्कि यह किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा अर्थात् स्टेट्समेन के "विशेष संवाददाता" द्वारा दी गई थी।

(2) पहले दिन के वक्तव्य से इस अर्थ में वापस लेना अथवा इंकार नहीं किया जा सकता कि इंटरव्यू के बारे में अथवा मामले के इंटरव्यू में उठाए जाने और प्रवक्ता के इस मामले पर उत्तर देने के बारे में कोई अस्वीकारोक्ति नहीं है।

(3) महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "स्पष्टीकरण" का प्रयोग (इंटरव्यू अथवा प्रश्नगत मामले को उठाने से इंकार करना नहीं) का उपयोग किया गया है। अब स्पष्टीकरण का केवल अर्थ अस्पष्ट को स्पष्ट करना हो सकता है और पूर्व वक्तव्य में कोई चीज अस्पष्ट नहीं थी।

(4) यहां तक कि स्पष्टीकरण "प्रवक्ता" द्वारा दिया गया था न कि इंसाइट रिपोर्टर द्वारा।

(5) स्पष्टीकरण में सरकार द्वारा अभिकरण को नियुक्त करने के कारण (कि गुरूमूर्ति ने इसे बहुत खर्चीला पाया) के संबंध में पहलू पर आपत्ति नहीं की गई है।

आयोग ने मेसर्स गोयंका, पाण्डे और श्री भूरे लाल से स्टेट्समेन में प्रकाशित रिपोर्ट के बारे में टिप्पणियां आमंत्रित की। उनमें से सभी ने यह कहा कि रिपोर्ट सही नहीं है और इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है। श्री गोयंका ने कहा है कि स्टेट्समेन के रिपोर्टर द्वारा इंडियन एक्सप्रेस के जिस प्रवक्ता का उल्लेख किया गया है वह इण्डियन एक्सप्रेस के कार्यकारी निदेशक श्री अरूण शौरी थे। श्री गोयंका ने यह भी कहा कि प्रवक्ता ने पहले ही इस रिपोर्ट से इंकार कर दिया है, उनकी ओर से इंकार करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि:---

> ".........मेरे बारे में समाचार पत्रों में बहुत सी रिपोर्टें प्रकाशित होती है। अगर मैं उनका उत्तर देता रहूं तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल सरकार और इसके अभिकरणों द्वारा जारी किए गए वक्तव्यों पर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। ऐसा मैने दो अवसरों 3.4.87 और 5.9.87 को किया ...."

जो बात विचारणीय है वह यह है कि क्या स्टेट्समेन का रिपोर्टर प्रवक्ता द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाने की परिकल्पना कर सकता था और क्या 20 मार्च 1987 को प्रकाशित असत्य रिपोर्ट की जानबूझ कर "स्वीकारोक्ति" और "पुष्टि" की परिकल्पना कर सकता था। अथवा क्या श्री अरूण शौरी के वक्तव्य को उसने इस तरीके से पूरी तरह तोड़-मरोड़ दिया होगा और एक

कहानी घढ़ दिया ताकि पहले दिन एक असत्य रिपोर्ट प्रकाशित हो सके । हमें इस बात की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि स्टेट्समेन एक ऐसा प्रकाशन नहीं है जो किसी भी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस अथवा श्री अरूण शौरी के विरूद्ध हो । वास्तव में "इनसाइट" रिपोर्ट "इंडियन एक्सप्रेस" के प्रति सहानुभूति पूर्ण थी । इस प्रकार की परिस्थितियों में यह मत बना रहना कठिन होगा कि यद्यपि श्री अरूण शौरी ने मेसर्स गोयंका, पाण्डे, भूरे लाल, गुरूमूर्ति और फैयरफेक्स ग्रुप के एक प्रतिनिधि के बीच किसी बैठक का बिल्कुल भी हवाला नहीं दिया परन्तु फिर भी स्टेट्समेन के एक रिपोर्टर ने स्टेट्समेन (दिल्ली संस्करण) के दिनांक 20 मार्च 1987 के अंक में "रहस्यमय पत्र पर कोई विश्वास नहीं" शीर्षक के अन्तर्गत प्रश्नगत रिपोर्ट लिखने का घोर अनौचित्यपूर्ण कार्य किया जिसकी वजह से कहानी के उस भाग को उसने कल्पना अथवा इजात का सहारा दिया । इन सभी परिस्थितियों पर संचयी रूप में विचार करने पर तथाकथित स्पष्टीकरण के बारे में गम्भीर आशंकाओं को मानने के कारण की उत्पत्ति होती है और एक आश्चर्य होता है कि क्या मेसर्स गोयंका पाण्डे, भूरे लाल, गुरू मूर्ति और फैयरफेक्स के एक प्रतिनिधि के बीच बैठक के बारे में "इनसाइट" के रिपोर्टर द्वारा जो पहले रिपोर्ट दी गई है क्या वह सच्ची है ।

इस रिपोर्ट का यह विचारार्थ विषय 2(क) में विनिर्दिष्ट जांच की विषय-वस्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । विचारार्थ विषयों में यह विषय इस प्रकार है —

" वे तथ्य और परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत इसे नियुक्त किया गया ।" यदि यह बात सही थी तो यह बात स्पष्ट रूप से पता चलेगी कि विदेशी अभिकरण को नियुक्त करने की पहल भारत सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा नहीं की गई बल्कि उन्हें या तो प्रेरित किया गया अथवा उनका दूसरों के निजी समपार्श्व प्रयोजन के लिए इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि उपर्युक्त अभिकरण को किराए पर लेने के लिए श्री गुरू मूर्ति ने बहुत अधिक खर्चीला पाया । यह भी पता चलेगा कि अभिकरण का चयन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि अन्य द्वारा किया गया था । लेकिन आयोग मौखिक साक्ष्य रिकार्ड कर सकता है और इस प्रकार के मौखिक साक्ष्य के आधार पर ही निष्कर्ष तैयार कर सकता है बशर्ते कि, आयोग उस रिपोर्टर से जिरह कर सके जो गवाह के तौर पर उपलब्ध होगा । लेकिन आयोग इसके बाद जो परिस्थितियां बताई गई हैं उनकी वजह से इस मामले की और जांच करने में कठिनाई का सामना कर रहा है । आयोग द्वारा तैयार किए गए दो प्रश्नों के बारे में, अर्थात्

1. इनसाइट रिपोर्ट देने वाले रिपोर्टर का नाम ।

2. उपर्युक्त रिपोर्ट में "एक्सप्रेस ग्रुप के प्रवक्ता" पर आरोपित अनेक वक्तव्यों का उल्लेख किया गया है ।" कृपया एक्सप्रेस ग्रुप के उस प्रवक्ता का नाम बताएं जिसने ये वक्तव्य दिए है ।"

इस पत्र का स्टेट्समेन लि० कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक द्वारा 5 अक्तूबर 1987 के पत्र द्वारा उत्तर दिया गया । प्रबन्ध निदेशक ने इस आधार पर सूचना देने से इन्कार कर दिया कि जिन दो मामलों पर सूचना मांगी गई है वे उस अधिनियम की धारा 5(2) के दायरे से परे है जिसके अधीन उनसे सूचना मांगी गई है । इसके अलावा इस आधार पर भी सूचना नहीं दी जा सकती कि मांगी गई सूचना के संबंध में जो पूछताछ की गई है, यह पत्रकारिता के नियमों के विचार से और विधि के संदर्भ में उत्पन्न अधिकार, अथवा प्रथा, रीति रिवाज और विधि शक्ति प्राप्त प्रचलन की वजह से नहीं दी जा सकती । संक्षेप में इन शब्दों को उद्धृत करना अनुपयुक्त नहीं होगाः

"किसी भी स्थिति में, जो प्रश्न किए गए हैं वे गोपनीय स्वरूप के हैं और हम विधि अथवा प्रथा, रीति-रिवाजो और विधि की शक्ति प्राप्त प्रयोग के अधीन विशेषाधिकार प्राप्त करने के पात्र हैं जो हम इसके द्वारा कर रहे हैं । हम उस हद तक आयोग से सहयोग करने के पूरी तरह से इच्छुक है जो हम सूचना प्राप्त करने के स्रोतों को बिना बताए प्रकट कर सके जिनके बारे में हमारा यह निवेदन है कि उन्हें पत्रकारिता के आधार शास्त्र के अनुसार नितान्त गोपनीय रखना होता है ।

अब, कानून की ऐसी किसी व्यवस्था को हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है और हमे ऐसी किसी व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है जिसमें इस प्रकार के विशेषाधिकार को स्वीकार किया जाता हो । न ही अधिनियम की धारा 5(2) [1] के संदर्भ में किसी प्रथा रीति रिवाज, प्रयोग आदि के

अन्तर्गत सम्भायतः इस प्रकार के किसी विशेषाधिकार का दाया किया जा सकता है । जहां तक पत्रकारिता आचार शास्त्र के बारे में विचार का संबंध है, धारा 5(2) में ऐसे किसी आधार पर छूट की कल्पना नहीं की गई है । जहां तक अन्य क्षेत्राधिकारों का सम्बन्ध है, सी.जे.मिलर [2] द्वारा लिखित "न्यायालयों की मानहानि" पुस्तक से लिए गए अनुच्छेद से यह पता चलेगा कि इसे संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों में भी स्वीकार नहीं किया गया है ।

तथापि, इस प्रकार की परिस्थितियों में आयोग मामले की आगे जांच नहीं कर सका क्योंकि जब तक कि स्टेट्समेन का रिपोर्टर उपलब्ध नहीं हो पाता , मामले की सच्चाई साबित नहीं हो सकती थी । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री गोयंका ने इस बारे में अपने उत्तर में आयोग को यह सूचित किया है कि यह श्री हर्षमेन के नई दिल्ली आगमन के दौरान भारत से विदेश गए हुए थे लेकिन यह स्पष्टीकरण मामले के लिए निर्णयक नहीं है क्योंकि उपर्युक्त इनसाइड रिपोर्ट में श्री हर्षमेन के बारे में नहीं कहा गया है ("फेयरफैक्स के एक प्रतिनिधि " का उल्लेख किया गया है) । न ही इसमें, जैसाकि पहले बल दिया गया है दौरे का समय बताया गया है इसलिए स्पष्टीकरण के होते हुए भी प्रश्न अनावृत है ।

मामले की किसी भी दृष्टि से उपर्युक्त रिपोर्टों के संदर्भ में उत्पन्न स्थिति, रहस्यमय बनी हुई है । आयोग इनसाइड की रिपोर्ट देने वाले रिपोर्टर का नाम (पहचान) जाने बिना कानून के अनुसार आवश्यक कार्य करने में असमर्थ है । और स्टेट्समेन ने इन्साइड के रिपोर्टर का नाम बताने से इन्कार कर दिया है । इसलिए आयोग संबंधित रिपोर्टर से बतौर गवाह जिरह करने और उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में उससे पूछताछ करने में असमर्थ रहा है । इसके अलावा इस तरह, इन परिस्थितियों में, इस संबंध में कोई जांच करने में असमर्थ रहा है क्योंकि उससे तब तक कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जब तक कि संबंधित रिपोर्टर से बतौर गवाह जिरह न की जाए और संबंधित सभी के द्वारा उसके साक्ष्य की परीक्षा करने के लिए जिरह न की जाए । ऐसी स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई है हालांकि अधिनियम में अभियोजन की व्यवस्था है फिर भी, जैसाकि संगत अध्याय में विचार किया गया है, अधिनियम और सम्बन्धित उपबन्धों में ऐसी शक्ति नहीं है जिससे कि आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के नाम/पहचान के बारे में मालूम किया जा सके जिससे बतौर गवाह जिरह की जानी है । आयोग, इन परिस्थितियों में, रिपोर्ट से उत्पन्न उपर्युक्त विशेष बातों की पृष्ठभूमि में अपने आप को कुछ भी करने में असमर्थ पाता है और सर्वश्री गोयंका, पाण्डे, गुरूमूर्ति, भूरे लाल के आचरण और मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इनकार्पोरेटेड की सेवाओं का उपयोग करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका, यदि कोई हो, के बारे में जांच करने में असमर्थ रहा है ।

अनुसूची - क स्टेट्समेन-20.3.87

रहस्यमयता पर कोई विश्वास नहीं
स्टेट्समेन की एक इनसाइड रिपोर्ट

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार एक अमरीकी खुफिया एजेंसी ने श्री एस गुरूमूर्ति, एक्सप्रेस समूह के समाचार पत्रों के सलाहकार को बच्चन परिवार की स्विटजरलैंड में कथित परिसम्पत्तियों के संबंध में एक अभिशंसी पत्र लिखा था । लेकिन पत्र की एक मनघड़न्त पत्र के रूप में निंदा की गई है । यह पत्र केवल राम नाथ गोयनका के घर की तलाशी के पश्चात् प्रस्तुत किया गया था: समय भी वी.पी.सिंह के विभाग में परिवर्तन और निदेशक प्रवर्तन, भूरे लाल, जिन्होंने रिलायंस के मामले के साथ-साथ अमिताभ बच्चन के निधियों के स्रोत की जांच के आदेश

1. इस खण्ड के पृष्ठ (अंग्रेजी 57) पर उद्धृत ।
2. इस अध्याय की अनुसूची ख देखें ।

दिए थे, के अचानक स्थानान्तरण की ओर ध्यान आकर्षित करता है । न तो स्थानान्तरण और न ही छापे प्रधान मंत्री की स्वीकृति के बिना संभव नहीं था, इनसाइड की जांच पूछती है कि पत्र किसने और क्यों लिखा था ।

दिनांक 20 नवम्बर, 1986 का एक पत्र, ऐसा बताया गया है कि एक संयुक्त राष्ट्र आधारित जांच एजेंसी के उपाध्यक्ष द्वारा श्री एस.गुरूमूर्ति, एक्सप्रेस समूह के सलाहकार को लिखा गया था, इस पत्र को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा साक्ष्य के रूप में उधृत किया गया है, जो कि श्री एस गुरूमूर्ति के खिलाफ सरकारी गुप्त अधिनियम के अन्तर्गत एक मामले की जांच कर रहा है, इसे एक्सप्रेस के वकील, श्री राम जेठमलानी द्वारा एक जालसाजी कहा गया है ।

पत्र का पाठ निम्न प्रकार है:

"प्रिय श्री गुरूमूर्ति,

"डा. हैरिस ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली में उनकी श्री आर.गोयनका, श्री एन.वाडिया, श्री वी पांडे, श्री बी.लाल और आपके साथ हुई लाभदायक बैठक के संबंध में सूचित किया था । अब चूंकि यह समूह भारत सरकार की सहायता के लिए बनाए रखा गया है इसलिए हम आशा करते है कि शीघ्रता से कार्य और परिणाम प्राप्त करेंगे ।

हमें श्री वाडिया द्वारा व्यवस्थित केवल 300.000 अमरीकी डालर प्राप्त हुए । चूंकि पहले ही पर्याप्त प्रयास किए जा चुके हैं और व्यय किया जा चुका है इसलिए यही अच्छा होगा कि श्री गोयंका जनेवा की अपनी आगामी यात्रा के दौरान 200.000 अतिरिक्त अमरीकी डालर की राशि का इन्तजाम कर लें । भारत सरकार से पावती प्राप्त होने पर हम दोनों रकमों को एफ.बराईनर, अटोर्नी 31, चेमिनशेपु रोग, 1231 कोनचेस जनेवा को वापिस करा देंगे ।

"हम श्री गोयंका को जनेवा में श्री बच्चन की स्विटजरलैंड की सम्पत्तियों की खरीद के लिए प्रयोग में लाई गए धनराशियों के स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने में हुई प्रगति के बारे में भी सूचना देंगे । हम श्री गोयंका के साथ उनकी यात्रा के दौरान कैसा ट्रोला सी.एच 6922, मोरकोट (टिसिना) में संपर्क स्थापित करेंगे " ।

इस पत्र पर श्री गोर्डन एन्ड्रु मैके - उपाध्यक्ष, फेयरफैक्स ग्रुप लि0, 7369 मैकयार्टर प्लेस सूट 420 एनडले वरजीनिया 22003 के हस्ताक्षर हैं । श्री मैके को अमरीका में इनसाइड द्वारा सम्पर्क करने के प्रयास किए गए थे ताकि इस बात की जांच कि जा सके की क्या पत्र उन्होंने लिखा था परन्तु वे टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे ।

एक्सप्रेस समूह के एक प्रवक्ता से जब सम्पर्क किया गया तो उसने कहा कि श्री गुरूमूर्ति ने कभी कोई पत्र प्राप्त नहीं किया और यह "पूर्ण मनघड़न्त" था । उसने महसूस किया कि बम्बई के एक औद्योगिक घराने द्वारा यह पत्र "अत्यन्त ऊँचे स्तर के" लोगों को दे दिया गया है और श्री बच्चन का नाम चतुराई से जोड़ा गया है ताकि सरकार आतंकित होकर कार्रवाई शुरू कर दे । प्रवक्ता ने कहा कि पिछले सप्ताह की तलाशियों के दौरान यह पत्र नहीं मिला था, यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नहीं उठाया था ।

तथापि, प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया कि श्री गुरूमूर्ति फेयरफैक्स समूह के सम्पर्क में थे और संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के दौरान बम्बई के रिलायंस समूह की जांच के लिए एजेंसी की सेवा प्राप्त करने की संभावना की जांच की थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि उस समय के निदेशक प्रवर्तन, श्री भूरे लाल, श्री गुरूमूर्ति द्वारा एजेंसी को किराये पर लेना काफी खर्चीला पाने के पश्चात्, एजेंसी के सम्पर्क में थे । प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि सर्वश्री गोयंका, पांडे (सचिव, राजस्व), भूरे लाल, गुरूमूर्ति और फेयरफैक्स के एक प्रतिनिधि के बीच नई दिल्ली में एक बैठक यह देखने के लिए हुई थी क्या इस एजेंसी को सरकार द्वारा किराए पर लिया जा सकता है ।

प्रवक्ता ने कहा कि "डा. हैरिस" एक कूट नाम था जिसे भारत में केवल दो अथवा तीन व्यक्ति जानते थे और यह श्री मैके की जानकारी में नहीं था । इस प्रकार, यह आरोप लगाया गया कि पत्र

अवश्य ही एक जालसाजी थी ।

इस मामले में घटनाओं के कम से घटनाओं की एक अजीब श्रृंखला का पता चलता है । 2 दिसम्बर, 1986 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री बूटा सिंह ने राज्य सभा में यह घोषणा की कि रिलायंस उद्योग लि0 को दिए गए लाइसेंस के संबंध में सरकारी दस्तावेजों और फाइलों के जाहिर होने के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं । दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मद्रास में श्री गुरूमूर्ति के घर की तलाशी ली थी । दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में ही श्री भूरे लाल, निदेशक, प्रवर्तन ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था और फेयरफैक्स के प्रतिनिधियों से मिले थे । 24 जनवरी, 1987 को श्री वी.पी.सिंह वित्त मंत्रालय से बदली कर दिए गए थे । फरवरी के पहले सप्ताह में वित्त सचिव, श्री एस.वेंकिटरमण ने भूरे लाल से पूछा था कि क्या श्री अमिताभ बच्चन, संसद सदस्य और उनके भाई श्री अजिताभ जो स्विटजरलैंड में बस गए हैं, के मामले की जांच करने के लिए कोई विदेशी एजेंसी किराए पर ली गई है ।

तब श्री भूरे लाल ने प्रधान मंत्री से मिलने का समय मांगा जहां उन्हें पुनः पूछा गया कि क्या ऐसी किसी जांच के आदेश दिए गए हैं लेकिन कहा गया कि यदि कोई साक्ष्य पाया जाता है तो कार्रवाई जारी रखी जाए ।

11 मार्च को रात्रि 10 बजे, श्री भूरे लाल को स्थानान्तरण आदेश दिए गए और उन्होंने अगले दिन प्रातः 8 बजे कार्यभार सौंप दिया । 14 मार्च को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री आर.एन.गोयनका के घर की तलाशी ली और मद्रास में श्री गुरूमूर्ति और उनके भागीदार, श्री जानकीरामण को बम्बई में गिरफ्तार कर लिया । 17 मार्च को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री भूरे लाल से पूछताछ की गयी थी । तब केन्द्रीय जांच ब्यूरो किस बात की तलाश में है ? बूटासिंह के कथनानुसार सरकारी गुप्त अधिनियम के अन्तर्गत तकनीकी विकास महानिदेशालय की फाइलों तथा दस्तावेजों के सम्बन्ध में एक मामला दर्ज किया गया है जो कि रिलायन्स के जारी किए गए 19 लाइसेंसों के सम्बन्ध में है । दिसम्बर में मद्रास में इस सम्बन्ध में तलाशियां ली गई थीं ।

तीन माह तक नेमी कार्यवाही जारी रही, अचानक 14 मार्च को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को ऐसी सम्भावना का आभास हुआ कि गोयंका के घर में कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मौजूद हैं । तदानुसार तलाशी ली गई तथा तत्काल श्री गुरूमूर्ति को हिरासत में ले लिया गया । कुछ माह पूर्व जांच के अन्तर्गत अनुच्छेदों को इण्डियन एक्सप्रेस में मुद्रित किया गया । तीन दिन पूर्व श्री गोयंका के घर की तलाशी का समय तथा श्री भूरे लाल के स्थानान्तरण से गहरा सम्बन्ध प्रतीत होता है । श्री भूरे लाल ने दिसम्बर में यू.एस.ए. का दौरा किया था जिसको कि तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी.पी.सिंह का अनुमोदन प्राप्त था । उन्होंने फेयरफैक्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उनसे रिलायन्स तथा श्री अजिताभ बच्चन के स्विटजरलैंड में खाते में धन के स्रोतों की जांच करने को कहा था । जांच से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय यह स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि क्या अजिताभ बच्चन तथा कुछ इटली के नागरिकों ने मिल जुल कर स्विटजरलैंड में एक सह-कम्पनी स्थापित करने का प्रयास किया था ? एक्सप्रेस ग्रुप के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की थी कि पत्र में इस बात का दोष लगाया गया था कि फेयरफैक्स द्वारा श्री गुरूमूर्ति को लिखा गया पत्र जिसे साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया गया था जांच के दौरान नहीं मिल पाया था । यह मुद्दा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नहीं उठाया गया कि कथित पत्र, तलाशी का आदेश किए जाने के पूर्व सरकार के पास मौजूद था । क्या जांच का कारण यह पत्र था ? क्या इसका कारण श्री भूरे लाल का अचानक स्थानान्तरण था ?

प्रवर्तन निदेशक के स्थानान्तरण का निर्णय वित्त मंत्री द्वारा लिया जाता है । इसी प्रकार एक विख्यात पत्र के मालिक श्री आर.एन.गोयंका के घर की तलाशी के आदेश को भी केन्द्रीय जांच

ब्यूरो के प्रभारी कैबिनेट मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए था, इन दोनों पदों का कार्यभार प्रधान मंत्री के पास मौजूद था।

अनुसूची ख

पृष्ठ 60 श्री सी.जे.मिलर द्वारा न्यायालय की मानहानि

आस्ट्रेलिया [14] और हाल ही के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य सामान्य कानून के क्षेत्राधिकारों में भी विशेष अधिकारों को न मानने के इसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया है। मुख्य अमेरिकी निर्णय है:-

ब्रेंजबर्ग बनाम हेज और संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम कालडवेल और इन री पापास [15] के दो सहयोगी मामले। पहले वाले मामले की पृष्ठभूमि यह थी कि केन्टुकी के एक समाचार पत्रकार पाल ब्रेंजबर्ग एक लेख के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी था जिसमें जैफरसन काउंटी में हशीश बनाते हुए दिखाया गया था। लेख के साथ एक चित्र भी दिया गया था जिसमें कुछ एक व्यक्तियों को एक पदार्थ के साथ काम करते हुए दिखाया गया था जिसे हशीश कहा गया था और यह भी कहा गया था कि उसने इसमें लिप्त लोगों की शिनाख्त जाहिर न करने का भी वचन दिया है। ब्रैंबर्ग ने बाद में, इस घोषणा के उल्लंघन में काम करने से इंकार कर दिया जब उन्हें क्षेत्र में औषधि के विनिर्माण और प्रयोग के संबंध में जांच कर रहे ग्रांड जूरी के सम्मुख पेश होने का आदेश दिया गया। न्यूयार्क टाइम्स के पत्रकार, कालडवेल जिसने ब्लेकपैंथर पार्टी और अन्य हथियार बंद ग्रुपों की गतिविधियों के बारे में लिखा है, उन्हें कैलीफोर्निया में ग्रांड जूरी के सम्मुख पेश होने को कहा गया और उन्हें अपने साथ ब्लेक पैंथरस के प्रवक्ताओं के साथ लिए गए साक्षात्कारों की टिप्पणियां और टेप रिकार्डिंग लाने के लिए कहा गया। ग्रांड जूरी, राष्ट्रपति की हत्या के प्रयासों सहित कथित अपराधों की जांच कर रही थी। ब्रैंबर्ग की तरह, कालडवेल ने, पेश होने और स्रोत बताने से इन्कार कर दिया। पापास का मामला भी इसी प्रकार की पृष्ठभूमि से सामने आया।

इन मामलों में विशेषाधिकार के दावों का निपटान करते हुए संयुक्त राज्य उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्रकारों का ग्रांड जूरी के सम्मुख अपने स्रोत बताने के संबंध में पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, चाहे यह साधारण कानून हो अथवा यह प्रथम संशोधन के संवैधानिक रक्षा का अभिन्न अंग हो जिसकें द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। न ही अधिकतर न्यायालयों के विचार में उन्हें सशर्त विशेषाधिकार प्राप्त है जिसकें द्वारा सरकार को जानकारी की आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण कारण बताने के लिए विवश किया गया था और कि यह प्रथम संशोधन अधिकारों के कम विनाशकारी अन्य तरीकों से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। अधिक से अधिक जो ज्यादातर न्यायालय मानने को तैयार थे वह यह है कि विशेषाधिकार वहां प्रदान किया जाना चाहिए जहां जांच "नेक नीयति से भिन्न तरीके से आरंभ अथवा आयोजित की गई" थी अथवा प्रेस को तंग करने की नीति के अनुसरण में कराया गया था और जिसे कानून लागू करने के प्रयोजन से नहीं बल्कि संवाददाता को उसके समाचार के साधनों के संबंधों को बिगाड़ने के उद्देश्य से कराया गया था। [16]

---

14. *मेक गनीज बनाम अटार्नी जनरल आर विक्टोरिया (1940)63, सी.एल.आर पृष्ठ 102-103 विशेष रूप से पर ओवन डिकसन जे (आस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय) देखें।*
15. *408 यू0 एस0 665 (1972)*
16. *पूर्वोक्त 707-708 पर*

अध्याय IX

श्री हर्शमैन के माध्यम से मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक. की सेवाओं का उपयोग किए जाने के संबंध में श्री एस. गुरूमूर्ति द्वारा अदा की गयी भूमिका-आयोग के पत्रों के उत्तर में श्री गुरूमूर्ति का जानकारी देने से इंकार :-

आरम्भिक मंतव्य

सूचना मिली है कि श्री गुरूमूर्ति एक चार्टड लेखाकार है जो मद्रास में व्यवसायिक रूप से कार्य करते है । वह इंडियन एक्सप्रेस के साथ सम्बद्ध रहे हैं और यह दावा करते है कि वे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के सलाहकार है और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा, जिसके अध्यक्ष श्री रामनाथ गोयनका है, अनेक केन्द्रों से प्रकाशित किया जाने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है, विशेष लेखक के रूप में लेख लिखते है । श्री गुरूमूर्ति ने मार्च, 1986 से ले कर फरवरी, 1987 के बीच कोई 25 लेख, लिख कर प्रकाशित कराए हैं जिन में मैसर्स रिलाएन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरूद्ध, जो कि एक ऐसा औद्योगिक प्रतिष्ठान है जो अपने औद्योगिक प्रतिद्वंदी मैसर्स बाम्बे डाइंग एवं मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के साथ, जिस के अध्यक्ष श्री नसली एन. वाडिया है, बराबर अन्तर-निगमित प्रतियोगिता एवं संघर्ष करता चला आ रहा है, कई एक आरोप लगाए गए है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि सुन्दर नगर गेस्ट हाउस पर जिस का स्वामित्व इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के पास है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके विरूद्ध सरकारी गोपनीय रहस्य अधिनियम 1923 की धारा 5 (4), 5 (1) (क) और (ग) तथा 2 (2) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामले की पड़ताल करने के सम्बन्ध में छापा मारा था । जब उक्त भवन पर छापा डाला गया उस समय श्री गोयनका तथा श्री वाडिया, श्री गुरूमूर्ति के साथ थे । उपर्युक्त मामले में जो कि उन के विरूद्ध दर्ज किया गया था श्री गुरूमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया । श्री गुरूमूर्ति ने 16 मार्च, 1987 को चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नयी दिल्ली के समक्ष जमानत के लिए आवेदन-पत्र दिया, जिस में उन्होने अन्य बातो के साथ-साथ निम्नलिखित बाते बयान की :-

> *"आवेदक ने स्वयं अक्तूबर, 1986 में किसी समय संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की । आवेदक ने स्वयं मामले की उतनी पड़ताल की जितनी की वह कर सकता था । पड़ताल के दौरान आवेदक ने गम्भीरता पूर्वक इस पड़ताल के कार्य को पूरा करने के लिए समुचित रूप से सुसज्जित बहुत सी सक्षम जासूसी करने वाले अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने की बात सोची ।* कुछ सार्वजनिक-हित की भावना वाले मित्र और आवेदक के परिचित व्यक्ति जो कि इस कार्य में, जिसे आवेदक कर रहा था, रूचि लेते थे, ऐसे जांच अभिकरण को नियुक्त करने का खर्च उठाने की स्थिति में हो सकते थे, किन्तु इस में आगे लिखित परिस्थितियों में ऐसी कोई जरूरत उत्पन्न नहीं हुई । संयुक्त राज्य अमरीका में वकीलों की एक अत्यन्त प्रतिष्ठित फर्म की मार्फत आवेदक को मालूम हो गया कि ऐसे सक्षम अभिकरणों में से सर्वोत्कृष्ट पड़ताल अभिकरण फेयरफैक्स ग्रुप है । किन्तु आवेदक को अपनी यात्रा के दौरान न तो उनकी सेवाओं का उपयोग करने और न ही उनसे सम्पर्क स्थापित करने का अवसर मिला । उसके पश्चात भारत में आवेदक से प्रवर्तन- निदेशालय ने सम्पर्क स्थापित किया । आवेदक को बताया गया कि उन आरोपों की जो कि आवेदक ने अपने लेखों में (जिनको प्रदर्शिति के रूप में अंकित किया गया है) लगाएं हैं सारवान रूप से पड़ताल की जा रही है । आवेदक ने अपने लेखों में जो कुछ कहा था उस की सत्यता की पुष्टि की और

निदेशालय को बताया कि वह और अधिक जानकारी एकत्रित करने में लगे हुए हैं और उस प्रयोजन के लिए उन्होंने पहले भी संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की थी । आवेदक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पड़ताल अभिकरण से मुलाकात करने की बात सोच रहे हैं और निदेशालय को जासूसी अभिकरण के नाम की भी सूचना दे दी । चूंकि सरकारी अधिकारी स्वयं आवेदक के आरोपों की जांच शुरू कर चुके थे इसलिए आवेदक ने इस पड़ताल को खुद जारी रखना जरूरी नहीं समझा । आवेदक को यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सरकार अपने सक्षम साधनों से ऐसी स्थिति में और भी बेहतर परिणाम निकाल सकती है यदि वह ईमानदारी से पड़ताल करने की इच्छुक हो । आवेदक का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी पड़ताल जारी रखने के लिए फेयरफैक्स ग्रुप को नियुक्त किया है । आवेदक को ग्रुप की नियुक्ति की शर्तों या उस को दिए गए मुआवजे अथवा उस के परिणामों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, किन्तु आवेदक को उस की नियुक्ति पूरी तरह से विदित है और आवेदक इस बात को प्रमाणित करने की स्थिति में है ।"

(जोर दिया गया)

बाद में कुछ शर्तों पर योग्य चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने श्री गुरूमूर्ति को जमानत पर रिहा कर दिया ।

श्री गुरूमूर्ति के कथनानुसार जबकि उनके विरुद्ध दर्ज उपर्युक्त मामले के सम्बन्ध में उन का रिमाण्ड हासिल किया गया तब केन्द्रीय पड़ताल ब्यूरो के अधिकारियों ने उन से सवालों के जवाब पूछे और उन्होंने उन को दो पत्र भी दिखाए जिन में अपराध उत्पन्न करने वाले आरोप लगाए गए थे और जो कि मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक. को और से उनको सम्बोधित किए गए थे उनके कथनानुसार ये दोनों पत्र• जाली पत्र थे जिनको सी.बी.आई. के पास उनको और दूसरों को फंसाने के लिए कुछ साजिशी पार्टियों ने पहुंचा दिया था ।

अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र

चूंकि आयोग को यह राय थी कि कुछ ऐसे मुद्दों अथवा विषयों के संबंध में, जोकि जांच की विषय-वस्तु के लिए अधिक उपयोगी अथवा संगत सिद्ध हों, श्री गुरूमूर्ति से और ज्यादा जानकारी हासिल करना आवश्यक है, इसलिए 10 जून, 1987 को उक्त अधिनियम की धारा 5 (2) के अन्तर्गत श्री गुरू मूर्ति को एक अनुरोध पत्र भेजा गया और उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे उस सूचना को उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें:—

(1) आप प्रवर्तन निदेशालय के भूतपूर्व निदेशक श्री भूरे लाल से पहली बार किस समय परिचित हुए ?
- (क) आप उनसे पहली बार कब मिले ?
- (ख) आप उनसे किस संबंध में और कैसे मिले?
- (ग) पहली मुलाकात के बाद आप उनसे कितनी बार मिले और किस प्रयोजन के लिए मिले ?

(2) भारत सरकार के भूतपूर्व राजस्व सचिव श्री पाण्डे से आप की जान पहचान कब हुई, कैसे हुई, किस संबंध में और किन परिस्थितियों में हुई ?

(क) आप उनसे कितनी बार मिले और किस प्रयोजन के लिए मिले ?

• इन दोनों पत्रों से संबंधित मामला अध्याय VII में स्पष्ट किया गया है ।

(3) आप फेयरफैक्स के श्री हर्शमैन से कब, कैसे और किस संबंध में और किन परिस्थितियों में परिचित हुए और मिले ?
 (क) आप उनसे कितनी बार मिले ?
 (ख) आप उनसे कहां पर मिले ?
 (ग) आप उनसे किस प्रयोजन से मिले?
 (घ) इन मुलाकातों में क्या क्या बातें हुई और जानकारी मिली ?

(4) फेयरफैक्स के श्री मैके से आपकी जान पहचान और मुलाकात कब, कैसे, किस संबंध में और किन परिस्थितियों में हुई ?
 (क) आप उनसे कितनी बार मिले ?
 (ख) आप उनसे कहां मिले ?
 (ग) आप उनसे कब मिले ?
 (घ) आप उनसे किस प्रयोजन से मिले ?

कृपया यह विवरण भी दीजिए जिसमें ये स्पष्ट हो कि इन मुलाकातों में क्या-क्या बातें हुई।

(5) आप बाम्बे डाइंग के श्री नसली वाडिया से कब, कैसे, किस संबंध में और किन परिस्थितियों में परिचित हुए ?
 (क) आप उनसे कितनी बार मिले ?
 (ख) आप उनसे कब मिले ?
 (ग) आप उनसे कहां मिले ?
 (घ) आप उनसे किस प्रयोजन से मिले ?

(6) क्या नवम्बर, 1986 में नई दिल्ली में आप श्री भूरे लाल से भी मिले?
 (क) यदि हां, तो कृपया बताए कि आप उनसे किस संबंध में मिले और यह भी स्पष्ट कीजिए कि उन मुलाकातों में क्या-क्या बातें हुई ?

(7) क्या नवम्बर, 1986 में नई दिल्ली में आप श्री हर्शमैन से भी मिले ?
 (क) यदि हां, तो कृपया बताइए कि आप उनसे किस संबंध मे मिले ?
 (ख) आप उनसे कहां पर मिले ?
 (ग) ऐसी मुलाकातों में क्या-क्या बातें हुई।

(8) क्या 15 नवम्बर से 19 नवम्बर, 1986 तक आप नई दिल्ली में थे ?
 (क) आप कहां पर ठहरे ?
 (ख) आप किस संबंध में पधारे थे ?

(9) क्या आपने श्री हर्शमैन का परिचय श्री भूरे लाल से करवाया था ? यदि हां, तो कृपया बताइए कि—
 (क) कब?
 (ख) कहां?
 (ग) किस प्रयोजन के लिए ?
 (घ) उस मुलाकात में क्या-क्या बातें हुई ?

(10) क्या सितम्बर, 1986 में आपने श्री भूरे लाल को एक फाइल भेजी जिसमें रिलायन्स इंडस्ट्रीज से संबंधित विभिन्न पत्र थे और जिसमें विदेशों की कई एक कम्पनियों के रिकार्ड की जीरोक्स की हुई प्रतियां, टेलक्स संदेश, बैंक आफ ओमन को भेजे गए और उससे प्राप्त पत्र भी थे और रिलायन्स इण्डस्ट्रीज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र व्यवहार की प्रतियां और इसी तरह की अन्य सामग्री भी थी ?

यदि हां, तो कृपया यह भी बताइए कि

(क) आपने श्री भुरे लाल को यह सामग्री कब भेजी?

(ख) आपने यह सामग्री कैसे भेजी (डाक के जरिए अथवा निजी वाहक आदि के जरिए)?

(ग) क्या इसके साथ कोई आवरण पत्र भी भेजा गया था ?

(घ) आपने उपयुक्त दस्तावेजो को कैसे, कहां से और किस जरिए से हासिल किया, और किस प्रयोजन के लिए, किसके कहने पर हासिल किया ?

(ङ) क्या इन प्रतियों को हासिल करने के लिए आने वाले खर्च को आपने खुद उठाया अथवा क्या किसी और ने धनराशियां उपलब्ध की? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है और इस काम पर कितना खर्च हुआ ?

(11) जब आपने रिलायन्स इंडस्ट्रीज के मामले में विदेशों में पड़ताल की तब क्या आपने किसी अभिकरण या किन्हीं वकीलों की सेवाओं को प्राप्त किया या किसी अभिकरण या वकील को नियुक्त किया?

(क) यदि हां, तो कृपया बताइए कि इस प्रयोजन के लिए आपको किसने धन उपलब्ध कराया?

(12) आपने अपनी विदेशी यात्राओं के खर्च की वित्त व्यवस्था कैसे की और विदेशों में कितना धन खर्च हुआ ?

(क) आपने 1985-86 में कितनी बार विदेश यात्राएं की?

(ख) आपने इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा किस तरह से प्राप्त की, कृपया प्रत्येक दौरे का ब्यौरा दीजिए ।

(13) इंगलैंड और संयुक्त राज्य अमेरीका जैसे बाहर के देशों की यात्रा के दौरान आप कहां पर ठहरे ?

खास तौर पर:

(क) 15.12.1985 से 19.12.1985 तक लंदन में

(ख) 4.2.1986 से 7.2.1986 तक लंदन में

(ग) 18.10.1986 से 25.10.1986 तक संयुक्त राज्य अमेरीका में

(14) क्या आपने किसी भी रीति से श्री भुरे लाल को इस बात के संबंध में मदद पहुंचाई कि संयुक्त-राज्य अमेरीका में अथवा अन्यत्र रिलायन्स के विरुद्ध पड़ताल करने के संबंध में कौन सी जानकारी अथवा कौन से तथ्य बाहर से प्राप्त किए जाने हैं ?

(15) आपके मुख्य पेशे अथवा व्यवसाय का स्वरूप क्या है ?

(क) क्या ये पूर्णकालिक धंधा है ।

(ख) क्या आपके पेशे अथवा व्यवसाय के कार्य के संवर्धन के लिए विदेश यात्रा करनी जरूरी होती है?

(ग) यदि प्रश्न (ख) और (ग) के उत्तर नहीं में हैं तो कृपया ये बताइए कि किस हैसियत से, किस प्रयोजन के लिए और किसकी ओर से आप विदेश गए और आपने ऐसी पड़ताल की ।

(16) आपको दो औद्योगिक गृहों अर्थात् बाम्बे डाइंग और रिलायन्स इंडस्ट्रीज के बीच की प्रतिद्वन्द्विता का पता पहली बार कब चला? क्या आपने किसी भी समय इन दो प्रतिद्वन्द्वी प्रतिष्ठानों में से किसी के पक्ष में अथवा विरोध में कोई सक्रिय भूमिका अदा की? कृपया तत्संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए ।

(17) इंडियन एक्सप्रेस में रिलायन्स इंडस्ट्रीज के बारे में एक लेखमाला प्रस्तुत करने का आपका क्या प्रयोजन था और उसके पीछे क्या प्रेरणा थी ?

(18) इंडियन एक्सप्रेस और श्री गोयनका के साथ आपके क्या संबंध थे ?

(19) क्या आप श्री भूरे लाल से टेलीफोन पर बातचीत किया करते थे? यदि हां, तो कितनी बार और किस विषय में?

श्री गुरुमूर्ति ने उनसे मांगी गई जानकारी का उत्तर देने के बजाय मुख्यतः इस आधार पर कि आयोग को प्रारम्भिक स्तर पर जांच करने और बाद में सार्वजनिक सुनवाई करने का अधिकार नहीं था, उनपर इस अधिनियम की धारा 5(2) द्वारा लागू की गई बाध्यता की उपेक्षा करते हुए इसका उत्तर देने से इन्कार कर दिया, जो उनके 15 जून, 1987 के पत्राचार से उद्धृत निम्नलिखित खंडिका से पता चलता है :-

"आवेदक सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता है कि आयोग द्वारा जांच कार्य को केवल एक प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के रूप में विभाजित करने की पद्धति, तथा पहले सूचनाओं को संग्रह करने का जांच संबंधी कियाकलाप और बाद में विस्तृत जांच करने की प्रकिया स्पष्टतः अनुज्ञेय ही नहीं बल्कि इसे विशेषतः इसके बाद बताया जाएगा ।"

श्री गुरुमूर्ति ने कुछ अन्य मामले भी उठाए । उनके शब्दों में ही :-

आयोग की स्थापना विशेषतः उनपरिस्थितियों की जांच करने के लिए की गई, जिनमें फेयरफेक्स से अनुबंध किया गया और यह पता लगाने के लिए भी किया गया कि क्या ऐसी सेवाओं के लिए उन्हें कुछ राशि अदा की गई अथवा नहीं । प्रतिवादी के व्यवहार पर जांच में प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न उठ चुका है और जांच के परिणामस्वरूप यह सुस्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रतिकूलतः प्रभावित हो और अथवा उसका व्यवहार जांच योग्य हो या नहीं, यह प्रश्न भी प्रतिवादी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसपर सम्मानित आयोग द्वारा प्रारंभ में ही विशेषतः वर्तमान मामले की परिस्थितियों में पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है । प्रतिवादी को जुबानी तौर पर अपने मामले को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और उसकी स्थापनाओं पर उठाई गई आपत्तियों का उत्तर दिए बिना इन मामलों को नहीं निपटाया जा सकता ।"

श्री गुरुमूर्ति ने यह तर्क भी दिया कि :-

"अगर वह आयोग द्वारा मांगी गई जानकारियों का उत्तर देता है तो उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी का स्रोत भी बताना होगा और वह किसी भी व्यक्ति को, जिसमें आयोग भी शामिल है, कोई भी जानकारी नहीं देगा ।"

रिकार्ड रखने के उद्देश्य से यह कहना है कि श्री गुरुमूर्ति ने बताया कि वे सूचनाओं को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से आयोग को उनसे पूछा गया प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, परंतु वे इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उक्त सूचनाओं को सार्वजनिक बनाया जाए अथवा इसे रिकार्ड में रखा जाए ।

संक्षिप्त रूप में आपत्तियां :

श्री गुरुमूर्ति द्वारा उठाई गई आपत्तियां संक्षेप में निम्नानुसार है :-

1. चूंकि उनके विरुद्ध सरकारी गुप्त अधिनियम के अधीन एक मामला लंबित है, इसलिए उनपर अपना वक्तव्य देने और अधिनियम की धारा 6 द्वारा दिए गए संरक्षण के होते हुए भी आयोग के समक्ष अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए जोर नहीं दिया जा सकता ।
2. आयोग को उनके हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए धारा 8-ख के अधीन कार्यवाही

प्रारंभ करनी चाहिए और उनसे मांगी गई सूचनाएं आयोग को रिकार्ड का एक अंग बनाने के लिए प्रस्तुत नहीं की जाएंगी।

3. मुख्य मुद्दा यह नहीं था कि सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनाए गए तरीकों से कार्यविधिक नियमों का उल्लंघन हुआ है और कि आयोग स्वयं एक तकनीकी मुद्दे की जांच कर रहा था।

4. धारा 6 द्वारा प्रदत्त संरक्षण भ्रामक है और अगर वे मांग के प्रत्युत्तर में उनसे मांगी गई जानकारी देते हैं तो उन्हें ऐसा आभास होता है कि सरकार उनके बचाव को जानकर मनगढ़ंत साक्ष्य बनाएगी।

5. सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सूचनाओं के स्रोत की भी जानकारी देनी होगी और वह आयोग सहित किसी को भी इन सूचनाओं की जानकारी नही देंगे।

उनके द्वारा प्रस्तुत स्थापनाओं में पारस्परिक विरोधाभास होने के अलावा, श्री गुरूमूर्ति ने इस मान्यता का समाश्रय किया है कि आयोग के लिए नोटिस जारी करना लाजिमी है और किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम को धारा 8-ख [1] के अंतर्गत जांच-पड़ताल का कार्य करना भी उस स्थिति में जरूरी है जबकि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी करवाने के लिए अनुरोध करे और यह भी कि उपयोगी समझे जाने वाले अथवा संगत समझे जाने वाले विषयों के संबंध में आयोग के द्वारा उनसे कोई जानकारी नही मांगी जा सकती। श्री गुरूमूर्ति के अनुसार यह इस विषय में उनकी आत्मपरक सन्तुष्टि है जिसपर आयोग द्वारा और धारा 8-ख के अन्तर्गत की जा रही जांच के लिए एक की कार्रवाईयों द्वारा ऐसे विषयों पर जिन्हें आयोग द्वारा प्रासंगिक अथवा उपयोगी समझा जाए सूचना एकत्र किए बिना ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे एक कदम आगे जाकर श्री गुरूमूर्ति ने बताया कि विचारणीय विषयों में उल्लिखित विषयों के तथ्यों का पता लगाने के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक सूचनाओं को इकट्ठा करने से भी पहले आयोग को उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 8-ख के अन्तर्गत जांच करनी चाहिए जिसने अपने व्यवहार अथवा अपनी प्रतिष्ठा के किसी सम्भावित महत्व को कम करने के लिए अपने आप को मुक्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार की जांच करने के लिए आयोग को आमंत्रित किया है। श्री गुरूमूर्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया कथन पूर्णतया असतर्कसंगत है क्योंकि धारा 8ख और उसकी अनुवर्ती धारा 8 ग [1] का अर्थ अथवा इसको उस ढंग से लागू नहीं किया जा सकता जैसे श्री गुरूमूर्ति चाहते हैं। धारा 8ख स्पष्टतः बताती है कि धारा 8ख के अन्तर्गत नोटिस जारी करना और जांच करना इस बात पर निर्भर करता है कि आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की गई सामग्री पर वह प्रथमदृष्टया इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि किसी व्यक्ति के आचरण के जांच करना आवश्यक है अथवा उसकी यह राय हो कि जांच से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। धारा 8ख का निश्चित तौर पर यह तात्पर्य नही है कि आयोग को एक ऐसे व्यक्ति, जिसने फौजदारी अदालत में अभियोग का सामना भी किया है, के पक्ष में फैसला देने के लिए एक फौजदारी अदालत का वैकल्पिक मंच बना दिया जाए।

इसके अलावा, अन्वेषण संबंधी अभ्यास से संबंधित इन प्रावधानों की योजना को मद्देनजर रखते हुए धारा 5(2) की साधारण व्याख्या से यह स्पष्ट है कि आयोग की शक्ति के किसी ऐसे सवालों अथवा रूकावट डालने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं घेरा जा सकता है जैसी कि श्री गुरूमूर्ति द्वारा सम्भावित कल्पना की जा रही है क्योंकि उन्हें ऐसा करना अनुकूल होता है। वास्तव में सूचना एकत्र करने के लिए प्रभावी शक्ति की अनुपस्थिति में आयोग कार्य नहीं कर सकता जैसा कि प्रासंगिक अध्याय में विचार किया गया है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधिनियम की धारा 6 विशेषतया इस उद्देश्य से दी गई है ताकि आयोग जांच के विषय से संबंधित मामलों के बारे में सभी व्यक्तियों से सत्य और ठीक सूचना प्राप्त कर सके और यह कार्य उस व्यक्ति के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के आवश्यक हो जिससे ऐसी सूचना मांगी जाती है । उस प्रयोजन के लिए विधायिका ने उन व्यक्तियों को, अधियोगों में झूठी गवाही देने के अलावा किसी सिविल अथवा फौजदारी कार्रवाई में उसके विरूद्ध प्रयोग किए जा रहे कथित बयानों से निरापदता प्रदान की है जो इस आयोग के सामने बयान देते हैं । श्री गुरूमूर्ति को धारा 6 द्वारा उनको दी गई निरापदता की पूरी जानकारी है परन्तु इस पर भी वे निरापदता नहीं होगी और आयोग को सूचना देगें । धारा 6 द्वारा दी गई निरापदता का महत्व घटाने के लिए उनके द्वारा दिया गया आश्चर्यजनक कारण यह है कि यह धारा जो कुछ कहती है उसके बावजूद भारत सरकार उनके विरूद्ध झूठी गवाही बना लेगी और उनको परेशान करेगी । यह कथन इतना निरर्थक है कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

सूचना देने से मना करने के लिए श्री गुरूमूर्ति ने जो एक अन्य कारण बताया वह यह है कि चूंकि वे उनके विरूद्ध दर्ज एक फौजदारी मामले में एक अभियुक्त के रूप में मुख्य मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं, इसलिए अपने आप के विरूद्ध सूचना देने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता और वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के लाभ लेने के हकदार हैं । यहां पुनः श्री गुरूमूर्ति का कथन पूर्णतया अतर्कसंगत है । आयोग के सामने जांच की कार्रवाई करना सिविल अथवा फौजदारी मुकदमा नहीं है और इस आयोग के निष्कर्षों से अपराध अथवा बेगुनाही अथवा पत्री के अधिकारों पर अधिनिर्णय नहीं बनता है ।

आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट केवल तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट है और आयोग द्वारा दिए गए निर्णयों को सरकार स्वीकार कर सकती है अथवा नहीं भी कर सकती । यद्यपि आयोग को यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और यदि उसके निर्णय को सरकार मान लेती है, तब भी सरकार की जांच एजेंसी द्वारा पूर्ण जांच की जानी होगी और केवल तभी आपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकती है । अनुच्छेद 20(3) के कार्यक्षेत्र और प्रभाव का उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में उल्लेख किया गया है और हम यह बताने के लिए इस संबंध में केवल कुछ निर्णयों का जिक्र करेंगे कि अनुच्छेद 20(3) के अन्तर्गत दी गई श्री गुरूमूर्ति की दलील वास्तव में एक कल्पनामात्र दलील है ।

इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया जा सकता है, जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के संदर्भ में श्री गुरूमूर्ति द्वारा दी गई दलील को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है :

1) मकबूल हुसैन बनाम बम्बई राज्य	(1953 एस.सी.आर. 730)
2) आर. एन. बन्सीलाल बनाम एम. पी. मिस्त्री	(ए.आई आर. 1961 एस.सी.29)
3) जोसेफ बनाम नारायणन	(ए.आई.आर.1964एस.सी.1552)
4) पापुलर बैंक बनाम माधव ए.	(ए.आई.आर. 1965 एस. सी. 654)
5) रमेश चन्द्र बनाम पश्चिम बंगाल सरकार	(ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 940)
6) बालकिशन दैवीदयाल बनाम महाराष्ट्र	(ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 379)

चूंकि श्री गुरूमूर्ति अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन शक्तियों की गलत व्याख्या करके

भ्रामक और कल्पना मात्र दलीलों के आधार पर आयोग को मनमाने ढंग से सूचना देने से इन्कार कर रहे थे , इसलिए आयोग के पास इसके अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं रह गया था कि वह अधिनियम की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करें, जो कि सुस्पष्ट तथा जांच कार्रवाई करने के बारे में हैं । तदनुसार, आयोग ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिनकी सेवाएं अधिनियम की धारा 5 क के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग को सौंपी गई थी, को अनुदेश दिए गए कि वे एक जांच करें और जांच की विषय-वस्तु के बारे में श्री गुरुमूर्ति से पूछे गए प्रश्नों से संबंधित सूचना एकत्र करें तथा एक रिपोर्ट दें । जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने, जिन्हें अनिवार्य जांच तथा जांच से संबंधित मामलों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए कहा गया था, धारा 5क(2)(क) के अधीन श्री गुरुमूर्ति को अधियाचन दिया और आयोग द्वारा जांच की विषय-वस्तु से संबंधित तथ्यों के बारे में सूचना देने के लिए उनसे कहा था । इस पर श्री गुरुमूर्ति ने तर्क दिया कि सी.बी.आई. दोहरी भूमिका नहीं निभा सकती है - एक तो चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके खिलाफ दर्ज मामले में उनके अभियोजक के रूप में तथा दूसरी ओर आयोग की तरफ से जांच करने के लिए प्राधिकृत आयोग की एजेन्सी के रूप में । श्री गुरुमूर्ति ने आयोग के निर्देशन के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने पर आपत्ति उठाते हुए आयोग को एक लिखित आपत्ति-पत्र भेजा है । इसमें उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने आयोग द्वारा सीधे उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार कर दिया है, तो उनसे धारा 5 क के अधीन आयोग की एजेन्सी के माध्यम से वही या उसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं कहा जा सकता है । तथा यह कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजक के रूप में तथा आयोग के लिए जांच एजेंसी के रूप में दोहरी भूमिका अदा नहीं कर सकता है । वह अनुच्छेद 20(3) के अधीन संरक्षण पाने का हकदार है और उसे उनके ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कहा या बाध्य नहीं किया जा सकता है और यह कि आयोग प्रथमतः इस बात पर विचार किए बिना उनसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकता है कि क्या वह ऐसा व्यक्ति है, जो अधिनियम की धारा 8 ख और धारा 8ग की परिधि के भीतर आता हो । यहां पर, श्री गुरुमूर्ति का तर्क स्पष्ट रूप से गलत तथा अविश्वसनीय है । आयोग ऐसे व्यक्तियों से, जिनसे सूचना मांगी जाती है, सीधे सूचना प्राप्त करके या आयोग गठित करने वाली सरकार द्वारा उनको सौंपी गई एजेन्सी के माध्यम से अपनी जांच कार्रवाई कर सकता है । श्री गुरुमूर्ति तथा अन्यों के मामले में, आयोग ने प्रश्नावलियां अथवा अधियाचना जारी करके सम्बद्ध सूचना हासिल करने के लिए प्रयास किया । आयोग ने इस बात की भी सावधानी बरती कि प्रत्येक पत्र को गोपनीय रूप से भेजा जाए और ऐसे व्यक्तियों, जिनसे सूचना मांगी गई हो, के लिए भी यह अपेक्षित था कि अपने उत्तर देने के मामले में गोपनीयता बरतें तथापि, श्री गुरुमूर्ति आयोग द्वारा उनको भेजी गई प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं देंगे । बार-बार यह बताने के बावजूद कि आयोग सूचना पाने का हकदार है और यह कि सूचना न देने में आनाकानी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन भी चलाया जा सकता है, फिर भी श्री गुरुमूर्ति ने सूचना देने में मनमाने ढंग से इन्कार किया । केवल इसके बाद ही आयोग ने सूचना प्राप्त करने के लिए धारा 5 क (2)(क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आग्रह किया ।

यह तरीका इसलिए अपनाया गया था, क्योंकि उनसे सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं था सिवाय इसके कि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने का आदेश दिया जाए, जिसमें पर्याप्त समय लगता और आयोग की अवधि के समाप्त होने तक भी किसी मामले में कोई परिणाम न निकलता । परन्तु श्री गुरुमूर्ति ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के समक्ष अपने तर्क पर डटे रहे और उन्होंने उनसे मांगी गई सूचना देने से इन्कार किया । इस बात पर जोर देना अनिवार्य है कि उनसे ऐसे मामलों के बारे में सूचना मांगी गई थी, जिनके संबंध में किसी भी

आधार पर छूट नहीं दी जा सकती है। श्री गुरूमूर्ति को यह बताने के लिए कैसे फंसाया जा सकता है कि उनकी श्री भूरे लाल से प्रथमतः कब जान पहचान हुई और किस संबंध में तथा वह उनसे कितनी बार मिले ? श्री भूरे लाल के साथ उनकी जान-पहचान होने की परिस्थितियों के बारे में सूचना देने में श्री हर्शमेन अथवा श्री नुसली एन. वाडिया के साथ जान पहचान होने की परिस्थितियों के बारे में सूचना देने में उनको नुकसान कैसे हो सकता है ? इसी प्रकार 15 नवम्बर, 1986 को नई दिल्ली में उनके आने के प्रयोजन के बारे में सूचना देने से उनको कैसे नुकसान हो सकता है या श्री भूरे लाल को दिए गए विभिन्न कागजातों वाली फाइल, जैसा कि श्री भूरे लाल ने अपने बयान में बताया है, के बारे में आयोग को अवगत कराने से कैसे नुकसान हो सकता है। उनको इस प्रश्न का उत्तर देने में छूट नहीं दी जानी चाहिए थी कि उनके यू. के. और यू.एस.ए. के पहले की यात्राओं के लिए किस ने वित्तीय सहायता दी और ये यात्राएं किस उद्देश्य के लिए की गई थी। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने से भी इन्कार किया है कि उनका मुख्य व्यवसाय या कारबार क्या है तथा इंडियन एक्सप्रेस तथा श्री गोयनका के साथ उनके क्या संबंध है। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर भी देने से इन्कार किया कि क्या उन्होंने कभी श्री भूरे लाल से टैलीफोन पर बात की थी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में रिलायंस के बारे में लेख मालाएं लिखने के प्रयोजन संबंधी प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया है। किन्तु उनके उत्तर न दे पाने से कुदरती बात है कि उपयुक्त निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलेगी जैसा कि वास्तव में उससे निकाला जा सकता है। श्री गुरूमूर्ति ने इंदिरा गांधी और ए.एन.आर. बनाम जे.सी. शाह [1] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास प्रकट किया। जहां तक श्री गुरूमूर्ति द्वारा रखी गई दलील का संबंध है आयोग ने उन्हें दिनांक 26 जून, 1987 के पत्र के माध्यम से यह बता दिया था कि उनकी दलील में कोई सचाई नहीं है। संगत उद्धरण उद्धृत करने लायक है। हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं :-

> श्री गुरूमूर्ति ने श्रीमती इंदिरा गांधी तथा ए.एन. आर . बनाम श्री जे.सी. शाह, जांच आयोग , पटियाला हाउस, नई दिल्ली (आई.एन.आर. 1980 खण्ड 1 पृष्ठ 552) में दिए गए निर्णय को आधार बनाया है जिसको कि इस मामले में कोई व्यवहार्यता नहीं है। उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शपथ न लेने अथवा स्वीकारोक्ति न करने के मामले में जैसे कि किसी सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 178 और 179 के अंतर्गत लिए गए अपराधों पर अनिवार्यतः गौर किया था और इस मामले पर नियम 5(1)(क) (न कि अधिनियम की धारा 5(2)) और उपबन्धों की अनिवार्यता के आधार पर जिरह की। जहांतक अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन अभियाचन करने की आयोग की शक्ति के प्रश्न का संबंध है अभियाचन आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 के अधीन अभियोजन चलाये जाने का मामला बिल्कुल भी नहीं बनता था। वास्तव में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 के अधीन अभियोजन का मामला नहीं था। धारा 5.2 के आधार पर दिया गया तर्क जिसे कि पहले भी दिया गया था, उच्च न्यायालय का यह विचार था कि यह मुकदमा धारा 5(2) के संदर्भ में नहीं चलाया गया था जहां तक नोटिस का संबंध है इसमें श्रीमती गांधी से कोई ऐसी सूचना देने की अपेक्षा नहीं की गई थी जिसे कि धारा 5(2) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त किया जा सकता था। न्यायालय का यह विचार भी था कि धारा 5(2) के अधीन श्रीमती गांधी को शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया जा सकता था और इसलिए अभियाचन का मामला किसी भी हालत में अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत नहीं आता था।

---

1 आई एल आर दिल्ली 1981 खण्ड 1 पृष्ठ 552

उपर्युक्त मामले से लिए गये उद्धरण से जिसे यहां नीचे उद्धृत किया गया है स्पष्ट होता है कि श्रीमती गांधी को भेजे गए अधियाचन को धारा 5(2) के अधीन दिया गया नहीं माना गया था क्योंकि,

(i) उनसे कोई सूचना देने के लिए नहीं कहा गया था
(ii) उन्हें आयोग के सामने पेश होने के लिए निर्देश दिया गया था
(iii) उन्हें 11 मदों के संबंध में शपथ ले कर साक्ष्य देने का निर्देश दिया गया था, और
(iV) धारा 5(2) के अधीन शपथ दे कर साक्ष्य लेने की शक्तियां प्रदत्त नहीं हैं ।

उच्च न्यायालय ने पृष्ठ 631 में यह कहा है:

"धारा 5(2) आयोग को यह शक्ति देती है कि यह किसी व्यक्ति को ------- जांच से संबद्ध मुद्दों अथवा मामलों में "सूचना" देने के लिए बुला सकता है । इस धारा के अधीन किए गए किसी अधियाचन में निःसंदेह उन "मुद्दों अथवा मामलों" का उल्लेख किया जाएगा जिनके बारे में सूचना मांगी गई हो । इस हेतु इस धारा के संदर्भ में श्रीमती गांधी को भेजे गए दस्तावेज में दी गई 11 मदों का हवाला काफी व्यापक है । किन्तु श्रीमती इंदिरा गांधी से कोई सूचना देने के लिए नहीं कहा गया है:
उन्हें आयोग के सामने पेश होने का और उन 11 मदों के संबंध में शपथ ले कर साक्ष्य देने का निर्देश दिया गया है । धारा 5(2) के अधीन "शपथ दे कर साक्ष्य लेने" की शक्ति प्रदत्त नहीं है निर्णय में यह भी कहा गया है कि यह दस्तावेज उस धारा के अंतर्गत किया गया उचित अधियाचन नहीं है ।

(पंक्तियों को रेखित करके जोर दिया है)

इन आधारों पर कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला "जिसका अर्थ यह है कि यह दस्तावेज उस धारा के अंतर्गत उचित अधियाचन नहीं है" ।

इन प्रमुख बातों में से कोई भी बात धारा 5(2) के अधीन किए गए पहले वाले अधियाचन या धारा 5(2) के अधीन किए गए मौजूदा अधियाचन में मौजूद नहीं है जिन्हें कि आयोग द्वारा श्री गुरुमूर्ति को भेजा गया है । वास्तव में उच्च न्यायालय का यह मत था कि यदि अधियाचन में उपर्युक्त तीन त्रुटियां न होतीं तो इस मामले की स्थिति कुछ और ही होती जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है :

"यह उस बात को भी निपटाती है जो श्री वेनुगोपाल ने अकसर अपने संबोधन के दौरान की थी । उन्होंने कहा था कि आयोग धारा 5(2) के अधीन श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री मुखर्जी से "सूचना" मांग सकता है और उन्होंने उक्त तारीखों की कार्यवाहियों की इस प्रकार व्याख्या करने की मांग की जैसे कि आयोग ने कोशिश की हो । पहली बात तो यह है कि तात्विक रूप से यह ठीक नहीं है कि आयोग ने श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री मुखर्जी से कोई "सूचना" मांगी थी । और तो और समनों और नोटिसों में "सूचना" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था । न तो अध्यक्ष महोदय ने 11वीं, 12वीं अथवा 19वीं जनवरी को यह कहा था । फिर भी, इस बात से सहमत न होते हुए भी और यह मानते हुए कि अध्यक्ष का आशय धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने से था जैसा कि श्री वेनुगोपाल ने सुझाव दिया है, तो अध्यक्ष महोदय को "शपथ लेकर" श्रीमती गांधी (या श्री मुखर्जी से पूछताछ करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी और यह सब, जो वेनुगोपाल के मतानुसार, अध्यक्ष महोदय करना चाहते थे । अतः बिल्कुल

लिए अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश का समर्थन नही कर सकती ।

तर्क की यह दिशा स्पष्ट रूप से बाद में उपजी है और किसी अन्य कारण से स्पष्ट रूप से अतर्कसंगत है । यदि यह मानते हुए कि अध्यक्ष का आशय धारा 5(2) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने से था तो तब श्रीमती गांधी और श्री मुखर्जी के इन्कार करने पर, जैसा कि स्वयं धारा 5(2) में वर्णित है, उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता था । वास्तव में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 178 के अधीन मुकदमा चलाया गया जिसका संबंध धारा 5(2) से नहीं था । इससे पता चलता है कि धारा 5(2) का किसी को ध्यान नहीं आया था, और ठीक भी है, क्योंकि यह धारा "शपथ दिला कर" किसी व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति नही देती है । यह तर्क श्री वेनुगोपाल द्वारा की गई एक साहसपूर्ण खोज है किन्तु इसे कायम रखना संभव नही हो सकता है ।

न्यायालय अनिवार्य रूप से नियम 5(2) (क) से संबद्ध था न कि अधिनियम की धारा 5 (2) से । जहां तक धारा 5(2) का संबंध है निर्णय का आधार श्री गुरुमूर्ति के बयान के खिलाफ है जैसा कि ऊपर उद्धत उद्धरण से स्पष्ट है ।"

इस प्रकार यह पता चल जाएगा कि अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन अधियाचन का उत्तर न देने का कोई सही आधार मौजूद नही था ।

जैसा कि श्री भूरेलाल और श्री गुरुमूर्ति के बयानों से लिए गए उद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि श्री भूरेलाल और श्री हर्शमैन को एक साथ करने में श्री गुरुमूर्ति द्वारा अदा की गई मुख्य भूमिका से इन्कार नही किया जा सकता ।

श्री भूरे लाल ने 5.5.1987 को आयोग के सामने अपने बयान में जो कुछ कहा था वह इस प्रकार है :

"मैं श्री गुरुमूर्ति को चार या पांच बार मिला था । मैंने उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा था जो हमें विदेश में जांच करने के कार्य में सहायता दे सके । श्री गुरुमूर्ति ने बाद में मुझे बताया कि डा.हैरिस और श्री हर्शमैन या तो सियोल आते हुए अथवा सियोल से लौटने पर भारत में आ रहे है और यह कि वे शायद इस कार्य को हाथ में लेने के इच्छुक हों । नवम्बर, 1986 के तीसरे सप्ताह में श्री गुरुमूर्ति ने मेरे कार्यालय में टैलीफोन करके मुझसे सम्पर्क किया और यह बताया कि डा. हैरिस दिल्ली में है मैं उनसे अपने कार्यालय में नहीं मिलना चाहता था । मैंने श्री गुरुमूर्ति को सुझाव दिया कि वे होटल ताज में भेंट की व्यवस्था करें । वे डा. हैरिस को वहां लाए और मुझसे उनका परिचय करवा कर वे चले गए ।"

श्री गुरुमूर्ति , श्री भूरेलाल और श्री हर्शमैन के बीच भेंट कराने का श्रेय लेने के लिए बराबर वक्तव्य देते रहे हैं । एक उदाहरण प्रस्तुत है :-

इंडियन एक्सप्रेस के दिनांक 18.3.1987 के अंक में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी :
"श्री गुरुमूर्ति ने बताया कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख खोजी एजेंसी, फेयरफैक्स ग्रुप से सम्पर्क बनाए हुए है । श्री गुरुमूर्ति के वकील, श्री राम जेठामलानी ने

जमानत याचिका पर बहस करते हुए श्री चुघ को बताया कि एजेंसी को किराए पर श्री गुरुमूर्ति द्वारा नहीं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किराए पर लिया गया था।

यह सूचित किया गया है कि श्री गुरुमूर्ति चार्टर्ड एकाउंटेन्ट है, परन्तु उनका दावा है कि वह जांच करने वाले पत्रकार है और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के सलाहकार भी है। पहले निर्दिष्ट जमानत आवेदन के उद्देश्य से श्री गुरुमूर्ति द्वारा रिलायन्स की जांच करने संबंधी सरगर्मी का पता चलता है। श्री गुरुमूर्ति तथा श्री भूरेलाल का तर्क यह है कि रियालंस इन्डस्ट्रीज के खिलाफ आगे जांच करने के लिए स्टेट्स में गए श्री गुरुमूर्ति ने फेरा के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जांच कार्य सौंपे जाने के लिए उपयुक्त एजेन्सी के रूप में फेयरफैक्स ग्रुप को चुना था और उन्होंने इस एजेन्सी को नियुक्त करने की श्री भूरेलाल को सिफारिश की थी और यह चाहा कि श्री हर्शमैन भारत आए और श्री भूरेलाल से मिलें। हालांकि श्री भूरेलाल का कहना है कि ताज होटल में श्री हर्शमैन से जान पहचान कराए जाने के पश्चात, श्री गुरुमूर्ति चले गए। इससे यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता कि श्री गुरुमर्ति का श्री हर्शमैन से कोई सम्पर्क नही रहा और उन्होने श्री हर्शमैन को सौंपे गए कार्य में रुचि लेना बन्द कर दिया। जैसीकि स्थिति है तथ्य यह है कि दिल्ली में प्रारम्भिक बातचीत के पश्चात्, श्री भूरेलाल स्टेट्स में गए थे और उन्होने श्री हर्शमैन को नियुक्त किया। श्री भूरेलाल का श्री गुरुमूर्ति के प्रति विश्वास और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच करने के लिए स्टेट्स में योग्य जासूसी एजेन्सी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किए गए आग्रह को देखते हुए, इस बात की बहुत संभावना है कि श्री भूरेलाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फेयरफैक्स ग्रुप की नियुक्ति के बारे में श्री गुरुमूर्ति को बताया हो। यदि ऐसा न हुआ है तो निःसंदेह श्री हर्शमैन ने श्री भूरेलाल द्वारा उनकी नियुक्ति के बारे ये श्री गुरुमूर्ति को बताया हो, चाहे उन्हें नियुक्ति की शर्तों को न बताया हो। इस निष्कर्ष के बारे में अपेक्षित सामग्री दिनांक 16.3.87 के जमानती आवेदन में श्री गुरुमूर्ति द्वारा स्वयं दिए गए बयान में पाई जा सकती है, जिसे पहले ही ऊपर उद्धरित दिया गया है। उद्धरित भाग की अन्तिम लाइन में, श्री गुरुमूर्ति ने बताया है कि "उन्हें नियुक्ति की शर्तों या देय पारिश्रमिक या प्राप्त परिणामों के बारे में जानकारी नहीं है, परन्तु नियुक्ति के तथ्य के बारे में आवेदक को अच्छी तरह से जानकारी है और वह इसको प्रमाणित करने की स्थिति में है"। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय और श्री हर्शमैन के बीच कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था और यह नियुक्ति मौखिक करार के आधार पर की गई थी, इसलिए श्री गुरुमूर्ति को नियुक्ति के बारे में जानकारी नही हो सकी, जबतक कि श्री हर्शमैन और या श्री भूरेलाल ने उन्हें फेयरफैक्स की नियुक्ति के तथ्यों से अवगत न कराया हो।

इस संबंध में श्री भूरेलाल का साक्ष्य भी है कि श्री गुरुमूर्ति ने सितम्बर, 1986में रिलायन्स इन्डस्ट्रीज से संबंधित विभिन्न कागजातों वाली फाइल देखी थी। इस फाइल में बैंक आफ ओमन से तथा अनेक साथ हुए पत्र-व्यवहार तथा टैलेक्स सन्देश निहित हैं। इससे पता चलता है कि श्री गुरुमर्ति ऐसी भूमिका अदा कर रहे है, जो कि जांच करने वाले पत्रकार की भूमिका से बढ़ चढ़ कर थी। मूल दस्तावेजों की जैरोक्स प्रतियों वाली फाइल, जो उन्होने श्री भूरेलाल को दी थी, किसी भी व्यक्ति से तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती, जब तक कि सूचना एकत्र करने के लिए कुछ सन्दिग्ध तरीकों का सहारा न लिया गया हो। यह विश्वास करना कठिन है कि श्री गुरुमूर्ति राष्ट्र के लाभ के लिए आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के अपने अत्यधिक उत्साह के कारण यह सब कुछ कर रहे थे। जो भी हो, आयोग इस मामले की जांच करने तथा श्री गुरुमूर्ति द्वारा निभाई गई भूमिका की असलियत का पता लगाने और सम्बद्ध सामग्री तथा सूचना के आभाव में उनकी कार्यवाई के पीछे छिपे हुए प्रयोजन का पता लगाने में असमर्थ है और अतर्कसंगत तकनीकी दलीलो

के आधार पर संरक्षण प्राप्त करते हुए श्री गुरुमूर्ति के कट्टर रवैये को देखते हुए जयह संभव नहीं हो पाया है । परिणामी स्थिति यह है , हालांकि आयोग के पास निस्सन्देह अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन शक्तियां है और ये शक्तियां केवल कागज पर ही विद्यमान है और आयोग इन शक्तियों का प्रयोग करने मे सफल नही रहा है । क्या श्री गुरुमूर्ति केवल किसी जासूसी पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे थे या वे राष्ट्र के हित में आर्थिक अपराधियों का पर्दाफाश करने के उच्च आदर्शों से प्रेरित थे या क्या वे किसी व्यक्तिगत प्रचार के कारण ऐसा कर रहे थे या दो व्यापार घरानों के बीच अंतर-निगमित संघर्ष के कारण ऐसा कर रहे थे या क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के विचार से कार्य कर रहे थे जिसकी शेयर बाजार से खिलवाड़ करने में दिलचस्पी थी और जो सट्टेबाजारी वाली अल्पावधिक बिक्री के द्वारा त्वरित धन कमाने में दिलचस्पी रखता था, यह आशा करते हुए कि लेखमालाओं के प्रकाशित होने पर शेयर मूल्यों में गिरावट आ जाएगी और जो एक ऐसा मामला है कि जिस पर, यह देखते हुए कि क्या बातचीत हुई थी, आयोग कोई मत प्रकट नहीं कर सकता और इससे आयोग संबद्ध मामलों के संबंध में सूचना एकत्र करने में असमर्थ हो गया है । आयोग ने अध्याय V में ऐसी परिस्थिति में उसे पेश आई समस्याओं पर विचार किया है जिसमें अधिनियम की खामियों का उल्लेख किया गया है । आयोग ऐसी स्थिति में इन पहलुओं की जांच करने में असमर्थ रहा है और इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया है । आयोग इस बात से संतुष्ट नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में इससे कुछ ज्यादा करने में अपनी असमर्थता अनुभव करता है ।

अध्याय X

श्री भूरे लाल, तत्कालीन प्रवर्त्तन निदेशक द्वारा मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक., एक विदेशी निजी गुप्तचर एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग जिन परिस्थितियों में किया गया, उनका ब्यौरा :-

यदि मोटे तौर पर कहा जाये, तो अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत श्री भूरे लाल से मांगी गई सूचना के उत्तर में उनके बयान में उदघाटित कथन इस प्रकार है:-

श्री हर्शमैन के साथ भेंट

आर्थिक अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार की नीति के अनुसरण में वे अनेक औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित मामलों की जांच कर रहे थे । मैसर्स रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड(इसके पश्चात् जिसका उल्लेख संक्षेपन की दृष्टि से रिलायन्स के नाम से किया गया है) भी एक ऐसा ही औद्योगिक गृह था जिसके सम्बन्ध में गुप्त सूचना इक्कट्ठी करने के लिए उन्हें लगाया गया था । श्री एस.गुरुमूर्ति (इन्डियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता) ने रिलायन्स के इन्डियन एक्सप्रेस के अनेकों लेख लिखे । श्री गुरुमूर्ति ने रिलायन्स सम्बन्धी मामलों के बारें में उनसे दूरभाष पर सम्पर्क किया था और गुरुमूर्ति ने उनसे मिलने की सहमति दे दी । वे होटल जनपथ में मिले । श्री भूरेलाल ने उन लेखों को प्राप्त किया जो कि श्री गुरुमूर्ति द्वारा लिखे गये थे । उसके बाद वे जुलाई और नवम्बर 1986 के दौरान 4 अथवा 3 अवसरों पर मिले । ऐसी ही एक बैठक होटल ताज में हुई और इस बैठक में श्री गुरुमूर्ति ने रिलायन्स से सम्बन्धित कुछ कागजात श्री भूरेलाल को सौपें, इन कागजात को प्रवर्त्तन निदेशालय के बम्बई स्थित कार्यालय के क्षेत्रीय उपनिदेशक श्री संदीप टंडन द्वारा व्यक्तिगत रूप से श्री भूरेलाल को उस समय दिये गये जब वे (श्री टंडन) दिल्ली में आये । श्री गुरुमूर्ति के साथ हुई वार्ता से सम्बन्धित कोई भी कार्यवृत्त नही रखे गये न ही उन कागजात की कोई प्रविष्टि की गई जिनको श्री गुरुमूर्ति द्वारा उन्हें सौपा गया था । ये कागजात उन्होंने श्री टंडन को दिये । उन दस्तावेजों के प्राप्ति अथवा उन्हें श्री टंडन को सौपने की कोई सरकारी प्रविष्टि नही की गई थी । जबतक उन्होंने इन कागजात को श्री टंडन को नहीं सौपा तबतक उन्होंने उन दस्तावेज को अपने कार्यालय में रखा, किन्तु उनके बारे में न तो कोई फाइल थी न ही उनका कोई रिकार्ड रखा गया था और न ही कोई व्यक्ति उनके बारे में कार्यालय में जानता था । बाद में वे श्री गुरुमूर्ति से नेहरु पार्क में मिले । सुन्दरनगर स्थित इन्डियन एक्सप्रेस ग्रुप के गेस्ट हाउस में एक अन्य बैठक हुई । वे गोपनीयता को बनाये रखने के निमित श्री गुरुमूर्ति से उनके स्वयं के कार्यालय में नही मिले, इन्हीं बैठकों के दौरान ही उन्होंने श्री गुरुमूर्ति से अनुरोध किया था कि वे एक ऐसे व्यक्ति की खोज की संभावना पर विचार करें जो विदेश में जांच पड़ताल के सिलसिले में सहयोग दे सके । श्री भूरेलाल ने उनको बताया कि वे जांच पड़ताल हेतु अमेरिका में किसी व्यक्ति का सहयोग लेना चाहते है और श्री गुरुमूर्ति ने वायदा किया कि वे जब स्वयं अमेरिका जायेंगे तो ऐसे व्यक्ति की खोज करेंगे । बाद में श्री गुरुमूर्ति ने उन्हें यह टेलीफोन किया कि डाक्टर हैरिस उर्फ श्री हर्शमैन, अध्यक्ष मैसर्स फैयरफैक्स ग्रुप इंक. दिल्ली में उपलब्ध है और वे उनसे मिल सकते हैं, इसपर श्री भूरे लाल ने होटल ताज में श्री हर्शमैन के साथ

एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए श्री गुरुमूर्ति से अनुरोध किया । वे अपने साथ उन पुरस्कार सम्बन्धी नियमों को ले गये थे ताकि वे उन नियमों के बारे में श्री हर्शमैन को बता सकें । श्री हर्शमैन को यह बताया गया कि श्री भूरेलाल प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और यदि वे मामले को सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत देंगे तो उन्हें पुरस्कार नियमों के अनुसार पुरस्कार दिया जायेगा अर्थात साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात 20% की राशि अदा की जायेगी । उन्होंने श्री हर्शमैन को यह भी बताया कि उन्हें शुरू में किसी किस्म के व्यय की राशि अदा नहीं की जायेगी । इस बैठक में किसी भी पक्ष ने कोई वायदा नहीं किया था और जो वार्ता हुई उसका कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है । श्री भूरेलाल ने अपने बयान में बताया कि रकम की अदायगी के प्रयोजनार्थ श्री हर्शमैन को एक "सूचक" के रूप में माना गया है । व्यय की राशि के बारे में श्री हर्शमैन ने उनके साथ इस तरह की कोई बातचीत नहीं की कि शुरू में व्यय की जाने वाली राशि के लिए उन्हें रकम अदा करनी होगी अथवा रकम की पुनःअदायगी करनी होगी । वार्ता के बारे में कोई भी लिखित कार्यवृत्त नहीं रखे गये न ही कोई लिखित करार पर हस्ताक्षर किये गये । न ही श्री भूरेलाल ने आयोजित की गई उस बैठक के बारे में अपने वरिष्ठ अर्थात राजस्व सचिव (श्री पाण्डेय) को ही सूचना दी । दिसम्बर 1986 में वे अमेरिका गये । जब उन्होंने अमेरिका जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने इस बात का निश्चित रूप से उल्लेख किया था कि रिलायन्स की जांच पड़ताल के सम्बन्ध में वे अमेरिका जाना चाहते हैं । अमेरिका पहुंचने पर उन्होंने श्री हर्शमैन से सम्पर्क किया जिनको उनके होटल में बुलाया गया । वे अमेरिका में 21 दिसम्बर 1986 से लेकर 3 जनवरी 1987 तक बारह दिन के लिए ठहरे और मैसर्स फेयरफेक्स इंक. के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री हर्शमैन और श्री मैकके से मिले । उस समय ही श्री हर्शमैन ने पुरस्कार नियमों के आधार पर कार्य करने की सहमति दे दी । न तो श्री हर्शमैन ने ही उनसे, यह कहा और न ही श्री मैकके ने उनसे कहा कि क्या कोई करार सम्पन्न करने हेतु भारत सरकार से उनके पास कोई प्राधिकार पत्र है । फेयरफैक्स के लोगों के साथ कोई भी लिखित करार नहीं हुआ किन्तु उन्होंने पुरस्कार नियमों के अनुसार रकम की अदायगी हेतु उनके मौखिक आश्वासन पर निर्भर किया । श्री भूरे लाल ने इस बात को स्पष्ट किया कि "फेयरफैक्स उनसे पूछताछ नहीं करेगा । फेयरफैक्स को सूचना एकत्र करके मुझे भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया था । सूचना मुझे शीघ्र भेजा जाना भी एक महत्व था ।" उसने यह भी बताया कि उसने न तो मैसर्स ड्युपो अथवा कैमटेक्स को कोई सूचना भेजने के लिए कभी लिखा और न ही अमेरिका जाने से पहले उसने उनमें से किसी को कोई पत्रादि लिखा ।

इंलैण्ड रेवन्यु सर्विस, यू.एस.ए. के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपारटमेन्ट के श्री बुनो के साथ श्री भूरे लाल की बैठक :

श्री भूरे लाल के अनुसार उन्होंने श्री हर्शमैन से अनुरोध किया कि वे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट के श्री बुनो के साथ उनका परिचय करायें । ऐसे दो कारण थे जिनकी वजह से वे श्री बुनो से मिलना चाहते थे । एक कारण तो यह था कि किसी प्रफुल्ल शाह और कुछ अन्य तथा कथित जालसाजों जैसे दोशी और सलीम की वित्तीय परिसम्पत्तियों को खोजा जाय । दूसरा कारण यह था कि उस कमीशन की रकम के बारे में वे जानकारी प्राप्त करना चाहते थे जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि यह रकम लक्ष्स डेफस को अदा की गई है । वे डाक्टर हैरिस उर्फ श्री हर्शमैन के पूर्ववृत्तों का सत्यापन भी करना चाहते थे, जो वे दावा करते थे कि वे एक भूतपूर्व आई आर एस - कर्मचारी हैं । उसके द्वारा बताया गया ये ही एक कारण था कि वे अमेरिका में स्थित भारतीय राजदूत की मार्फत श्री बुनो से नहीं मिले । * श्री भूरे लाल का यह कथन है कि श्री बुनो ने जांच पड़ताल के कार्य में सहयोग देने और उनकी सहायता करने का वायदा किया था । उसने

<u>सोचा कि ऐसी जांच पड़ताल के मामले में ऐसा करना भारतीय दूतवास की मार्फत उसे मिलना आवश्यक नहीं था । श्री भूरे लाल, तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक और श्री ब्रूनो, ग्रुप मैनेजर, कथन में परस्पर असंगतियां, जिनके कारण उनके बीच बैठक हुई</u>

श्री भूरे लाल ने दिनांक 5 मई 1987 (एक्स सी - 1) को आयोग के सामने पेश किये गये अपने बयान में बताया कि बैठक का आयोजन किया गया था और वे डा. हैरिस के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना चाहते थे जो यह दावा करते थे कि वे एक भूतपूर्व आई आर एस - कर्मचारी हैं । इस कथन के विपरीत श्री ब्रूनो ने दिनांक 27 मई की प्रश्नावली के उत्तर में दिनांक 4 अगस्त 1987 के अपने बयान में यह उदघाटित किया कि हर्शमैन मैकके और श्री भूरे लाल के बीच बैठक करने का प्रयोजन यह था कि आरोपों की जांच पड़ताल करने में आन्तरिक राजस्व सेवा की सहायता ली जाये ।

श्री ब्रूनो ने बयान दिया -

<u>" श्री लाल के बारे में मेरी जानकारी से पूर्व अथवा उनके बारे में सूचना मिलने से पूर्व ही फेयरफैक्स ग्रुप कार्यरत था । मैं इसके बारे कुछ भी नहीं जानता कि किन परिस्थितियों में उन्हें लाया गया अथवा कौन सी आवश्यकता के कारण ये कार्य-रत हुए । मैंने किसी को भी कर अथवा जांच पड़ताल सम्बन्धी किसी किस्म की सूचना नहीं दी और न ही कानूनों के प्रकट होने के कारण ही ऐसा किया, जैसा कि मैंने ऊपर बयान दिया है ।"</u>

हालांकि श्री भूरे लाल ने दिनांक 6-2-1987 (एक्स सी-4) की अपनी दौरे सम्बन्धी रिपोर्ट में और आयोग के सामने दिनांक 5-5-1987 (एक्स सी-1) को दिये गये अपने बयान में स्पष्ट रूप से यह बताया था कि जब वे अमेरिका के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमैन्ट के ग्रुप मैनेजर श्री ब्रूनो से मिले तो श्री ब्रूनो ने यह वचन दिया था कि वे मैसर्स डुमपोण्ट द्वारा मशीनरी की खरीद और अन्य मामलों की जांच पड़ताल में सहयोग और सहायता देंगे, श्री ब्रूनो ने दिनांक 4-8-1987 के अपने उत्तर में लिखित रूप में निम्नानुसार बताया:-

"मैंने श्री लाल को इस तथ्य से अवगत करवा दिया था कि मुझे जो कुछ भी मिलेगा, उसे आई. आर. सी. के तहत उसके साथ बांटा नहीं जा सकता । धारा 6103(क) किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार जैसीकि धारा 6103(ख)(1) और (2)" के द्वारा व्याख्या की गई है, सूचना देने से वर्जित करती है ।

श्री भूरे लाल ने अमरीका में क्या किया तथा श्री हर्शमैन ने उनके अमरीका में रहते हुए एवं बाद में किस प्रकार सहायता की ।

---

* *आयोग द्वारा श्री भूरे लाल से पूछा गया प्रश्न और श्री भूरे लाल द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है :-*

"प्रश्न :- आपने भारतीय दूतावास की मार्फत फेयरफैक्स के सम्बन्ध में अमेरिका स्थित क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमैन्ट के श्री ब्रूनो का परिचय प्राप्त करने की इजाजत क्यों नहीं मांगी?
उत्तर :- मैंने भारतीय दूतावास की मार्फत उनसे इसलिए सम्पर्क नहीं किया क्योंकि मैं डा.हैरिस के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना चाहता था जो दावा करते थे कि वे एक भूतपूर्व आई आर एस अधिकारी हैं ।"

श्री भूरे लाल के अनुसार, मैसर्स फेयरफैक्स समूह इंक. के उप-प्रधान श्री मैकके उनके साथ डैलावर गए थे जो डूपांट का मुख्यालय है । अमरीका रवाना होने से पहले उन्होंने एक प्रश्नावली उसे सुपुर्द की थी जिसे उन्होंने पहले से ही श्री गुरुमूर्ति द्वारा तकनीकी मामलों के सम्बन्ध में संक्षेप में बता देने पर, भारत में ही तैयार किया था । डूपांट के श्री गैम्बल चाहते थे कि वे और उनके यदि उन से वांछित सूचना चाहते हों । श्री भूरे लाल और अधिक रुकना नहीं चाहते थे तथा तब श्री गैम्बल को यह सुझाव दिया कि वे श्री मैकें को प्राधिकृत कर दें । श्री भूरे लाल उन्हें प्राधिकार पत्र नहीं दे सके क्योंकि उनके पास लेखन सामग्री नहीं थी तथा डूपांट के श्री गैम्बल प्राधिकार पत्र मंत्रालय के मुद्रित पत्र पर चाहते थे । इस तरह से भारत वापस आने पर उन्होंने "जिस किसी से भी यह सम्बन्धित हो" एक प्राधिकार पत्र भेजा । मैसर्स कैमटेक्स से की जाने वाली जांच-पड़ताल के सिलसिले में श्री मैके भी श्री भूरे लाल के साथ डैलावर से न्यूयार्क गए थे ।

श्री हर्शमैन भी उस समय न्यूयार्क में उपस्थित थे । वे कैम्टेक्स के कार्यालय नहीं गए थे क्योंकि टेलीफोन पर जांच कर लेने के बाद उन्हें यह पता चल गया था कि श्री मार्टिनेज उपलब्ध नहीं थे । भारत वापस आने पर, उसने मैसर्स कैम्टेक्स के व्यक्तियों से संपर्क किया था तथा उन्हें टेलीफोन पर बताया गया था कि कोई व्यक्ति भारत आएगा । श्री मार्टिनेज भारत आए थे और वे उन्हें उन के कार्यालय में मिले थे । श्री भूरे लाल ने श्री मार्टिनेज के दौरे के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं रखा था । श्री मार्टिनेज ने उन्हें बताया कि भूरे लाल को उन से सीधे बात-चीत करनी चाहिए न कि श्री हर्शमैन के माध्यम से जो कि एक भूतपूर्व-राजस्व अधिकारी थे । यह सहायता जो श्री भूरे लाल ने श्री गुरुमूर्ति से प्राप्त की:

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है श्री गुरुमूर्ति ने उन्हें दस्तावेजों का एक सेट दिया था जिसे उन्होंने श्री सन्दीप टन्डन को दे दिया था और उन्होंने उसका श्री हर्शमैन से परिचय करवाया था । श्री गुरुमूर्ति ने उसके साथ मौखिक विचार-विमर्श भी किया था तथा उन्होंने उसे एकत्र की जाने वाली सामग्रियों एवं जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों के सम्बन्ध में संक्षेप में भी बताया था यद्यपि उन्होंने उस से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में अथवा कौन-कौन से दस्तावेज प्राप्त किए जाने है, के बारे में नहीं बताया । श्री भूरे लाल के अनुसार उनको तकनीकी जानकारी नहीं थी तथा श्री गुरुमूर्ति इस में सुदक्ष थे तथा श्री गुरुमूर्ति ने इस सम्बन्ध में बात-चीत के दौरान उसे संक्षेप में बता दिया था ।

श्री गोयनका द्वारा श्री भूरे लाल की की गई सहायता:

श्री भूरे लाल का यह कथन कि श्री गोयंका ने उन्हें लगभग जुलाई/अगस्त, 1986 में टैलीफोन किया था तथा किसी वाहक के माध्यम से अक्तूबर में कुछ सामग्री भेजी थी । इसके साथ कोई अग्रेषण पत्र नहीं था तथा यह सामग्री रिलाएंस से सम्बन्धित थी । उन्होंने पत्र की पावती नहीं भेजी थी । फोल्डर उनके कार्यालय में दिया गया था । श्री गोयनका द्वारा भेजे गए पेपर उचित माध्यम से नहीं भेजे गए थे तथा सरकारी अभिलेखों में इनकी कोई प्रविष्टि नहीं थी । गोपनीयता सम्बन्धी कारणों की वजह से ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी । संभवतया श्री गोयनका का कोई कर्मचारी ये पेपर लाया था । सचिवालय में प्रवेश करने हेतु पास की पद्धति थी । श्री भूरे लाल ने कहा कि उन्होंने स्वागत कार्यालय को यह कह दिया होगा कि वह उस व्यक्ति को पेपरों सहित सचिवालय आने दे जिस के द्वारा गोयंका ने पेपर भेजे थे ।

क्या श्री भूरे लाल ने मैसर्स फेयरफैक्स समूह इंक. के साथ अपने सम्पर्क के बारे में तथा रिलाएंस के अलावा जिन व्यक्तियों के बारे में वह जांच कर रहे थे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी थी?

श्री भूरे लाल का यह कथन कि जब उन्होंने विदेश जाने की आज्ञा मांगी थी, उन्होंने यह उल्लेख कर दिया था कि वह रिलाएंस सम्बन्धी मामलों की जांच करने हेतु अमरीका जा रहे हैं। तथापि उन्होंने कहा कि उन्होंने मौखिक रूप से राजस्व सचिव, श्री पांडे को यह बता दिया था कि वह रिलाएंस के बारे में जांच करने हेतु अमरीका जा रहे हैं परन्तु उन्होंने श्री पांडे को अन्य पार्टियों से जांच करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में सूचित नहीं किया था। हालांकि वह 3 जनवरी, 1987 को वापस आ गए थे, परन्तु उन्होंने श्री पांडे को श्री हर्शमैन के साथ की गई ऐसी व्यवस्था के बारे में मौखिक रूप से 10 जनवरी, 1987 को बताया, वह इस के ब्यौरे श्री पांडे को नहीं दे सके क्योंकि श्री पांडे बजट कार्य में व्यस्त थे। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने उस समय फेयरफैक्स का नाम नहीं दिया था जब उन्होंने 10 जनवरी, 1987 को श्री पांडे से बात-चीत की थी। इस का पता 6-2-87 को तभी चला जब उन्होंने लगभग एक महीने के बाद अपने दौरे सम्बन्धी टिप्पणी भेजी। फेयरफैक्स फाइल पर, यात्रा रिपोर्ट प्रथम पेपर है। निश्चित रूप से श्री भूरे लाल ने श्री पांडे को इस बारे में सूचित नहीं किया था जब उन्होंने फेयरफैक्स की सेवाएं लेने का प्रस्ताव किया था। उनके अनुसार श्री पांडे ने उन्हें लगभग सितम्बर, 1986 में विदेशी एजेंसियों की सेवाएं लेने हेतु मौखिक अनुमति दे दी थी परन्तु उन्होंने न तो श्री हर्शमैन से हुई अपनी बातचीत का उल्लेख श्री पांडे से किया और न ही उन्होंने फेयरफैक्स की सेवाएं लेने सम्बन्धी अपने विचार से ही श्री पाण्डे को अवगत कराया था। श्री मैकके के सम्बन्ध में श्री हर्शमैन के साथ कोई सरकारी पत्राचार नहीं हुआ था।

क्या श्री भूरे लाल ने फेयरफैक्स लोगों के पूर्ववृत्त एवं विश्वसनीयता के संबंध में कोई जांच की थी

श्री गुरुमूर्ति ने फेयरफैक्स का श्री भूरे लाल से परिचय करवाया था। परन्तु श्री भूरे लाल से श्री गुरुमूर्ति से यह जांच नहीं की कि वह श्री हर्शमैन के संपर्क में कैसे आए। उसके अनुसार "यह मात्र एक स्रोत का अन्य स्रोत से परिचय कराना है।" बाद में उसने बताया कि "यह सही है कि डा. हैरिस इस दृष्टिकोण से यह स्रोत नहीं था कि उसने प्रथम बार परिचय में किसी भी जांच के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं दी, जो उसके पास थी।" श्री भूरे लाल ने फेयरफैक्स के लोगों के पूर्ववृत्त के संबंध में भारतीय राजदूत से कोई पूछ-ताछ नहीं की। श्री भूरे लाल द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि उसने डा. हैरिस के पूर्ववृत्त के बारे में तीसरे व्यक्ति से कोई जांच नहीं की अर्थात् श्री गुरुमूर्ति के अलावा किसी से पूछ-ताछ नहीं की। भारतीय राजदूत से पूछ-ताछ न करने के बारे में श्री भूरे लाल द्वारा बताया गया कारण यह था कि वह अमेरिका जांच पड़ताल करने गया था तथा सुरक्षा की दृष्टि से उसने राजदूत को इस बारे में सूचित नहीं किया था। उसने यह भी बताया कि यह उसका अनुभव था कि जब कभी भी उसने राजदूतों से पूछ-ताछ की तो पार्टियों को इसका पता चल गया और इस कारण से उसने राजदूत को फेयरफैक्स के बारे में नहीं बताया।

उनके बयान से प्रकट होने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं:-

1. श्री भूरे लाल द्वारा उनके और श्री हर्शमैन (डा. हैरिस) के बीच अथवा उनके तथा श्री बुनी के बीच हुई बात चीत के बारे में कोई कार्यवृत या रिकार्ड नहीं रखा गया था।
2. उनकी श्री गुरुमूर्ति और श्री गोयनका के साथ हुई बातचीत या उनके द्वारा दी गई सूचना अथवा उनके द्वारा दिए गए कागजात के संबंध में कोई कार्यवृत या लिखित रूप में

कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था । ऐसे कागजातों की प्राप्ति के बारे में या जो इन कागजातों को देने आए उन व्यक्तियों के बारे में भी कार्यालय में कोई रिकार्ड या प्रविष्टि नहीं की गई थी ।

3. फेयरफैक्स के पूर्ववृत्त के बारे में श्री गुरुमूर्ति के अलावा किसी अन्य से कोई पूछ-ताछ नहीं की गई थी ।
4. जब श्री भूरे लाल अमेरिका गए, तो उन्होंने भारतीय राजदूत को अपने दौरे के प्रयोजन के बारे में सूचित नहीं किया और उससे यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि क्या फेयरफैक्स एक विश्वसनीय एजेन्सी है ?
5. श्री भूरे लाल ने अमेरिका में क्रिमीनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट, इनलैण्ड रवेन्यु सर्विस के ग्रुप मैनेजर श्री ब्रुनो से फेयरफैक्स के श्री हर्शमैन के माध्यम से सम्पर्क किया और भारतीय राजदूत के माध्यम से नहीं ।
6. फेयरफैक्स को काम सौंपने के बारे में कोई फाइल नहीं रखी गई थी और फेयरफैक्स ग्रुप के बारे में उल्लेख प्रथम बार उनके द्वारा 6-2-1987 को अपने दौरे संबंधी रिपोर्ट में किया गया अर्थात् अमेरिका से लौटने के बाद एक महीने से अधिक समय के बाद किया गया, जहां से वे 3.1.1987 को वापस आए थे ।
7. उन शर्तों के बारे में न तो लिखित रूप में कोई करार किया गया था और न ही कोई कार्यवृत रखा गया जिन पर फेयरफैक्स की सेवाएं ली गई थीं ।
8. मैसर्स डुपोन्ट से अपेक्षित दस्तावेज फेयरफैक्स के माध्यम से भेजने के लिए अनुरोध किया गया था (सीधे नहीं) ।
9. फेयरफैक्स के माध्यम से कोई भी सूचना उपलब्ध कराने के बारे में कैमटेक्स द्वारा इन्कार करने और प्रवर्तन निदेशालय के साथ सीधे ही कार्य करने संबंधी उनकी इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया गया था ।
10. फेयरफैक्स के लोगों द्वारा जो कुछ कार्य किया हुआ प्रतीत होता है यह यह है कि श्री मैके श्री भूरे लाल के साथ रहे ।
11. डुपोन्ट के लोगों से सूचना फेयरफैक्स के माध्यम से (और सीधे नहीं) उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था ।
12. इस तथ्य को कोई महत्व नहीं दिया गया कि डुपोन्ट के लोग तब कोई सूचना देने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि फेयरफैक्स को प्राधिकार-पत्र नहीं दिया गया था ।
13. प्राधिकार-पत्र जारी किया गया था जो एक "जिस किसी से भी संबंधित हो" के शीर्षक से प्राधिकार संबंधी एक सामान्य पत्र था तथा जो न तो डुपोन्ट को और न ही कैमटेक्स को सम्बोधित था ।
14. फैयरफैक्स के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था तथा उससे संबंधित कोई फाइल भी नहीं रखी गई थी ।
15. श्री गोयनका या श्री गुरुमूर्ति से प्राप्त कागजातों की प्राप्ति का रिकार्ड रखने के लिए कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी और निदेशालय के बम्बई कार्यालय के सन्दीप टंडन को कागजात सौंपने के संबंध में न तो कोई प्रविष्टि अथवा कार्यालय में रिकार्ड ही रखा गया था ।
16. श्री भूरे लाल ने इन व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति के साथ अपने कार्यालय में मुलाकात नहीं की परन्तु वे उनसे दिल्ली में होटलों या पार्कों में मिले जबकि उनके कार्यालय में उनके पास एक अलग कमरा है जहां पर वे इन व्यक्तियों से मिल सकते हैं ।
17. श्री भूरे लाल का बयान और श्री ब्रुनो का बयान विभिन्न मुद्दों पर एक जैसा नहीं है । श्री ब्रुनो कहते हैं कि उन्होंने कोई सूचना नहीं दी और वास्तव में उन्होंने कानूनी स्थिति के कारण

ऐसा करने के लिए अपनी असमर्थता प्रकट की थी जबकि श्री भूरे लाल का बयान यह है कि जांच-पड़ताल के संबंध में श्री ब्रनो ने उनको सहयोग देने के लिए वायदा किया था।

18. श्री भूरेलाल के अमेरिका से लौटने के तत्काल बाद ही दौरे संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी। यह उसके अमेरिका से लौटने के एक महीने से अधिक समय बाद 6.2.1987 को दी गई थी।

19. फेयरफैक्स की विशिष्ट रूप से सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से या मंत्री से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

20. फेयरफैक्स का चयन पूर्णतया श्री गुरुमूर्ति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था जिसने श्री हर्शमैन को श्री भूरे लाल के साथ मिलाया था।

21. यह पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई कि फेयरफैक्स और श्री गुरुमूर्ति के बीच क्या संबंध है और श्री गुरुमूर्ति श्री हर्शमैन को कैसे जानते हैं, उसके बारे में वह क्या जानता है और क्या उनके बीच कोई अन्य संबंध है।

22. इस तथ्य के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया कि फेयरफैक्स को काम में लगाने की शुरूआत श्री गुरुमूर्ति द्वारा की गई जो कथित आर्थिक अपराध के संबंध में रिलाएंस को लिप्त करते हुए लेख लिखने में लगा हुआ था और उसका परिचय किसी निष्पक्ष स्रोत द्वारा नहीं दिया गया है।

23. सितम्बर या अक्तूबर, 1986 में श्री पांडे द्वारा दी गई कथित स्वीकृति का कोई कार्यवृत या कार्यवाही का कोई रिकार्ड नहीं किया गया था। मौखिक स्वीकृति के बारे में लिखित रिकार्ड पहली बार मार्च, 1987 में किया गया जोकि लगभग 5-6 महीने बाद हुआ।

24. फेयरफैक्स को कार्य पर लगाने के बारे में लिखित रूप में उल्लेख तब तक विद्यमान नहीं था जबतक कि श्री भूरे लाल के अमेरिका से वापस आने के एक महीने से अधिक समय बाद 6 फरवरी, 1987 को पहली बार दौरे की सूचना नहीं दी गई थी, इस प्रकार कहा जा सकता है कि फेयरफैक्स को काम पर लगाने के बारे में किसी भी फाइल में लिखित रूप से कोई उल्लेख विद्यमान नहीं था और ऐसा उल्लेख पहली बार श्री वी. पी. सिंह, जिनके कार्यकाल में यह कार्य सौंपा हुआ, कहा जाता है, को वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में बदलने के लगभग 15 दिन के पश्चात् दौरे की रिपोर्ट के रूप में प्रकट हुआ (जो 24 जनवरी, 1987 को हुआ)।

25. श्री भूरे लाल ने राज्य मंत्री श्री ब्रह्म दत्त द्वारा उठाये गए मुद्दों का लगभग 20 दिन तक उत्तर नहीं दिया। मुद्दों की पूछताछ 17 फरवरी, 1987 को की गई थी जबकि उत्तर 9 मार्च, 1987 को प्रस्तुत किया गया था।

26. श्री भूरे लाल ने सामग्री इकट्ठी करने और दस्तावेज प्राप्त करके इसके ब्यौरे तैयार करने में श्री गुरुमूर्ति की सहायता प्राप्त की।

27. वस्तुतः श्री गुरुमूर्ति को एक मित्र, दार्शनिक के रूप में समझा गया था और जांच से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन किया था।

28. इस पहलू के लिए कोई राय नहीं दी गई थी कि क्या फेयरफैक्स का सी. आई. ए. जैसी अमरीकी आसूचना एजेंसियों के साथ कोई सम्बन्ध था।

29. कोई गम्भीर विचार दिला गया प्रतीत नहीं होता कि क्या केवल दस्तावेज या सूचना एकत्र करने मात्र के लिए, जिसका सुल लाभ हो सकता है, ऐसी कोई एजेंसी लगाई जाए। और यह भी कि काम में लगाई जाने वाली एजेन्सी विशेष के संबंध में लिखित रूप से अनुमति प्राप्त किए बिना और उन शर्तों पर जिसपर इसे लगाया गया था।

ये सभी तथ्य जो श्री भूरे लाल द्वारा लिखित रूप में माने गए हैं प्रत्येक से उलझन वाले प्रश्न उठते हैं । क्या यह सुरक्षित है और क्या यह लोक हित में संगत है कि डी. ओ. ई. के रैंक के अधिकारियों को इस प्रकार निदेशालय के कार्य करने के लिए अनुमति दी जाए या क्या उन तथ्यों और परिस्थितियों से जो प्रकट हुई हैं कुछ सबक लेना अपेक्षित है, इस पर वित्त मंत्रालय को विचार करना है । तथापि, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में जांच करने के लिए आयोग की प्रत्यक्षतः कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती अथवा न ही आयोग को कहा जाता है और आयोग ऐसे कार्यों को हाथ में लेना उचित नहीं समझता है जो कार्य संबंधित मंत्रालय द्वारा और सरकार उनके स्वयं के अनुभव और परिप्रेक्ष्य की दृष्टि में अपेक्षाकृत अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं । इसलिए आयोग ने उक्त कार्रवाई अपने हाथ में नहीं ली लेकिन आयोग द्वारा एकत्र की गई सामग्री को रिकार्ड में रखने और उससे प्रकट असामान्य लक्षणों को प्रकाश में लाने की सन्तुष्टि कर ली ताकि केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित मंत्रालय समुचित रूप से इन विषयों को देख सकें, यदि लोक हित अपेक्षित हो । आयोग अपनी ड्यूटी में असफल होगा यदि यह दर्शाने में विफल रहता है कि सरकार का संबंधित मंत्रालय उसके ऊपर उल्लिखित कार्यों के बारे में असामान्य लक्षणों के संबंध में समुचित कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है । विशेषतया, दुखद तथ्य यह है कि विभाग ने गोपनीयता के एक भयावह वातावरण में कार्य किया । बैठकें होटलों और सार्वजनिक पार्कों में हुई, मौखिक बातें हुई जिनका बाद में इसे केवल समकालीन रिकार्ड बनाते हुए किसी भी फाइल में कोई अभिलेख नहीं किया गया है । मौखिक अनुमति के संबंध में या फेयरफैक्स को काम में लगाने के संबंध में किसी भी सरकारी फाइल में कहीं भी कोई लिखित रिकार्ड नहीं किया गया था और तत्कालीन वित्त मंत्री की कालावधि के दौरान इन मामलों के संबंध में कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है । वित्त मंत्रालय छोड़ने के पश्चात् बहुत बाद में ये सारे रिकार्ड रखे गए थे । श्री गुरुमूर्ति जैसे रुचि लेने वाले बाहर के लोगों की सलाह ली जाती है और वे सब भली-भांति जानते हैं जो विभाग के उच्च अधिकारीगण महीनों से नहीं जानते थे । श्री गुरुमूर्ति और श्री गोयनका जैसे बाहर के लोगों के लेनदेन के बारे में कोई कागज का टुकड़ा उपलब्ध नहीं हुआ और न ही उनसे प्राप्त कोई कागज मिला । क्या गोपनीयता भंग हो सकती है यदि मंत्री या सचिव को सूचित किया जाता है या उनसे सलाह ली जाती है? क्या कागज-पत्रों को निजी आलमारी में नहीं रखा जा सकता है ? गोपनीयता का भय कहां से आता है? क्या अधिकारी ऐसे व्यापारियों के निकट सम्पर्क में आते हैं जिनके स्वयं के मामलों में किसी समय विभाग के द्वारा जांच-पड़ताल किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती हो । यह सरकार का ही काम है कि कौन से उपाय किए जाने चाहिएं किन्तु स्थिति प्रथम-दृष्टया असहनीय है । आयोग की राय में यही कुछ पर्याप्त है, और कहने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्याय - XI

क्या तत्कालीन राजस्व सचिव (श्री वी.सी. पांडे) फेयरफैक्स इंक, विदेशी प्राइवेट गुप्तचर एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करने से संबंधित मामले के बारे में जानते थे और यदि हां, तो क्या ।

विस्तृत विवरण

अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन मांग-पत्र दिनांक 26 जून, 1987 के प्रत्युत्तर में श्री पांडे द्वारा प्रस्तुत सूचना से समक्ष आने वाला स्वरूप निम्न प्रकार है :-

किसी समय सितम्बर/अक्तूबर, 1986 में श्री पांडे ने, जो उस समय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे, आर्थिक अपराधियों के सम्बन्ध में अन्वेषण कर रहे प्रवर्तन निदेशक द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के संबंध में, जहां भारत से बाहर भी कुछ पूछताछ की जानी थी, तत्कालीन वित्त मंत्री (श्री वी.पी.सिंह) के साथ की । पिछले अनुभव को देखते हुए एक विदेशी प्राइवेट गुप्तचर एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव की गई थी क्योंकि विदेशों से अपेक्षित सामग्री प्राप्त करने में असमर्थता के कारण कुछ मामले असफल हो गये थे । उनके अनुसार श्री वी.पी. सिंह ने जब भी कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता हुई विदेशी अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उन्हें मौखिक स्वीकृति प्रदान की थी । बशर्तें कि भुगतान केवल इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त होने पर की जानी थी । स्वीकृति रिलायन्स के विरुद्ध अन्वेषण से सम्बन्धित थी । तथापि उस अवस्था में किसी विशेष अन्वेषण एजेन्सी का उल्लेख नहीं हुआ था । नवम्बर, 1976 में श्री भूरे लाल ने उन्हें बताया कि वह अमरीका के एक गुप्तचर डा. हैरिस (मि. हर्शमैन) से मिले थे । दिसम्बर, 1986 में सरकार ने तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल के मुख्यतः मै. रिलायन्स के अन्वेषण और कुछ अन्य पूछताछ के सम्बन्ध में अमरीका दौरे की स्वीकृति प्रदान की थी । श्री भूरे लाल जनवरी, 1987 के आरम्भ में वापस आ गए थे लेकिन श्री पांडे ब्यौरा जानने हेतु बैठक बुलाने के लिए समय नहीं निकाल पाये क्योंकि वह बजट संबंधी कार्य में व्यस्त थे । यह श्री पांडे का कथन है कि श्री भूरे लाल ने उन्हें बताया था कि उन्होंने डा. हैरिस के साथ प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे दिया है और इस सिलसिले में उन्होंने इससे तत्कालीन वित्त मंत्री (श्री वी.पी. सिंह) को सूचित कर दिया था । श्री वी.पी. सिंह 24 जनवरी, 1987 को वित्त मंत्रालय से बदल दिये गये थे । उसके कोई पंद्रह दिनों के बाद 10 फरवरी, 1987 को उन्हें तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल द्वारा तैयार दिनांक 6 फरवरी, 1987 की दौरा रिपोर्ट प्राप्त हुई । इस पत्र से पहली बार उन्हें मै. फेयरफैक्स ग्रुप इंक., श्री मैकके और श्री हर्शमैन के नामों का पता चला । तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक ने सूचित किया था कि उन्होंने मै. फेयरफैक्स ग्रुप इंक की सेवाएं प्राप्त की थी और "यदि सरकार इस सम्बन्ध में अन्यथा महसूस करती है तो उन्हें तदनुसार परामर्श दिया जाए", और व्यवस्था के अनुमोदन की सिफारिश की थी । तत्कालीन राज्यमंत्री श्री ब्रह्मदत्त ने अपनी दिनांक 17.2.1987 की टिप्पणी में कतिपय प्रश्न उठाए थे । पूछे गये प्रश्न इस प्रकार है

"वित्त सचिव/राजस्व सचिव

कृपया मुझे निम्नलिखित के बारे में तथ्यों से अवगत करायें :-

1) क्या विदेशी एजेन्सियों से सम्पर्क करने के बारे में वित्त मंत्री से कोई अनुमति प्राप्त की गई थी ?

2) क्या फेयरफैक्स ग्रुप लि. को शामिल करने की कोई अनुमति थी ? यदि हां, तो शर्तें और निर्धारित भुगतान क्या थे ?

3) कृपया अन्तिम पैरा X देखें । क्या फेयरफैक्स ग्रुप लि. की सेवाएं प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री की अनुमति प्राप्त की गई थी ?

4) वे आरम्भ में ही बिना किसी भुगतान के कैसे और क्यों काम कर रहे हैं ?

तत्कालीन राज्य मंत्री श्री ब्रह्मदत्त द्वारा उठाये गये उक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशक ने अपना उत्तर लगभग 20 दिन बाद 9 मार्च, 1987 को भेजा । और इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी लिखी । फाइल भूतपूर्व वित्त मंत्री (श्री वी.पी. सिंह) को भेजी थी जो उस समय रक्षा मंत्री का पदभार सम्भाले थे ।

11 मार्च, 1987 को उन्हें (श्री पाण्डे) तथा प्रधान मंत्री के विशेष सचिव (श्री जीपी अरोड़ा) को रक्षा मन्त्री से फाइल वापस लेने को कहा गया । <u>यह इस फाइल में पहली बार ही था कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशक का तारीख 7 जनवरी, 1987 का जिसे भी यह सम्बन्धित हो</u> शीर्षक वाला पत्र (जो श्री भूरे लाल ने मैसर्स फेयरफैक्स को भेजा था) देख लिया है । यह रिलायन्स के विरूद्ध जांच पड़ताल सम्बन्धी मैसर्स फेयरफैक्स को जारी किया गया प्राधिकार पत्र है । उसके बयान में यह भी भेद खोला गया कि यह नार्थ ब्लाक में अपने कार्यालय में 1986 में श्री गुरूमूर्ति से तीन या चार बार मिले थे । यह श्री गोयंका से आयकर सम्बन्धी कुछ लम्बित मामलों के बारे में 1986 में केवल एक बार मिले थे । यह श्री वाडिया से भी उत्तरवर्ती 1985-86 में तीन या चार बार और नवम्बर-दिसम्बर,1986 में दो या तीन बार मिले थे और उनसे टेलीफोन पर भी बातचीत की थी । श्री वाडिया के साथ पूर्ववर्ती बैठकें-उसके द्वारा डी एम टी/पी टी ए पर आयात शुल्क के संशोधन के लिए किए गए प्रतिवेदनों के बारे में थीं । उसकी नवम्बर-दिसम्बर, 1986 में हुई बैठकें फार्मिका इण्डिया जो श्री वाडिया की कम्पनी थी, पर मारे गए छापे के बारे में हुई थी ।

<u>फेयरफैक्स की नियुक्ति</u>

मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक की नियुक्ति के बारे में श्री पाण्डे का कथन है कि तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल ने उनके साथ विदेशी जांच पड़ताल एजेन्सी को उपयोग में लाने के प्रश्न पर चर्चा की थी, परन्तु उन्होंने उनके साथ किसी विदेशी जांच पड़ताल एजेन्सी विशेष को उपयोग में लाने के किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर कभी भी चर्चा नहीं की थी । इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में कि क्या उन्होंने फेयरफैक्स को उपयोग में लाने के बारे में किसी भी व्यक्ति से चर्चा की थी, उनका उत्तर सुस्पष्ट रूप से नहीं था । इसी प्रकार एक आर्थिक प्रश्न के बारे में कि क्या उनकी किसी के साथ फेयरफैक्स को उपयोग में लाए जाने के बारे में कोई चर्चा हुई थी, उनका उत्तर सुस्पष्ट रूप से दोबारा नकारात्मक था । इसके अतिरिक्त, उन्होंने निष्कपट रूप से कहा कि उन्होंने फेयरफैक्स के पूर्ववृत्त के बारे में कोई जांच नहीं की थी । उन्होंने यह भी कहा कि जांच पड़ताल करने वाली किसी विदेशी एजेन्सी को काम में लाने के बारे में हुई चर्चाओं के दौरान श्री हर्शमैन (डा. हैरिस) और श्री मैकके के नाम कभी नहीं आए ।

<u>तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दी गई अभिस्वीकृति के बारे में ।</u>

तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जांच पड़ताल करने वाली किसी विदेशी एजेन्सी को काम में लाने के लिए मौखिक अभिस्वीकृति दी थी या लिखित में और उसके ब्यौरे क्या हैं, इस जांच के बारे में श्री पाण्डे ने यह बताया कि सितम्बर/अक्तूबर,1986 में हुई चर्चाओं के

दौरान उन्होंने वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) को उनके सामने आने वाली समस्याएं व्यक्त तत्कालीन वित्त मंत्री ने विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच पड़ताल करने वाली किसी विदेशी एजेन्सी/एजेन्ट को काम में लाने के प्रस्ताव को इस शर्त पर अभिस्वीकृति दी कि भुगतान ऐसे साक्ष्य के प्राप्त हो जाने के बाद ही किया जाएगा। तत्पश्चात् उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिए जो इस प्रकार हैं:-

"(i) प्रवर्तन निदेशक ने किसी खास एजेन्सी को लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने आम अभिस्वीकृति मांगी थी जिस पर वह कार्य कर सकें।

(ii) जबकि अभिस्वीकृति लम्बित जांचों के संदर्भ में दी गई थी, यह एक सामान्य अनुमति थी।

(iii) केस का चुनाव प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य आदि की शिनाख्त तथा एजेन्सी का चुनाव परिचालन सम्बन्धी मामले माने गए जिनका प्रवर्तन-निदेशक द्वारा निर्णय लिया जाना था और सरकार को जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिद्धान्त के रूप में, मंत्रालय परिचालन सम्बन्धी मामलों में अन्तर्ग्रस्त नहीं होती ? श्री पाण्डे ने कहा कि विदेश में विदेशी एजेन्सियों को सम्बन्धित विदेश में विशष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए परिणाम आने पर भुगतान के आधार पर लगाने के निर्णय को रिकार्ड नहीं किया गया क्योंकि उस समय यह कोई महत्वपूर्ण नया निर्णय नहीं माना गया था।" उन्होंने यह भी कहा कि किसी निर्णय को रिकार्ड करने का समुचित कारण तब होता है जब उसके लिए अन्य मंत्रालयों/प्राधिकारियों का अनुमोदन लेना आवश्यक हो। यह ऐसा मामला नहीं था। ऐसा निर्णय लेने के लिए वित्त मंत्री को पर्याप्त प्राधिकार था।

आसूचना कार्य में कागजी कार्यवाई न्यूनतम रखी जानी थी, यह दूसरा कारण था। उनके अनुसार:

"छापे, किसी साक्ष्य की छानबीन करने या किसी अतिसंवेदनशील परिचालन सम्बन्धी निर्णय की अभिस्वीकृति सामान्यतः फाइलों से बाहर दी जाती है। इस निर्णय के यथार्थ स्वरूप पर विचार करते हुए ही व्यापक रूप से सलाह लेना अथवा चर्चाएं करना वांछनीय नहीं था।"

जहां तक भुगतानों का सम्बन्ध है उन्हें विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत किया जाना था और उस पर उन्होंने जब वित्त सचिव को अवगत कराया, तो उन्हें बता दिया गया था कि विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जब सितम्बर/अक्तूबर, 1986 में चर्चाएं हुई थीं तब मैसर्ज फेयरफैक्स अथवा श्री हर्शमैन (डा० हैरिस) के नाम का उल्लेख तत्कालीन वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समक्ष नहीं किया गया था और वह स्वयं भी उक्त ग्रुप अथवा व्यक्तियों से अवगत नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने श्री गुरुमूर्ति को किसी कम्पनी की सिफारिश करने या उसकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए नहीं कहा था। न तो उसने और न ही निदेशालय ने श्री गुरुमूर्ति को श्री हर्शमैन से सम्पर्क करने के लिए कहा था (प्रश्न संख्या 15 का उत्तर देखें)

उन्हें स्वयं भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि रिलायन्स के खिलाफ जांच करने के लिए किसी प्राइवेट पार्टी ने किसी विदेशी खुफिया एजेन्सी का उपयोग किया हो। न तो फेयरफैक्स समूह ने और न ही हर्शमैन ने उनसे, श्री भूरे लाल के भारत सरकार की ओर से कार्य करने के अधिकार सम्बन्धी किसी प्रकार की जांच की।

फाइल श्री वी.पी.सिंह को 9 मार्च, 1987 को भेजा जाना जब वह वित्त मंत्री का पद छोड़कर रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाले हुए थे:-

इस फाइल को भेजे जाने से संबंधित परिस्थितियों के संबंध में उन्होंने आयोग को 26 जून 1987 की सूचना के प्रश्न संख्या 20 के उत्तर में विवरण भेजा है। संबद्ध प्रश्न तथा उनके 2 जुलाई 1987 के उत्तर के उद्धरण नीचे ज्यों के त्यों दिए गए हैं:-

प्रश्न	उत्तर
क्या वित्त मंत्री का पद छोड़ देने के पश्चात श्री वी.पी.सिंह ने फाइल मंगवाई थी ? (क) यदि हां तो, कब ?	जी हां मैं और मेरा एक सहयोगी मार्च 1987 के पहले सप्ताह में श्री वी.पी.सिंह से उनके रक्षा मंत्रालय के कार्यालय में मिलने गए ताकि हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट के संबंध में उनकी सामान्य प्रतिक्रिया जानी जा सके। हमारी बातचीत के दौरान, उन्होंने संयोगवश कहा कि विदेशी खुफिया एजेन्सी की सेवाएं लेने से संबंधित क्लीयरेन्स देने से निर्णय को लिखित रूप में रिकार्ड करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी इस इच्छा के बारे में उन्होंने वित्त राज्यमंत्री श्री ब्रह्मदत्त को भी सूचित कर दिया है।
(ख) क्या यह साधारण अथवा सामान्य प्रक्रिया तथा उचित माध्यम से भेजी गई ?	मैंने निम्नलिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत फाइल को सीधे रक्षा मन्त्री के लिए मार्क कर दिया था। (क) फाइल भूतपूर्व वित्त मंत्री को उस निर्णय को अनुमोदित करने के लिए भेजी गई थी जो उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए लिखा था। (ख) मैंने वित्त राज्यमंत्री श्री ब्रह्मदत्त को उसी दिन अवगत करा दिया था कि मैंने फाइल रक्षा मंत्री को भेज दी है। वित्तराज्य मंत्री (बी.डी.) ने कहा कि रक्षा मंत्री ने उनसे कहा है और भूतपूर्व वित्त मंत्री ने निर्णय रिकार्ड करने की इच्छा व्यक्त की है। (ग) जैसा कि उपर वर्णित है, जब मैं भूतपूर्व वित्त मंत्री से मिला उन्होंने विशेषरूप से यह इच्छा जाहिर की कि वे अपने आदेशों को लिखित रूप में अनुमोदित करना चाहते हैं।

2. सरकारी कामकाज संव्यवहार नियमावली के अन्तर्गत नियम 4 अन्तर्विभागीय विचार विमर्श का प्रावधान है, जो कि आवश्यक भी है अर्थात निर्णय लेने से पूर्व ऐसे मामले आवश्यक रूप से वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग तथा विदेश मंत्रालय को भेजे जाएं। नियम 5 में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री कोई भी कागज मांग सकते है, वित्त मंत्री ऐसे कोई भी कागज मांग सकते है जिनमें किसी प्रकार के वित्तीय मामले शामिल हों। नियम 5(iii) में यह प्रावधान है कि कोई भी मंत्री किसी भी दूसरे विभाग के ऐसे कागज को देखने के लिए मांग सकते हैं यदि वे उनके सामने प्रस्तुत किसी मामले से संबंधित हों अथवा विचार करना हो।

3. नियम 3 का संबंध मंत्रालयों द्वारा कामकाज के निपटान से है। इसमें यह प्रावधान है कि विभाग को आबंटित सारे कामकाज का निपटान, प्रधान मंत्री द्वारा जारी सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अनुसार होगा। प्रत्येक मंत्रालय के पास ऐसे स्थायी आदेश है, जिनमें यह प्रावधान है कि कौन सा मामला किस स्तर पर निपटाया जाना है।

4. नियम 4 में उल्लिखित आवश्यक सन्दर्भ मामले के अनुसार विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग आवश्यक रूप से विभागीय मंत्रालयों के माध्यम से नहीं किया जाता है। आवश्यक सन्दर्भों के अलावा प्रत्येक मंत्रालय इन मंत्रालयों को सूचना, मार्गदर्शन, टिप्पणी तथा परामर्श के लिए सन्दर्भों का प्रयोग करते हैं। इन सन्दर्भों का प्रयोग उचित स्तरों पर किया जाता है तथा प्रभारी मंत्री के माध्यम से इनका प्रयोग किया जाना जरूरी नहीं है।

5. सरकारी कामकाज संव्यवहार नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दूसरे मंत्रालय को भेजे जाने वाले सन्दर्भ विभागीय मंत्रालय के माध्यम से किए जाए । यह सामान्य परम्परा भी नहीं थी । यह अधिकारी के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है कि यह संदर्भ विभागीय मंत्री के माध्यम से अथवा स्वयं सीधे भेजे ।

6. यदि, जैसा कि मैं समझता हूं कि वित्त राज्य मंत्री (बी डी) भी फाइल रक्षा मंत्री को भेजने के इच्छुक थे और मेरे द्वारा रक्षा मंत्री को फाइल का सीधे भेजा जाना किसी प्रकार से किसी नियमावली अथवा किसी परम्परा का उल्लंघन नहीं था । यदि वित्त राज्य मंत्री (बी डी) किसी भी प्रकार का संकोच प्रकट करते तो फाइल आसानी से वापस मंगाई जा सकती थी ।

7. मैंने फेयरफेक्स की फाइल रक्षा मंत्री को जो कि पूर्व में वित्त मंत्री के और मंत्री परिषद तथा सी सी पी ए के सदस्य थे, उनके द्वारा किए गए निर्णय को लिखित रूप में अनुमोदित करने के लिए भेजी थी । मेरी कार्यवाही की सूचना प्रभारी मंत्री को उसी दिन भेज दी गई थी । इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरी कोई भी दुभार्वनापूर्ण नीयत नहीं थी ।

यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जहां तक भारत सरकार (सरकारी कामकाज संव्यवहार) नियमावली, 1961 का संबंध है नियम 5 का संबंध कागजों के लिए निवेदन से है, जिसकी ओर श्री पांडे ने ध्यान दिलाया है, रक्षा मंत्री को वित्त मंत्रालय से फाइल मंगवाने के लिए बिल्कुल भी प्राधिकृत नहीं करता है । प्रश्नगत नियम इस प्रकार है:-

"नियम 5. कागजों के लिए निवेदन -(1) प्रधान मंत्री किसी भी विभाग के कागजात मांग सकते हैं । (2) वित्त मंत्री किसी भी विभाग के ऐसे कागजात मांग सकते हैं जिनमें कोई वित्तीय मामला शामिल हो । (3) कोई भी मंत्री किसी भी दूसरे विभाग के कागजात देखने को मांग सकता है यदि वे उनको सामने प्रस्तुत किसी मामले में चाहिए अथवा मामले से संबंधित हों ।"

यह देखा जा सकता है कि धारा (1) तथा (2) जो कि प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री पर लागू हैं, लेकिन श्री वी.पी.सिंह पर लागू नहीं होती क्योंकि उस समय वे वित्त मंत्री नहीं थे । धारा (3) के अनुसार, श्री वी.पी.सिंह को कागजात भेजे जा सकते थे जो कि कागजात भेजे जाने के समय रक्षामंत्री थे बशर्ते कि उन्हें किसी मामले पर विचार करने के लिए कागजात की आवश्यकता थी । अतः इस पर कोई विवाद नहीं है कि फेयरफेक्स की फाइल की श्री वी.पी.सिंह को कोई जरूरत नहीं थी, इस प्रकार सरकारी कामकाज से व्यवहार नियमावली के अनुसार कागजात श्री वी.पी.सिंह के पास वित्तमंत्री का पद छोड़ देने के 1-1/2 महीने के बाद क्लीयरेन्स के लिए किसी भी प्रकार की कार्योत्तर टिप्पणी के लिए नहीं भेजे जा सकते थे ।

सर्वप्रथम, वित्तमंत्रालय की फाइल श्री पाण्डे द्वारा श्री वी.पी.सिंह को भेजी नहीं जानी चाहिए
थी, जो कि फाइल भेजने के समय वित्र मंत्री न होकर रक्षामंत्री थे । सरकारी कामकाज संव्यवहार
नियमावली में इस प्रकार फाइल भेजने का प्रावधान नहीं है, तब प्रश्न उठता है कि क्या वह ऐसा
कर सकते थे और फाइल को 9 से 11 मार्च 1987 तक अर्थात 2 दिन के लिए मंत्रालय से बाहर
रहने दिया । यह भी प्रश्न उठता है कि क्या फाइल ऐसे किसी मंत्री को वित्त मंत्रालय की फाइल
पर कार्योत्तर टिप्पणी के लिए भेजी जा सकती थी, जोकि उस समय वित्त मंत्री नहीं था, श्री पाण्डे के
अनुसार कि फाइल भेजने के बाद उन्होंने वित्तराज्य मंत्री श्री ब्रहमदत्त को इस बारे में अवगत करा
दिया था । यह मानते हुए कि उन्होंने जो किया वह इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उन्होंने फाइल
भेजने से पूर्व श्री ब्रहमदत्त से अनुमति नहीं ली । उन्होंने वित्त राज्य मंत्री को बाद में मात्र सूचित
किया । अतः तथ्य यह है कि फाइल तब तक न भेजी जाए, जबकि उसकी आवश्यकता मंत्री को,
उनके सामाने प्रस्तुत मामलें में जरूरत न हो ।

यह भी इंगित करना जरूरी है कि पाण्डे ने विशेष उल्लेख किया है कि वित्त मंत्री ने अपने
आदेश को लिखित रूप में अनुमोदित करने की इच्छा जाहिर की है जबकि फाइल पर उनकी
टिप्पणी का जहां तक संबंध है, उन्होंने यह लिखा है कि ......

"रक्षा मंत्री (श्री वी.पी.सिंह) ने मुझे कहा है कि यह फाइल उन्हें भी दिखा दी जाए।
इस प्रकार समकालीन रिकार्ड यह दर्शाते हैं कि श्री वी पी सिंह फाइल भी केवल देखना
चाहते हैं जबकि श्री पाण्डे ने यह कहा है कि श्री वी पी सिंह ने यह इच्छा जाहिर की है कि वह अपने
आदेश को लिखित रूप में अनुमोदित करना चाहते हैं और फाइल इसी संबंध में उन्हें भेजी गई थी ।

एक ओर इंडियन एक्सप्रेस और बाम्बे डाइंग तथा दूसरी ओर रिलाएंस उद्योगों के बीच विवाद

यह भी पता चला है कि राजस्व सचिव के नाते, एक ओर इंडियन एक्सप्रेस के श्री आर. एन. गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के श्री गुरुमूर्ति और श्री नुस्ली एन. वाडिया और दूसरी ओर मैसर्स रिलाएंस के बीच विवाद के संबंध में कुछ तथ्य उनके सामने आए थे। उन्होंने रिलाएंस द्वारा की गई कुछ तथाकथित अनियमितताओं के विरुद्ध श्री गुरुमूर्ति द्वारा 1986 के दौरान इंडियन एक्सप्रेस में लिखे गए कुछ लेखों का उल्लेख किया था। श्री नुस्ली एन. वाडिया ने बाम्बे डाइंग के मालिक के नाते, डी.एम.टी. का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया था और डी.एम.टी. तथा वैकल्पिक कच्ची सामग्री पी.टी.ए. पर आयात-शुल्क में वृद्धि के जरिए अधिक संरक्षण प्रदान करने के संबंध में अभ्यावेदन दिए थे। इस सामग्री के प्रमुख आयातकर्ता रिलाएंस थे। किसी भी पार्टी ने अपने परस्पर विवाद के बारे में कुछ नहीं बताया। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर संसद में भी चर्चा हुई और बाम्बे डाइंग तथा इंडियन एक्सप्रेस के विरुद्ध भी प्रेस में कुछ प्रत्यारोप लगाए गए।

तत्कालीन राजस्व सचिव श्री वी.सी.पांडे द्वारा दी गई सूचना से सामने आई कुछ चिंताजनक बातें

1. उन्होंने एक विदेशी निजी गुप्तचर एजेंसी को काम पर लगाने के नीति निर्णय के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा मिनट रिकार्ड नहीं हुए थे जिनके बारे में, उनके अनुसार, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी. पी. सिंह के साथ अपनी चर्चा के दौरान मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर ली थी।
2. कि यद्यपि वह राजस्व सचिव का उच्च पद धारण किए हुए थे और अपने विभाग में सर्वोच्च अधिकारी थे, तथापि उन्होंने एक निजी गुप्तचर एजेन्सी के पूर्ववृत्त का पता लगाने के कोई प्रयास नहीं किए जबकि कम्पनी के प्रतिनिधि ने उसके प्रवर्तन निदेशक से चर्चा की थी।
3. उन्होंने श्री भूरे लाल की यात्रा के प्रयोजन के बारे में नहीं पूछा सिवाय इसके कि वह रिलाएंस तथा अन्यों से संबंधित जांच-पड़ताल के संबंध में अमरीका का दौरा कर रहे थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्री भूरे लाल के दिमाग में मैसर्स फेयरफैक्स को काम सौंपने का विचार था। उन्हें मैसर्स फेयरफैक्स को काम पर लगाने के बारे में पहली बार तब पता चला जबकि उन्हें अर्थात् तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक, श्री भूरे लाल की दौरे की रिपोर्ट प्राप्त हुई अर्थात् 10 फरवरी, 1987 को जबकि फेयरफैक्स को काम पर लगाए हुए एक महीना बीत गया था। विभाग इस प्रकार से चलाया जा रहा था कि उनके एक अधीनस्थ अधिकारी तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक ने अपने अमरीका जाने से पहले अथवा अमरीका से टेलीफोन अथवा टेलेक्स पर उनसे चर्चा किए बिना एक गुप्तचर एजेंसी को काम पर लगा दिया।
4. तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल के लौटने पर भी उन्होंने जिस निजी एजेंसी को काम पर लगाया था उसके संबंध में और एजेंसी के पूर्ववृत्त और विश्वसनीयता तथा उपयुक्तता के बारे में कुछ पता नहीं लगाया। उन्हें दौरे की रिपोर्ट देखने के बाद ही पहली बार इसका पता चला। विवरण जानने के लिए किसी बैठक का आयोजन नहीं किया जहां कि मामले पर पूरी चर्चा होती और राजस्व सचिव को यह जानकारी मिलती कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में क्या विचार विमर्श हुआ था।
5. एक ओर श्री भूरे लाल और दूसरी ओर श्री पांडे के कथन के बीच दौरे के प्रयोजन के संबंध में मतभेद है। श्री भूरे लाल ने कहा कि उन्होंने केवल रिलाएंस के विरुद्ध अन्वेषणों के संदर्भ में स्वीकृति ली थी जबकि श्री पांडे के अनुसार श्री भूरे लाल रिलाएंस

व अन्यों के विरुद्ध अन्वेषण के लिए अमरीका गए थे । दिनांक 11-3-1987 को श्री पांडे द्वारा की गई टिप्पणी से ही पता चलता है कि मौखिक स्वीकृति केवल रिलाएंस के संदर्भ में थी ।

6. श्री पांडे, जो राजस्व सचिव का पद धारण किए हुए थे, ने अपने विभाग से संबंधित फाइल श्री वी.पी.सिंह को, जो रक्षा मंत्री का पद धारण किए हुए थे, दिनांक 9-3-1987 को भेजी जबकि तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री ब्रह्म दत्त द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में प्रवर्तन निदेशक की टिप्पणी उन्हें प्राप्त हुई । यद्यपि उस समय श्री वी.पी.सिंह वित्त मंत्री नहीं थे और यद्यपि काम-काज करने संबंधी ऐसी व्यवस्था नहीं थी ।

7. फाइल दो दिन विभाग से बाहर रही और रक्षा मंत्री श्री वी. पी. सिंह से तब वापस मंगाई जब उन्हें (श्री पांडे) और प्रधान मंत्री के विशेष सचिव, (श्री गोपी अरोड़ा) से कहा गया कि वे रक्षा मंत्री से फाइल वापस मंगाएं ।

8 एक ओर श्री वी.पी. सिंह और दूसरी ओर श्री पांडे के कथन में और फाइल में टिप्पणियों में प्रदर्शित कथन में निम्नलिखित सीमा तक विरोधाभास है:

श्री पांडे द्वारा दिनांक 9-3-1987 की टिप्पणी से पैरा 4 में निम्न प्रकार कहा गया है:

"रक्षा मंत्री श्री वी.पी. सिंह ने मुझसे कहा था कि यह फाइल उन्हें भी दिखाई जाए ।"

श्री वी.पी. सिंह द्वारा दिनांक 11-3-1987 को हाथ से लिखे गए एक नोट में इस प्रकार कहा गया है:-

"मैं फाइल को नहीं चाहता था किन्तु यह बात रिकार्ड में लाना चाहता था कि जब राजस्व सचिव ने इस मामले का उल्लेख किया था तो मैंने मौखिक स्वीकृति दी थी - - - - - - - -"

9 श्री पांडे ने एक विदेशी निजी गुप्तचर एजेंसी के चयन और उन शर्तों के बारे में जिनपर उसकी नियुक्ति की गई थी और अमरीका में प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल और मेसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इन्कारपोरेटिड के श्री हर्शमैन के बीच क्या विचार-विमर्श हुआ, इस संबंध में शायद ही कोई रुचि दिखाई और सब बातें श्री भूरे लाल पर छोड़ दी । इस बात पर उनके द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए गौर किया जाना चाहिए कि वह बजट कार्य में व्यस्त थे । यह प्रश्न इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है कि प्रवर्तन निदेशक 3 जनवरी, 1987 को लौटे और उन्होंने लगभग एक महीने तक अपनी दौरे की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की (रिपोर्ट पर 6 फरवरी, 1987 की तारीख दी गई है और यह 10 फरवरी, 1987 को श्री पांडे को प्राप्त हुई) । विभाग में स्थिति यह थी कि राजस्व सचिव को स्वयं यह पता नहीं था कि कौन सी एजेंसी विशेष को काम पर लगाया गया था, किस प्रयोजन के लिए लगाया गया था और किन शर्तों पर लगाया गया था ।

10 तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री ब्रह्म दत्त द्वारा दिनांक 17-12-1987 को उठाए गए प्रश्नों का 9 मार्च, 1987 तक कोई उत्तर नहीं दिया गया और ऐसा प्रतीत होगा कि श्री पांडे ने मामले का अनुसरण नहीं किया अथवा कार्रवाई में तेजी नहीं लाए ।

इन सभी तथ्यों से उपरोक्त कुछ चिन्ताजनक व असंतोषजनक बातें सामने आती हैं जो श्री पांडे की स्वीकारोक्ति के अनुरूप हैं । यह आश्चर्यजनक है कि क्या सचिव, राजस्व जैसे स्तर के एक अधिकारी द्वारा सरकारी कर्तव्य का इस ढंग से पालन किया गया और क्या उन्होंने इस प्रकार से कार्य का आयोजन किया और क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाना विभाग और लोक हित के अनुरूप होगा । यद्यपि ये ऐसे मामले हैं, जिनसे आयोग का कुछ सीधा संबंध नहीं है अथवा जिनके बारे में जांच करने के लिए नहीं कहा गया है और आयोग का ऐसे काम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिन्हें विभाग और सरकार के कुछ प्राधिकारियों द्वारा सभी संगत मामलों को ध्यान में रखते हुए बेहतर ढंग से किया जा सकता है । यही कारण है कि आयोग ने उक्त काम नहीं किया और अपना कार्यक्षेत्र आयोग द्वारा एकत्र की गई सामग्री को रिकार्ड करने और ऐसे चिन्ताजनक बातों को प्रकाश में लाने तक ही सीमित रखा जो उभर कर सामने आई हैं ताकि केन्द्रीय सरकार अथवा संबद्ध मंत्रालय लोकहित की मांग को ध्यान में रखते हुए इनकी जांच कर सके ।

अध्याय - XII

तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कथित आर्थिक अपराधों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विदेशी निजी जासूसी अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करने के विषय में क्या और किस सीमा तक जानते थे और क्या उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति दी थी ?

पृष्ठभूमि :-

मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड जिसके श्री हर्शमैन अध्यक्ष और मैक उपाध्यक्ष थे, की सेवाएं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्य अधीन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नवम्बर-दिसम्बर, 1986 में उपयोग में लाई गई। तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल ने श्री हर्शमैन के नई दिल्ली आगमन के समय उनसे संपर्क स्थापित किया था। श्री भूरे लाल और श्री हर्शमैन के बीच आरम्भिक विचार-विमर्श हुआ था। श्री भूरे लाल दिसम्बर, 1986 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे और इस दौरे के समय ही उन्होंने मैसर्स फैयरफैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड की सेवाओं का उपयोग किया था। बाद में, विदेशी निजी जासूसी अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करने के बारे में लोक सभा में वाद-विवाद हुआ; तत्कालीन, प्रवर्तन निदेशक, श्री भूरे लाल, तत्कालीन राजस्व सचिव श्री पाण्डे और अन्य द्वारा निभाई गई भूमिका इस रिपोर्ट के संबंधित अध्यायों के पूर्व भाग में संवीक्षा का विषय रहा है। उस समय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे। सामान्यतः विदेशी निजी जासूसी अभिकरण की सेवाओं और विशेषतः मैसर्स फैयरफैक्स की सेवाओं के उपयोग, फैयरफैक्स के मामले में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में वे क्या जानते थे, क्या उन्होंने इस प्रकार के अभिकरण की नियुक्ति अथवा उपयोग को प्राधिकृत किया था, इन मामलों के सम्बन्ध में और इस प्रश्न से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में उन्होंने क्या कियाथा, ऐसे मामले हैं जिन पर श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह से सूचना मांगी गई थी। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और अन्य से एकत्र की गई सूचना के संदर्भ में संबंधित रिकार्डों का देखा जाना वर्तमान विचार-विमर्श की विषय-वस्तु है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बयान में मोटे तौर पर यह कहा गया है :

1. संसद के 1986 में हुए मानसून और शीतकालीन सत्रों के दौरान किसी समय उन्होंने कथित आर्थिक अपराधों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विदेशी अभिकरण को नियुक्त करने की आवश्यकता के विषय में राजस्व सचिव श्री पाण्डे से बात की थी।
2. उन्होंने उस समय इन तीन शर्तों के अधीन इस प्रकार की नियुक्ति के लिए "मौखिक" अनुमोदन दिया था :- (i) नियुक्ति विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए की जानी चाहिए, (ii) अग्रिम कोई भुगतान नहीं किया जाना है और (iii) अभिकरण द्वारा केवल उपलब्ध कराई गई सूचना के बारे में भुगतान किया जाना है बशर्ते कि 'ठोस' सबूत मिले।
3. राजस्व सचिव ने रिलायंस उद्योगों के खिलाफ जांच के संदर्भ में मुद्दा उठाया था। तथापि, उन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं, सामान्यतः आर्थिक अपराधियों के संबंध में विदेशी एजेन्सी की सेवाओं के उपयोग हेतु स्वीकृति दे दी थी।
4. उनके द्वारा दी गई जबानी स्वीकृति का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था।
5. ऐसी स्वीकृति देते समय, कोई विशेष एजेन्सी विनिर्दिष्ट नहीं की गई थी। वास्तव में उन्हें फैयरफैक्स के बारे में केवल उनकी 24 जनवरी, 1987 को वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय को स्थानान्तरण के पश्चात् श्री गुरूमूर्ति को मैसर्स फैयरफैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड

द्वारा लिखे गए कथित दो पत्रों, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि श्री नुसली एन वाडिया का नाम लिप्त किया गया है, के संबंध में समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चला।

6. उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस समय के प्रवर्तन विभाग (श्री भूरे लाल) ने संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या किया है चूंकि वे जनवरी, 1987 में 9 से 10 दिन के लिए बीमार थे और उसके पश्चात् बजट-पूर्व बैठकों में व्यस्त हो गए,
7. जब वे बजट-पूर्व कार्य के दबाव में थे, राजस्व सचिव ने भूरे लाल के दौरे के बारे में उल्लेख किया था और उन्हें रिलायन्स के खिलाफ उठाए गए और कदमों के संबंध में सूचित किया था, लेकिन वे ब्यौरे का स्मरण नहीं कर सके।
8. 11 मार्च, 1987 को यानि 24 जनवरी, 1987 को उनके वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में चले जाने के करीब डेढ़ महीने बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में उनके पास लाई गई फाइल पर इस बारे में कार्योत्तर लिखित टिप्पणी रिकार्ड की कि इस प्रकार की मौखिक स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने यह टिप्पणी यह जानने पर की थी कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से इस नियुक्ति के बारे में पूछताछ की जा रही थी और वे रिकार्डों को साफ रखना चाहते थे।
9. उन्हें फाइल 9 मार्च, 1987 को भेजी गई थी और 11 मार्च, 1987 तक उनके पास पड़ी रही जब प्रधान मंत्री सचिवालय से वापस मंगवा ली गई थी। फाइल रोके रखने का कारण यह बतलाया गया था कि वह एक दिन के लिए दौरे पर थे।

श्री वी.पी. सिंह ने पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या वह जानते थे कि श्री भूरे लाल ने श्री ब्रुनो, ग्रुप मैनेजर, आन्तरिक राजस्व सेवा, अपराध अन्वेषण विभाग, अमरीका के साथ सम्पर्क स्थापित किया था।

परिस्थितियां जिनमें टिप्पणियां लिखी गई

फाइल जिसमें टिप्पणियां हैं, 6 फरवरी, 1987 को श्री भूरे लाल द्वारा दी गई दौरे की रिपोर्ट से आरम्भ हुई, कहने का तात्पर्य यह है कि अमरीका से वापस आने के एक महीने पश्चात् से। रिपोर्ट राजस्व सचिव को 10 फरवरी, 1987 को प्राप्त हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री ब्रह्म दत्त ने 17.2.1987 को अनेक प्रश्न उठाए जो निम्न प्रकार हैं :-

वित्त सचिव/राजस्व सचिव

कृपया मुझे निम्नलिखित के बारे में तथ्यों से अवगत करायें :-

1) क्या विदेशी एजेंसियों से सम्पर्क स्थापित करने के बारे में वित्त मंत्री से कोई अनुमति प्राप्त की गई थी ?
2) क्या फैयरफैक्स ग्रुप लि. को शामिल करने की कोई अनुमति प्रापत की गई थी ? यदि हां, तो शर्तें और निर्धारित भुगतान क्या थे ?
3) कृपया अन्तिम पैरा X देखें। क्या फैयरफैक्स ग्रुप लि. की सेवाएं प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री की अनुमति प्राप्त की गई थी ?
4) आरम्भ से ही वे बिना किसी भुगतान के कैसे और क्यों काम कर रहे हैं ?

श्री भूरे लाल ने इन प्रश्नों का उत्तर 20 दिन बाद 9 मार्च, 1987 को दिया। उसके पश्चात् फाइल 9 मार्च, 1987 को श्री वी.पी. सिंह को भेजी गई थी, कोई डेढ़ मास बाद यह वित्त मंत्री नहीं

रहे और यह रक्षा मंत्री का पदभार संभाले हुए थे । इस फाइल पर 11 मार्च, 1987 को निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी :-

"मैं फाइल स्वयं नहीं चाहता था लेकिन यह लेखबद्ध करना चाहता था कि जब सचिव राजस्व ने मुझे मामले का उल्लेख किया था तो मैंने मौखिक स्वीकृति प्रदान की थी । विदेश में हमारा कोई तंत्र न होने से तथा इससे होने वाली कार्य की हानि के अलावा विदेशी मुद्रा में व्यय जो अपने अधिकारियों को बारबार विदेश भेजने में होगा, यह बिना किसी वित्तीय जोखिम के प्रमाण प्राप्त करने का अर्थात् बिना किसी दायित्व अथवा व्यय के ठोस प्रमाण दिए जाने के पश्चात् ही भुगतान करना, अत्यन्त लागत-प्रभावी मार्ग लगता था ।

सूचना के लिए भुगतान करने की प्रथा राजस्व आसूचना के लिए नई नहीं है और देश के भीतर इस सिद्धान्त को सूचना देने वाले को पुरस्कार के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।"

नेमी कार्यविधि अपनाने से संबंधित मामला

श्री वी.पी. सिंह ने जो 9 मार्च, 1987 को रक्षा मंत्री थे, कोई लिखित मांग नहीं की थी जब तत्कालीन राजस्व सचिव से किये मौखिक अनुरोध द्वारा वित्त मंत्रालय से फाइल मंगवाई गई थी । श्री पांडे ने भी फाइल पर कोई टिप्पणी नहीं की है केवल 9 मार्च 1987 की टिप्पणी के अलावा जिसमें यह लिखा गया था कि "रक्षा मंत्री (श्री वी.पी. सिंह) ने कहा था कि यह फाइल उनको भी दिखाई जाए ।" इस प्रकार टिप्पणी दर्शाएगी कि पांडे को केवल फाइल दिखानी थी और कोई टिप्पणी लिखने के लिए फाइल नहीं भेजनी थी । श्री वी.पी. सिंह ने टिप्पणी लिखी थी कि :-

"मैं फाइल स्वयं नहीं चाहता था लेकिन यह लेखबद्ध करना चाहता था कि जब राजस्व सचिव ने मुझसे मामले का उल्लेख किया था तो मैंने मौखिक स्वीकृति प्रदान की थी "

अपनाये जाने वाली नेमी कार्यविधि के सम्बन्ध में, यह भारत सरकार (कार्य निष्पादन) नियमावली, 1961 का नियम 5[1] है जो इस प्रकार पढ़ा जाता है :-

"कागजात के लिए अनुरोध-

(1) प्रधान मंत्री किसी भी विभाग से कागजात मंगवा सकता है ।

(2) वित्त मंत्री किसी भी विभाग से कागजात मंगवा सकता है जिसमें वित्तीय मामले अन्तर्ग्रस्त हो ।

(3) कोई भी मंत्री किसी अन्य विभाग में कागजात देखने के लिए कह सकता है यदि वे उसके समक्ष किसी मामले से संबंधित हैं अथवा विचारार्थ अपेक्षित है ।"

यह देखा जा सकता है कि खंड (1) और (2) जो प्रधान मंत्री आर वित्त मंत्री पर लागू होते हैं, इससे संबद्ध नहीं होते चूंकि घटना के समय श्री वी.पी. सिंह, रक्षा मंत्री थे । परन्तु खंड (3) के अनुसार दस्तावेज(पेपर) श्री वी.पी. सिंह जो कि रक्षा मंत्री के द्वारा आमंत्रित किए जा सकते थे तब केवल इस बात की व्यवस्था थी कि उनके सामने किसी अन्य मामले पर विचार करने के लिए ये आवश्यक थे । ऐसा कोई विवाद नहीं है कि फेयरफैक्स से संबंधित फाइल श्री वी.पी. सिंह के पास किसी मामले पर विचार हेतु उनको आवश्यक नहीं थी । इस प्रकार, कार्य सम्पन्न करने के नियमों के अनुसार पेपरों की स्वीकृति के बारे में किसी बाद की तारीख में टिप्पणी के लिए नहीं भेजा जा सकता था, लगभग डेढ़ महीने बाद श्री वी.पी. सिंह वित्त मंत्री नहीं रहें ।

असन्तोषपूर्ण मुद्दे

असन्तोषपूर्ण मुद्दे जो पूर्व चर्चा से उभरे हैं वे ये हैं :

---

1 श्री वी.सी. पांडे के 2 जुलाई, 1987 के प्रत्युत्तर में और मंत्रिमंडल सचिव के 19 नवम्बर, 1987 के प्रत्युत्तर में उल्लेख किया गया है ।

1. रिलायंस और अन्यों से संबंधित विषयों की जांच के लिए विदेशी खुफिया एजेन्सी नियुक्त करने के लिए किसी स्वीकृति का कोई लिखित रिकार्ड विद्यमान नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण नीति संबंधी प्रश्न पर, उस समय के वित्त मंत्री श्री वी.पी. सिंह ने कोई लिखित रिकार्ड बनाना आवश्यक नहीं समझा, यहां तक की वे 24 जनवरी, 1987 को वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिए गए थे। उनकी बदली होने के बाद भी, वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय को फाइल मंगवाकर, हालांकि कार्य सम्पन्न करने संबंधी नियमों में ऐसा करने की व्यवस्था नहीं है, श्री वी.पी. सिंह (जो कि उस समय रक्षा मंत्री थे) ने लगभग डेढ़ महीने बाद अर्थात् 11 मार्च, 1987 को बाद की तारीख में रिकार्ड बनाया था। और यह फाइल 2 दिन के लिए वित्त मंत्रालय से बाहर रही।
2. इस तथ्य के रहने पर भी कोई लिखित रिकार्ड नहीं बनाया गया कि यह पहला अवसर था कि जब एक विदेशी निजी एजेन्सी की नियुक्ति का प्रश्न पैदा हुआ था और एक नोट के द्वारा तारीख के बाद रिकार्ड केवल उस समय बनाया गया, क्योंकि विदेशी खुफिया एजेन्सी की नियुक्ति के संबंध में अधिकारियों से पूछताछ की गई थी, संभवतः उन्हें बचाने के लिए। क्यों ?
3. श्री वी.पी. सिंह के अनुसार, ऐसा बाद की तारीख का रिकार्ड इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक विदेशी खुफिया एजेन्सी नियुक्त करने के संबंध में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही थी और श्री वी.पी. सिंह की जबानी स्वीकृति, जो कि उनके द्वारा चार से अधिक महीने पहले - 1986 में संसद के मानसून और शीतकालीन सत्रों के बीच कभी दी गई थी, को "रिकार्ड पर लाना चाहते थे और अपनी जिम्मेवारी समझते थे"।
4. तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी.पी. सिंह को यह कभी पता नहीं लगा कि कौन सी विदेशी निजी खुफिया एजेन्सी नियुक्त की गई थी, किन शर्तों पर इसकी नियुक्ति की गई और कार्य जो इसे करने थे और किस ढंग से यह किया जाना था, वित्त मंत्री के रूप में अपनी कार्यावधि के दौरान, जो कि 24 जनवरी, 1987 को समाप्त हो गया।
5. तत्कालीन वित्त मंत्री को अपने कार्यालय की कार्यावधि के दौरान, जो कि 24 जनवरी, 1987 को समाप्त हो गया, स्वयं को भी, विशिष्ट एजेन्सी जो कि नियुक्त की गई थी से संबंधित विषयों, शर्तें जिन पर इसे कार्य करना था और जिस कार्य की इससे अपेक्षा थी, पता नहीं था। एक विदेशी निजी खुफिया एजेन्सी की नियुक्ति, क्या इसकी नियुक्ति की जानी चाहिए और यदि हाँ तो किन शर्तों पर और एजेन्सी का चयन किस प्रकार किया जाना है जैसे महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में न तो मंत्रिमंडल में अथवा न ही वित्त मंत्री के साथ कभी चर्चा की गई यहां तक कि रक्षा मंत्रालय में उनकी बदली किए जाने के बाद श्री वी.पी. सिंह की वित्त मंत्री के रूप में कार्यावधि 24 जनवरी, 1987 को समाप्त हो गई।
6. तत्कालीन वित्त मंत्री ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि अमरीका में कोई भी विदेशी जासूसी अभिकरण सूचना एकत्र करने के लिए तब तक सहमत नहीं होगा जब तक कि आरम्भिक खर्चों के लिए उन्हें भुगतान न किया जाए और समय समय पर आगे भुगतान न किया जाए अथवा उसकी गारंटी न दी जाए। इसका वस्तुतः यह अर्थ होगा कि इस आशा में निःशुल्क कार्य करना कि कुछ भुगतान उपलब्ध कराई गई सामग्री के ठोस साक्ष्य माने जाने के बाद कर दिया जाएगा। यदि कोई अभिकरण इस प्रकार की शर्तों पर काम करने के लिए सहमत हो गया तो उससे ऐसा उचित संदेह उत्पन्न होगा कि सम्भवतः कोई अन्य व्यक्ति-अभिकरण का वित्तपोषण कर रहा है और सूचना के स्रोतों

की महँच प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार के नाम और प्राधिकार का उपयोग किया जाना है ।

7. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 11 मार्च, 1987 को किए गए टिप्पण के अनुसार विदेशी निजी अभिकरण को जिसकी सेवाओं का उपयोग किया गया हो,किसी व्यय के लिए पूर्व भुगतान करने की अनिवार्यता के बिना केवल तभी सूचना के लिए भुगतान किया जाना था जब साक्ष्य को ठोस पाया जाए । उनके उत्तर में यह भी बताया गया है कि इस शर्त के अधीन अनुमति दी गई थी कि भुगतान साक्ष्य के ठोस पाए जाने के बाद ही किया जाएगा । यह बात पूर्णतः प्रवर्तन निदेशालय के स्वयं निर्णय के लिए छोड़ दी गई कि (क) ठोस साक्ष्य का क्या तात्पर्य है, (ख) इसका किस आधार पर मूल्यांकन किया जाना था और (ग) किस हद तक वित्तीय दायित्व उठाया जाना है ।

8. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अभिकरण के चयन के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था परन्तु उसे पूर्णतः निदेशालय के अधिकारियों पर इस आधार पर छोड़ दिया था कि ये प्रचालन संबंधी मामले हैं । ऐसे महत्वपूर्ण नीति विषयक मामलों को पूर्णतः नौकरशाही पर छोड़ दिया गया था जिनका, इस मामले में व्याप्त उसकी प्रकृति से दूरगामी प्रभाव पड़ सकता हो ।

9. एक ओर तत्कालीन राजस्व सचिव श्री पांडे द्वारा की गई टिप्पणी में तथा दूसरी ओर उसके उत्तर में श्री वी.पी. सिंह द्वारा दी गई सूचना जो कि 25 मई, 1987 को दी गई थी इन दोनों के बीच असंगति है कि क्या कथित अनुमति रिलायंस के संबंध में ही दी गई थी अथवा अन्य के सम्बद्ध में भी ? श्री पांडे ने अपनी टिप्पणी में व्यक्त किया है कि अनुमति रिलायंस के बारे में प्रदान की गई थी । उन्होंने रिलायंस के अलावा किसी और पक्षों का नाम नहीं लिया है । उनकी संबंधित टिप्पणी में व्यक्त किया गया है कि "इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैसर्स रिलायन्स के विरुद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए निदेशक(प्रवर्तन) को विदेशी एजेन्सियों को कन्टैक्ट देने की पूर्वानुमति प्रदान की गई थी ।" वास्तव में मैंने ऐसा करने की अनुमति तत्कालीन वित्त मंत्री (श्री वी.पी. सिंह) से प्राप्त कर ली थी । उसके विरुद्ध उत्तर में श्री वी.पी. सिंह द्वारा व्यक्त किया गया है कि कथित सामान्य अनुमति न केवल रिलायन्स के संबंध में प्रदान की गई थी बल्कि अन्य के बारे में भी, जिसका उल्लेख उनकी टिप्पणी में नहीं किया गया है ।

10. एक और मुद्दा विवादपूर्ण है जबकि श्री पांडे के अनुसार रक्षामंत्री (श्री वी.पी. सिंह) ने कहा था कि इस फाइल को उनको भी दिखाया जाय । श्री वी.पी. सिंह ने अपनी टिप्पणी में व्यक्त किया है कि मुझे फाइल की आवश्यकता नहीं बल्कि उन्होंने इस मामले को रिकार्ड में लाने के लिए, उसको मौखिक अनुमति प्रदान की थी जबकि मामला राजस्व सचिव द्वारा उनके ध्यान में लाया गया था । राजस्व सचिव श्री पांडे की टिप्पणी के अनुसार फाइल को श्री वी.पी. सिंह को "दिखाया" जाना था जैसाकि श्री वी.पी. सिंह द्वारा ऐसा करने को उनसे कहा गया था । श्री वी.पी. सिंह उस बात पर इन्कार नहीं करते कि उन्होंने फाइल को दिखाए जाने के निर्देश दिए थे परन्तु उनका आशय फाइल मांगने का नहीं था और उनके अनुसार रिकार्ड में लाने के आशय से उनके द्वारा मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

11. यह भी प्रश्न उठता है कि उन्हें इस बात का ज्ञान कैसे हुआ कि सम्बद्ध अधिकारियों अर्थात् श्री भुरे लाल तथा श्री पांडे द्वारा की जाने वाली जांच के तत्कालीन राज्य मंत्री श्री ब्रह्मदत्त ने कुछ मुद्दे उठाए थे जबकि तत्कालीन वित्त मंत्री 24 दिवस पूर्व अपना पद छोड़ चुके थे । बिना फाइल के देखे उनको इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता तथा यह

प्रश्न कि उनके द्वारा दी गई मौखिक अनुमति प्रदान की गई थी क्योंकि अधिकारियों से उस सम्बन्ध में पूछताछ की गई थी, पैदा ही नहीं होता ।

12. कार्य संचालन नियम इस बात की अनुमति प्रदान नहीं करते कि ऐसी फाइलों को भेजा जाए और उस पर कोई ऐसी टिप्पणी की जाय, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था ।

13. यह तथ्य कि वित्त मंत्री का पद त्याग दिया जाने के पश्चात् वित्त मंत्रालय की फाइल में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि यह रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया गया ।

14. तत्कालीन वित्त मंत्री ने, उनके तबादले के एक अथवा डेढ़ माह तक, इस बात की कि पुष्टि नहीं की किस विशेष एजेन्सी को कार्य सौंपा गया था तथा सम्बद्ध एजेन्सी के पूर्ववृत का सत्यापन नहीं किया गया तथा क्या एजेन्सी की शर्तों, एजेन्सी के द्वारा किए गए कार्य पर गौर किया गया था और क्या इस बात पर भी गौर किया गया था कि क्या ये शर्तें जबानी स्वीकृति के अनुरूप हैं ?

इस तथ्य के कारण कि जहां तक निजी खुफिया एजेन्सी की नियुक्ति के बारे में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा कोई भी मार्ग निर्देश जारी नहीं किए गए थे तथा एजेन्सी के पूर्ववृत को सुनिश्चित करने के लिए उनका सत्यापन ही किया गया था, इनके कारण बहुत ही विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है । विषम स्थिति के अर्थ के अनुसार कि (1) मैसर्स फेयरफैक्स जो कि निश्चय रूप से भूतपूर्व सी.आई.ए. अधिकारियों को कर्मचारी के रूप में नियुक्त करते हैं, (2) तथा एक फर्म अर्थात् मैसर्स फेयरफैक्स जिसने कि भारत सरकार के विरुद्ध अपमानजनक वक्तव्य दिए हैं और यहां तक कि उसने इस हद तक पहुंचने की कोशिश की है कि सरकार को विस्थापित कर दिया जाए ।

कम्पनी के अध्यक्ष श्री हर्शमैन द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति को प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उद्धरण वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं :-

> "मैं श्री गांधी और जनता को एक संदेश भेजना चाहता हूं । मुझे पता है कि मुझ पर फिर से सरकार को 'अस्थिर बनाने' और भारत की 'घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने' का आरोप लगाया जाएगा । किन्तु ----------।"

ये बात भारत और संयुक्त राज्य अमेरीका में समाचार पत्रों के संवाददाताओं के साथ हुई भेंट-वार्ताओं में सार्वजनिक वक्तव्य देकर उनके साथ निष्पन्न करारों को समाप्त किए जाने से पहले हुई ।

इन परेशान करने वाली बातों की पृष्ठभूमि में श्री वी.पी. सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यसंचालन के संबंध में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े होते हैं । ये प्रश्न ये हैं :

1. क्या भारत सरकार का ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय इस रीति से अपने कार्य का संचालन करे कि विदेशी जासूसी अभिकरण की नियुक्ति किए जाने के निर्णय जैसे महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय भी मंत्रीमंडल को उस निर्णय की जानकारी दिए अथवा प्रधानमंत्री को बताए बिना लिए जा सकें और मंत्रीमंडल अथवा प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे रास्ते को अपनाने की वांछनीयता अथवा अवांछनीयता के बारे में सुविज्ञतापूर्ण निश्चय लिए जाने का अवसर दिए बिना ही ऐसे निर्णय लिए जा सकें ?

2. क्या ऐसे महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णयों को भारत सरकार की किसी फाइल में भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए ?

3. क्या एक मंत्रालय से संबंधित फाइलों को किसी अन्य मंत्रालय का नियंत्रण करने वाले मंत्री से तलब किया जा सकता है अथवा एक मंत्रालय की फाइलों को कई महीने पहले किसी चर्चा के दौरान कथित रूप से लिए गए मौखिक निर्णय का लिखित रेकार्ड तैयार करके फाइल की अनुपूर्ति करने के लिए ऐसे किसी अन्य मंत्रालय के कार्यभारी मंत्री को भेजा जा सकता है ?
4. क्या ऐसी स्थिति को सहन किया जा सकता है जिसमें भविष्य में आगे चलकर भारत सरकार को अज्ञात परिमाण के किसी दावे का सामना ऐसी स्थिति में करना पड़े जिसके बारे में मंत्रीमंडल को अथवा प्रधानमंत्री को ऐसा निर्णय लिए जाने के मामले में कुछ कहने का अवसर ही न मिला हो ?
5. क्या ऐसी स्थिति को भी सहन किया जा सकता है जिसमें विदेशों में कार्य करने के लिए किसी विशेष गैर-सरकारी जासूसी अभिकरण को नियुक्त करने जैसे महत्वपूर्ण मामले के संबंध में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति के सुझाव पर मंत्रीमंडल अथवा प्रधानमंत्री की ऐसे चुनाव के संबंध में कोई राय लिए बिना निर्णय लिया जा सके ?
6. क्या ऐसी स्थिति को भी सहन किया जा सकता है जिसमें किसी विदेशी जासूसी अभिकरण को नियुक्त करने, उसको मुआवजा देने की शर्तों इत्यादि को तय करने और उसके कार्यकरण के क्षेत्र को निर्धारित करने जैसे महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय लिए जाने का काम मंत्रीमंडल अथवा प्रधानमंत्री की उस मामले में राय लिए बिना एक अधीनस्थ अधिकारी के अबाध और अनिर्दिष्ट स्वविवेक पर छोड़ दिया जाए ?
7. क्या ऐसी स्थिति को सहन किया जा सकता है जिसमें एक मंत्रालय से संबंधित फाइलों को दूसरे मंत्री के द्वारा तलब किया जाए और विभाग का सचिव कार्यसंचालन की नियमावली की अवहेलना करते हुए ऐसी फाइल को भेज सकता है ? क्या फाइल मंत्रालय से बाहर दो दिन तक रखी जा सकती है ?
8. क्या ऐसी स्थिति भी उपस्थित हो सकती है जिसमें मंत्रालय की फाइलों पर उस मंत्रालय का भूतपूर्व मंत्री उस समय के बाद जबकि वह उक्त मंत्रालय का कार्यभारी मंत्री न रहा हो, कार्योत्तर नोट लिख सके ?

ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार के संचालन के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। किन्तु आयोग के विचारणीय विषयों के व्याप्ति क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रश्नों का समाधान आयोग के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए इन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए ताकि इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके कि ऐसी अभद्र स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो और राष्ट्र का हित संकटग्रस्त न हो।

अध्याय · XIII

क्या श्री नसली एन. वाडिया ने पर्दे के पीछे से ऐसा हेरफेर किया कि एक गैर सरकारी अमरीकी जासूसी अभिकरण की सेवाओं को (मेसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक) भारत सरकार की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन निदेशक श्री भूरे लाल की मार्फत भारत सरकार के द्वारा उपयोग में लाया गया।

पृष्ठभूमि

श्री नसली एन.वाडिया (जिनको संक्षेप में इस पत्र में आगे चलकर श्री वाडिया के नाम से व्यक्त किया गया है) मैसर्स बाम्बे डाइंग एण्ड मैनुफेक्चरिंग कम्पनी लि. के अध्यक्ष थे। श्री वाडिया मैसर्स रिलायन्स इन्डस्ट्रीज (जिसको इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में रिलायन्स की संज्ञा दी गई है) के साथ एक अन्तर-निगमित संघर्ष करने में व्यस्त थे क्योंकि दोनो कम्पनियों के हित एक दूसरे के साथ टकराते थे। श्री वाडिया श्री आर.एन. गोयनका के साथ, जोकि समाचार पत्रो के इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं, बडे निकट और मित्रतापूर्ण संबंध रखते थे। श्री गुरूमूर्ति एक परामर्शदाता थे और इंडियन एक्सप्रेस को लेख देने वाले विशेष लेखक भी थे। मार्च, 1986 से आगे चलकर इन्होंने बहुत से लेख प्रकाशित कराए जिनमें रिलायन्स पर आर्थिक अपराधों का आरोप लगाया गया जिनके अन्तर्गत सीमा-शुल्क अपवंचन और विदेशी मुद्रा अधिनियम विनियमन के उपबन्धों का उल्लंघन करने के अपराध भी सम्मिलित थे। श्री गुरूमूर्ति ने तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल से मुलाकात की और मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक. के अध्यक्ष श्री हर्शमैन अर्थात् डा0 हैरिश के साथ 15 नवम्बर, 1986 और 17 नवम्बर, 1986 के बीच उनका परिचय कराया। उसके बाद दिसम्बर, 1986 में श्री भूरे लाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की (मैसर्स फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन की सेवाओं का उपयोग श्री भूरे लाल और श्री हर्शमैन के बीच दिसम्बर, 1986 में श्री भूरे लाल की अमेरीकी यात्रा के दौरान निष्पन्न किए गए एक मौखिक सहमति करार के बाद हुआ। सेवाओं के उपयोग की शर्तों को लेखबद्ध नहीं किया गया। श्री हर्शमैन और श्री मैके, उपाध्यक्ष मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक संयुक्त राज्य अमेरीका में अपने खर्चे पर श्री भूरे लाल के साथ जगह-जगह घूमें। श्री भूरे लाल के कथनानुसार मौखिक निश्चय यह हुआ था कि मुआवजे की अदायगी के प्रयोजन के लिए श्री हर्शमैन को मुखबिर के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें पुरस्कार नियमावली में विहीत उपबन्धों के अनुसार जो उन्हें नई दिल्ली में दिखा दी गई थी, अदायगी कर दी जाएगी। मैसर्स फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन ने लिखित करार निष्पन्न करने के लिए कोई आग्रह नहीं किया और बिना किसी पेशगी अदायगी के काम करना शुरू के दिया। करार के मुताबिक कोई भी पूर्व अदायगी नही की जानी थी और पुरस्कार नियमावली के अन्तर्गत भी अदायगी तभी की जानी थी जबकि उल्लंघन के मामले को सिद्ध करने वाला ठोस साक्ष्य उपलब्ध करा दिया जाए। पहली नजर में तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भी विदेशी जासीस इन शर्तों पर, जहां तक कि उनका संबंध ऐसे भुगतान से है जोकि वस्तुतः प्रस्तुत साक्ष्य को ठोस समझे जाने के बाद ही मिले और कथित उल्लंघनकर्ता को उसके द्वारा किए गए उल्लंघनो का यकीन दिलाकर प्राप्त हो, काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। किन्तु जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5(2) के अन्तर्गत की गई पड़ताल की कारवाई के दौरान आयोग के द्वारा एकत्रित सूचना से मालूम हुआ कि श्री वाडिया भी उसी होटल में ठहरे थे जिसमें श्री हर्शमैन 15 नवम्बर और 17 नवम्बर, 1986 के बीच दिल्ली के अपने दौरे के दौरान ठहरे थे। श्री वाडिया और श्री हर्शमैन के ठहरने का समय एक ही ठहरता है। श्री हर्शमैन के ठहरने से संबंधित होटल ओबराय के कम्प्यूटर रेकार्ड यह प्रकट करते है कि बाम्बे डाइंग का नाम उस कम्पनी के रूप में लिया गया जिसे श्री हर्शमैन संबंधित थे अथवा उस कम्पनी के रूप में लिया गया, जिसने

श्री हर्शमैन को इस कार्य के लिए पायोजित किया था । श्री हर्शमैन के नाम जारी किए गए बिल की कार्यालयिक प्रति में भी ऊपर बाम्बे डाइंग के नाम का उल्लेख किया गया है । इस पृष्टभूमि में प्रथम दृष्टया आयोग का यही मालूम हुआ कि श्री वाडिया ने ऐसी व्यवस्था की कि श्री भूरे लाल, तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक को श्री हर्शमैन की सेवाओं का उपयोग करना पड़ा जिससे कि प्रतिद्वन्दी औद्योगिक प्रतिष्ठान रिलायन्स के कारोबार की छानबीन, जिसके साथ श्री वाडिया अन्तर्निगमित व्यापारिक प्रतियोगिता में रूधे हुए थे, उक्त श्री हर्शमैन के जरिए उनके साथ किए गए करार के अनुसार की जा सके । दूसरे शब्दों में यही स्पष्ट होगा कि प्रवर्तन निदेशक और वित्त मंत्रालय को श्री वाडिया के प्रयोजन की सिद्धी के लिए ही माध्यमगत साधन बना लिया गया । आयोग की यह राय बनी कि श्री वाडिया के आचरण की जांच पड़ताल करना आवश्यक है और जांच आयोग अधिनियम की धारा 8ख के अर्थों के अन्तर्गत उनकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है ।

कारण बताओ नोटिस

इसलिए आयोग ने श्री वाडिया को एक नोटिस दिया जिसके साथ 13 दस्तावेज लगे हुए थे, जिनमें यह सारी सामग्री दी गई थी जिसके आधार पर प्रथम दृष्टि में यह राय कायम की गई थी कि और आयोग ने उन्हें यह सूचना भी दी कि वह कार्रवाई के दौरान बयान देने वाले गवाहों पर जिरह भी कर सकेंगे और वे अपने बचाव के लिए और ये साबित करने के लिए कि वे इस संबंध में जिम्मेदार नहीं हैं अधिनियम की धारा 8ग** के उपबंधों के अधीन प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकेंगे ।

कारण बताओ नोटिस की आधारभूत सामग्री, जो श्री वाडिया को प्रकट की गई

कारण बताओ नोटिस का यह संगत अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है जिसके आधार पर प्रथम दृष्टि से इस राय को कायम करने के लिए उपलब्ध सामग्री दी गई है:--

1. सम्बद्ध अभिलेखों को पढ़ने के पश्चात् ये बात आयोग के ध्यान में आई है कि श्री हर्शमैन (जो डा० हेरिश के नाम से भी विख्यात है)और जो संयुक्त राज्य-अमेरीका की विदेशी जासूसी अभिकरण फेयरफक्स ग्रुप इंक. का प्रतिनिधित्व करते हैं, का परिचय 15 नवम्बर, 1986 से 17 नवम्बर, 1986 के बीच नई दिल्ली में तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल के साथ करवाया गया ।

8ख-- उन व्यक्तियों को सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो --यदि जांच के किसी अनुक्रम में,----

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता हैं, या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाग पड़ना सम्भाव्य है,

तो आयोग उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का यथोचित अवसर देगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा हो ।

8ग-- प्रतिपरीक्षा और विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार -- समुचित सरकार, धारा 8ख में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और, आयोग की अनुज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाता है--

(क) अपने द्वारा पेश किए गए साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा,

(ख) आयोग को सम्बोधित कर सकेगा, और

(ग) आयोग के समक्ष विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करा सकेगा ।

2. इससे यह बात स्पष्ट हुई कि श्री हर्शमैन जब 15.11.1986 को भारत में पहुंचे और 15.11.86 को 3.30 बजे से 1.27 बजे तक होटल ओबराय में ठहरे, ठहरने के दौरान उनका परिचय श्री भूरे लाल के साथ करवाया गया। ये बात भी उत्पन्न होगी है कि आप भी 15.11.86 से 19.11.86 दोपहर तक 11.45 बजे से होटल ओबराय में ठहरे हुए थे।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रकट करने के लिए सामग्री मौजूद है कि आपने उन्हीं समनुरूपी तारीखों में दिल्ली भ्रमण की योजना बनाई थी, जिन तारीखों में श्री हर्शमैन ओबराय होटल में पहले से मौजूद थे और कि यह कोई आकस्मिक अथवा अनियोजित यात्रा नहीं भी जैसा कि इस तथ्य से प्रकट होता है कि ओबराय होटल में 15.11.1986 से आगे तक रहने के लिए आपके लिए जो सूट आरक्षित किया गया था उसका आरक्षण 12.11.1986 को उस व्यक्ति ने कराया जिसने आप के लिए आवास का आरक्षण किया था।

4. ओबराय होटल में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट हो गया है कि श्री हर्शमैन से सम्बन्धित गेस्ट प्रिंट आऊट में बाम्बे डाइंग का, जिसके आप अध्यक्ष हैं, नाम कम्पनी से सम्बन्धित संगत कालम में विनिर्दिष्ट किया गया था।

5. जैसे कि आपके ओबराय होटल स्थित आपके प्रिंट आऊट में "कम्पनी का नाम" शीर्षक के सम्मुख बाम्बे डाइंग प्रकाशित किया जाता है उसी प्रकार हर्शमैन के प्रिंट आऊट के कालम "कम्पनी का नाम" में बाम्बे डाइंग का नाम प्रकाशित किया जाता है। इस नोटिस में उल्लिखित अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या श्री हर्शमैन आपके अतिथि के रूप में अथवा आपकी प्ररेणा से भारत की यात्रा कर रहे थे।

6. श्री हर्शमैन ने स्वंय अपनी ओर से इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया कि होटल के प्रिंट आऊट में बाम्बे डाइंग का नाम किन परिस्थितियों में प्रकट हुआ और उन्हें बिल कैसे जारी किया गया।

7. यह भी प्रकट हुआ है कि उपयुक्त अवधि के दौरान ओबराए होटल में ठहरने के लिए किसी श्री हर्शमैन का 5364.25 रु0 का बिल श्री हर्शमैन के नाम लिखा गया था और बिल के सबसे ऊपरी भाग में बाम्बे डाइंग का, जिसके आप अध्यक्ष हैं का नाम छपा हुआ है। इससे यह प्रकट होता है कि सामान्य प्रकिया के अनुसार जिस बिल पर बाम्बे डाइंग का नाम दर्शाया गया था यह होटल के अतिथि को सौंप दिया गया। श्री हर्शमैन ने उस बिल का भुगतान जिस पर बाम्बे डाइंग का नाम छपा हुआ था क्रैडिट कार्ड के द्वारा किया।

8. यह पता चला है कि आपने एक ऐसा सूट ले रखा था जिसका प्रतिदिन का किराया 4250/- रु0 था जबकि आपके साथ कोई और नहीं था और यह कि आपने विगत में ऐसा कोई कीमती सूट कभी नहीं लिया था जबकि आप ओबराय होटल में गत कई वर्षों से समय समय पर आते थे। ओबराय होटल में उपर्युक्त अवधि के दौरान आपके ठहरने की अवधि पूरी तरह वही है जो श्री हर्शमैन की ओबराय होटल में ठहरने की अवधि है।

9. यह पता चलता है कि आपके ठहरने से संबंधित 24737.57 रुपए का एक भारी-भरकम बिल आपके नाम तैयार किया गया जिसका भुगतान कम्पनी के बम्बई स्थित कार्यालय अर्थात् बाम्बे डाइंग ने किया जिसके आप अध्यक्ष हैं।

10. यह पता चला है कि जब बाम्बे डाइंग के अधिकारियों को उक्त बिल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि यह कहीं खो गया है और यह यह बताने में असमर्थ रहे कि यह बिल किन परिस्थितियों में खोया था ।

11. होटल ओबराय ने भी यही रवैया अखत्यार किया और कहा कि उनसे उस बिल की प्रतिलिपि खो गई है जो आपको दिया गया था और यह ये स्पष्ट नहीं कर सके कि वह प्रति कैसे खोई थी ।

12. श्री हर्शमैन को जारी किए गए बिल जिस पर बाम्बे डाइंग का , जिसके आप अध्यक्ष हैं, नाम छपा था से यह प्रकट होता है कि यह बिल ब्रेकफास्ट, लंच, चाय अथवा डिनर अथवा ऐसी किसी मद पर होने वाले व्यय से संबंधित नहीं था जिस पर होटल में ठहरने वाला सामान्यतः खर्च करता है । उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य कि आपके ठहरने के संबंध में बाम्बे डाइंग के नाम पर जारी किए गए बिल की राशि बहुत अधिक है और बाम्बे डाइंग तथा ओबराय होटल दोनों ही बिल प्रस्तुत करने में असमर्थ है और उन परिस्थितियों का भी स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। जिनमें यह बिल खो गया था, से युक्तिपरक स्पष्टीकरण की खाज करने की जरूरत है ।

13. होटल ओबराय ने कुछ वाउचर प्रस्तुत किए है जो कि आपके होटल ओबराय में ठहरने से संबंधित हैं । इन दिनों आपकी खिदमतगारी पर एक बड़ी राशि खर्च की गई जिसके सम्बन्ध में ओबराय होटल ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि यह राशि आपके ड्राइक्लीनिंग संबंधी कार्यों पर खर्च की गई जो कि प्रथम दृष्टि से संदेहपूर्ण प्रतीत होता है । इससे यह तथ्य भी उजागर होता है कि यद्यपि श्री हर्शमैन ओबराय होटल में 3 दिन ठहरे लेकिन उनके बिल में ब्रेकफास्ट, लंच, चाय, डिनर अथवा अन्य विविध व्यय संबंधी कोई खर्च शामिल नहीं किया गया जिसमें यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस 24737.57 रुपए के बिल में क्या कुछ ऐसे खर्चे शामिल है जो श्री हर्शमैन ने किए हों । इससे एक और यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह यही कारण है जिससे आप मूल बिल उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे और यह कहते रहे कि यह बिल कहीं खो गया है । जैसाकि ओबराय होटल से उस बिल की कापी खो गई थी । इससे एक और प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या यह एक संयोग है अथवा इसके पीछे कोई विशेष बात है ।

14, इससे यह प्रकट होता है कि बाम्बे डाइंग और रिलायंस उद्योग के बीच कोई व्यावसायिक दुश्मनी थी और रिलायंस उद्योग के श्री अम्बानी के साथ आपके सम्बन्ध तनावपूर्ण थे और यह बात व्यवसाय तथा उद्योग क्षेत्र में जानी मानी प्रतीत होती है जोकि समय समय पर पत्र-पत्रिकाओं में लेखों और फीचरों का विषय बना रहा ।

15. श्री हर्शमैन ने वीजा के लिए दिए गए अपने आवेदन पत्र में बताया कि वे केवल घूमने के उद्देश्य से ही आ रहे थे जबकि दिल्ली में उनके पहुंचने के तुरंत बाद ऐसा प्रतीत हाता है कि उन्होंने श्री भूरे लाल से सम्बन्ध स्थापित किया । इससे यह प्रकट होता है कि श्री हर्शमैन रिलायंस उद्योग के विरुद्ध चल रही जांच में श्री भूरे लाल को सरकार के पुरस्कार नियम के आधार पर सहयोग देने के लिए सहमत हो गए और इस सहयोग के लिए वे बिना नगद भुगतान अथवा लिखित आधार पर अथवा सरकार के साथ औपचारिक करार के लिए सहमत हुए। श्री हर्शमैन ने वीजा सम्बन्धी अपने आवेदनपत्र में यह उल्लेमख किया कि वह दिल्ली स्थित ओबराय होटल में ठहरेंगे (जहां आप भी बाद में गए) वीसा संबंधी आवेदन के अनुसार वे भारत में पहली बार आ रहे थे । यह

सिद्ध करने के लिए सामग्री मौजूद है कि श्री हर्शमैन विगत में कभी भी ओबराय होटल में नहीं ठहरे और यह कि उन्होंने अपने वीजा सम्बन्धी आवेदन पत्र में ओबराय होटल के नाम का उल्लेख किया (यद्यपि यह उनकी पहली यात्रा थी) जहां आप बाद में आए और यह वही होटल है जहां आप दिल्ली आगमन के दौरान अकसर ठहरा करते थे। उपलब्ध सामग्री से यह संकेत मिलता है कि तैयार किया गया गेस्ट प्रिंट आऊट और यह बिल जो श्री हर्शमैन के पहुंचने पर तैयार किया गया था उनमें कम्पनी का नाम बाम्बे डाइंग दर्ज किया गया था और इससे यह भी पता चलता है कि उनका अतिविशिष्ट व्यक्तियों जैसा स्वागत किया जाना था। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह सब संयोग वश हुआ अथवा आपके कहने पर उनके लिए यह प्रबन्ध किया गया।

16. इससे यह प्रकट होता है कि श्री भूरे लाल के अमरीका में ठहरने के दौरान श्री मैक्के और/अथवा श्री हर्शमैन (डा0 हेरिर्श) उनके साथ कई स्थानों पर घूमें और उन्होंने उन्हें बिना कोई पैसा खर्च किए हुए उनके साथ अपना सारा समय लगाया जो कि प्रथम दृष्टि से ही असम्भावित प्रतीत होता है।

17. श्री हर्शमैन ने स्वयं इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यह खर्च किसने वहन किया, किन शर्तों और निबन्धनों के अन्तर्गत वे व्यस्त रहे और क्या उनका आपसे कोई पूर्व परिचय था। श्री हर्शमैन इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे कि उनकी और उनकी फर्म की सेवाओं के उपयोग के लिए कैसे और किस तरीके से उन्हें भुगतान किया जाना था।

18. यह बताया जाता है कि श्री हर्शमैन ने कहा कि वे किसी काम के लिए घण्टों के आधार पर अथवा निर्धारित राशि के आधार पर भुगतान लेते थे। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वे अपनी सेवाओं के उपयोग के लिए पुरस्कार नियम में विहित आकस्मिक आधार पर राजी हुए होंगे।

19. यह प्रकट होता है कि आप ब्रिटिश नागरिक है और आपके पिता भी ब्रिटिश नागरिक है और उनका निवास स्विटजरलैण्ड में है और यदि ऐसा अपेक्षित रहा हो सम्भवतः उनके पास विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के साधन थे।

20. यह बात प्रकट हुई है कि श्री हर्शमैन भारत सरकार के शीर्षनामे के प्राधिकार पत्र के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में मेसर्स ड्यूपोंट से सूचना इकट्ठी करने की स्थिति में नहीं थे। स्वयं भी हर्शमैन ने एक्सप्रेस न्यूज सर्विस को दिए गए बयान में, जिसकी रिपोर्ट स्टेट्समैन के तारीख 4.6.1987 के संस्करण में दी गई थी, यह कहा था कि "भारत सरकार के लिए अपनी जांच पड़ताल करना अपेक्षाकृत रूप से आसान है। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट व्यक्तियों या ग्रुपों के लिए कार्य करने में उतनी ही "पहुंच" नहीं होती।"

21. इसलिए श्री भूरे लाल ने बाद में श्री हर्शमैन को भारत सरकार के शीर्ष नामे पर प्राधिकार पत्र जारी किया था जिसमें उन्हें रिलयन्स इंडस्ट्रीज के बारे में जांच पड़ताल करने का प्राधिकार दिया था।

प्रथमदृष्टया निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार निकाला गया:--

"इन सभी परिस्थितयों को सामूहयिक आधार पर देखने से यह प्रश्न उठता है कि क्या श्री

हर्शमैन की सेवाओं का उपयोग आपके प्रतिद्वन्दी संस्थान रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की अभिकथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पड़ताल के सम्बन्ध में वास्तव में आपके द्वारा हेराफेरी से किन्तु जाहिरा तौर पर भारत सरकार की ओर से श्री भूरे लाल को आगे रखकर किया गया।"

श्री वाडिया की बयान फाइल करने से इंकारी

पूर्वोक्त नोटिस के अनुसरण में श्री वाडिया को जांच आयोग के समक्ष अपने द्वारा आश्रित दस्तावेजों सहित शपथ पत्र पर बयान दायर करने के लिए कहा गया। परन्तु श्री वाडिया ने नोटिस के उत्तर में ऐसा कोई शपथ पत्र दायर करने से इंकार कर दिया। उसके द्वारा किया जाने वाला अवलम्ब यह था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3)* के द्वारा उसे प्रदत्त संरक्षण को दृष्टि में रखते हुए उसे ऐसा करना अनिवार्य नहीं था और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

श्री वाडिया द्वारा दायर किए गए आवेदन

श्री वाडिया ने कई आवेदन पत्र दायर किए और कुछ प्रार्थनाएं कीं। श्री वाडिया के विद्वान वकील की उन मुद्दों पर सुनवाई की गई और केन्द्रीय सरकार के विद्वान वकील की भी सुनवाई की गई। उसके बाद, आवेदन पत्रों को तारीख 24-8-1987[1] के आदेश द्वारा निपटा दिया गया।

साक्ष्य:

जांच में दिया गया साक्ष्य रिपोर्ट के वाल्यूम-1क में दिया हुआ है। स्वयं श्री वाडिया शपथ लेकर साक्ष्य देने नहीं आए। न ही उन्होंने किसी गवाह की परीक्षा की। उन्होंने कुछ दस्तावेज पेश किए जाने की मांग की जिन्हें सभी सम्बन्धितों की सम्मति द्वारा प्रदर्शित किया गया।[1]

महत्वपूर्ण बातें जो प्रकट हुई हैं:

साक्ष्य और सामग्री का मूल्यांकन करने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डालना और उनकी विशिष्टता जानना आवश्यक है:-

1. दो व्यापार घरानों के बीच कारोबारी प्रतिद्वन्दिता, जिससे कि उद्देश्य की प्रतीति होगी, पर्याप्त और सन्तोषजनक रूप से स्थापित की जा चुकी है और इसको श्री वाडिया के विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुति में विरोध तक भी नहीं किया है।
2. यह तथ्य कि श्री हर्शमैन को 15-11-86 को 3.30 प्रातः से 18-11-86 को 1.27 प्रातः तक ओबराय होटल में ठहरने की अवधि से लगभग मिलती-जुलती श्री वाडिया के 15-11-86 को 11.45 प्रातः से 19-11-1986 दोपहर तक ठहरने की अवधि होटल ओबराय के अनधिक्षेपणीय रिकार्डों से वस्तुतः सिद्ध की जा चुकी है और इसका विरोध नहीं किया गया है।
3. इसी समय-अवधि के दौरान ही श्री गुरुमूर्ति ने तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल से सम्पर्क किया और श्री भूरे लाल का फेयरफैक्स के श्री हर्शमैन से परिचय कराया। और यही वह समय अवधि थी जिसके दौरान श्री भूरे लाल और श्री हर्शमैन के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलायंस के विरुद्ध पड़ताल करने के प्रयोजन से श्री हर्शमैन की सेवाओं का उपयोग किए जाने के उद्देश्य से मुलाकात हुई। यह स्थिति श्री भूरे लाल के साक्ष्य से स्पष्ट हो गई है और श्री वाडिया की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई है।

अनुच्छेद 20(3)--"किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

4. बाम्बे डाईंग का नाम होटल के कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड में भी अभिलिखित है जिसकी सत्यता को कोई चुनौती नहीं दी गई है और बाम्बे डाईंग का नाम श्री हर्शमैन के नाम के सामने प्रायोजक कम्पनी के रूप में दिया गया है। श्री वाडिया द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह बात उनसे शत्रुता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हेराफेरी के कारण की गई है या नहीं की गई है (प्रतिद्वन्दी औद्योगिक गृह अर्थात रिलायंस के व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए)। इस सम्बन्ध में इसमें आगे चलकर की गई चर्चा के दौरान स्थिति पर विचार व्यक्त किए जाएंगे।

5. होटल ओबराय में श्री वाडिया के ठहरने के खर्च का बिल, जोकि स्पष्ट रूप से बाम्बे डाईंग के दिल्ली कार्यालय ने अपने बम्बई कार्यालय को भेजा था, आयोग का आदेश होने के बाद भी पेश नहीं किया गया है और यह कह दिया गया है कि यह बिल कहीं गुम हो गया है। श्री वाडिया ने कम्पनी के किसी अधिकारी का परीक्षण करके इस बात का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि यह बिल कैसे और किन परिस्थितियों में गुम हुआ है।

6. होटल द्वारा रखे गए उपरोक्त बिल की कार्यालय प्रति भी प्राप्त नहीं हुई। जब होटल ओबराय से बिल की कार्यालय प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो उसने यही दलील दी अर्थात् कि यह गुम हो गई है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किस तरह और किन हालातों में यह इस प्रकार गुम हुई। और यह जवाब भी काफी देरी के बाद लगभग 15 दिन के बाद दिया गया (होटल ओबराय को मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समयावधि 26 मई, 1987 थी किन्तु होटल ने इसका उत्तर 8 जून, 1987 को ही दिया)।

7. इस रहस्यात्मक संयोग और उस रहस्यात्मक पद्धति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिसके अनुसार होटल ओबराय और बाम्बे डाईंग के अधिकारीगणों ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को गुम कर दिया, जिससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकला कि दस्तावेज को जानबूझ कर रोका गया है क्योंकि इससे श्री वाडिया पर दोष आता है और श्री वाडिया तथा हर्शमैन के बीच कोई संबंध की संभावना बनती है।

8. श्री वाडिया द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि किस प्रकार बिल जो अवश्य ही उनके नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बम्बई कार्यालय को भेजा गया, संबंधित फाइल से गुम हो गया। इस दस्तावेज के रहस्यात्मक और सरलतापूर्वक गुम हो जाने का स्पष्टीकरण देने के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी की जांच नहीं की गई।

9. श्री वाडिया ने स्वयं आकर गवाह के कटघरे में शपथ लेकर यह गवाही नहीं दी कि दिल्ली का उनका दौरा और होटल ओबराय में उनका ठहरना मात्र एक संयोग था और यह कि वह श्री हर्शमैन को नहीं जानते अथवा उन्हें रिलाएंस के विरुद्ध अन्वेषण के संबंध में उनकी सेवाओं के उपयोग के बारे में कुछ नहीं करना है। वह पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थ रहे जिससे कि शपथ पर उनकी गवाही को, यदि उन्होंने ऐसी कोई गवाही दी थी परखा जा सकता।

10. श्री वाडिया गवाह के कटघरे में इस बात से इन्कार करने के लिए नहीं आए कि श्री हर्शमैन को उनकी सेवाओं के उपयोग के संबंध में वस्तुतः कोई अदायगी की गई थी अथवा कोई अदायगी करने के लिए सहमति हुई थी। विशेष रूप से कारण बताओ नोटिस की धारा 19 में वर्णित परिस्थिति के संदर्भ में अर्थात् यह तथ्य कि वह तथा उनके पिता ब्रिटिश नागरिक थे और संभवतः उनके पास ऐसी अदायगियां करने के लिए साधन थे।

11. न ही उन्होंने विदेश में धारित निधियों के बैंक खाते या पास बुक प्रस्तुत की जिससे कि मसले का समाधान किया जा सके और इस संबंध में उठे संदेहों को दूर किया जा सके, जिसे वह शपथ लेकर बयान देकर और/या शपथ पर अपने बयान के समर्थन में विदेशों में अपने बैंक खातों की प्रतियां प्रस्तुत करके संदेह को दूर करते।

1. श्री वाडिया के विरुद्ध जांच सम्बन्धी वाल्यूम-1क में शामिल है।

12. श्री सुनील चन्द्र (होटल ओबराय के महाप्रबंधक) ने अपनी गवाही में यह स्वीकार किया है कि श्री वाडिया उनके एक आदरणीय ग्राहक हैं (वस्तुतः ऐसा सुझाव उन्हें जांच के दौरान श्री वाडिया के विद्वान काउंसिल ने दिया था) । श्री वाडिया के प्रति आभार प्रकट करने की प्रवृत्ति का स्पष्ट कारण है जैसाकि आयोग के नोटिस में लाए गए उनकी गवाही के कुछ अंशों से पता चलता है ।
13. साक्ष्य और प्रासंगिक परिस्थितियां, जो सामने आई हैं, से यह संकेत मिलता है कि श्री हर्शमैन द्वारा अपनी या अपनी फर्म की सेवाओं को पुरस्कार नियमों के आधार पर उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध कराए जाने की,काफी संभावनाएं थीं, जैसाकि श्री भूरे लाल ने बताया । जब तक कि अदायगी से लिए किसी अन्य के साथ कोई गुप्त और सहयोगी प्रबंध नहीं हो जाता जो ऐसी पार्टी अथवा पार्टियों द्वारा किया जा रहा था ।
14. ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हर्शमैन ने 15 से 20 नवम्बर तक नई दिल्ली की यात्रा करने की योजना बनाई थी और उन्होंने 30 अक्तूबर, 1986 को ही होटल ओबराय में ठहरने का निर्णय ले लिया था जैसाकि उनके वीजा संबंधी आवेदन पत्र से स्पष्ट है । इसी प्रकार श्री वाडिया ने 12 नवम्बर को अग्रिम आरक्षण करा कर 15 नवम्बर, 1986 से होटल ओबराय में अपने ठहरने के लिए यात्रा की योजना तैयार की थी । इसलिए इन दोनों ने नई दिल्ली में एक ही समय पर और एक ही स्थान पर अग्रिम रूप से विचार किया था ।
15. श्री वाडिया ने गवाह के कटघरे में आकर यह स्पष्ट नहीं किया कि होटल ओबराय में श्री हर्शमैन के दौरों के दौरान और उसी समय पर अपनी नई दिल्ली की यात्रा करने का क्या कारण था ।

समसामयिक दस्तावेजी साक्ष्य जिससे श्री हर्शमैन का श्री वाडिया के साथ ठहरने का संबंध स्थापित होता है ।

उल्लिखित समय के दौरान होटल ओबराय में श्री हर्शमैन के साथ श्री वाडिया का ठहरना, जो बाम्बे डाइंग के अध्यक्ष हैं, सिद्ध करने के लिए दो दस्तावेज सबूत रूप में हैं, अर्थातः-

(i) श्री हर्शमैन के होटल में ठहरने से संबंधित अदायगी के बारे में उन्हें जारी किए गए बिल की होटल प्रति ।

(ii) श्री हर्शमैन से संबंधित कम्प्यूटरीकृत अतिथि मुद्रित प्रति

बिल

होटल ओबराय के महाप्रबंधक श्री सुनील चंद्र ने आयोग द्वारा उन्हें जारी किए गए मांग-पत्र के प्रत्युत्तर में यह बताया कि जैसाकि जांच संबंधी कार्यवाही के दौरान आयोग के समक्ष अपनी गवाही में उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि होटल में ठहरने वाले अतिथि का बिल जबसे वह कमरे का कब्जा लेता है उसी समय से कम्प्यूटर पर उत्तरोत्तर बनाया जाता है । उनकी बात को सही-सही बताने के लिए दिनांक 8 जून, 1987 के उनके प्रत्युत्तर के प्रासंगिक अंश (एक्स.सी-23) का उद्धरण देना आवश्यक है:

> *"अतिथि का बिल जबसे वह कमरे का कब्जा लेता है उसी समय से कम्प्यूटर पर उत्तरोत्तर बनाया जाता है ताकि हम खर्च को मानीटर कर सकें और यदि खर्च अत्यधिक बढ़ रहा हो और व्यक्ति की पृष्ठभूमि मालूम न हो तो समय-समय पर राशि वसूल की जाती है ।"*

उनके बयान के इस भाग को जिरह के दौरान चुनौती भी नहीं दी गई । दूसरे शब्दों में इसे स्वीकार कर लिया गया है । यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल की होटल कापी पर श्री

हर्शमैन के हस्ताक्षर हैं और उससे पता चलता है कि श्री हर्शमैन के नाम के ठीक नीचे सबसे ऊपर बाम्बे डाइंग का नाम दिया हुआ है और इसके साथ ही उनका अमेरिका का पता भी दिया हुआ है । मूल बिल को श्री हर्शमैन को उनके रवाना होने के समय दिया गया होगा । होटल ओबराय से प्राप्त उत्तर में यह बताया गया है कि होटल की यह प्रथा है कि संबंधित अतिथि को उनकी रवानगी के समय ही मूल बिल दिया जाता है जिसकी पुष्टि साक्ष्य से भी हो गई है । अतः सामान्य प्रथा के अनुसार श्री हर्शमैन को ही बिल दिया गया होगा । एक अन्य परिस्थिति है जो इस निष्कर्ष का समर्थन करती है । बिल के साथ संलग्न वाउचर में वर्णित बिल की कुल राशि के संबंध में अदायगी श्री हर्शमैन द्वारा एक ऋण कार्ड (क्रेडिट कार्ड) द्वारा की गई थी । इस बात से कि बिल में की गई अन्तिम प्रविष्टि को कुल राशि में शामिल कर लिया गया था इस निष्कर्ष को और मजबूती मिलती है कि होटल छोड़ते समय श्री हर्शमैन को बिल जरूर दिया गया होगा । बिल के सबसे ऊपर बिल की कुल राशि का ब्यौरा और क्रेडिट कार्ड नम्बर का उल्लेख किया गया है और श्री हर्शमैन ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं । इससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि श्री हर्शमैन को बिल अवश्य ही प्रातः 1.27 बजे दिया गया था जब वे होटल से रवाना हुए थे । यह कहना युक्तिपूर्ण होगा कि यदि श्री हर्शमैन बाम्बे डाइंग के आतिथ्य सत्कार पर नहीं ठहरे होते तो बिल दिए जाने पर उन्होंने आपत्ति प्रकट की होती हालांकि बिल के सबसे ऊपर बाम्बे डाइंग का नाम दिया गया था जिस पर अवश्य ही उनकी नजर पड़ी होगी । बिल में बाम्बे डाइंग कंपनी के नाम के उल्लेख का महत्व इस बात से जाना जा सकता है कि बिल के सबसे ऊपर किए गए पृष्ठांकन में यह बात दी गई है:-

> *"मैं स्वीकार करता हूं कि मैं विनिर्दिष्ट कंपनी, संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा बिल का भुगतान न किए जाने की स्थिति में इस बिल का पूरा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हूं।"[1]*

जिरह करते समय श्री सुनील चन्द्र को यह सुझाव दिया गया है कि हो सकता है श्री हर्शमैन को मूल बिल न दिया गया हो । यदि ऐसी बात थी तो मूल कापी होटल के पास होनी चाहिए । किन्तु होटल के प्रबन्ध मंडल से श्री हर्शमैन के ठहरने के संबंध में सभी दस्तावेज भेजने की अभियाचना के उत्तर में होटल प्रबन्ध द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज नहीं भेजा गया है ।

इसके अलावा, श्री सुनील चन्द्र चाहते तो असली कागज, यदि वे अभी तक प्रबंध के कब्जे में थे, पेश करवा सकते थे । इसलिए स्पष्टीकरण पूर्णतः असंतोषजनक है और सच प्रतीत नहीं होता है । आयोग पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि मिस्टर हर्शमैन को बिल आवश्यक रूप से सौंप देने चाहिए थे और यह तथ्य कि बिल में मिस्टर हर्शमैन के नाम के नीचे बाम्बे डाइंग का नाम था और मामला किसी भी विवाद की सीमा से परे हो गया । यह बात पूर्ण रूप से साबित हो गई है कि बिल में बाम्बे डाइंग के नाम का उल्लेख दिया गया था और बिल मिस्टर हर्शमैन को सौंप दिया गया था और अतः मिस्टर हर्शमैन ने बिना किसी विरोध के बिल स्वीकार करते हुए उसकी अदायगी की । हम इस बात को नहीं मान सकते हैं कि बाम्बे डाइंग का नाम श्री वाडिया के विरोधी के किसी एजेंट द्वारा होटल के फ्रंट आफिस को टेलीफोन द्वारा ऐसा करने के लिए कहने पर हुआ है । यह विश्वास करना संभव नहीं है कि फ्रंट आफिस किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बाम्बे डाइंग के नाम का उल्लेख करेगा जबकि मिस्टर हर्शमैन स्वयं अपना नाम और पता देने के लिए उपलब्ध थे । इसके अलावा, 15 नवम्बर, 1987 को पहुंचने के समय अर्थात् 3.30 बजे नाम अवश्य बताया गया होगा । यह अवश्य ऐसा होगा क्योंकि जैसा साक्ष्य दस्तावेज सी-23 में कहा गया है जिससे

1. एक्स सी-24

संगत अंश उद्धृत किया गया है, कि मेहमान के बिल, जबकि वह कमरे का कब्जा लेता है, उत्तरोत्तर आधार पर कम्प्यूटर द्वारा बनाया जाता है । होटल ने ऐसा करने के लिए एक बहुत ठोस कारण बताया है जोकि उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है । दिया गया कारण यह है कि होटल व्यय का अनुवीक्षण कर सकता है और यदि व्यय अधिक हो रहा है और व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का ज्ञान न हो तो समय-समय पर धन इकट्ठा किया जा सकता है । आयोग द्वारा भेजे गए मांग-पत्र के उत्तर में प्रबंध द्वारा यह मान लिया गया है कि भूतकाल में श्री हर्शमैन किसी भी समय होटल में नहीं ठहरे हैं । इसलिए यह बहुत ठोस परिस्थिति है जोकि बाम्बे डाइंग के चैयरमैन श्री वाडिया का श्री हर्शमैन के साथ ठीक उसी समय ठहरने का स्पष्ट संबंध बताती है चूंकि सुझाया गया स्पष्टीकरण विश्वास योग्य नहीं है ।

<u>कम्प्यूटर पर तैयार किया गया गैस्ट प्रिंट आऊट</u> [1]

श्री हर्शमैन के संबंध में होटल ने गैस्ट प्रिंट आऊट की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है । प्रिंट आऊट में प्रविष्टियों का पठन इस प्रकार है:-

<u>इंटर सी.टी.एल.आर. कमांड</u>

क्रियेट/चेंज गैस्ट हिस्ट्री फोलियोज

नाम:	हर्शमैन मिस्टर माईकल वी.आई.पी. स्टेटस-सी हिस्ट्री फोलियो: आई.डी.एच.3231
टाईटल:	सी.ओ.एम.पी. पैकेजज: रिटेन: एन. यू.एस./ए.डी.7511 इवान्स फोर्ड रोड क्लिफटोन यू.ए.-22024
मेहमान का जन्मदिन	पत्नी का नाम
पत्नी का जन्म दिन:	
टैलीफोन संख्या:	
वर्षगांठ तिथि:	
टिप्पणी:	
	निम्नलिखित सूचना संशोधित नहीं की जा सकती :
कम्पनी का नाम:	बाम्बे डाइंग
निर्मिति:	18 नवम्बर, 1986 आगमन टी/डी:1 रात्रियाँ टी/डी 3
	कुल राजस्व 5346.25
पासपोर्ट संख्या:	10544878, वाशिंगटन में 23 मार्च, 82 को जारी किया गया
क्रैडिट कार्ड संख्या:	37826612789100l कम्पनी के खाते पर समाप्त
राष्ट्रीयता:	संयुक्त राज्य अमेरिका, होम: संयुक्त राज्य अमेरिका एफ/पे एक्स ए एम व्यापार भाग 10
बिल का नाम:	अनुदेश
अन्तिम दौरा:	14 नवम्बर, 1986 से 17 नवम्बर, 86 तक पैकेजिज
प्राथमिक कमरा:	कमरों की संख्या 10130: एक कमरे की दर: 1100
अभ्युक्तियां	

चेंज फोलियो - सी टी एल [2]

निकाला गया प्रिन्ट दो भागों में है । निकाले गए प्रिन्ट के निचले भाग पर शीर्षक "निम्नलिखित सूचना संशोधित नहीं की जा सकती" लिखा हुआ है । पहले भाग में संबंधित मेहमान (श्री हर्शमैन)

1. *कृपया साक्ष्य दस्तावेज-सी-10 देखिए*

के ब्यौरे प्रविष्ट किए गए हैं । इसका उल्लेख स्वयं श्री हर्शमैन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है । दूसरे भाग में पासपोर्ट संख्या, क्रेडिट कार्ड संख्या, राष्ट्रीयता और ऐसे अन्य ब्यौरे प्रविष्ट किए गए हैं । यह सूचना स्वयं श्री हर्शमैन के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं दी जा सकती है । इस प्रकार भी यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि संबंधित व्यक्ति ने कम्प्यूटर पर निकाले गए प्रिन्ट को तैयार करके श्री हर्शमैन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर इन प्रविष्टियों को किस प्रकार किया । किन्तु जब कम्पनी के नाम (प्रायोजित कम्पनी) का उल्लेख करने की बात आई तो किसी अन्य अप्राधिकृत व्यक्ति, जिसका सुझाव श्री सुनील चन्द्र की जिरह के दौरान दिया गया है, द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर बाम्बे डाइंग के नाम की कम्पनी का उल्लेख किया जा सका । उस रीति का, जिसके अनुसार प्रिन्ट-आउट में मेहमान का उल्लेख किया गया है उसे होटल ओबराय के दिनांक 2 जून, 1987 के उत्तर में लिखित रूप से स्पष्ट किया गया है, जिसमें इस प्रकार से बताया गया है:

अतिथि के संबंध में रिकार्ड

कम्प्यूटर में हमारे होटल में ठहरने वाले मेहमानों के ब्यौरों के लगभग 50,000 मेहमानों के इतिहास के रिकार्ड रखने की व्यवस्था है । ये रिकार्ड केवल व्यक्तिगत यात्रियों के रखे जाते हैं । यह रिकार्ड होटल में मेहमान के पहले दौरे के बाद बनाया जाता है । हम होटल में मेहमानों के वे ब्यौरे रखते हैं जिन्हें जांच-पड़ताल और हमारे पास उनके ठहरने की अवधि के दौरान एकत्र किया गया है । इस सूचना के स्रोत इसलिए भिन्न-भिन्न होते हैं कि सूचना के एक भाग को आरक्षण के समय प्राप्त किया जाता है, दूसरे भाग को जब मेहमान की जांच-पड़ताल की जाती है और शेष सूचना को होटल में उनके ठहरने के दौरान प्राप्त किया जाता है । मैं अपने पंजीकरण कार्ड और मेहमान के इतिहास के निकाले गए प्रिन्ट का एक नमूना संलग्न कर रहा हूं ताकि आप सूचना की किस्म देख सकें जिसे मेहमान के इतिहास की डायरेक्टरी में रिकार्ड किया गया है ।

यह तथ्य कि कम्पनी का नाम उस कम्पनी से प्रासंगिक है जो बिल की अदायगी के लिए अथवा मेहमान को प्रायोजित करने के लिए उत्तरदायी है और जिसका उल्लेख ई एक्स सी-19 में इस प्रकार किया गया है:-

> *"मात्र इस तथ्य से कि मेहमान के बिल पर कम्पनी का नाम लिखा है उल्लिखित कम्पनी की यह जिम्मेवारी नहीं हो जाती कि वह उस विशेष मेहमान के बिल को निबटाना सुनिश्चित करे । होटल विभिन्न मेहमानों को उस कम्पनी से लिखित सूचना मिलने के बाद ही क्रेडिट दे देता है जो बिल को निबटाना चाहती है । यह सूचना आवश्यक रूप से मेहमान के जाने से पहले प्राप्त होनी चाहिए । कम्पनी बिल को केवल तभी निबटाने के लिए जिम्मेदार होगी यदि उसने हमें लिखित में ऐसा करने के लिए अनुरोध किया हो ।*

यह देखा जा सकता है कि कम्पनी के नाम वाले कालम में श्री वाडिया (एक्स सी.36) से संबंधित गेस्ट प्रिन्ट आउट में बाम्बे डाइंग का नाम प्रिन्ट-आउट के निचले भाग में "निम्नलिखित सूचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है" शीर्षक सहित मुद्रित किया गया है । कम्पनी के नाम की महत्ता बिल के ऊपर किए गए पृष्ठांकन से भी स्पष्ट है अर्थात्:

> *"मैं स्वीकार करता हूं कि मैं निर्दिष्ट कम्पनी, संगठन या व्यक्ति द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में इस बिल की पूर्ण अदायगी के लिए जिम्मेवार हूं "*

(जैसाकि लिखित उत्तर में उल्लिखित किया गया है (देखें एक्स सी-24)

अतः यह विश्वास करना संभव नहीं है कि कम्पनी का नाम किसी अजनबी या अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है अथवा प्रिन्ट-आउट तैयार करने वाले कर्मचारी ने यह सूचना श्री हर्शमैन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या प्रिन्ट-आउट को तैयार करने वाले कर्मचारी को जानने

वाले बाम्बे डाइंग के किसी अधिकारी से एकत्र की जा सकती है । इस बात को स्वीकार करना संभव नहीं है कि श्री वाडिया के कुछ विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाम्बे डाइंग के नाम का उल्लेख किया जा सकता है, ताकि इसे प्रिन्ट-आउट में सम्मिलित कियां जा सके । यदि यह सामग्री श्री हर्शमैन के जाने के समय एकत्र की गई थी, तो यह सूचना तथा पासपोर्ट संख्या, क्रेडिट कार्ड संख्या आदि से संबंधित सूचना भी श्री हर्शमैन से एकत्र की जा सकती है । यह विश्वास करना संभव नहीं है कि "निम्नलिखित सूचना में संशोधन नहीं किया जा सकता" शीर्षक वाले गैस्ट प्रिन्ट-आउट के उस भाग में निर्दिष्ट शेष सूचना श्री हर्शमैन से प्राप्त की गई थी और प्रिन्ट-आउट के उसी भाग में उल्लिखित कम्पनी के नाम संबंधी सूचना उस सूचना के आधार पर रिकार्ड की गई थी, जो श्री वाडिया के किसी विरोधी के कहने पर किसी अजनबी द्वारा शरारत करने के लिए दी गई हो । गैस्ट प्रिन्ट-आउट के संबंध में श्री वाडिया की ओर से दी गई दलील दूर से ही संभव प्रतीत नहीं होती है इस दस्तावेजी साक्ष्य के भाग से इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि किन परिस्थितियों में श्री हर्शमैन के नाम के नीचे बाम्बे डाइंग के नाम का उल्लेख किया गया है और इस कड़ी में एक और सूत्र विद्यमान है, जो श्री हर्शमैन के श्री वाडिया के साथ ठहरने को प्रमाणित करता है तथा जो निर्धारित समय और ठहरने के स्थान के अनुरूप है ।

एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को जानबूझकर छिपा देना अर्थात श्री वाडिया का बिल : एक ऐसी परिस्थिति जिसको स्पष्ट करना कठिन है और स्पष्ट भी नहीं की गई

श्री वाडिया के नवम्बर , 1986 के दौरान होटल ओबराय में प्रवास से संबंधित बिल के बारे में एक बहुत षड़यन्त्रकारी परिस्थिति सामने आई है । ओबराय होटल ने यह बिल बाम्बे डाइंग के नई दिल्ली कार्यालय को भेजा था, जो इसने बम्बई कार्यालय को भेज दिया था । जब आयोग ने यह बिल मांगा तो कुछ डगमगाहट के बाद आयोग को सूचित किया गया कि बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय मूल बिल को खोज पाने में असमर्थ है । बम्बई कार्यालय केवल एक अग्रेषण पत्र ही भेज सका । जब ओबराय होटल से बिल की प्रतिलिपि मांगी गई तो, होटल प्रबन्धन ने भी कुछ डगमगाहट के बाद आयोग को सूचित किया कि "बिल खोज" पाना संभव नहीं है । पत्राचार से संबंधित विवरण तथा जिस प्रकार से दोनों पक्ष विचलित थे, यह निम्नलिखित विस्तृत चर्चा से स्पष्ट हो जाएगी ।

इस विषय में तथ्य यह है कि यह स्थिति बहुत ही रहस्यमय है । ऐसा कैसे हो सकता है कि बाम्बे डाइंग के बम्बई कार्यालय तथा ओबराय होटल, नई दिल्ली, दोनों के यहां से ही यह दस्तावेज गायब है । किन परिस्थितियों में यह बिल गुम हो गया था, इस बात को श्री वाडिया अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रस्तुत न करने का रास्ता चुना । उन्हें केवल इतना भर ही करना था कि वे फाइल के प्रभारी अपने कर्मचारी की जांच करते तथा स्थिति स्पष्ट करते । इससे स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के पीछे कारण मात्र यह है कि देने के लिए कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है । यदि कोई अपनी विश्वसनीयता को अधिक से अधिक स्थापित करना चाहता है तब भी यह विश्वास करना असम्भव है कि बाम्बे डाइंग के बम्बई कार्यालय तथा ओबराय होटल प्रबन्धक दोनों से ही यह दस्तावेज गायब हो जाए । ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वही दस्तावेज दोनों ही स्थानों से गायब हो जाए । यह सुझाव दिया गया है कि श्री वाडिया को "बनाया" (फ्रेम्ड) जा रहा था । ऐसी परिस्थिति कोई कैसे पैदा कर सकता है कि जिसमें श्री वाडिया के बम्बई कार्यालय ने उस दस्तावेज को गायब कर दिया हो और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सके कि वही दस्तावेज होटल प्रबन्धन में

भी गायब कर दिया हो ? वास्तव में किसी ने भी उस बिल के महत्व को तब तक अनुभव नहीं किया जब तक कि यह आयोग की ओर से बाम्बे डाइंग तथा ओबराय होटल से नहीं मांगा गया। अन्ततः यही निष्कर्ष निकलता है कि श्री वाडिया ने उस दस्तावेज को जानबूझकर दबा रखा है और ओबराय होटल प्रबन्धन उस दस्तावेज को दबाकर अपने सम्मानित ग्राहक को अनुग्रहीत करने की कोशिश कर रहा है। अत्यन्त सम्मोहक केवल एक मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि उस बिल में ऐसा कुछ अवश्य है जो श्री वाडिया के श्री हर्षमैन के साथ प्रवास तथा बाम्बे डाइंग से सीधे संबंधित है और कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इससे यही स्थिति बनती है जो परिस्थितिजन्य प्रमाणों की श्रृंखला को पूरा करती है तथा ओबराय होटल नई दिल्ली में श्री हर्षमैन के प्रवास तथा उसी समय और उसी होटल में श्री वाडिया के प्रवास में संबंध स्थापित करती है। श्री हर्षमैन और श्री वाडिया दोनों का ठहरना एक ही समय में हुआ और उस समय जबकि श्री गुरूमूर्ति ने जो कि श्री आर. एन. गोयनका के परामर्शदाता थे और जो कि श्री वाडिया के मित्र थे और जिनका प्रकाशन श्री वाडिया के प्रतिद्वन्दी रिलायन्स के विरूद्ध एक आन्दोलन चला रहा था, श्री हर्षमैन और श्री भूरे लाल की व्यवस्था करवाई।

श्री वाडिया के द्वारा दबाव

जहां तक दो दस्तावेजों को रोके जाने की परिस्थिति का सम्बन्ध है उनकी विस्तार रूप से व्याख्या अब की जाती है। आयोग ने बाम्बे डाइंग के दिल्ली स्थित कार्यालय को 6 जून को एक पत्र भेजा, (एक्स सी - 39) जिसमें उनसे मूल बिल सं. ए.एल. 4043 दि. 19.11.86 को जो कि 24,737.57 रुपए का था और जिसे ओबराय होटल ने श्री वाडिया के नवम्बर 15 से 19, 1986 तक रुकने के लिए जारी किया था, के भेजने को कहा और जिसका भुगतान दिल्ली कार्यालय द्वारा 13.12.1986 को किया गया था। उत्तर में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। यह कहा गया है कि खाता तथा रिकार्ड को बम्बई भेजा गया था, बम्बई स्थित मुख्यालय से अनुरोध किया गया था कि बिल को विशेष संवाहक द्वारा भेजा जाय। इस पर दिल्ली कार्यालय के रेजीडेंट निदेशक के हस्ताक्षर थे जिनका नाम के.एफ. रूस्तम जी है। यद्यपि एक विशेष संवाहक को भेजा गया था तथा यह आश्वासन दिया गया था कि बिल के प्राप्त होते ही उसे आयोग को भेज दिया जाएगा, इस सूचना को जून 11, 1987 तक नहीं भेजा गया। इस दिन आयोग को एक दस्तावेज भेजा गया था जिसके साथ एक पत्र भी था इसमें आयोग को निम्नलिखित सूचना भेजी गई थी अर्थातः-

"ओबेराय होटल के बिल को मूल रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है

यह उल्लेखनीय है कि उत्तर में यह बात स्पष्ट की गई है कि मूल बिल पेश किया जा रहा था किन्तु यह पाया गया कि यह बिल मूल बिल नहीं था बल्कि यह आवरण पत्र था जिसके साथ होटल ने मूल बिल को अग्रेषित किया था। इन परिस्थितियों में आयोग ने दिल्ली कार्यालय को निम्नलिखित पत्र भेजा। (एक्स. सी - 42)

" आपने जो चीज अग्रेषित की है वह मूल बिल नहीं है जिसकी मांग हमने की थी। यह तो केवल एक आवरण पत्र है जो कि मूल बिल के साथ आबद्ध किया गया मालूम होता है। इस पत्र में बिल की संख्या 004043 और तारीख 19.11.86 दर्ज है जो कि 24,737.57 रुपए का है। इस पत्र में विनिर्दिष्ट वास्तविक बिल को उसके साथ संलग्न अन्य पत्रों सहित भेज दीजिए ...."

उपर्युक्त पत्र के उत्तर में दिल्ली कार्यालय ने लिखा कि वह समय पत्रों को तलाश करने के लिए मुख्य कार्यालय को लिख रहे हैं और उन्होंने एक सप्ताह का समय और मांगा। दिनांक 12.6.1987 के पत्र (एक्स.सी. 43) का पाठ उद्धरण योग्य है और इस प्रकार है :

"हम प्रश्नास्पद आवरण पत्र के संलग्नकों को ढूंढने के लिए लिख रहे हैं । मैं साभार अनुरोध करता हूं कि आप इसे पेश किए जाने की तारीख को और बढ़ा दें । इसके पश्चात 17 जून 1987 को दिल्ली कार्यालय ने बताया कि 13 से 16 जून, 1987 तक बम्बई के मेरे व्यक्तिगत दौरे के दौरान मैंने व्यक्तिगत रूप से बिल ढूंढने के प्रयास किए परन्तु यह मिल नहीं सका । तथापि प्रयास किए जा रहे हैं और बम्बई से प्राप्त होते ही मैं मूल बिल प्रस्तुत कर दूंगा "

यह दिनांक 17 जून, 1987 का पत्र श्री रुस्तमजी, निदेशक, दिल्ली कार्यालय द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ था (देखें प्र. - सी.- 44)

इसके पश्चात 3 जुलाई, 1987 को आयोग को अन्तिम रूप से सूचित किया गया कि :-

"बम्बई में हमारा मुख्यालय केवल इस एक उस बिल के अलावा जो माननीय आयोग को प्रस्तुत किया गया है, 24,737.57 रु. का ओबराय होटल का मूल बिल खोज नहीं सका (देखें प्र.सी.-44)

यह पत्र व्यवहार स्पष्टतः दर्शाता है कि

(i) बिल मौजूद था और बम्बई कार्यालय को भेजा गया था । यह सूचित किया गया है कि यह बिल नहीं पाया था ।
(ii) ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि बिल कैसे और किन परिस्थितियों में नहीं मिल पाया था और इसे ढूंढने के क्या प्रयास किए गए थे ।

<u>होटल ओबराय द्वारा बिल का रोकना :</u> होटल ओबराय को सम्बोधित दिनांक 8 मई, 1987 की प्रश्नावली में श्री वाडिया के ठहरने और बिल से संबंधित रिकार्ड की फोटोस्टेट प्रतिलिपियां भेजने का अनुरोध किया गया था । मई , 1987 को आयोग द्वारा जारी मांग पत्र में होटल के प्रबन्धकों को सूचित किया गया था कि बिल की फोटोस्टेट प्रतिलिपि नहीं मांगी गई है लेकिन केवल लेखा विवरण की एक प्रति भेजी गई है और यह कि बिल की एक प्रति भेजी जाए । प्रश्न निम्नानुसार था :-

"कृपया माननीय आयोग के दिनांक 8 मई , 1987 के पत्र सं. टी. एस. 5/1987 के उत्तर में अपने दिनांक 9 मई, 1987 के प्रत्युत्तर का अवलोकन करें । यह कहा गया है कि श्री वाडिया का 15 नवम्बर 1986 से 19 नवम्बर, 1986 तक चार-दिन के ठहरने का 24,737.57 रु. का बिल आया था । बिल की फोटोस्टेट प्रतिलिपि नहीं भेजी गई है परन्तु केवल बाम्बे डाइंग के लेखा विवरण की एक प्रतिलिपि भेजी गई है । कृपया श्री नसली वाडिया के ठहरने के सम्बन्ध में तैयार किए गये 24,737.57 रु के बिल की प्रतिलिपि भेजें " (प्र. सी-16)

इसके उत्तर में होटल ने दिनांक 28 मई, 1987 के अपने प्रत्युत्तर में अन्य बातों के साथ साथ बताया था कि

"...............समस्त भुगतान प्राप्त हो गया था और हमारे पास बिल की कोई शेष प्रतियां नहीं हैं ।" तत्पश्चात आयोग ने प्रबन्धकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए और प्रबन्धकों से बिल को खोजने के लिए अनुरोध करने और इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए 4 और 5 जून, 1987 को एक सलाहकार भेजा । उसे बताया गया कि बिल शायद खो गया है और वे बिल की खोज करेंगे । बाद में जून, 1987 को बिल की पुनर्निर्मित प्रतिलिपि

भेजी गई। ये तथ्य आयोग के 12 जून, 1987 के पत्र में अभिलेखबद्ध कर दिये गये थे जिसमें निम्नलिखित प्रश्न उठाया गया था :

> "आयोग के सलाहकार श्री टी.एम. सुब्रामणियम ने आपसे सम्पर्क स्थापित किया और आपसे बिल खोजने के लिए कहा। आपने बताया कि बिल शायद खो गया है " और यह कि आप बिल की खोज करेंगे। तत्पश्चात आप के फ्रंट आफिस मैनेजर श्री जी.एस जाडेजा ने दिनांक 18 जून, 1987 के पत्र एफ. ओ. 197/87 के साथ 24,737.57 रु. के बिल सं. ए.एच. 4043 की एक प्रतिलिपि सब-वाउचरों सहित भेजी थी। आपसे सम्पर्क करने और बिल के लिए अनुरोध करने के पश्चात सलाहकार को बताया गया कि अब भेजा गया बिल पुनर्निर्मित है।

इस पर होटल प्रबन्धकों का उत्तर इस प्रकार था :-

"हमारा यह प्रयास होता है कि हम उन सभी महमानों का रिकार्ड रखें जो हमारे होटल में ठहरते हैं। हमें खेद है कि उक्त बिल की रिकार्ड प्रति <u>किसी प्रकार से मिल नहीं रही थी।</u> तथापि हम वाउचर प्रतियों की सहायता से यह बिल तैयार कर सकें और उसे आपको प्रस्तुत कर दिया है।

(और जोर दिया गया)

(श्री सुनील चन्द्र, महा प्रबन्धक का दिनांक 6 जून, 1987 का पत्र - प्र.सी-22)

इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि होटल ने जानबूझ कर बिल रोका है। जब श्री सुनील चन्द्र से प्रश्न पूछा गया कि क्या होटल प्रबन्धकों को आय कर के प्रयोजन के लिए बिल सुरक्षित रखना होता है तो श्री सुनील चन्द्र ने बताया कि ऐसा ही है। होटल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बिल कैसे और किन परिस्थितियों में खोया यद्यपि उनसे सीधे प्रश्न पूछा गया था, (प्र. सी-20) प्रबन्धकों ने अस्पष्ट उत्तर देते हुए बताया :

..............हमें खेद है कि उक्त बिल की रिकार्ड प्रति किसी प्रकार खो गई थी

इससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि होटल जानबूझ कर बिल को रोक रहा है। होटल श्री वाडिया के प्रति सहानुभूति रखता है क्योंकि वह होटल के एक सम्माननीय ग्राहक हैं। इस बात का उपस्थित परिस्थितियों से समुचित अंदाजा लगाया जा सकता है। यह नोट करना भी रूचिपूर्ण है कि होटल को दिनांक 16/6/1987 के पत्र द्वारा होटल में श्री वाडिया के ठहरने के दौरान 12 अवसरों के संबंध में बिल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया (एक्स.सी-26)। होटल के प्रबंध ने अपने 17 जून, 1987 के पत्र द्वारा सभी संबंधित बिलों की प्रतियां उपलब्ध कराई (एक्स.सी-27)। यदि बाकी के सभी बिल उपलब्ध थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यही बिल विशेष गुम था। यह उत्तर कि "किसी प्रकार यह मिल नही रहा है" अत्यंत अविश्वसनीय है और इससे इस बात का स्वयं पता चल जाता है कि प्रबंधन श्री वाडिया के प्रति आभार प्रकट करने के उद्देश्य से बिल को जानबूझ कर रोक रहा है।

श्री वाडिया की संदेहपूर्ण चुप्पी

श्री वाडिया अपने एक कर्मचारी से जो अभिलेखों का प्रभारी है सरलता से यह स्पष्ट करने के लिए कह सकते थे कि क्यों और किन परिस्थितियों में बिल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कोई साक्ष्य देना ठीक नहीं समझा। यह स्पष्ट है कि बाम्बे डाइंग जैसी एक बड़ी औद्योगिक कंपनी अभिलेखों

को रखने के लिए उचित प्रबंध कर सकती है और ऐसा करने के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था कर सकती है । बिल की आयकर प्रयोजनों के लिए भी आवश्यकता होगी । यह कैसे है कि यही बिल विशेष अभिलेखों से गायब हो गया । अवश्य ही कोई भी, यहां तक कि विरोधी फर्म भी इस बिल को नहीं हटाएगी क्योंकि इस बात को कोई नहीं जानता था कि आयोग इस बिल को मंगवाएगा । अवश्य ही कोई भी श्री वाडिया को अपने कर्मचारियों से यह पूछने से मना नहीं करता कि बिल कैसे गुम हो गया, उन परिस्थितियों को बताया जाए । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत यह पक्का और सही अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्री वाडिया ने जानबूझ कर बिल को रोक लिया और यह इस वजह से रोका गया कि बिल में ऐसी कोई बात है जिससे एक ही समय पर उनका होटल में हर्शमैन के साथ ठहरने का संबंध स्थापित होता है । यह संयोग मात्र नहीं हो सकता कि एक ही समय पर एक समान बिल की रिकार्ड प्रति भी ऐसी परिस्थितियों में गुम हो गई जिसके संबंध में होटल ओबराय का प्रबंधन बताने में असमर्थ है । ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ओर बाम्बे डाइंग का बम्बई कार्यालय और दूसरी ओर नई दिल्ली में होटल ओबराय के प्रबंधन दोनों ने इस दस्तावेज विशेष को गुम कर दिया । यह संयोग मात्र नहीं हो सकता । किसी भी साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा इसे संयोग नहीं कहा जा सकता । केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे जानबूझ कर रोका गया है और यह इसलिए रोका गया है कि इससे श्री वाडिया के अन्तर्ग्रस्त होने का पता चलता है और यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली कार्यालय ने आयोग को उस पत्र की अग्रेषण प्रति भेजकर गुमराह किया जिसके साथ बिल भेजा गया था । यह भी उल्लेख करने योग्य है कि उक्त अग्रेषण पत्र को बरीकी से देखने से पता चलता है कि उस के साथ नत्थी कुछ दस्तावेज उससे अलग कर लिए गए हैं । इसलिए, यह एक अत्यंत सन्देहास्पद स्थिति है जिससे केवल एक ही अनुमान लगाया जा सकता है अर्थात कि बिल और उस की प्रतिलिपि को जानबूझ कर और सोचे समझे तरीके से रोके रखा गया है अथवा दबा दिया गया है क्योंकि इससे श्री वाडिया (बाम्बे डाइंग) का श्री हर्शमैन के महत्वपूर्ण दौरे के साथ सम्बन्ध स्थापित होता है । अब समय है कि उस स्थिति का जायजा लिया जाए जो अब तक सामने आई है । दस्तावेजी सबूत से यह साफ पता चलता है कि बाम्बे डाइंग ने, जिसके श्री वाडिया अध्यक्ष हैं, श्री हर्शमैन के दिल्ली दौरे का आयोजन किया था और मामलों को इस तरह से तय किया था कि उन के दौरे का समय होटल ओबराय में उनके ठहरने के साथ मेल खाए । इस अभिशंसी परिस्थिति के सम्बन्ध में कि कम्प्यूटरीकृत होटल अभिलेख में और श्री हर्शमैन को जारी किए गए बिल की प्रतिलिपि में बाम्बे डाइंग का नाम प्रायोजिक कम्पनी के रूप में दर्ज किया गया है, श्री वाडिया की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण अत्यन्त अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है । श्री वाडिया को जारी किए गए बिल को उनके अपने कार्यालय द्वारा और साथ ही होटल ओबराय के प्रबन्धकों द्वारा भी रोकना अथवा दबाए रखने की रहस्यात्मक परिस्थितियों को दस्तावेजी साक्ष्य के संदर्भ में देखने से इस सन्देह की पुष्टि होती है कि नई दिल्ली में श्री हर्शमैन का दौरा श्री वाडिया ने प्रायोजित किया था और उन्होने नई दिल्ली में श्री हर्शमैन की मेजबानी की थी । श्री हर्शमैन अमरीका से नई दिल्ली तक अपने आप एक पर्यटक के रूप में भ्रमण करने के बहाने नहीं आते जैसा कि उन के वीजा सम्बन्धी आवेदन पत्र में लिखा गया है, यदि यह अन्यथा होता । इसी प्रकार, यह अमरीका से नई दिल्ली से मात्र इसलिए भी नहीं आते कि वह श्री भूरेलाल से इस उम्मीद में सम्पर्क करें कि श्री भूरेलाल अमरीका में अन्वेषणात्मक कार्य के सम्बन्ध में उनकी सेवाओं का उपयोग करेंगे । यह बात कि दौरे पूर्व नियोजित थे और श्री वाडिया तथा श्री हर्शमैन का एक ही समय में एक स्थान पर ठहरना कुछ महत्व रखता है जिस पर इसके आगे चर्चा की जाएगी । यह भी महत्व की बात है कि एक ही होटल में, एक ही समय के दौरान श्री वाडिया और श्री हर्शमैन के ठहरने के दौरान, श्री हर्शमैन का तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरेलाल के साथ श्री आर.एन.गोयनका, जो श्री वाडिया

के एक घनिष्ठ मित्र हैं, के सलाहकार श्री गुरूमूर्ति ने भारत सरकार की ओर से श्री हर्शमैन को काम पर लगाने के सम्बन्ध में परिचय कराया । श्री हर्शमैन को काम पर लगाने के बारे में उन्होंने ऐसे षडयंत्र को क्यों और किस प्रकार रचा इसके सम्बन्ध में एक ही समय में और एक ही स्थान पर श्री वाडिया और श्री हर्शमैन के ठहरने से सम्बन्धित मामले पर विचार करने के बाद चर्चा की जाएगी ।

एक ही होटल में एक ही समय ठहरना तथा श्री वाडिया का उनकी यात्रा का कारण बताने की असमर्थता-दोनों यात्राओं का अग्रिम तय किया जाना

यह वास्तविकता कि श्री वाडिया उसी होटल में ठहरे हुए थे (होटल ओबेराय) जबकि श्री हर्शमैन के उसी समय ठहरना उसमें कोई अपवाद नहीं है, प्रश्न यह है कि यह एक केवल आकस्मिकता थी अथवा श्री हर्शमैन की सेवाओं का उपयोग करने के लिए यह एक पहला कदम था जिनका उपयोग वाडिया के विरोधियों के सम्बन्ध में श्री भूरेलाल के माध्यम से आर्थिक अनियमितताओं का पता लगाना था । अन्य शब्दों में यह प्रश्न कि क्या श्री वाडिया ने उस मामले में कुछ भूमिका निभाई थी तथा क्या श्री वाडिया का उस लेन देन से कुछ सम्बन्ध था ? इस सम्बन्ध में इस तथ्य की विशेष महत्ता है कि श्री वाडिया ने अपने आपको गवाह कटहरे से परे रखा था उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । यदि श्री वाडिया की यात्रा का सम्बन्ध श्री हर्शमैन के आगमन से था, तो यह गवाह कटहरे में फौरन उपस्थित हो जाते तथा उनकी यात्रा के प्रयोजन की चर्चा करते तथा दोनों बातों पर जोर देते कि उनके आगमन का श्री हर्शमैन के आगमन से कोई संबंध नहीं था तथा यह एक आकस्मिक घटना थी कि वह दिल्ली में एक ही समय एक ही होटल में ठहरे थे । दोनों श्री वाडिया तथा श्री हर्शमैन ने एक ही समय एक ही होटल में ठहरने की योजना बनाई थी तथा कथित होटल[1] में ठहरने का एक ही समय दर्शाया था ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ने दिल्ली में आगमन तथा उसी होटल में ठहरने की योजना बनाई थी । चूंकि श्री हर्शमैन अमरीकी नागरिक हैं अतः पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं है तथा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से उन्होंने इन्कार किया है । श्री वाडिया सहज ही में गवाह कटहरे में आ सकते थे यह स्पष्ट कर सकते थे कि यह उसी होटल में एक ही समय किस कारण से ठहरे थे । उन्होंने जान बूझ कर यह निर्णय लिया था जो कि इस आधार पर था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार एक अभियोगी जिस पर किसी बात का दोष लगाया गया हो अपनी प्रतिरक्षा का हकदार है तथा उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आयोग, आयोग जांच अधिनियम जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के खण्ड 3 के अनुसार है के मातहत तथ्य ढूंढने की प्रकिया में व्यस्त है । यह श्री वाडिया के द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए की जाने वाली जांच में नहीं लगा हुआ है । जो उनके विरूद्ध लगाया गया है । श्री वाडिया एक अपराधी नहीं है । यह एक ऐसे व्यक्ति है जिनको एक जांच के एक विषय के संबंध में पूछताछ के लिए 8-बी नोटिस जारी किया गया है । अनुच्छेद 20(3) एक व्यक्ति से सीमाशुल्क तथा उत्पादशुल्क अधिनियम के उल्लंघन के अपराध में अधिकारी द्वारा की जाने वाली पूछताछ के संबंध में भी लागू नहीं होता । इसलिए यह कहना निराधार है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अन्तर्गत की जाने वाली पूछताछ में यह अनुच्छेद लागू होता है । तब श्री वाडिया ने गवाह कटहरे में पेश होने से

---

1 श्री हर्शमैन ने अपने वीसा के आवेदन दि.30अक्तूबर, 1986(सं.एक्स सी-38) जो कि उन्होने भारत में आगमन के 15 दिन पूर्व दिया था कि यह होटल ओबेराय में ठहरेंगे तथा उन्होने अपने ठहरने के लगभग समय पर भी प्रकाश डाला था । श्री वाडिया ने अपना आरक्षण दिल्ली कार्यालय के माध्यम से 12 नवम्बर, 1986 को करवाया था जिसमें उन्होने अपने आगमन की तारीख 15 नवम्बर, 1986 बताई थी ।

इन्कार क्यों किया ? तथा उन्होंने अपने दिल्ली के आगमन के संबंध में इस दिशा में सफाई देने से इन्कार किया। यहां यह भी कहना उचित होगा कि फौजदारी के मामले में भी एक अपराधी को यह अधिकार (आपराधिक पीनल संहिता की धारा 315) के अन्तर्गत प्राप्त है जो कि शपथ के जरिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है तथा उसके विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होने की स्थिति पर प्रकाश डालना होता है। ऐसा न करने पर यह समझा जाता है कि परिस्थितिक साक्ष्य का यह एक आधार है जिसके माध्यम से एक श्रृंखला का पता चलता है। यदि उसे कुछ छुपाना है तो उसे चुप रहना चाहिए तथा उसकी यात्रा एक निर्दोषी तथा अहानिकर थी। इस प्रकार श्री वाडिया की असमर्थता एक ऐसी परिस्थिति है जिसको कि सही रूप से एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करने के माध्यम के रूप में लिया जा सकता है जिससे उनका इस कार्य में भाग लेना स्पष्ट हो जाता है।

इस चर्चा के पूर्ववर्ती भाग में जिन महत्वपूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख हमने किया है उन बातों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त परिस्थितियों से ये बात निस्संदेह सिद्ध हो गई है कि श्री वाडिया ने हेरफेर से मामलाबन्दी की जिसके कारण भारत सरकार की ओर से श्री भूरेलाल ने श्री हर्शमैन की सेवाओं का उपयोग किया और श्री भूरेलाल को श्री वाडिया के प्रयोजनों की सिद्धी के लिए माध्यम बना दिया गया।

यह रास्ता क्यों अपनाया गया ?

यह रास्ता क्यों अपनाया गया इस बात को समझना कठिन नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारत सरकार के प्राधिकार के बिना मैसर्स ड्र पोन्ट और मैसर्स केम टेक्स यू.एस.ए. दोनों, जिनसे कुछ जानकारी इकट्ठी की जानी थी, वह जानकारी देने के लिए तैयार नहीं थे। श्री भूरेलाल के साक्ष्य से यह बात स्पष्ट होती है, जिन्होंने कहा है कि जब वह मैसर्स ड्र पोन्ट के श्री गैमबल से मिले तो उन्होंने जानकारी देने से पहले इस बात के लिए आग्रह किया कि उनको भारत सरकार के लेटरहैड पर भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत पत्र प्राप्त होना चाहिए। श्री भूरेलाल के साक्ष्य से इस बात का भी पता चलता है कि उन्होंने वस्तुतः एक प्राधिकार-पत्र भेज भी दिया था, जिसके ऊपर "उसके लिए जिससे यह संबंधित हो" शीर्ष अंकित था और जिसके द्वारा रिलायन्स के संबंध में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मैसर्स फेयरफैक्स को प्राधिकृत किया गया था। इस बात का अग्रेतर समर्थन श्री हर्शमैन ने स्वयं एक्सप्रेस न्यूज सर्विस को दी गई एक भेंटवार्ता के द्वारा किया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 4-6-1987 के स्टेट्समेन के संस्करण में छपी है, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि :

> "भारत सरकार के लिए पड़ताल का काम करना अपेक्षतया 'आसान है'। उन्होंने यह भी कहा कि गैर सरकारी व्यक्तियों और वर्गों के लिए काम करते समय 'इतनी पहुंच' प्राप्त नहीं हो सकती।"

क्या श्री हर्शमैन के साथ कोई सहायक करार हुआ था ?

श्री भूरेलाल ने अपने साक्ष्य में जिन शर्तों और निबन्धनों का उल्लेख किया है उन शर्तों पर मैसर्स फेयरफैक्स की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए श्री हर्शमैन की रजामन्दी प्राप्त करने की असम्भावना से उचित रूप में यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विषय में किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई सहायक करार जरूर हुआ होगा। सम्भाव्यताओं के आधार पर विचार करते हुए इस निश्चय पर पहुंचना ठीक है कि श्री हर्शमैन पुरस्कार नियमावली के आधार पर मैसर्स फेयरफैक्स की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कभी राजी नहीं हो सकते थे और ना ही वे इस बात के लिए रजामन्द हो सकते थे कि अदायगी इस शर्त पर की जाए कि ठोस प्रमाण (इस बात का फैसला कौन करेगा कि यह प्रमाण ठोस है और कैसे) उपलब्ध कराया जाए। और दूसरी शर्त यह भी थी कि प्रस्तुत साक्ष्य कथित आर्थिक अपराधियों के अपराध को, जिन पर सीमा-शुल्क

अपवंचन का संदेह था और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का संदेह था, अभिज्ञानपूर्वक प्रमाणित कर देगा । इसलिए ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता कि यह इस शर्त पर काम करने के लिए रजामन्द हो जाते कि प्रारम्भिक खर्चे के लिए और पड़ताल के संबंध में किए जाने वाले अन्य आवश्यक खर्चे के लिए कोई पेशगी भुगतान प्राप्त किए बिना काम शुरू कर दिया जाए । यह तथ्य कि श्री हर्शमैन ने विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित करार निष्पन्न किए जाने की शर्त पर कोई आग्रह नहीं किया, इसी निष्कर्ष तक पहुंचाता है । वे इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकते थे कि श्री भूरेलाल के साथ जुबानी तय हुए द्विविध समझौते का, जिसका लिखित रिकार्ड नहीं रखा गया था, कुछ भी मूल्य नहीं है, और यह भी कि भारत सरकार से तब तक कोई भुगतान हासिल करना तब तक सम्भाव्य नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति की शर्तों को स्पष्ट करने वाला लिखित करार इस आशय का सम्पन्न न हो जाए और यह बात भी अलग है कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के उपबंधों का ज्ञान नहीं था, जिसमें व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार के साथ कोई भी करार केवल भारत के राष्ट्रपति के नाम में किसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही निष्पन्न किया जा सकता है । इसलिए श्री हर्शमैन पुरस्कार नियमावली के आधार पर भुगतान हासिल करने के जुबानी वायदे पर काम करने के लिए और इस आशा से कि आगे चलकर कभी उनको पुरष्कृत कर दिया जाएगा, काम करने के लिए क्योंकर रजामन्द होते ? और पुरस्कार भी तब मिलता जब उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ठोस माना जाता और उसके परिणामस्वरूप कथित आर्थिक अपराधियों का दोष सिद्ध हो जाता । तब भी उनको मुआवजे के रूप में उस शुल्क के 20 प्रतिशत के बराबर की राशि, जिसको अपवंचित किए जाने का इरादा था, प्राप्त होती, जिसमें जुर्माने और अर्थदण्ड की 20 प्रतिशत के बराबर की राशि ऐसी दशा में और जमा कर दी जाती, यदि ऐसा दण्ड लागू किया जाता और यह भी इस अभिशर्त के अधीन कि यह दण्ड पुरस्कार नियमावली के नियम 3.2.1 के अर्थों के अन्तर्गत, अन्तर्वस्त वस्तुओं के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । इसके अलावा इस बात को देखते हुए कि पुरस्कार नियमावली में "20 प्रतिशत तक" के पुरस्कार की व्यवस्था है, प्राप्ति भी अनिश्चित थी । यह रकम इससे भी और कम हो सकती थी । इसलिए यह बात भी सामने आई कि उन भुगतानों के लिए क्या हो सकेगा जो उन्हें फेयरफैक्स द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों को और इस संबंध में फेयरफैक्स द्वारा नियोजित कर्मचारियों अथवा अभिकर्ताओं को देने होंगे ? इसलिए यह बात सम्पूर्ण रूप से अवास्तविकतापूर्ण है कि भुगतान प्राप्त करने की गारंटी हासिल किए बिना एक बहुत ही ज्यादा सट्टई प्रस्ताव के आधार पर श्री हर्शमैन अथवा मैसर्स फेयरफैक्स इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते । इसके अलावा श्री हर्शमैन ने स्वयं वाशिंगटन बिजनेस जनरल को दी गई एक भेंटवार्ता में, जो इस पत्र के 11 मई, 1987 के संस्करण में प्रस्तुत हुई है, यह कहा था कि यह सामान्य रूप से घन्टों के आधार पर मुआवजा हासिल करते हैं और कभी-कभी तयशुदा कीमत के आधार पर भी मुआवजा लेते हैं । "इसलिए यह बात पूर्णतया गलत है कि एक अमरीकी गैर-सरकारी जासूसी अभिकरण जिसके खुद के खर्चे ही बहुत ज्यादा हैं, उपर्युक्त अस्पष्ट प्रकृति के जुबानी वायदे पर वास्तविक रूप में मुफ्त सेवा करने के लिए सहमत हो जाए और इस बीच आगे चलकर अनिश्चित मुआवजा प्राप्त करने की प्रत्याशा में यात्रा करने, होटलों के बिल अदा करने, मुखबरों और एजेन्टों आदि को मुआवजा देने आदि के प्रयोजनों के लिए अमरीका में भारी-भरकम अमरीकी आकार के खर्च का बोझ उठा डाले । इस संबंध में श्री हर्शमैन से प्रश्न पूछे गए थे किन्तु उन्होंने उनको भेजे गए अनुरोध पत्र का उत्तर नहीं दिया है । जब इन परिस्थितियों को इकट्ठा करके वास्तविक आधार पर देखा जाता है तो इस नतीजे पर पहुंचने में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि मैसर्स फेयरफैक्स अथवा श्री हर्शमैन ऐसी व्यवस्था के अधीन काम करने के लिए कभी राजी नहीं हो सकते थे जब तक कि किसी गैर-सरकारी पार्टी द्वारा अदायगी

किए जाने का कोई सहायक वचन या समझौता न हुआ हो। इसी संदर्भ में कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत श्री वाडिया को इस आशय का उल्लेख किया गया था कि चूंकि वह ब्रिटिश नागरिक है और उनके पिता भी ब्रिटिश नागरिक थे जिनका निवास स्थान स्विटजरलैंड में था इसलिए शायद उनके पास विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए साधन मौजूद थे बशर्ते कि वह ऐसा भुगतान करने का इरादा रखते हों। यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया है कि श्री वाडिया और उनके पिता ब्रिटिश नागरिक हैं किन्तु श्री वाडिया इस संदेह को दूर करने के लिए अर्थात् यह स्पष्ट करने के लिए कि श्री हर्शमैन को उनकी सेवाओं के उपयोग के संबंध में भुगतान किसी सहायक या चोरी छिपे किए गए करार के अधीन किया जा चुका है या किए जाने का वायदा दिया जा चुका है। श्री वाडिया गवाहों के कटघरे में प्रविष्ट नहीं हुए। वे इस मामले को साफ करने के लिए विदेशों के बैंक खातों या पास बुकों को पेश कर सकते थे और इस संबंध में उत्पन्न संदेहास्पदता को दूर कर सकते थे। कम से कम वह गवाहों के कटघरे में प्रवेश करके शपथ ग्रहण करके यह तो कह ही सकते थे कि उन्होंने मैसर्स फेयरफैक्स और/अथवा श्री हर्शमैन को भुगतान करने के लिए कोई छद्म करार नहीं किया है और ना ही ऐसा करार करने की रजामन्दी जाहिर की है। उन्हीं कारणों को फिर से दोहराना अनावश्यक होगा जिनको उसी समयान्तराल के दौरान उसी होटल में उनके ठहरने से संबंधित चर्चा में उल्लिखित किया गया है और जो अपशकुन सूचक मौनसाधन से प्रतिबिम्बित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उपबन्धों को उपयोग में लाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनपर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो। यह आयोग केवल तथ्यों को मालूम करने का काम कर रहा है और उनके विरुद्ध किसी फौजदारी मुकदमें की सुनवाई नहीं कर रहा है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको धारा 8-ख के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है। इसके अलावा उन्हें जांच आयोग अधिनियम की धारा 6 का पूरा संरक्षण प्राप्त है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि आयोग के सामने दिए गए उनके किसी भी वक्तव्य को किसी भी अन्य कार्रवाई में, केवल झूठी गवाही देने के लिए की जाने वाली कार्रवाई को छोड़कर, इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। ना ही हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि उनके विरुद्ध उपस्थित होने वाली परिस्थितियों के कारणों का स्पष्टीकरण करने में उनकी असफलता की स्थिति को भी आयोग के द्वारा शुमार नहीं किया जा सकता। यदि उन्हें कुछ छुपाना नहीं है तो वे चुप क्यों रहे ? इसलिए ऐसा संदेह करने के लिए भारी आधार मौजूद है कि श्री वाडिया ने श्री हर्शमैन को उनकी सेवाओं के उपयोग के एवज में, जिनका उपयोग श्री भूरेलाल ने किया, मुआवजे की अदायगी या तो कर दी या फिर ऐसी अदायगी करने का वायदा किया। इसलिए जहाँ तक श्री हर्शमैन को अदायगी करने या अदायगी करने का करार किए जाने का संबंध है, आयोग समुचित संदेहास्पदता से ऊपर उठकर किसी भी निष्कर्षात्मक फैसले को अभिलिखित करना मुनासिब नहीं समझता।

इस बात का उल्लेख भी किया जाना चाहिए कि जहां तक श्री वाडिया का संबंध है, यह तर्क कि रिलायन्स के विरुद्ध जो पड़ताल चल रही थी वह एक बहुत ऊंचे आदर्श को लेकर अर्थात् राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक अपराधियों को दण्ड दिलवाने के आदर्श को लेकर चलाई जा रही थी, जिससे परे नहीं हटा जा सकता। उनके अपने विरुद्ध आर्थिक अपराध में जो सिद्धी हुई है और उनपर एक करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है (श्री वाडिया के योग्य वकील ने जिरह के दौरान श्री भूरेलाल के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया था जिसे श्री भूरेलाल ने स्वीकार किया)। निस्संदेह यह कहा भी गया है कि एक अपील दायर कर दी गई है और वह अभी विचाराधीन है लेकिन यह तथ्य तो शेष है कि ऐसी दलील उनके द्वारा गम्भीरता से नहीं ली जा सकती थी। इस दलील पर किसी को यकीन नहीं आएगा और इस तर्क के समक्ष विश्वसनीयता के सभी द्वार बन्द हो जाएंगे।

निष्कर्ष

संदेहास्पदता की परिधि से ऊपर उठकर यह बात सिद्ध हो चुकी है कि श्री वाडिया ने श्री हर्शमैन के माध्यम से मैसर्स फेयरफैक्स को नियोजित करने के सिलसिले में काफी सक्रिय रोल अदा किया और तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरेलाल और वित्त मंत्रालय को श्री वाडिया के प्रयोजनों की सिद्धी के लिए मुहरें बना दिया गया । दूसरे शब्दों में समुचित संदेहास्परता से ऊपर उठकर यह सिद्ध हो चुका है कि फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन को श्री भूरेलाल ने श्री वाडिया के द्वारा अपनाए गए हथकंडो के आधार पर इस काम के लिए नियोजित किया । यह कार्रवाई इसलिए की गई कि मैसर्स फैयरफैक्स और श्री हर्शमैन को भारत सरकार के नाम और प्राधिकार से सुसज्जित किया जा सके ताकि वे श्री वाडिया के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस पड़ताल का काम करने में सक्षम हो जाएं और यह भी है कि श्री वाडिया और श्री हर्शमैन के बीच कोई सहायक करार जरूर हुआ होगा, किन्तु यह बात बिना शक्को सुबह साबित नहीं हो सकी है कि क्या श्री वाडिया ने मैसर्स फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन को भुगतान किया अथवा भुगतान करने का वायदा किया, हालांकि ऐसा सुबह करने के लिए ठोस आधार मौजूद है । इतना कहना तो बहुत जरूरी है और इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ।

अध्याय XIV

क्या मेसर्स फेयरफैक्स इन्कारपोरेटेड (अध्यक्ष श्री हर्शमैन) जांच के लिए उपयुक्त निजी गुप्तचर एजेंसी थी और क्या यह इस प्रयोजन के लिए सुसज्जित थी आरम्भिक अभ्युक्तियां

मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इनकार्पोरेटेड जिसके श्री हर्शमैन अध्यक्ष थे (इसके बाद इसे फेयरफैक्स कहा गया है) की सेवाओं को उपभोग में लाने के सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्य रिकार्ड करने और जांच शुरू करने से पहले इस आयोग को अपेक्षित सूचना एकत्र करनी थी जिसके लिए आयोग को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ा क्यों कि फैयरफैक्स अमरीका में स्थित है और भारत में इसका कोई कार्यालय अथवा स्थापना अथवा एजेन्ट नहीं है । आयोग को फैयरफैक्स से सूचना एकत्र करना आवश्यक था और इसके पास इस प्रयोजन के लिए केवल एक विकल्प था अर्थात् अमरीका में फैयरफैक्स से बातचीत करना । इसलिए कमीशन के कार्य संचालन की तीन दिशाएं थी अर्थात् (1) अमरीका का दौरा करना और फैयरफैक्स तथा इस इसके अध्यक्ष श्री हर्शमैन @डा. हैरिश से सम्पर्क करना, (2) श्री हर्शमैन को आयोग के सम्मुख पेश होने के लिए भारत में बुलाना और (3) उचित माध्यम के जरिए लिखित रूप में जानकारी प्राप्त करना । आयोग का यह मत था कि आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अमरीका का दौरा करना सरकारी समय और लोक निधियों को व्यर्थ में खर्च करना साबित होता । इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी यदि आयोग खास तौर पर इस प्रयोजन के लिए अमरीका का दौरा करता है तो फैयरफैक्स अथवा श्री हर्शमैन अथवा श्री मैकके (अध्यक्ष फैयरफैक्स) आयोग के सम्मुख पेश होते । आयोग के पास फैयरफैक्स अथवा श्री हर्शमैन और/या श्री मैक्के को जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत उपस्थित करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार अथवा प्राधिकार नहीं है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आयोग केवल गवाहों अथवा व्यक्तियों की उपस्थिति भारत के अन्दर ही सुनिश्चित कर सकता है । आयोग के पास उन कम्पनियों अथवा व्यक्तियों जिनके आवास अथवा व्यवसाय भारत से बाहर है के संबंध में कोई अतिरिक्त सीमान्तर्गत क्षेत्राधिकार नहीं है । इस प्रकार यह आयोग, आयोग के कुछ अधिकारियों को उचित प्राधिकार दे कर फैयरफैक्स अथवा श्री हर्शमैन और/अथवा श्री मैक्के से पूछताछ करने के लिए अमरीका भेजने के वास्ते तैयार नहीं था क्योंकि आयोग को ऐसा करना निरर्थक प्रतीत हो रहा था । आयोग के अनुसार ऐसी यात्रा से इस प्रयोजन के लिए कोई परिणाम अथवा उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती थी । यदि फैयरफैक्स या श्री हर्शमैन और/अथवा श्री मैक्के आयोग को सहयोग देने के लिए और आवश्यक सूचना अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार न होते तथा इस उद्देश्य के लिए वहां भेजे गए अधिकारियों को कोई वक्तव्य देने के लिए तैयार न होते तो इससे इस कार्य में सरकारी समय और सरकारी निधि व्यर्थ में बरबाद होती । इसलिए आयोग ने यह जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया कि क्या श्री हर्शमैन उनसे आयोग के उचित माध्यमों के जरिए पूछी गई सूचना और उचित प्रश्नावली भेजने पर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे । इन समनुरूप कारणों के यह दूसरी प्रक्रिया अर्थात् श्री हर्शमैन और/अथवा श्री मैक्के को भारत बुलाना तब तक उचित नहीं समझा गया जब तक आयोग इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट न हो जाता कि उन्हें बुलाने का अनुकूल प्रतिफल मिलता । इसलिए आयोग ने उक्त प्रक्रिया चुनी अर्थात् सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियां भेजना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्री हर्शमैन और/अथवा श्री मैक्के से पूछताछ करने और ऐसी स्थिति में उनके गवाहों के रूप में तलब करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है जब कि आयोग की ऐसी राय कायम हो जाए कि ऐसा करना कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक और/अथवा उचित होगा ।

फेयरफेक्स को सम्बोधित पत्र :

पहले बताई गई परिस्थितियों के अन्तर्गत आयोग ने फेयरफेक्स से सम्पर्क स्थापित करने का पहला प्रमाण भारतीय दूतावास के माध्यम से किया । वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से सम्पर्क करने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि (1) पत्र की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके, (2) राजनयिक माध्यम से पत्र व्यवहार किया जा सके ताकि उनकी सुपुर्दगी जल्दी और सुरक्षित रूप से हो सके । विदेश सचिव से वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास से सम्पार्क करने और पत्र आदि में निर्दिष्ट मुद्दों पर सूचना प्राप्त करने और उन्हें टैलेक्स पर भेजने का अनुरोध किया गया । वाशिंगटन में दूतावास के अधिकारियों ने विदेश सचिव के माध्यम से आयोग को बताया कि श्री हर्शमैन तब तक उत्तर देने के लिए राजी नहीं है जब तक आयोग श्री हर्शमैन द्वारा भेजे गए तीन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं देते अर्थात् :-

"(क) जांच आयोग का उद्देश्य क्या है जबकि सरकार को उनकी व्यस्तता, जांच और वित्तीय व्यवस्था के बारे में पहले से ही जानकारी है,

(ख) कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी लेखन सामग्री में जाली पत्र रखने के मामले में सरकार द्वारा की गई, और

(ग) उनको सौंपी गई जांच के संबंध में उन्होंने सरकार को पहले ही जो सूचना भेजी है उस पर की गई कार्रवाई ।"

आयोग को यह भी बताया गया कि श्री हर्शमैन ने उस औपचारिक पत्र के सम्बन्ध में भी जोर दिया जो आयोग ने इस संबंध में उन्हें संबोधित किया था । (आयोग ने यह प्रश्न भेज दिए थे और उन पर भारतीय दूतावास से टैलेक्स पर सूचना मांगी गई थी ताकि इस संबंध में समय की बचत की जा सके क्योंकि आयोग का कार्य राजपत्र अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर समाप्त किया जाना था ।) श्री हर्शमैन द्वारा उठाए गए कदम को देखते हुए आयोग ने अधिनियम की धारा 5(2) के तहत श्री हर्शमैन को एक भाग पत्र** भेजा जिसमें मांग-पत्र में सम्मिलित 22 प्रश्नों में विनिर्दिष्ट सामग्री से सम्बन्धित सूचना मांगी गई थी । यह पत्र भी विदेश सचिव के माध्यम से वाशिंगटन में भारतीय राजदूत को संबोधित एक आवरण पत्र में भेजी गई थी । वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में काउंसिलर श्री जे.एन. राय ने 18 जून 1987*** को यह पत्र श्री हर्शमैन (जैसाकि श्री हर्शमैन स्वयं उपलब्ध नहीं थे) के सचिव मि. नोलन को सौंपा था । श्री हर्शमैन से यह अनुरोध किया गया कि वे मांग पत्र में सम्मिलित उक्त 22 प्रश्नों का उत्तर उनसे मांगी गई सूचना के संबंध में एक विवरण पर हस्ताक्षर करते हुए भेजें । उनसे अनुरोध किया गया था कि वे इसे दूतावास के किसी अधिकारी को सौंप दें ताकि उसे आयोग को भेजा जा सके अथवा आयोग के नाम एक पत्र लिखे और उसे आयोग में भेजने के लिए ऐसे ही अधिकारी के सुपुर्द कर दें । यद्यपि, आयोग का मांगपत्र विधिवत रूप से भेज दिया गया था लेकिन श्री हर्शमैन ने इस पत्र की पावती भी नहीं भेजी और न ही सूचना भेजने के लिए दी गई प्रश्नावली का ही उत्तर दिया । आयोग को काफी समय तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि पत्र को अमरिका पंहुचाने में कुछ समय लग सकता था । श्री हर्शमैन को प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए आयोग को उन्हें पर्याप्त समय भी देना था । आयोग ने काफी

---

* विदेश सचिव का 16 मई 1987 पत्र सं. जे.टी/413/एफ.एस/87 (ई.एक्स.सी - 48)

** टी. एस. न.12/1987 दिनांक 27 मई 1987 (ई.एक्स.सी. - 46) ।

*** विदेश सचिव का 30 जून 1987 का पत्र सं. टी - 845/एफ.एस/87 ।

समय प्रतीक्षा की लेकिन तब भी काफी समय तक कोई उत्तर नहीं मिला और आयोग ने 21 जुलाई 1987* को श्री हर्शमैन को एक और पत्र भेजा । यह अधिनियम की धारा 5(2) के तहत पूरक मांग-पत्र था । श्री हर्शमैन को इस तथ्य से फिर अवगत करवाया गया कि वे 27 मई 1987 के उस मांग-पत्र का जवाब देने में असमर्थ रहे हैं जो उन्हें 18 जून 1987 को भारत के दूतावास के माध्यम से भेजा गया था । उनसे फिर 21 जुलाई 1987 के मांग पत्र में सम्मिलित 15 मुद्दों पर सूचना भेजने के लिए भी कहा गया । उनसे पहले के मांग पत्र (दिनांक 27 मई 1987) में सम्मिलित 22 प्रश्नों से संबंधित सूचना और पूरक मांग पत्र (दिनांक 21 जुलाई 1987)** में सम्मिलित 15 प्रश्नों से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया ताकि संबंधित सूचना अधिक से अधिक 3 अगस्त 1987 तक आयोग के कार्यालय में अवश्य पहुंच जाए । उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने उत्तर की पुष्टि के संबंध में आयोग को केबिल द्वारा अवगत कराएं जो कि सीधे ही भेजा जा सकता था अथवा वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को सौंपा जा सकता था । आयोग ने श्री हर्शमैन को इस संबंध में भी सूचित किया कि उक्त दोनों मांग पत्रों का उत्तर भेजने में उनके असफल रहने का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह जांच कार्य में आयोग का साथ नहीं देना चाहते है और इसके लिए उनके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाना पड़ेगा और इसके अगले परिणाम कानून के तहत संचालित किए जाएंगे । आयोग ने पूरक मांग पत्र के साथ श्री हर्शमैन द्वारा संवाददाताओं को दिए गए उन साक्षात्कारों की कतर में संलग्न की जो उन्होंने साक्षात्कार के समय संवाददाताओं को सार्वजनिक रूप से दी थी और भारत तथा अमरीका में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी । श्री हर्शमैन ने फिर भी ऐसा नहीं किया और उक्त मांग पत्रों का उत्तर नहीं दिया । जहां तक कि उन्होंने उसकी पावती भेजने की भी परवाह नहीं की । इसके बाद आयोग ने 1 अगस्त 1987 के अधिनियम की धारा 8 (ख) के तहत उन्हें एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्हें अधिनियम की धारा 8 (ख) और 8 (ग) के तहत उन्हें उनके अधिकार से अवगत कराया गया था और उन्हें यह सूचित किया गया कि उनके आचरण की जांच करने की आवश्यकता है और इससे उनकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । उन्हें यह बताया गया कि यदि वे इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकेंगे तो उनके विरूद्ध इस आधार पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी कि वे अपनी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात जानने के बावजूद भी जांच कार्य में भाग नहीं ले रहे है । उन्हें यह भी सूचित किया गया कि यह जांच 17 अगस्त 1987 को आयोग के कार्यालय में प्रातः 11 बजे की जाएगी । श्री हर्शमैन ने विहित तारीख को अथवा इसके बाद की किसी अन्य तारीख को स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने की भी परवाह नहीं की । वास्तव में उन्होंने नोटिस प्राप्त होने की प्राप्ति सूचना*** भेजने की भी जरूरत नहीं समझी ।

ये मामले जिनके संबंध में 27 मई 1987 तथा 21 जुलाई 1987 के दो मांग पत्रों के तहत श्री हर्शमैन से सूचना मांगी गई थी ।

मांग पत्र के अन्तर्गत नीचे बताए गए 22 प्रश्न श्री हर्शमैन से जांच कार्य के लिए उपयुक्त अथवा संगत समझे जाने वाले मुद्दों पर सूचना प्राप्त करने के लिए भेजे गए थे ।

---

* *टी.एस. न. 12/1987 दिनांक 21 जुलाई 1987 (इ.एक्स.सी - 47)*

** *यह पत्र जाने माने कूरियर स्काइपेक के मार्फत भेजा गया था जिसने यह प्रमाणित किया था कि श्री मैकर्क ने 24 जुलाई 1987 को उसे प्राप्त कर लिया था ।*

*** *यह नोटिस स्काइपेक कूरियर के जरिए भेजा गया था जिसने यह प्रमाणित किया है कि मि. नोलन ने यह नोटिस 4 अगस्त 1987 को प्राप्त किया ।*

1. क्या श्री भूरे लाल के अलावा भारत सरकार के किसी अन्य अधिकारी से अपनी सेवाओं के उपयोग के बारे में आपकी कोई बात हुई ?
   (क) यदि हां, तो कृपया बताएं किसके साथ कब और कब-कब, किन तारीखों पर और वार्तालाप का पूरा ब्यौरा दें ।
   (ख) आप और श्री भूरे लाल के बीच जो प्रबन्ध हुए उनके संबंध में क्या शर्तें थी कृपया प्रबन्धों के बारे में पूरी तरह बताएं और क्या राशि दी जानी थी, कब यह दी जानी थी और किस करेंसी में यह दी जानी थी और किन आधारों पर यह दी जानी थी ऐसी सभी ब्यौरों सहित कृपया पूर्ण विवरण दें ।
2. क्या आपके आरम्भिक खर्चों, जैसे यात्रा खर्च, होटल खर्च और अन्य फुटकर खर्चे जो आपको श्री भूरे लाल की हिदायतों के अनुसार करने पड़े हों, को पूरा करने के लिए आपको धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई प्रबन्ध था? यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें ।
3. जब आप अथवा श्री मैक्के 21 दिसम्बर, 1986 से 3 जनवरी, 1987 तक न्यूयार्क में श्री भूरे लाल के आवास के दौरान उनके साथ रहे तो यात्रा खर्च, होटल प्रभारों और अन्य फुटकर खर्चों की आपने कैसे पूर्ति की ?
4. श्री भूरे लाल से आपका परिचय किसने कराया और पहली बार उनके सम्पर्क में कैसे आए और किस तारीख को ?
5. आप भारत में श्री भूरे लाल को कितनी बार मिले?
6. क्या आप नवम्बर 1986 से पहले श्री भूरे लाल को अमरीका में मिले थे?
   (क) यदि हां, तो किस संबंध में और बैठक में क्या बातचीत हुई ।
7. नवम्बर, 1986 के दौरान दिल्ली में श्री भूरे लाल के साथ बैठक में क्या तय हुआ?
8. आप श्री भूरे लाल को कब-कब मिलते रहे और कितनी बार और कहां?
9. कृपया ठीक-ठीक बताएं कि इन बैठकों के बीच आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई?
10. आपके नवम्बर 1986 में भारत आने का क्या प्रयोजन था?
11. आपको जिन शर्तों पर काम करना था उनके बारे में क्या कोई लिखित हुई थी? यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें आर उसकी जेरोक्स प्रतियां उपलब्ध करायें ।
12. यदि नहीं तो आपने किसी लिखित दस्तावेज के लिए क्यों नहीं आग्रह किया जिसमें आपकी सेवाओं का उपयोग करने के बारे में शर्तें दी जाती?
13. कृपया श्री भूरे लाल समेत भारत सरकार के किसी अधिकारी द्वारा आपके पक्ष में जारी हो सकने वाले किसी प्राधिकार पत्र की जेरोक्स प्रतियां उपलब्ध कराएं ।
14. बताया गया है कि आपने संदेश वाहक के माध्यम से एक लिफाफे में जो श्री भूरे लाल के नाम था कुछ दस्तावेज भेजे थे । यह क्या था जिसके साथ कोई आवरण पत्र नहीं था?
15. कृपया वे परिस्थितियां बताएं जिनमें अपराध अन्वेषण विभाग के श्री ब्रूनो को इस मामले में लाया गया, उन्हें कौन लाया और किन परिस्थितयों में लाया? कृपया पूरे ब्यौरें दें ।
16. श्री भूरे लाल जब अमरीका में थे उस समय आपसे ठीक-ठीक क्या करने के लिए कहा और जब वो वहां से प्रस्थान कर गये तो आपसे ठीक-ठीक क्या करने की आशा की गई और कैसे और किन साधनों से?
17. क्या इसके बारे में कोई लिखित रिकार्ड था?
18. यदि 16 का उत्तर हां में है तो मूल की जेरोएक्स प्रतियां भेजें ।
19. क्या आप और भारत सरकार के अधिकारी के बीच कोई पत्र व्यवहार हुआ? यदि हां तो कृपया ब्यौरें दें और बेहतर होगा की उसकी भी जेरोएक्स प्रतियां उपलब्ध करायें ।

20. नवम्बर, 1986 में अमरीका से भारत आने से पूर्व :

(क) क्या आपने यह निर्णय किया की आपको कहां रहना है?

(ख) क्या आपने भारत में किसी होटल में ठहरने के लिए कोई अग्रिम प्रबन्ध या आरक्षण किया? कृपया इस बारे में पूरे ब्यौरे दें कि प्रबन्ध किसी प्रकार किए गए और किसके माध्यम से किए गए, क्या प्रबन्ध सीधे किए गए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किए गए । यदि प्रबन्ध किसी अन्य व्यक्ति के जरिए किए गए हो तो कृपया यह बताएं की ठहरने के प्रबन्ध किसके जरिए किए गए, आपकी उसके साथ जान-पहचान का स्वरूप क्या था और यह तरीका क्या था जिसके अनुसार प्रबन्ध किए गए थे ।

(ग) नवम्बर, 1986 से पूर्व आप भारत अंतिम बार कब आये थे?

(i) आपके दौरे का प्रयोजन क्या था?

(ii) आपके दौरे का स्थान,

(iii) वह होटल जिसमें आप ठहरे ।

(iv) कृपया पूरे ब्यौरें दें ।

21. क्या बाम्बे डाईंग के श्री नसली वाडिया को जानते थे? कृपया इस बारे में पूरा ब्यौरा दें कि आप उनसे कैसे मिले, कैसे जान पहचान हुई और आपसे क्या संबंध है ।

22. क्या आप इंडियन एक्सप्रेस के गुरुमूर्ती को जानते थे? कृपया यह बताएं आपकी कब और कहां जान-पहचान हुई और आपकी उनके साथ जान-पहचान का क्या स्वरूप है और उनके साथ आपके क्या संबंध है ।"

जांच के प्रयोजन के लिए संगत और उपयोगी समझे जाने वाले मुद्दों पर सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से दूसरे माग-पत्र द्वारा श्री हर्शमैन से निलम्नलिखित 15 प्रश्न पूछे गए :-

"1. (क) क्या यह सच है कि मैसर्स डूपोंट के कानूनी सलाहकार श्री गैम्बैल आपकी कम्पनी के श्री मैकके को तब तक कोई सूचना देने के लिए तैयार नहीं थे जबकि भारत सरकार के भूतपूर्व प्रवर्तन निदेशक, श्री भूरे लाल भी उनके साथ थे जब तक कि भारत सरकार से सरकारी प्राधिकार पत्र न हो और आपके भागीदार श्री मैकके इस वजह से सूचना प्राप्त नहीं कर सके हालांकि वे बैठक में मौजूद थे?

(ख) यदि हां, तो आप अपने आप सूचना प्राप्त करने के लिए कैसे तैयार हो सके?

(ग) यदि हां, तो इसका *अर्थ* यह होगा कि मैसर्स डूपोंट फेयरफैक्स अथवा इसके अधिकारियों के दखल के बिना ही भारत सरकार के अधिकारी को सूचना सीधे देने के लिए तैयार थे । तो अन्वेषण अभिकरण के रूप में फेयरफेक्स की सेवाओ का क्या कोई उपयोग था?

2. (क) क्या यह सच है कि मैसर्स कैमटेक्स ने ऐसा अनुरोध किया था कि वे भारत सरकार द्वारा अपेक्षित इस प्रकार की सूचना देने के लिए तैयार थे यदि उनसे सीधा सम्पर्क किया जाए, परन्तु वे आपकी एजेंसी के जरिए कोई सूचना देने के लिए तैयार नहीं थे?

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अन्वेषण करने के लिए आपकी एजेंसी किस प्रकार तैयार थी और इससे प्रयोजन कैसे सिद्ध होना था?

3. (क) आयोग को मालूम हुआ है कि श्री भूरे लाल के लिखित प्राधिकार देने के बाद मैसर्स डूपोंट द्वारा जो सामग्री उपलब्ध कराई गई वह केवल पूछने के लिए ही उपलब्ध कराई

गई और न की आपके द्वारा किए गए किसी प्रयत्न के कारण उपलब्ध कराई गई। मैसर्स ड्यूपोंट इसे सीधे भेज सकते थे परन्तु इसलिए नहीं भेज सके क्योंकि श्री भूरे लाल ने इसे आपके माध्यम से भेजने की हिदायत दी थी। इस संबंध में आपकी टिप्पणियां क्या हैं?

(ख) इन परिस्थितियों में क्या यह कहा जा सकता है कि मात्र इन दस्तावेजों को भेजने के विषय में आपके अभिकरण ने केवल एक अपेक्षित एजेंट के रूप में कार्य किया है न कि एक अन्वेषण अभिकरण के रूप में और यह भी कि दस्तावेज हासिल करने के मामले में इसमें कोई अन्वेषणात्मक भूमिका नहीं निभाई है? इसके बारे में आपके विचार क्या हैं?

4. (क) वाशिंगटन में स्टेटसमैन के संवाददाता श्री वारणकुन्ना के साथ एक भेंट में जो 7 मई, 1987 को हुई बताई गई है, आपने अन्य बातों के साथ आपने यह कहा कि आप भारत के लोगों को इस बारे में संदेश भेज रहे हैं कि आप एक संवेदनशील सूचना को जाहिर करेंगे जो आपने एकत्र की जब तक कि आपको यह बात स्पष्ट न हो जाए कि भारत सरकार द्वारा गठित आयोग एक ईमानदारी और न्यायोचित कार्य करने वाला था। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने का दावा करते हुए क्या एक एजेंट के रूप में आप समझते हैं कि यह ठीक, उचित, सम्मानजनक अथवा उस आयोग की निंदा करना नैतिक रूप से ठीक था जो आपके कथित नियोक्ता द्वारा आपकी नियुक्ति के संबंध में जांच करने के लिए गठित किया गया हो। यदि आप स्वयं ऐसे नियोक्ता होते जो एक अन्वेषण अभिकरण को नियुक्त करना चाहता हो क्या आप ऐसे अभिकरता को नियुक्त करते जो आपको हानि पहुंचाने की धमकी देता अथवा आपके द्वारा आपके विभाग की ओर से एकत्र किए गए ऐसे संवेदनशील मामलों का उपयोग अथवा जाहिर कर देता जो आपके लिए हानिकारक होते अगर आप या आपका भागीदार उस विशेष अथवा किसी विदेशी जासूसी अभिकरण को नियुक्त करने के औचित्य के बारे में क्या कोई तर्क था?

(ख) आपने भेंट में श्री वारन कुन्ना को प्रश्न संख्या 4(क) में उल्लेख किया गया है यह कहा गया बताया है कि सरकार को अस्थिर करने और भारत की आंतरिक राजनीति में दखल देने के दोषी पाए जाने के जोखिम पर आप श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के अधीन एक आयोग की नियुक्ति चाहते। क्या आपका विचार है कि यदि आप स्वयं किसी अभिकरण को नियुक्त करने का अवसर पाते तो क्या आप इस तरह के अभिकरण को नियुक्त करते जो ऐसा कुछ करना चाहता था जो नियोक्ता को अस्थिर कर देता और उसके आंतरिक मामलों में दखल देता है? क्या आप एक एजेंट का अपने कथित नियोक्ता के प्रति इस तरह व्यवहार करना ठीक, उचित, सम्मानजनक अथवा नीति परक समझते हैं?

5. क्या आपका यह दृष्टिकोण है कि आपके अभिकरण को अपने नियोक्ता के प्रति कोई वफादारी दिखाने का दायित्व नहीं है और क्या आप अपने नियोक्ता की छवि धूमिल करने के लिए की गई उदघोषणा में कोई निंदा महसूस नहीं करते, अगर आप उसके बारे में कुछ अनावृत कर सकें और आपके पास ऐसा कोई कारण हो जिससे आपके नियोक्ता द्वारा ऐसा कुछ किया गया हो जिससे आप अव्यवस्थित भी हो गए हों?

6. जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि आपको भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, क्या आप आपके नियोक्ता द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा पूछताछ के दौरान जैसा कि आप अब तक करते रहे हैं अपने कथित नियोक्ता को सूचना देने से इंकार करना न्यायोचित

समझते हैं? क्या इससे इस बात का पता नहीं चलता कि आपका वास्तविक नियोक्ता, आपके प्रत्यक्ष नियोक्ता से भिन्न कोई और है?

7. क्या आप बता सकते है कि आप आयोग द्वारा उनके दिनांक 27 मई, 1987 के पत्र में आपसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं, यदि आपको इस संबंध में कुछ छिपाना नहीं है और आप अन्य व्यक्तियों की ओर से कार्य नहीं कर रहे हैं।

8. (क) वाशिंगटन बिजनेस जर्नल के साथ हुए साक्षात्कार में, जिसे उनके 11 मई, 1987 के संस्करण में प्रकाशित किया गया था, आपने यह कहा गया बताया है कि आप भूतपूर्व सी.आई.ए., एफ.बी.आई.आई.आर.एस., सैनिक गुप्तचर कार्मिकों को नियुक्त करते हैं। आपके उपाध्यक्ष, श्री मैकके ने बताया कि फैडरल एजेंसियों के साथ आमतौर पर सूचना का अदान-प्रदान किया जाता है। क्या आप उक्त रिपोर्ट की यथार्थता से इन्कार करते हैं?

(ख) आपने इसमें कहा गया बताया है कि आप अपने कार्य के लिए, लिए जाने वाले पारिश्रमिक के बारे में कुछ नहीं बता सकते, सिवाय इसके कि आप अपने नियोजक से घन्टा-वार आधार पर और कुछ मामलों में निर्धारित मूल्य आधार पर धन लेते हैं। क्या आप इस बयान से इन्कार करते हैं?

(ग) आप इस बात को कहने से क्यों मुकर रहे है कि आप पारिश्रमिक संबंधी किन-किन शर्तों पर भारत सरकार की ओर से कथित रूप से नियोजित थे? क्या इस संबंध में कुछ छिपाने के लिए है, जबकि आपका अपना कथित नियोजक आपसे इस बारे में सूचना मांग रहा है?

9. (क) क्या आप बता सकते है कि आप यह कहने से मना क्यों करते है कि क्या आपको आपकी व्यावसायिक फीस का भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, जबकि यह सूचित किया गया है कि आपका साक्षात्कार श्री "महेश जेठामलानी" द्वारा "लैक्स एट जूरिस" के जून, 1987 के संस्करण में प्रकाशित किया गया है?

(ख) क्या आप इस बात से इन्कार करते है कि आपने साक्षात्कार के दौरान श्री महेश जेठामलानी को बताया कि आपको सन्देह है कि आप आयोग के समक्ष पेश होंगे या आयोग के साथ सहयोग करेंगे?

(ग) वाशिंगटन बिजनेस जर्नल के दिनांक 11 मई, 1987 के अंक में प्रकाशित साक्षात्कार में, आपने यह कहा गया बताया है कि आपको उद्योग तथा सरकार के काम-काज की जांच करने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री (श्री वी.पी.सिंह) द्वारा नियुक्त किया गया है। यथापि, प्रश्न संख्या 9(क) में उल्लिखित "लैक्स एट जूरिस" में प्रकासित श्री महेश जेठामलानी के साथ हुए अपने साक्षातकार में, आपने यह कहा गया बताया है कि आपकी नियुक्ति शायद श्री वी.पी.सिंह की सहमति से श्री भूरे लाल द्वारा की गई है। कृपया इन दोनों बयानों में असंगति के बारे में स्पष्टीकरण दें।

10. क्या आप इससे इन्कार करते है कि 3 जून, 1987 को श्री एस.ए.अयर (वाशिंगटन में इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता) के साथ हुए साक्षात्कार के दौरान आप ने बताया कि भारत सरकार के लिए जांच करना आसान है और यह कि गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा ग्रुपों के लिए कार्य करने के संबंध में उतनी आसानी से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

11. टाइम्स आफ इंडिया के संवाददाता, श्री जे.एन.पैरिमू के साथ 4.4.1987 को हुए साक्षातकार के दौरान आपने इस संबंध में सूचित किया बताया गया है कि नवम्बर, 1986 में आपकी नियुक्ति किए जाने से पूर्व, आप का श्री गुरुमूर्ति से कुछ सम्पर्क रहा

था । कृपया बताएं कि यह सम्पर्क कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ और उनके साथ इस प्रकार का सम्पर्क बनाए रखने का आपका अभिप्राय क्या था ।

12. वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए साक्षात्कार में, जिसके बारे में पैस ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा सूचित किया गया और जो 3.4.1987 के स्टेट्समेन में प्रकाशित हुआ, आपने यह बताया है कि आपने इंडियन एक्सप्रेस के सलाहकार श्री गुरुमूर्ति से बात-चीत की थी, जिसमें आपने अपनी अलग-अलग पड़तालों के बारे में बहुत कुछ बताया था । क्या आप इस बात से इन्कार करते हैं कि आपने ऐसा बयान दिया था?

13. (क) 4 अप्रैल, 1987 को टाइम्स आफ इंडिया के संवाददाता श्री जे.एम. पेरिमू के साथ हुए साक्षाकार के दौरान आपने कहा है कि प्रवर्तन निदेशक, श्री भूरे लाल ने आपको दिल्ली बुलाया था, जहां आपको कार्य सौंपा गया था और यह भी कि श्री भूरेलाल ने आपको बताया कि उन्होंने वित्त मंत्री की अनुमति प्राप्त कर ली है ।

(ख) यदि आपने जो कुछ बताया है, वह सच है तो आपने भारत में आने से पूर्व श्री भूरे लाल से सम्पर्क कैसे स्थापित किया था ? क्या उसने आपको कोई पत्र या टेलेक्स आदि भेजा था ।

14. (क) क्या आप इससे इन्कार करते है कि नवम्बर, 1986 में आपके ठहरने के लिए दिल्ली के ओबराय होटल द्वारा आपको जारी किए गए बिल पर मैसर्स बाम्बे डाइंग का नाम छापा गया था ।

(ख) यदि यह नाम इस प्रकार से छापा गया था तो क्या आप यह बता सकते है कि किन परिस्थितियों में आपको जारी किए गए बिल, जिसका भुगतान आपने केडिट कार्डों के माध्यम से किया था, के सबसे ऊपर यह नाम छापा गया था ।

15. (क) क्या आपने 5 मार्च, 1987 और 7 मार्च, 1987 को श्री नसली एन. वाडिया के बम्बई में लगे उनके टैलीफोनों के माध्यम से उनसे बात चीत की थी? क्या आपने इन फोन कालों की अदायगी कैडिट कार्डों के माध्यम से की है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों और किस संबंध में?

(ग) कृपया बाम्बे डाइंग के चैयरमैन श्री नसली एन. वाडिया के साथ अपने संबंधों के बारे में बताएं और इस बारे में ब्यौरे दें कि आप उनसे पहली बार कब मिले, किस संबंध में मिले और आपके संबंध का स्वरूप और सीमा क्या थी ।

अधिनियम की धारा 8 (ख) और 8 (ग) के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस के उत्तर में श्री हर्शमैन के आयोग के समक्ष प्रस्तुत न होने और सूचना न देने के प्रसंग में उत्पन्न स्थितिः

पहले तो श्री हर्शमैन ने पूर्णतया अप्रसंगिक प्रश्नों जैसे (1) आयोग गठित करने का प्रयोजन और (2) फेयरफेक्स आदि की लेखन सामग्री पर कथित जाली पत्रों के संबंध में कार्रवाई करने में सरकार का असफल रहना, के द्वारा भारतीय दूतावास के माध्यम से सूचना भेजने के आयोग के काफी अनुरोध को स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त की । दूसरे उन्हें भेजे गए दो पत्रों का उत्तर नहीं दिया इसके अलावा श्री हर्शमैन ने अमरीका और भारत में समाचार-पत्रों में प्रकाशित अनेक वक्तव्य * दिए है । लेकिन उन्होंने पत्रों की प्राप्ति सूचित करने की परवाह नहीं की और इस बारे में भी आयोग को अवगत कराने की परवाह नहीं की क्या वे सूचना भेजकर अथवा आयोग के

दी स्टटेसमेन दिनांक 8.5.87, 11 मई, 1987 के सप्ताह का वाशिंगटन बिजनेस जरनल, लेक्स एट ज्यूरिस दिनांक 6 जून, 1987, एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, वाशिंगटन (इण्डियन एक्सप्रेस) दिनांक 4.6.87, टाइम्स आफ इण्डिया दिनांक 4.4.87 और वाशिंगटन पोस्ट (स्टटेसमेन) दिनांक 3.4.87 ।

समक्ष प्रस्तुत होकर और केवल तलब करने का उत्तर और मांगी गई सूचना देकर सहयोग करना चाहेंगे या नहीं। इन परिस्थितियों में आयोग ने यह स्वीकार कर लिया कि इस प्रसंग में आयोग के किसी अधिकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने से कोई लाभकारी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इससे काफी सरकारी समय और सरकारी धन की कीमत पर अनावश्यक और व्यर्थ का ही अभ्यास होगा। तदनुसार आयोग ने अन्य विकल्पों को निकाल देने के अपने पूर्व निर्णय को ही माना। फेयरफैक्स अथवा श्री हर्शमैन के आयोग के समक्ष जांच के संबंध में प्रस्तुत न होने अथवा सूचना न देने का दूसरा परिणाम यह था कि आयोग को इसके द्वारा एकत्र की गई सामग्री और परिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालने पड़े। आयोग के पास पहले बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर न प्राप्त होने के प्रसंग में उचित रूप से उत्पन्न होने वाले उपयुक्त प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आयोग को श्री हर्शमैन द्वारा विभिन्न समाचारपत्रों और पत्र-पत्रिकाओं जिनका प्रकाशन भारत और अमरीका में हुआ में दिए गए सार्वजनिक वक्तव्यों जिनकी फोटोस्टेट प्रतियां 21 जुलाई, 1987 के मांगपत्र के साथ भेजी गई थी और जिनके अपना न होने से श्री हर्शमैन ने इन्कार नहीं किया है, के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालना पड़ा।

जान-बूझ कर सूचना न देने और सार्वजनिक वक्तव्यों से उत्पन्न अप्रतिरोध निष्कर्ष

इनसे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं : (1) आयोग द्वारा एकत्र की गई सामग्री (2) विभिन्न समाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं के संवाददाताओं से भेंट में श्री हर्शमैन द्वारा की गई उद्घोषणा जिससे उसने इंकार और अथवा विवाद प्रकट नहीं किया है और (3) उनका उन्हें जारी की गई मांग (तलब नोटिस) का उत्तर न दे पाना जिसमें उनसे भारत सरकार के अधिनियम के अधीन गठित आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सूचना देने का अनुरोध किया गया था।

वफादारी की कमी

यद्यपि श्री हर्शमैन भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने का दावा करते हैं फिर भी उन्होंने इनके बारे में सूचना देने से इंकार कर दिया है : (1) उनकी नियुक्ति कैसे की गई (2) उनकी नियुक्ति किसने की (3) वह किन शर्तों पर नियुक्त किए गए (4) वह किस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए। ये वे प्रश्न हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति उस आयोग को उत्तर देने से इंकार करने का औचित्य नहीं दे सकता जिसे स्वयं भारत सरकार द्वारा संबंधित अधिनियम के अंतर्गत जांच के लिए प्राधिकृत किया गया हो। अपनी नियुक्ति के स्वरूप और अपने नियोक्ता के प्राधिकार के अधीन अपनी नियुक्ति की शर्तों के बारे में कोई व्यक्ति उत्तर देने से कैसे इंकार कर सकता है ? यह निष्कर्ष निकलता है कि उनमें अपने नियोक्ता के प्रति कोई आदर और सम्मान नहीं है और उनमें अपने नियोक्ता के प्रति कोई वफादारी अथवा वचनबद्धता नहीं है। दिनांक 27 मई, 1987 की प्रश्नावली का प्रश्न संख्या[1] इस प्रकार है :-

"1. क्या श्री भूरेलाल के अलावा भारत सरकार के किसी अन्य अधिकारी के साथ आपकी सेवाओं के उपयोग के बारे में आपकी कोई बात हुई ?

(क) यदि हां, तो कृपया किसके साथ, कब, कितनी बार और किन तारीखों पर बात हुई और अपने वार्तालाप का पूरा ब्यौरा दें।

(ख) आप और श्री भूरेलाल के बीच जो प्रबंध किए गए उनके विषय में शर्तें क्या थीं ? कृपया प्रबंधों के बारे में बताएं जिसमें दी जाने वाली राशि क्या थी, यह कब दी जानी थी और किन अवसरों पर यह दी जानी थी, के विषय में पूरे ब्यौरे दिए जाएं।"

क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के किसी नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए जाने का दावा करता हो इस प्रकार के अहानिकारक प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करने का औचित्य दे सकता है ? किस आधार पर ? क्यों ? उसके लिए क्या जोखिम है ? और इसमें छुपाने की क्या बात है ?

II रोजगार के संदिग्ध स्वरूप के होने के बारे में उत्पन्न संदेह

तात्पर्य ये है कि श्री हर्शमैन अपने आप को अपने रोजगार की नियुक्ति की शर्तों के संबंध में वचनबद्ध नहीं करना चाहता जो आश्चर्यजनक और विकट हैं यदि इस लेन-देन में कोई संदिग्ध बात न हो । अथवा यदि उन्हें खुले तरीके से भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत नियुक्त किया गया है और यदि श्री हर्शमैन अपने नियोक्ता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था और सादाश्यता के काम कर रहा है ।

III क्या और कोई वास्तविक नियोक्ता था? कोई सम्पार्श्व प्रबन्ध था?

यद्यपि श्री हर्शमैन ने अपनी कथित नियुक्ति के कोई लिखित करार अथवा शर्तों और गुंजाइश के बारे में बताने से इंकार कर दिया है फिर भी तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक ने आयोग के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि श्री हर्शमैन के साथ कोई करार नहीं किया गया था और यह कि श्री हर्शमैन ने लागु संबंधित पुरस्कार नियमों के अनुसार काम करने के लिए सहमति दी थी जिसके अनुसरण में उनके आरम्भिक खर्च आदि के लिए भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं था । अब पुरस्कार नियम 3.2.1 के अनुसार, "मुखबिर" ड्यूटी के 20% तक पुरस्कार पाने के पात्र होंगे यदि कोई प्रवंचना की जानी हो और इसके साथ लगाए गए जुर्माने और दंड के 20% को प्राप्त करने का इस शर्त के अधीन हकदार होगा कि संबंधित माल के बाजार मूल्य के 20% से अधिक न हो । श्री भूरे लाल के साक्ष्य के अनुसार मैसर्स फैयरफैक्स ग्रुप इंक.और श्री हर्शमैन को पारितोषिक के प्रयोजन के लिए पारितोषिक नियम 3.2.1 के अर्थानुसार मुखबिरों का दर्जा प्राप्त था । यह नितान्त असंभव सी बात है कि श्री हर्शमैन ऐसे आधार पर काम करने के लिए सहमत हो जाते जिसमें उस जेबखर्च के लिए भी कोई भुगतान करने की व्यवस्था नहीं थी जो अन्वेषण जिसके लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाना था, के संबंध में आवश्यकता थी । "20% तक" की अभिव्यक्ति के महत्व पर और अधिक बल नहीं दिया जा सकता । संबंधित प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करते हुए यह उससे भी कम हो सकती थी । क्या श्री हर्शमैन अमरीका में इस तरह कार्य करने के लिए सहमत हो जाते और अपना समय और प्रयत्न इस प्रकार के अनिश्चित आधारों पर निवेशित करते । अपने यात्रा और अन्य खर्चों के संबंध में क्या वे खाली जेब रहते ? उन भुगतानों के बारे में क्या स्थिति है जो वे उन व्यक्तियों को करते जिनके साथ उन्होंने सहयोग किया और अपने अभिकर्ता अथवा कर्मचारियों के संबंध में करते जो कार्य उन्होंने किया ? क्या वे खाली जेब रहते हुए इस आशा में इस कार्य के लिए कितना बड़ा व्यय कर पाते कि पुरस्कार नियमों के अधीन उन्हें उस स्थिति में संभावित भुगतान मिलेगा यदि कानून द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली सूचना वे प्राप्त अथवा उपलब्ध करा पाते । न्यायिक नोटिस के इस तथ्य का ध्यान रखना है कि जो व्यय किया जाना था वह अमरीका में जहां भुगतान किए जाने वे बड़े पैमाने पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काफी अधिक होता । पुनः श्री हर्शमैन यह बात साबित होने पर ही केवल पारिश्रमिक की आशा कर सकते थे कि कथित प्रवंचक के विरूद्ध मामले में वास्तव में ड्यूटी को छोड़ दिया गया था और न्यायिक कार्रवाईयो के समाप्त होने पर उस पर दंड लगाया

गया था जिसमें मामले के स्वरूप के अनुसार खर्चे लगते । इस कारक को भी इस तथ्य की पृष्ठभूमि में स्वीकार किया जाना है कि वाशिंगटन बिज़नेस जरनल के दिनांक 11 मई, 1987 के अंक में दी गई भेंट में उनके द्वारा यह बताया गया था कि "सामान्यतः" वे घंटों के आधार पर और कभी-कभी निर्धारित कीमतों के आधार पर प्रभार स्वीकार करते थे । यह उल्लेखनीय है कि श्री भूरेलाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री हर्शमैन को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया और वास्तव में उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाना था । इस बारे में उत्तर देने से श्री हर्शमैन का इंकार करना कि क्या यात्रा, होटल, आवास और अन्य होने वाले खर्चों जैसे आरम्भिक खर्चों को पूरा करने के लिए क्या कोई व्यवस्था, इस निष्कर्ष का औचित्य सिद्ध करता है कि इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया था । इस संबंध में उसने अपने दावे के लिए क्यों नहीं जोर देना चाहिए था । इसके उत्तर में श्री भूरेलाल ने बताया कि इस प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाना था इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या श्री हर्शमैन क्या कभी ऐसी शर्तों पर काम करने के लिए सहमत हो सकते थे । इससे आश्चर्य होता है कि क्या उन्हें किसी अन्य निजी पार्टी द्वारा काम पर लगाया गया था और क्या ऐसे खर्चों की अदायगी के लिए और उनके पारिश्रमिक के लिए भिन्न आधार पर कोई सहयोगी व्यवस्था की गई थी । अन्यथा श्री हर्शमैन क्यों अपनी सेवाएं ऐसी शर्तों पर उपलब्ध कराने के लिए सहमत होते जैसी कि श्री भूरेलाल ने बताई हैं । यह बात बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं है कि एक अमेरिकी निजी गुप्तचर एजेंसी इतने बड़े अपने खर्च के साथ वस्तुतः निःशुल्क कार्य करने के लिए सहमत होती । इस सौदे की उम्मीद में कि इसकी अन्वेषण के फलस्वरूप कुछ कर-अपवंचन का पता चलेगा, कथित अपराधकर्ता उसके लिए दोषी पाया जाएगा और उस पर जुर्माना किया जाएगा और फिर उस पर एजेंसी को दोष सिद्ध हो जाने तथा जुर्माने की सजा दिए जाने के मामले में अधिकतम 20% राशि प्राप्त होती और इस उम्मीद में यह यात्रा, होटल, प्रयोजन के लिए, सूचना देने वालों और अपने एजेंटों को अदायगी करने के लिए सिर्फ उम्मीद पर ही इतना बड़ा खर्च क्यों करता जो शायद पूरी होती अथवा नहीं होती । इस सम्बन्ध में उनसे पूछे गए प्रश्न 1. उद्धरित करना प्रारंभिक होगा । यहां उन परिस्थितियों के महत्व पर बल देना आवश्यक है कि जब श्री महेश जेठामलानी ने श्री हर्शमैन का साक्षात्कार 2. किया था तो उन्होंने यह बताने से इंकार कर दिया था कि क्या उन्हें कोई पेशेवर शुल्क दिया गया था अथवा नहीं । ईश्वर जाने ।

---

1. "2. क्या आपके प्रारंभिक खर्च को पूरा करने के लिए जैसे किया था खर्च, होटल का खर्च व अन्य प्रासंगिक खर्च जो आपको श्री भूरेलाल के अनुदेशानुसार कार्य करने के लिए (खर्च करने पड़ सकते हैं आपको धन की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रबन्ध है ? यदि हां, तो कृपया ब्योरा दें ।

11. क्या कोई लिखित करार सम्पन्न किया गया है जिसमें आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य की शर्तें दी गई हों ? यदि हां तो ब्योरा दें और उसकी फोटो प्रतियां उपलब्ध कराएं ।

12. यदि नहीं, तो आपने किसी लिखित दस्तावेज को तैयार करने पर जोर क्यों नहीं दिया, जिसमें आपकी सेवाओं का उपयोग करने के सम्बन्ध में शर्तें दी गई हों ?"

2. "9(क) क्या आप यह स्पष्टीकरण दे सकते है कि आपने यह बताने से क्यों इंकार किया कि क्या आपको कोई पेशेवर शुल्क दिया गया है अथवा नहीं जबकि श्री महेश जेठामलानी ने आपका साक्षात्कार लिया था जिसकी रिपोर्ट "लैक्स एटज्यू रिश" के जून, 1987 संस्करण में छपी थी ?"

कोई ही सीधा-सादा व्यक्ति होगा जो यह विश्वास कर ले कि श्री हर्शमैन ने ऐसी किसी व्यवस्था को प्राप्त करने की आशा में अपने स्वयं के खर्च पर भारत की यात्रा की होगी जो प्रथम दृष्टया अलाभकर प्रतीत होती है और जिसने उन्हें किसी प्राधिकार व्यक्ति के साथ कोई लिखित करार किए बिना, किसी विदेशी सरकार से, किसी दिन, कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करने की साहसिक आशा में अपनी जेब से ये सब खर्च करने के लिए प्रेरित किया होगा। अतः इससे अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी प्राइवेट पक्ष द्वारा गुप्त रूप से की गई किसी संपार्श्विक सहमति के अधीन उनकी नियुक्ति की गई थी। श्री भूरे लाल की गवाही से पता चलता है कि श्री मैके जो कि मेसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक. के उपाध्यक्ष हैं, श्री भूरे लाल के साथ मेसर्स ड्यूपोंट के कार्यालय और अन्य स्थानों पर गए थे और उन्होंने श्री भूरे लाल की 21 दिसम्बर, 1986 से 3 जनवरी, 1987 तक ठहरने की अवधि मे यात्रा खर्चों, होटल प्रभारों आदि की अदायगी की थी। श्री भूरे लाल का कहना है कि उन्होंने श्री हर्शमैन को या मेसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक. को इस बात के लिए कोई अदायगी नहीं की थी। यह बिल्कुल संभव नहीं है कि वे यह सब श्री भूरे लाल के साथ किए गए किसी मौखिक वायदे के आधार पर करेंगे और इससे इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि किसी अन्य पक्ष के साथ गुप्त रूप से कोई न कोई संपार्श्विक व्यवस्था की गई है। श्री भूरे लाल ने यह नहीं बताया कि श्री हर्शमैन को वास्तव में क्या करने को कहा गया था और श्री हर्शमैन ने इस प्रश्न* का उत्तर देने से इन्कार कर दिया कि वास्तव में उन्हे क्या करने के लिए कहा गया था।

IV. क्या उनका संबंध सी.आई.ए. से था ? क्या उनको नियुक्त करना सुरक्षित था ?

वाशिंगटन बिजनेस जरनल के दिनांक 11 मई, 1987 के अंक को दिए गए अपने इंटरव्यू में श्री हर्शमैन द्वारा ऐक्स-सी.आई.ए., एफ.बी.आई., आई.आर.एस. मिलिटरी आसूचना कार्मिकों को नियुक्त करने की बात को स्वीकार कर लिया गया है। श्री मैके ने, जो कि फेयरफैक्स ग्रुप इंक. के उपाध्यक्ष हैं, बताया है कि फेडरल एजेंसियों के साथ आमतौर पर सूचना आदान-प्रदान की जाती है। श्री हर्शमैन ने इस प्रश्न** का भी उत्तर देने से इन्कार कर दिया। इससे और स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

V. उनकी नियुक्ति किसने की, इसके बारे में असंगत बयानः

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या श्री हर्शमैन विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा की गई

---

* *"8 (ग) -- आप यह क्यों नहीं बताना चाहते कि पारिश्रमिक की तथाकथित शर्तें क्या थीं जिन पर भारत सरकार की ओर से आप को नियुक्त किया गया? इसमें छुपाने वाली बात क्या है जब स्वयं आपका कथित नियोक्ता आपसे इस विषय में सूचना मांग रहा है।"*

** *"8(क)-- वाशिंगटन बिजनेस जरनल को दिए गए इंटरव्यू में जो दिनांक 11 मई, 1987 के अंक में प्रकाशित हुआ था, आपने यह कहा गया बताया है कि आप एक्स-सी.आई.ए., एफ.बी.आई., आई.आर.एस., मिलिटरी आसूचना कार्मिकों की नियुक्ति करते हैं। आपके उपाध्यक्ष श्री मैके ने बताया कि आप फेडरल एजेंसियों के साथ आमतौर पर सूचना की हिस्सेदारी करते हैं। क्या आप उक्त रिपोर्ट की सच्चाई से इन्कार करते हैं ?*

अथवा शायद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सहमति से श्री भूरे लाल द्वारा की गई तो इसके उत्तर में वे असंगत बयान देते रहे हैं । 11 मई, 1987 को वाशिंगटन बिजनेस जरनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में श्री हर्शमैन ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा रखा गया था । इसके विरुद्ध श्री महेश जेठमलानी के साथ दिए गए इंटरव्यू में जो कि लेक्स एट जूरिस के दिनांक 19 जून, 1987 के अंक में प्रकाशित हुआ था, उन्होंने यह बताया कि उन्हें शायद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सहमति से श्री भूरे लाल द्वारा नियुक्त किया गया । श्री हर्शमैन से जब इस संबंध में प्रश्न* पूछा गया तो उन्होंने इसका उत्तर देने से इंकार कर दिया ।

vi. देखने में और वास्तव में - क्या पर्दे के पीछे कोई नियोक्ता था ।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हर्शमैन ने किसी अन्य प्राईवेट पक्ष की ओर से की जा रही जांचों के संबंध में आसानी से सूचना प्राप्त करने के लिए बहाने के रूप में पुरस्कार नियमावली संबंधी कुछ व्यवस्था की थी जैसा कि इस तथ्य से पता चल जाएगा कि उन्होंने 3 जून, 1987 को वाशिंगटन में इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता श्री एस. ए. अय्यर को बताया था कि भारत सरकार के लिए जांच कार्य करना ज्यादा आसान था और यह कि प्राइवेट व्यक्तियों और ग्रुपों के लिए काम करने से उतनी आसानी से सूचना प्राप्त नहीं होती । इस संबंध में प्रश्न** पूछे जाने पर श्री हर्शमैन ने उत्तर देने से इन्कार कर दिया । इस सन्दर्भ में यह समझा जाने वाला कि श्री एस.ए. अय्यर ऐसी कहानी नहीं घढ़ सकते थे और उसे श्री हर्शमैन के मुंह से नहीं कहलवा सकते थे, उनका जवाब न देना यह प्रकट करता है कि उनका संपार्श्विक करार था और यह भारत सरकार का आड़ के रूप में प्रयोग कर रहे थे और भारत सरकार के वफादार नहीं थे । उनसे किए गए संगत प्रश्न*** का उत्तर देने से उनकी इंकारी इस विचार को मजबूत करती है ।

"9(ग)--वाशिंगटन बिजनेस जर्नल के दिनांक 11 मई, 1987 के अंक में प्रकाशित साक्षातकार में, आपने यह कहा गया बताया है कि आपको उद्योग तथा सरकार के काम-काज की जांच करने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री (श्री वी.पी. सिंह) द्वारा नियुक्त किया गया है, तथापि, प्रश्न संख्या 9(क) में उल्लिखित "लेक्स एट जूरिस" में प्रकाशित श्री महेश जेठमलानी के साथ हुए अपने साक्षात्कार में, आपने यह कहा गया बताया है कि आपकी नियुक्ति शायद श्री वी.पी.सिंह की सहमति से श्री भूरे लाल द्वारा की गई है । कृपया इन दोनों बयानों में असंगति के बारे में स्पष्टीकरण दें ।

**"10-- क्या आप इस बात से इन्कार करते हैं कि 3 जून, 1987 को श्री एस.ए. अय्यर (वाशिंगटन में इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता) को दिए गए इंटरव्यू में आपने बताया कि भारत सरकार के लिए जांच करना आसान है और यह कि प्राईवेट व्यक्तियों तथा ग्रुपों के लिए कार्य करने के संबंध में सूचना उतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है ।"*

***"6.आप यह दावा करते हुए कि आपकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई थी, क्या आप यह सोचते हैं कि आपका अपने ही (कथित) नियोक्ता को सूचना देने से इंकार करना आपके लिए न्यायसंगत है, जैसा कि आप अपने ही (कथित) नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए गए इस आयोग के द्वारा प्रश्न किए जाने पर अब तक कर रहे हैं ? क्या इससे इस बात का पता नहीं चलता है कि आपका वास्तविक नियोक्ता, आपके प्रत्यक्ष नियोक्ता से भिन्न, कोई अन्य ही है ?"*

वाशिंगटन पोस्ट के साथ एक भेंट में, जिसकी रिपोर्ट पी.टी.आई. द्वारा (तारीख 3.4.87 के स्टेट्समेन में प्रकाशित) हो गई थी, श्री हर्शमैन ने कहा था कि उनकी बातचीत इण्डियन एक्सप्रेस के सलाहकार श्री गुरूमूर्ति के साथ हुई थी और उन्होंने अलग अन्वेषणों के बारे में आपस में नोट बदले थे । श्री हर्शमैन ने प्रश्न * का उत्तर देने से इंकार कर दिया है और उन्होंने ऐसा बयान न देने से इंकार भी नहीं किया है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में वे भारत सरकार के अलावा किसी अन्य के लिए कार्य कर रहे थे । क्योंकि, अन्यथा यह श्री गुरूमूर्ति से जानकारी का आदान-प्रदान नही करते जिनका भारत सरकार की ओर से कोई शासकीय प्राधिकार नहीं था । इससे भी उनकी भारत सरकार के प्रति वफादारी में कमी प्रकट होती है । इसी प्रकार 4.4.1987 को टाइम्स आफ इण्डिया समाचार सेवा के श्री जे.एम. प्रभु के साथ एक भेंट में श्री हर्शमैन ने कहा था कि उनके नवम्बर 1986 में नियुक्ति किए जाने से पूर्व श्री गुरूमूर्ति के साथ कुछ संबंध था । श्री भूरे लाल ने भी यह कहा था कि यह श्री गुरूमूर्ति ही थे जिन्होंने उनका परिचय श्री हर्शमैन से कराया । परन्तु श्री हर्शमैन ने टाइम्स आफ इंडिया न्यूज सर्विस के श्री प्रभु से भेंट के दौरान यह भी कहा था किसी भूरे लाल ने उन्हें नई दिल्ली बुलवाया था और उन्होंने ही उनको यह सारा कार्य सौंपा । यह असंगतियों से भरपूर वक्तव्य उन सब परिस्थितियों के संबंध में एक सन्देह का वातावरण पैदा करते हैं जिनमें श्री हर्शमैन को इस कार्य के लिए नियोजित किया गया । इन बातों को देखकर आश्चर्य होता है कि क्या किसी प्राइवेट पार्टी के साथ कोई छद्म या गुप्त करार का प्रबन्ध किया गया था या नहीं, किन्तु भारत सरकार के प्राधिकार के प्रयोजनबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यसंचालन करने के उद्देश्य से श्री भूरे लाल के साथ जो कुछ तय हुआ वह प्रबन्ध एक ऊपरी आवरण के रूप में था ।

VII. क्या वह वफादार और भरोसे योग्य थे ? यदि ऐसा था तो फिर वह अपने नियोक्ता अथवा भारत सरकार की निन्दा कैसे कर सकते थे ?

श्री हर्शमैन की वफादारी का अन्दाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने वाशिंगटन स्थित स्टेट्समैन के संवाददाता वारेन उन्ना को 7मई, 1987 को दिए गए एक इंटरव्यू में, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि वह उनके द्वारा इकट्ठी की गई कुछ सनसनीखेज सूचनाओं को आम जनता के सामने रख देंगे जब तक उनको इस बात का संतोष न हो जो कि इस कार्य के लिए नियुक्त आयोग ने ठीक काम किया है । यह तो सोचा भी नहीं जा सकता कि भारत सरकार द्वारा नियोजित कोई भी अभिकरण अपने ही नियोक्ता को खुली धमकियां देने की दिलेरी दिखाए । जब श्री हर्शमैन से किसी सन्दर्भ में यह पूछा गया कि क्या वे उनके अपने ही नियोक्ता द्वारा स्थापित आयोग पर छींटाकशी करने को मुनासिब, सही, समुचित अथवा शिष्टाचार के अनुकूल समझते हैं और क्या वे स्वयं ऐसे किसी अभिकरण या व्यक्ति को अनुसंधानकर्ता अभिकरण के रूप में नियुक्त करना मुनासिब समझते, जो कि अपने ही नियोक्ता को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता या जो अपने ही नियोक्ता के लिये इकट्ठी की गई सनसनीखेद खबरों को आम जनता के सम्मुख रखता या उनका ऐसा ही प्रयोग करता, उन्होंने

** 12.वाशिंगटन पोस्ट के साथ एक भेंट में, जिसकी प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट दी गई और जो तारीख 3.4.1987 के स्टेट्स मैन में प्रकाशित की गई थी, आपने कहा था कि आपकी इण्डियन एक्सप्रेस के सलाहकार श्री गुरूमूर्ति के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें आपने अपनी अलग-अलग पड़तालों के बारे में बहुत कुछ बताया । क्या आप इस बात से इंकार करते हैं कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया था ।"*

इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया. जाहिर था कि उनके पास इस प्रश्न* का कोई जवाब नहीं था जाहिर करते है कि श्री हर्शमैन न तो सही व्यक्ति थे और न ही भारत सरकार के प्रति वफादार थे और न ही वह उनको सौंपे गए कार्यों का निर्वाह करने के लिए सक्षम थे और नही विश्वसनीय थे ।

VIII. क्या ऐसा संभाव्य है कि कोई भी अभिकरण उसी शासन को अस्थिर बनाने की धमकी दें जिसने उसे नियोजित किया हो और उस स्थिति में यदि उसे वस्तुतः उसी सरकार ने नियोजित किया हो, न कि ऐसे व्यक्ति ने जो कोई दूसरा हो और सरकार का विरोधी हो ।

अतः एव प्राप्त सूचनाओं के अनुसार श्री हर्शमैन ने श्री वारेन उन्ना से उपर्युक्त भेंट के दौरान यह बताया है कि चाहे उन पर भरत सरकार को अस्थिर बनाने और भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप ही क्योंकर न लगा दिया जाए, वह यही चाहेंगे कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए । भारत सरकार द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति भारत सरकार को ऐसा तानाशाही सुझाव कैसे दे सकता है कि भारत सरकार को और से अधिकार का इस्तेमाल किसको करना चाहिए । ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का आग्रह भी कैसे कर सकता है कि श्री वी.पी.सिंह (जिन्हें मंत्रिमंडल से अलग कर दिया गया है) के द्वारा नामित व्यक्ति को ही ऐसे आयोग क अध्यक्ष मुकर्रर किया जाए । भारत सरकार द्वारा नियोजित कार्य भी अभिकर्ता भारत सरकार को अस्थिर बनाने और उसकी घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप

**4(क) दिनांक 7 मई, 1987 को वाशिंगटन स्थित स्टेट्स मैन के संवाददाता श्री वारेन उन्ना से की गई एक मुलाकात के दौरान, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, आपने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया है कि आप भारत की जनता को एक संदेश भेजना चाहते हैं और वह यह कि आप इस सन्दर्भ में आपके द्वारा इकट्ठी की गई कुछ खबरों को आम जनता के सामने पेश कर देंगे, जब तक कि आप को इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल जाएगा कि इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित आयोग ईमानदारी से सही निष्कर्षों पर नहीं पहुंच जाता । भारत सरकार की ओर से नियुक्त होने का दावा करने के पश्चात् ही, एक अभिकर्ता के रूप में क्या आप इस बात को सही, मुनासिब, सुयोग्य और शिष्टाचार के अनुकूल मानते हैं कि उस आयोग पर छींटाकशी की जाए जिसकी स्थापना आपके कथित नियोक्ता ने आपके नियोजन के मामले की पड़ताल करने के लिए की है । यदि आप स्वयं ऐसे नियोक्ता होते जो स्वयं किसी अनुसंधानकर्ता अभिकरण को नियुक्त करना चाहते, तो क्या आप ऐसे अभिकरण को तैनात करते जो आप ही को नुकसान पहुंचाने या आपके लिए ऐसी अवस्था में नुकसानदेह साबित होने वाली जानकारी को या सनसनी फैलाने वाली खबरों को आम लोगों के सामने रखने या उनका दुरूपयोग करने की धमकी देता । जबकि आप और आपके साझेदार किसी विदेशी जासूसी अभिकरण को नियोजित करने के औचित्य के संबंध में आपसे सहमत न हुए होते ।*

करने की धमकी भी कैसे दे सकता है ? जब श्री हर्शमैन से यह प्रश्न* पूछा गया तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर दिया, जिसके कारण स्पष्ट हैं । इससे किसी को यह आश्चर्य होता है कि उन्हें श्री वी.पी. सिंह में इतना विश्वास क्यों था? और जो उस समय वित्त मंत्री नहीं थे और यहां तक कि उन्हें मंत्रिमंडल से उस समय हटा दिया गया था जब 7 मई, 1987 को यह बयान दिया गया था।

IX. निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्री हर्शमैन में भारत सरकार के प्रति निष्ठा का अभाव था और उनकी निष्ठा भारत सरकार के प्रतिपक्षी लोगों के प्रति थी । किसी भी प्रकार यह भारत सरकार के प्रति निष्ठावान नहीं थे, और एक व्यक्ति जिसे एक संवेदनशील और गोपनीय प्रकृति का कार्य सौंपे जाने के लिए अविश्वसनीय माना गया था और जिसे भारत सरकार की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, ऐसा व्यक्ति इन प्राधिकार का उसे सौंपे गए कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकता है और जिस सरकार से उसने झूठे बहाने से प्राधिकार प्राप्त किया हो, को अस्थिरीकरण का भय तक दिखाकर अपने नियोजक को नुकसान पंहुचाने के उद्देश्य से गलत सूचनाएं भी दे सकता है । श्री हर्शमैन द्वारा इस प्रश्न का उत्तर न दिया जाना अपनी कहानी स्वयं कहता है और पहले रिकार्ड की गई अनुमानित निष्कर्ष को बल प्रदान करता है ।

आयोग का यह भी मत था कि फेयरफेक्स और श्री हर्शमैन उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए पूर्णरूपेण सक्षम नहीं थे और फेयरफेक्स तथा श्री हर्शमैन को इस कार्य के लिए नियुक्त करना बुद्धिमानी नहीं थी । वस्तुतः वे स्वयं डू पोंट और कैमटेक्स से कोई भी जानकारी अथवा दस्तावेज हासिल करने में सफल नहीं हुए थे । डू पोंट और कैमटेक्स भारत सकार को सीधे ही सूचनाएं प्रदान करने के इच्छुक थे । उन्होंने सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के पूर्व भारत सरकार के शीर्षनामे (लेटर हैड) पर लिखित एक प्राधिकार पत्र दिए जाने पर भी जोर दिया । वस्तुतः कैमटेक्स ने फेयरफेक्स को सूचना देने से मना कर दिया हालांकि इसने ऐसी सूचना, जैसी कि भारत सरकार को सीधे ही जरूरत थी, देने की इच्छा व्यक्त की थी । जो भी दस्तावेज इकट्ठे किए गए थे और भेजे गए थे उन्हें फेयरफेक्स की किसी योग्यता अथवा क्षमता के कारण प्राप्त नहीं किया गया बल्कि क्योंकि भारत सरकार ने लिखित प्राधिकार-पत्र दिया था और श्री भूरे लाल ने फेयरफेक्स को दस्तावेज सौंप देने के लिए अनुदेश दिए थे । वस्तुतः जैसा कि रिकार्ड और साक्ष्य से पता चलता है फेयरफेक्स ने उसे सौंपे गए कागजातों को भारत सरकार को भेजने के वास्ते मात्र एक डाकखाने का काम किया । डू पोंट ऐसा करने के लिए तभी सहमत हुए जबकि श्री भूरे लाल ने उन्हें फेयरफेक्स के माध्यम से कागजात भेजने के लिए अनुदेश दिए । इन कारणों को देखते हुए आयोग का यह स्पष्ट मत है कि फेयरफेक्स इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं थी जो उसे श्री भूरे लाल द्वारा सौंपा गया था ।

"4(ख) प्रश्नसंख्या 4(क) में उद्धृत भेंट के दौरान श्री उन्ना को आपने बताया है कि भारत सरकार को अस्थिर बनाने का प्रयास करने और भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लग जाने की जोखिम उठाकर भी आप यही चाहेंगे कि श्री वी.पी. सिंह की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति हो । क्या आप ऐसा समझते हैं कि यदि आपको किसी अभिकरण को नियोजित करने का अवसर मिलता तो क्या आप ऐसे किसी अभिकरण को नियोजित करते जो कि कुछ ऐसी कारवाई करने की धमकी देता जिससे नियोजक की स्थिति स्थिर न रहती और जो उसके घरेलू कारोबार में दखल देता । क्या आप इस बात को सही , मुनासिब, सुयोग्य और शिष्टाचार के अनुकूल समझते हैं कि एक अभिकर्ता अपने कथित नियोजक के संबंध में इस प्रकार की कारवाई करें ।"

अध्याय XV

सामान्यतः किसी विदेशी निजी गुप्तचर एजेंसी की नियुक्ति या उसकी सेवाओं के उपयोग में और विशेषतः मै. फेयरफैक्स ग्रुप इंक. में अंतर्ग्रस्त जोखिम

नियन्त्रण और चौकसी की आवश्यकता

क्या किसी विदेशी गुप्तचर एजेंसी की सेवाओं की उपयोगिता में अभिरक्षा सम्बन्धी जोखिम है या नहीं, अथवा क्या किसी भी दशा में किसी प्रभुसत्ता-सम्पन्न सरकार द्वारा ऐसा करना बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण है, ऐसा करने की असावधानी आवश्यक रूप से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का एक प्रश्न है । आयोग इस नाजुक विषय पर किसी विचार को व्यक्त करने से बचना चाहेगा, यदि इससे बचा जा सकेगा । लेकिन आयोग उन मामलों से बचने के बिना ऐसा नहीं कर सकता जो कि सन्दर्भ की शर्तों में शामिल की गई हैं । ऐसे मामले होने के कारण आयोग इस आयाम से निपटने के लिए इसे उपयुक्त समझता है लेकिन बड़ी चौकसी से । खुली चर्चा न करके और उसे सीमित दायरे के भीतर लाते हुए यथासम्भव अधिक सावधानी से संदेश का प्रसारण करके और चौकसी को बनाये रखना है ।

पृष्ठभूमि

आयोग ने लोक सभा में हुई बहस के बारे में और विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये अभिमतों के बारे में पहले ही उल्लेख किया है । इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, उसे दोहराने की खातिर, श्री सोमनाथ चटर्जी (सी पी आई-मार्क्सवादी) द्वारा दिये गये भाषण के अंशों को वर्तमान वार्तालाप के सन्दर्भ में उद्धृत करना प्रतिकूल होगा । हम उद्धृत करते हैं:-

> "अब यह सर्वमान्य है कि भारत सरकार ने सरकार के कुछ कार्यकलापों के निपटान के लिए एक विदेशी जांच पड़ताल एजेंसी को लगाया था । इस पर कोई विवाद नहीं है, किन्तु हमारे लिए अत्यधिक चिन्ता की बात तो यह है कि एक ऐसा देश चुना गया है और किसी ऐसे देश से ऐसी कम्पनी चुनी गई है जिसके साम्राज्यवादी कारनामे भलीभांति ज्ञात हैं । अमेरिका इस देश की सुरक्षा और अखण्डता को असन्तुलित करना चाहता है । ...<u>क्या यह एक सही और उपयुक्त कम्पनी थी अथवा इस कम्पनी के सी0आई0ए0 और एफ0बी0आई0 जैसी अमेरिकी कम्पनियों के साथ क्या सम्बन्ध है, ऐसा लगता है इन्हें कोई भी नहीं जानता ।</u> अतः अब अमेरिका जैसे एक साम्राज्यवादी देश को हमारे आर्थिक और अत्यन्त गंभीर मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए चुना गया है ।...<u>मैं इस प्रकार की एक एजेंसी के चयन किये जाने के बारे में जोरदार शब्दों में अपना विरोध प्रकट करता हूं और किसी देश से इस मामले के लिए एक एजेंसी से काम लिए जाने का भी विरोध करता हूं जिसकी योग्यता, सरकारों और अन्य देशों की प्रणाली विशेष रूप से हमारी प्रणाली को, गलत तरीकों से असंतुलित करने की है ।</u> इसलिए इस कार्रवाई के खिलाफ यह मेरा जोरदार विरोध है ।....मैं सरकार के उस स्तर के बारे में जानना चाहूंगा जिस स्तर पर उस एजेंसी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था । क्या यह एक अफसरशाही का स्तर था-- अर्थात सचिव का स्तर था ? अथवा क्या यह प्रधानमंत्री का स्तर था ? ....<u>अब ऐसा लगता है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की गुत्थी यह है कि उन्होंने एक अमेरिकी कम्पनी का सहयोग लिया था । उन्हें तो अपनी स्वयं की एजेंसी की मार्फत इस तरह का कार्य करना चाहिए था ।"</u>
>
> (इस बार जोर दिया गया है)

ऐसा समझा जाता है कि आयोग अत्यधिक असमंजसता में है और इस तरह के मुद्दों के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना उचित नहीं समझता जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अतिक्रमण हो। तथापि आयोग सी आई ए की गतिविधियों के पहलू के बारे में उल्लेख करने में संकोच करता है और संसद में हुई वार्ता को देखते हुए, विशेष रूप से ऊपर दिये गये उद्धरण के सन्दर्भ में, इसे टाला नहीं जा सकता है, जैसाकि यह सर्वविदित है भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो वास्तव में निर्गुट राष्ट्र है। भारत ने पंचशील के समय से ही निर्गुटता के प्रति लगातार अपनी निष्ठा प्रकट की है, जिसके मुख्य-मुख्य निर्माताओं में से भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू एक निर्माता थे। भारत ने निर्गुटता के सिद्धान्त के प्रति मात्र निष्ठा ही प्रकट नहीं की है, अपितु भारत ने तो अपनी स्वाधीनता के पहले दिन से ही अपनी विदेश-नीति को अमल में लाने के लिए निर्गुटता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया है। भारत ने अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की "जनता" की मित्रता का आनन्द उठाया है। एक ओर भारत की "जनता" की तरफ से और दूसरी ओर अमेरिका और रूस की जनता की तरफ से एक-दूसरे के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों और हार्दिक एवं पारस्परिक सत्कार के बारे में किसी के द्वारा कभी भी कोई शंका नहीं की गई है। किन्तु "जनता" अथवा दो प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के प्रमुखों के बीच मित्रता का अर्थ अनिवार्य रूप से यह नहीं है कि मित्रता वाले दोनों राष्ट्रों में से किसी एक राष्ट्र की कोई गुप्त सेवा एजेंसी के पास अपने स्वयं का परिप्रेक्ष न हो। यही कारण है कि लोक-सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा कुछ शंका अभिव्यक्त की गई है कि जिनके भाषण से कुछ अंशों को उद्धृत किया है। यही कारण है कि सत्ताधारी दल के लोक सभा के सात माननीय सदस्यों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है जिन्होंने आयोग द्वारा दिनांक 25-4-87 को जारी किये गये सार्वजनिक नोटिस के उत्तर में अपने बयान दर्ज किये हैं[1]।

क्या आशंका पूर्णतया सही है ?

और इस बारे में व्यक्त की गई आशंका को तब तक हल्के रूप में नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता, जब तक कोई आंख बन्द नहीं कर लेता है अथवा अनदेखी नहीं कर लेता जब तक कोई व्यक्ति जीवन की वास्तविकताओं को देखने से इन्कार नहीं कर देता क्योंकि ये कुरूप और अरुचिकर हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि गुप्त सेवा एजेंसियों, जैसे सी0आई0ए0 ने निम्नलिखित कार्य किया है--(1) अपनी स्वयं की परिकल्पना के आधार पर जिसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं हो, और (2) अथवा राज्य के प्रमुख की जानकारी अथवा सहमति के बिना ऐसा किया हो। इस संदर्भ में इस मुद्दे को सिद्ध करने की दृष्टि से यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि सी0आई0ए0 ने ईरान-कन्ट्रा मामले में यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अंधेरे में रखते हुए और अमेरिकी कानूनों के उल्लंघन में किसी प्रकार काम किया। इसका उल्लेख सारांशतया दिनांक 18-7-1987 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित "दि नार्थ फिनोमिनन--दि राइज आफ दि बुकानियर्स" नामक एक लेख में उत्कृष्ट रूप में किया है। अब हम उसे उद्धृत करते हैं--

"जब ईरान-कान्ट्रा आपरेशन आरम्भ हुआ इसके प्रमुख सी0आई0ए0 चीफ श्री विलियम केसी थे जो कि अब जीवित नहीं हैं। आपरेशन का निहित सिद्धान्त इसकी पूर्ण गोपनीयता और ले0कर्नल नार्थ की यह इच्छा कि यदि यह निष्फल होता है तो इसको "फाल-गार्ड" बनाना, जैसा कि उसने किया यही कारण है कि यद्यपि लेफ्टि.कर्नल नार्थ ने कान्ट्रास को सहायता देने के लिए राष्ट्रपति रीगन को पांच ज्ञापन भेजे जिनमें श्री रीगन को नीचे हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया था, उसमें उसने एक बचाव का रास्ता छोड़ दिया वह यह था, जब तक, अन्यथा मुझे निदेश नहीं मिलता मैं निम्न प्रकार से कार्रवाई करूंगा"। ले0कर्नल ने कांग्रेस के समक्ष तभी गवाही देना स्वीकार किया जब उसको पता चला कि उसको "फाल-गार्ड" की भूमिका में उसको आपराधिक कार्य करने के लिए दोषी समझा जाएगा।

1 जांच (केन्द्रीय) नियम आयोग, 1972 के नियम 5(2)(ख) के साथ संलग्न।

इतने पर भी वह यह कह कर राष्ट्रपति रीगन को आलिप्त न करने में अति अधिक सावधान रहे कि उन्होंने हमेशा यह "समझा" कि उनको राष्ट्रपति का प्राधिकार पत्र प्राप्त है और उसको विशेष रूप से गोपनीय आपरेशन प्राधिकृत करते हुए श्री रीगन से लिखित रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं था । इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रपति रीगन ने कहा है कि ले0कर्नल की गवाही ने व्हाइट हाउस की यह स्थिति का समर्थन कर दिया है कि, राष्ट्रपति मामले में शामिल नहीं थे ।

इससे पहले ईरान कान्ट्रा कांग्रेशनल समिति ने कहा था कि कांग्रेस के पास भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रियर एडमिरल जान पोइंडेक्सटर द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन था जिसमें यह लिखा है कि, "मैंने अन्य गुप्त क्रियाकलापों के लिए रैजिडियुअल के इस्तेमाल के संबंध में राष्ट्रपति को संक्षेप में बताया था और राष्ट्रपति सहमत हो गए" रैजिडियअल ईरान के शस्त्रों की बिक्री पर लाभ के लिए प्रयोक्ति है, जो राशि तब कान्ट्रास को भेजी गई थी । परन्तु अपनी अन्तिम गवाही में रियर एडमिरल ने "फाल-गार्ड " की भूमिका को स्पष्ट रूप से मान लिया है । जब कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति रीगन ने बन्धकों के लिए शस्त्रों के समझौते को प्रकट रूप से व्यक्तिगत स्वीकृति दी थी और सरकारी तौर पर इसको, इरानियन नेतृत्व में मध्यमार्गियों के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार करने का न्ययोचित बताया, उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने जान बूझ कर राष्ट्रपति को रैजिडियुअल्स को कान्ट्रास को डील को परिवर्तित करने के संबंध अन्धेरे में रखा ।

(इस पर बल दिया गया है)

इस बात की पुष्टि करने के लिए यह पर्याप्त है कि गुप्त सेवा एजेन्सियां देश के राष्ट्रपति की जानकारी, स्वीकृति और सहमति के बिना भी कार्य कर सकती हैं । 18 नवम्बर, 1987 को प्रकाशित की गई ईरान कान्ट्रा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि, अन्य बातों के साथ साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सरकार की नीति के खिलाफ कुछ लोग सरकार के भीतर एक सरकार चला रहे थे । इसलिए इस आधार को मान कर चलना असुरक्षित है कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता अथवा सरकारी स्तर पर दो देशों के बीच संबंध, सी0आई0ए0 जैसी गुप्त सेवा एजेन्सी द्वारा भारत को नकसान पहंचाने के लिए अजेय गारंटी है ।

यह एक तथ्य है कि सी0आई0ए0 विगत में विभिन्न देशों में अस्थिरता आपरेशन चलाता रहा है, जो कि विगत में सी0आई0ए0 से सम्बन्ध रखने वाले एक अमरीकी लेखक ने अपने हाल के प्रकाशन अर्थात् :- विलियम ब्लम द्वारा "दी सी0आई0ए0 फारगाटन हिस्ट्री" (जैड प्रकाशन),1987 में सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है । पुस्तक से व्यापक रूप से उद्धरण लेना न तो सम्भव है और न ही व्यवहार्य है किन्तु दिनांक 1-11-1987 के टाइम्स आफ इण्डिया के अंक में प्रकाशित समीक्षा से उद्धरण लेना पर्याप्त होगा जिसमें इन गतिविधियों का सारांश रूप से उल्लेख किया गया है । हम यह बताते हैं कि:

"संक्षेप में सी0आई0ए0 न सन्धि, विधि न कानून अथवा स्वीकृत मानदण्डों की परवाह न करते हुए मुहिम चलाई और चलाती रहेगी । कुल मिलाकर के0जी0बी0 जैसे संगठनों के अमानवीय कार्यों की आलोचना की तुलना में इसकी आलोचना भी कम नहीं है अपितु उससे भी अधिक है । इसका पता इसके रंगरूटों तथा एजेन्टों एवं तीसरे विश्व के लिए सैनिक/पुलिस कार्मिकों के लिए सी0आइ0ए0 के विशेष प्रशिक्षण स्कूलों से चलता है ।

यह "समाचार" विदेशी संवाददाताओं, समीक्षकों, तथा पत्रकारों की सेवाएं किराये पर लेकर प्राप्त करती है । सातवें दशक के अन्त तक सम्भवतया सी0आई0ए0 विश्व में

"समाचार" प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा संगठन था। सी0आई0ए0 के पी0ओ0ए0 के प्रसारण सम्बन्धी कार्यकलापों को किसी को नहीं भूलना चाहिए।

इसके अलावा सी0आई0ए0 अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त भी करती है, ऐसा सदैव ही नहीं होता परन्तु यह कहा जा सकता है कि यह पूर्णतया आर्थिक तरीकों के द्वारा ही किया जाता है।

अन्त में यह व्यापक रूप से "घटिया से घटिया तरीके अपनाने वाले विभाग" के रूप में जाना जाता है - वामपंथियों आदि को परेशान करने और कलंकित करने के लिए झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, बदनाम करता है, नाजायज लाभ उठाता है और घटनाएं उत्पन्न करता है। (इस पर जोर दिया गया)

यह भी ज्ञातव्य है कि यू0के0 जैसे देश में जहां पर लोकतन्त्र की एक सुदृढ़ परम्परा है, एम0आई-5 के नाम से ज्ञात उस देश की गुप्त सेवा के, इस देश के प्रधान मंत्री के कार्यालय के तात्कालिक पदधारी, जो लोक तांत्रिक तरीके से निर्वाचित हुआ था, को विस्थापित करने में लगी हुई बताया गया है। ऐसा तब किया गया जबकि वह अपने पद पर कार्यरत था। दिनांक 11 अक्तूबर, 1987 को संडे आब्जर्वर के अंक में राहुल सिंह जिसने हाल ही में "स्पाईकैचर" नामक पत्रिका की समीक्षा की है द्वारा लिखित "जासूस जिन्होंने जोखिम उठाए" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समीक्षा से एक उद्धरण लाभप्रद रूप से उद्धृत किया जा सकता है:-

"जन हित बनाम गोपनीयता का मामला जो "स्पाईकैचर" का बहुत अधिक चौंकाने वाला रहस्योद्‌घाटन का कार्य है की एम0आई-5 ने इस संभाव्यता की कैसे जांच की कि भूतपूर्व ब्रिटिश लेबर प्रधान मंत्री श्री हैरल्ड विलसन सोवियत एजेन्ट हैं। जांच की गई थी और श्री विलसन के कुछ सहयोगियों की "कड़ी निगरानी" की गई थी। उस के बारे में एक गुप्त फाइल तैयार की गई थी और उसे तथा लेबर पार्टी की आलोचना करने के लिए आम चुनाव से कुछ समय पूर्व प्रेस को प्रेस में देने की योजना थी"।

उपरोक्त उदाहरण इस प्रश्न के समर्थन में दिया गया है अर्थात् विदेशी सरकारों के गुप्त सेवा संगठन ऐसी सरकारों को गिराने के लिए कार्य कर सकते हैं और ऐसे कार्य में व्यस्त होते हैं जिनके सम्बन्ध में ऐसे संगठनों के अध्यक्षों को भी इसकी जानकारी नहीं होती और इसकी परवाह भी नहीं करते कि ऐसी एजेंसियों के अध्यक्ष ऐसे कार्यों को स्वीकृति देंगे अथवा नहीं।

यादास्त से यह पता पाना संभव नहीं है कि सी0आई0ए0 की घटिया हरकतों के परिणाम-स्वरूप ही वर्ष 1970 में प्रिन्स सिंहानुक का तथा 1973 में चिली के राष्ट्रपति अलांडे का तख्ता पलट दिया गया था- बाद में जिस के बारे में बिना किसी शक के पता चल गया था अथवा अमरीका के एक पत्रकार लारेंस लिफशल्ज द्वारा अपनी पुस्तक " बंगला देश दी अनफिनिशड रैवोल्यूशन" में सी0आई0ए0 द्वारा निभायी गई भूमिका के बारे में इस प्रकार उल्लेख किया है:-

"नई सूचना के अनुसार यह पता चलता है कि अमरीका को विद्रोह के बारे में केवल पूर्वज्ञान ही नहीं थी परन्तु अमरीकी दूतावास के कार्मिकों ने (मुजीब) की मृत्यु से छः महीने पहले इस योजना में शामिल व्यक्तियों से विचार विमर्श किया था"।

विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि ऐसे विदेशी निजी जासूसी एजेन्सी को ऐसे जोखिम भरे कार्य में लगाना अत्यधिक जोखिम का कार्य है जिनका देशों के गुप्त सेवा संगठनों के साथ सम्पर्क है जो

कि मित्र हो सकते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि ये एजेन्सियां उनकी मित्र हों, इसमें काफी जोखिम होता है जैसा कि विलियम क्लम द्वारा लिखित पुस्तक में उल्लेख किया गया है ।

क्या फैयर फैक्स ग्रुप इंक. को लगाना सुरक्षित है?

क्या उपरोक्त किए गए विचार-विमर्श की दृष्टि से फैयरफैक्स ग्रुप इंक. जैसी विदेशी निजी जासूसी एजेंसी जिसके अध्यक्ष श्री हर्शमैन थे, को लगाना सुरक्षित था, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका अब सामना किया जा सकता है ।

जैसा कि एक प्रभावशाली अमरीकी विद्वान प्रो0 माइकल नाचट, जोकि अमरीकी आसूचना स्टाफ, रक्षा विभाग तथा राज्य विभाग के परामर्शदाता रहे हैं, जो अप्रैल, 1987 माह के दौरान भारत में अपने व्याख्यान दौरे पर थे, ने भी उल्लेख किया था कि फैयरफैक्स को लगाना विवेकपूर्ण नहीं था । यह पूछे जाने पर कि क्या फैयरफैक्स एफ0बी0आई तथा सी0आई0ए0 जैसे संघीय निकायों के साथ संपर्क न रख कर गुप्त रूप से ऐसा कर सकता है ? प्रो0 नाचट ने कहा कि उस स्थिति में इस की विश्वसनीयता को मानना संभव था परन्तु उन्होंने यह माना कि उन्होंने इस से पहले फैयरफैक्स के बारे में कुछ भी नहीं सुना था । (दिनांक 9-4-1987 का टाइम्स आफ इंडिया)

"वाशिंगटन बिजनेस जरनल" में 11 मई, 1987 के सप्ताह के लिए प्रकाशित साक्षात्कार में श्री हर्शमैन ने कथित रूप से यह कहा था कि लगभग उस के सभी कर्मचारी सरकार से सी0आई0ए0, एफ0बी0आई0 , आई0आर0एस0, मिलिट्री इंटेलिजेंस तथा पुलिस" आते हैं और फैयरफैक्स का प्रत्येक कर्मचारी-सचिव भी-लाइसेंसशुदा जांचकर्ता है । उस के उप-प्रधान श्री मैकके ने कहा है कि यद्यपि उनका किसी संघीय एजेंसी के साथ कोई शासकीय सम्बन्ध नहीं है परन्तु साधारणतया हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं ।

(इस पर जोर दिया गया)

उसी पत्रिका में एक बाक्स मद में श्री हर्शमैन के बारे में यह कहा गया है:-

> हर्शमैन, जो अब 41 वर्ष के हैं, ने 1960 के अन्त में यूरोप में एक विशिष्ट मिलिट्री एजेन्ट के रूप में अपना अन्वेषण संबंधी जीवन आरंभ किया था, इन्हें आतंकवाद से निपटने में प्रवीणता प्राप्त थी । उसके बाद उन्होंने सरकार में भ्रष्टाचार की जांच करने तथा न्यूयार्क शहर में वित्तीय धोखा-धड़ी संबंधी कार्य करना आरम्भ किया था तथा बाद में सीनेट वाटरगेट समिति में एक जांचकर्ता के रूप में भी कार्य किया ।
>
> वाटरटैपिंग एण्ड इलेक्ट्रानिक निगरानी का अध्ययन कर रहे सरकारी आयोग में एक जांचकर्ता के रूप में कार्य करने की सीमा को देखते हुए हर्शमैन फैडरल इलेक्शन कमीशन में चले गए, जहां पर उन्होंने प्रत्याशियों और उनकी चुनाव प्रचार समितियों की जांच संबंधी कार्य किया । वे संघीय सरकार के अन्य लेखा परीक्षा एवं अन्य जांच सम्बन्धी पदों पर तब तक कार्य करते रहे जब तक उन्होंने वर्ष 1980 में अपना जांच और सुरक्षा संबंधी कार्य आरम्भ नहीं कर दिया । वे अकेले ही इस कारो-बार के मालिक हैं ।"

इस प्रकार की एजेन्सी झूठे सबूत बना सकती है, परेशानी पैदा कर सकती है, नाजाइज फायदा उठा सकती है और स्वयं नियोक्ता को तंग करने की स्थिति उत्पन्न कर सकती है । वास्तव में श्री हर्शमैन ने इस आशय की बातें कहकर भारत सरकार को धमकियां देकर ऐसा किया है कि वे इस बात की भी परवाह नहीं करेंगे कि भले ही इसके कारण

"असन्तुलन" पैदा हो और वे अपने द्वारा एकत्र की गई सूचना का इस्तेमाल भारत सरकार का "भण्डाफोड़" करने के प्रयोजनार्थ करेंगे। यहां तक कि उन्होंने ऐसी भी बातें कही हैं जो विशेषरूप से भारतीय संघ और भारत के प्रधान मंत्री के विरुद्ध हैं, इस एजेन्सी के चरित्र और उपयुक्तता के बारे में एक विस्तृत चर्चा संगत अध्याय [1] में कुछ हद तक की गई है। इसलिए हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं। यह कहना पर्याप्त होगा कि इस प्रकार की एजेन्सी से काम लेना अत्यधिक खतरनाक होगा, जो गलत सूचना में लगाया गया हो और जो स्वयं अपने नियोक्ता को परेशान करने के लिए नाजाइज फायदा उठा सकती हो।

श्री हर्शमैन द्वारा उल्लिखित असन्तुलन का स्वरूप क्या है ?

प्रत्येक व्यक्ति को इस बात से विस्मय होगा कि श्री हर्शमैन के दिमाग में वास्तव में उस समय क्या था जब कि उसमें "असन्तुलन" शब्द का इस्तेमाल किया। यह उल्लेखनीय है कि ये धमकियां उस समय दी गई जब एक राजनीतिक चर्चा संसद तथा समाचार पत्रों में जोरों पर थी और श्री हर्शमैन के साथ की गई प्रबन्ध व्यवस्था जो भी यह थी, अभी तक समाप्त नहीं हुई थी " असन्तुलन" एक अत्यधिक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ यह हो सकता है--राजनीतिक असन्तुलन, आर्थिक असंतुलन, और गलत सूचना का ऐसा अभियान जिसका निश्चय ही गलत प्रभाव राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता पर पड़ सकता है। एक यह तर्क सामने आया कि पदाशीन राजनीतिक दल और उसके नेताओं को असन्तुलित करने का अर्थ सम्बन्धित राष्ट्र के असन्तुलन से नहीं है और यह कि राष्ट्र की सुरक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा लगता है कि इस प्रकार का तर्क देना मात्र डराने की एक कार्यवाही है। यदि प्रजातांत्रिक रूप से तथा प्रशासन के इंचार्ज और जनता के विधिवत चुने गए प्रतिनिधियों का झूठे तौर पर चरित्र हनन गलत सूचना का सहारा लेकर किया जाता है तो उससे भी असंतुलन हो सकता है, जिससे देश के नेतृत्व की बदनामी की जाती है और उसकी साख को डगमगा दिया जाता है, यह देश उस राष्ट्र को राजनीतिक, आर्थिक अथवा सैनिक किसी भी क्षेत्र में प्रभावकारी ढंग से आगे नहीं ले जा सकता। जब सत्ताधारी राजनीतिक दल के नेताओं के व्यक्तित्व को अथवा प्रशासन के शिखर पर आसीन नेताओं के व्यक्तित्व को दूषित किया जाता है और गलत सूचना का सहारा लेकर उनके खिलाफ कीचड़ उछाला जाता है तो समय की अपेक्षा के बावजूद भी न तो आर्थिक क्षेत्र में और न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में दृढ़ निश्चय से अथवा कठोर उपाय करने के सिलसिले में यह नेतृत्व स्थिति का सामना कर सकता है, जब तक तूफान के समाप्त होने तक कोई घुड़सवार उच्छृंखल घोड़े पर नियंत्रण करने में लगा रहता है, तब तक वह उस घोड़े को अपेक्षित दिशा में नहीं ले जा सकता अथवा वह गन्तव्य स्थान तक उस घोड़े को ले जाने में सफल नहीं हो सकता। शत्रुतापूर्ण इरादे वाले अन्य राष्ट्रों वाले अन्य राष्ट्रों के लिए सेना के जोखिम भरे कार्यों में छेड़खानी करना ऐसी ही स्थिति का एक आदर्श रूप होगा। इससे आतंकवादिता की गतिविधियों को तेज करने हेतु शत्रु समूहों को भी बढ़ावा मिलेगा। जिस राजनीतिक नेतृत्व को किसी ऐसी दुरावस्था में ढकेल दिया जाता है वह राजनीतिक नेतृत्व अपने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का संचालन उस लाभकारी आधार पर विश्वास के साथ करने में समर्थ नहीं हो जायेगा जो इस प्रकार की परेशानी के कारण डांवाडोल नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय समाज का नेतृत्व उस देश के नेतृत्व को खोना नहीं चाहेगा जिसका नेतृत्व उतने ही सम्मान और आदर के साथ अन्धकारमय बना हुआ हो। विश्व के नेता अपने मामलों का संचालन अपेक्षित भरोसे और विश्वास के साथ उन नेताओं की तुलना में नहीं करेंगे जिनका वातावरण अन्धकारमय है। यह भरोसा और विश्वास परस्पर लाभकारी एवं दीर्घावधिक सम्बन्धों को पैदा करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के अपंग नेतृत्व वाले किसी अपंग देश की आवाज

1 अध्याय XIV

क्षीण हो जायेगी अथवा सुनाई नहीं देगी अथवा उस आवाज में न कोई वजन ही होगा अथवा न ही कोई विश्वास ही पैदा होगा । व्यापार वाणिज्य और उपयोग के क्षेत्रों में दीर्घावधिक सम्बन्ध का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसलिए यह एक महत्वपूर्ण तर्क है कि किसी विशेष समय पर दल के नेता अथवा प्रशासन के कार्यभारी नेतृत्व को असंतुलित करने के परिणामतः देश का असंतुलन नहीं होगा । ऐसी स्थिति से निश्चय ही राष्ट्र के हितों तथा राष्ट्री की सुरक्षा पर काफी हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अतः ऐसा लगता है कि सिद्धान्तरूप में किसी विदेशी निजी गुप्तचर एजेंसी को किसी काम पर लगाना अत्यधिक जोखिम भरा मामला होगा, भलेही उसका लक्ष्य निरपवाद सोचा गया हो जैसा कि तथाकथित आर्थिक अपराधियों के बारे में सूचना एकत्र करना । यदि आवश्यक हो तो भारतीय कर्मचारियों को सूचना एकत्र करने के लिए विदेशों में भेजना बेहतर होगा । वास्तव में किसी ऐसे कर्मचारी के द्वारा किसी मौखिक करार के आधार पर किसी विदेशी निजी गुप्तचर एजेंसी को काम पर लगाये जाने की बजाय भारतीय कर्मचारियों को भेजना कम खर्चीला होगा, जिसने किसी विशाल आदेश के झूठे अथवा अनपेक्षित दावों के खिलाफ बचाव हेतु बैठक अथवा वार्ता के कार्यवृत्तों को दर्ज तक नहीं किया हो । इसके अलावा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करने की दृष्टि से किसी विदेशी निजी गुप्तचर एजेंसी को लगाने में विशेष लाभ क्या है ? क्या इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की गतिविधियों का पीछा करना अथवा गुप्त सूचना एकत्र करना है ? क्या गुप्त रूप में तथा डरा धमकाकर चोरी छिपे कोई कार्रवाई करना है ? क्या इसका उद्देश्य किसी कम्पनी के रिकार्डों को चोरी-छिपे अथवा कर्मचारियों का घूस देकर हस्तगत करना है ? अथवा इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों का नाजायज फायदा उठाकर सूचना एकत्र करना है जिनसे सूचना मांगी जाती है ? प्रत्येक व्यक्ति को इस बात पर हैरानी होती है कि ऐसा कौन सा विशेष लाभ है जिसे किसी विदेशी निजी गुप्तचर एजेंसी को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है यदि विदेश में स्थित किसी व्यापारिक कम्पनी से जांच पड़ताल करवाने अथवा किसी प्रकार की सूचना एकत्र करवाने में कोई औचित्य है, तो वह प्रयोजन कानून के अन्तर्गत रहते हुए राजनयिक माध्यमों से सूचना एकत्र करवाने हेतु उनसे सम्पर्क करने से भली भांति हल हो सकती है । जिस देश के साथ अपने राष्ट्र के राजनयिक सम्बन्ध है, यदि उस देश की सरकारी एजेंसियां सूचना प्राप्त नहीं करवा सकती हैं तो निजी गुप्तचर एजेंसियां ऐसा काम कैसे कर सकती हैं, और उस देश के बारे में सोचना कठिन होगा जिसके साथ भारत का राजनयिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध हों और जिसने देश के कानूनों का उल्लंघन किये बिना एक विधिपूर्ण तरीके से भारतीय कर्मचारियों को अपेक्षित सूचना एकत्र कर सकने के सम्बन्ध में सहयोग देने से इन्कार कर दिया हो । और निश्चय ही भारत किसी ऐसे देश की भूमि के कानूनों का उल्लंघन करके लुक छिप कर और डराने-धमकाने की स्थिति में सूचना एकत्र नहीं कर सकता जिस देश से कोई सूचना मांगी गई हो । अतः मुझे किसी के बारे में किसी भी दृष्टि से ऐसा दिखाई देता है कि किसी विदेशी निजी गुप्तचर एजेंसी को किसी काम पर लगाना अत्यधिक जोखिम-भरा होगा । और इस प्रकार के सामान्य तरीके से यह तो उस स्थिति में और भी जोखिम-भरा होता जब सम्बन्धित एजेंसी के प्रत्यय-पत्रों तथा पूर्व वृत्तों की जांच करने अथवा उनका सत्यापन करने के किसी प्रकार का दिखावा-मात्र भी नहीं किया गया हो । यहां तक कि किन्हीं प्राथमिक बातों का भी ध्यान नहीं रखा हो और इस बात को भी सुनिश्चित नहीं किया हो कि वह एजेंसी कहीं दोहरे एजेन्ट के रूप में कार्य तो नहीं करती है और गलत सूचना देने और नाजायज फायदा उठाने के किसी अभियान में तो नहीं लगी हुई है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हितों को अत्यधिक हानि और क्षति होने की सम्भावना हो । अतः इस ढंग से किसी एजेंसी को काम पर लगाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है ।

अध्याय XVI

रूपरेखा तथा निष्कर्ष

(i) <u>क्या फेयरफैक्स ग्रुप इंक की सेवाएं ली गई थी ?</u>

श्री भूरे लाल की 6 फरवरी 1987 की दौरा रिपोर्ट तथा उनकी गवाही यह दर्शाती है कि फेयरफैक्स ग्रुप इंक से केवल मौखिक समझौता था । प्रारम्भिक बातचीत श्री हर्शमैन तथा डा.हैरिस की 15 से 19 नवम्बर, 1986 की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में हुई । श्री भूरे लाल की गवाही दर्शाती है कि उन्होंने उस समय श्री हर्शमैन को पुरस्कार नियमावली दिखाई थी लेकिन उनकी सेवाएं लेने से संबंधित मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था । इसे अन्तिम रूप तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक श्री भूरे लाल की दिसम्बर 1986 में अमेरिका यात्रा के दौरान मौखिक तौर पर दिया गया । आपसी विचार विमर्श के दौरान श्री हर्शमैन ने रिलायन्स उद्योग तथा अन्य कम्पनियों जैसे लुई ड्रैम्स, दोषी तथा प्रफुल्ल शाह के विरुद्ध जांच करने के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सहमति दी थी । इस प्रकार श्री भूरेलाल की दौरा रिपोर्ट तथा गवाही से यह भेद खुला कि फैयरफैक्स ग्रुप इंक की सेवाएं लेने संबंधी सहमति हुई थी । इस विषय में गौर तलब तथ्य यह है कि इस व्यवस्था के होने के एक महीने बाद तक भी किसी भी सरकारी फाइल पर इस व्यवस्था के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा गया और राजस्व सचिव भी फेयरफैक्स की सेवाएं लेने के बारे में 10 फरवरी, 1987 को ही जान पाए जब उन्हें दौरा रिपोर्ट प्राप्त हुई । तत्कालीन वित्त मंत्री को उनके कथनानुसार फैयरफैक्स की सेवाएं लेने का तब तक भी पता नहीं था, जब वे 24 जनवरी, 1987 को वित्तमंत्री का पद छोड़ चुके थे । गोपनीयता के नाम पर ऐसे संवेदनशील मामले को इस प्रकार गुप-चुप निपटाना कौतूहल एवं उत्सुकता पैदा करता है । लेकिन तथ्य यही है कि इस प्रकार की सेवाएं ली गई हैं । इसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि फेयरफैक्स की सेवाएं लेने संबंधी जानकारी केवल श्री भूरेलाल तथा श्री गुरुमूर्ति को थी । मंत्रिमंडल के किसी सदस्य तो क्या प्रधानमन्त्री तक को भी एक महीने तक इसकी जानकारी नहीं थी।

(ii) (क) <u>वे तथ्य तथा परिस्थितियां जिनमें इसकी सेवाएं ली गई</u>

इस व्यवस्था के किए जाने के पीछे श्री भूरेलाल, श्री पाण्डे तथा श्री वी.पी. सिंह ने जो कारण बताया था, वह यह था कि विदेशों से आवश्यक सूचना इकट्ठी करने में प्रवर्तन निदेशालय अपने आप को बिल्कुल असहाय पा रहा था । श्री भूरेलाल के अनुसार कि उनका विगत अनुभव यह बताता है कि निदेशालय में उपलब्ध स्रोतों से भी यह बिल्कुल संभव नहीं था कि किर्लोस्कर के मामले में विदेश स्थित कम्पनी का तुलन-पत्र प्राप्त किया जा सके । श्री पाण्डे के बयान के अनुसार यह अनुभव किया गया कि विदेशों में रहने वाले लोगों के प्रतिवादियों से संबंध जाने बिना, अनेक मामलों में महत्वपूर्ण भारतीय प्रतिवादियों से पूछताछ नहीं की जा सकती थी । प्रवर्तन निदेशक तथा उनके अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं से भी कोई परिणाम नहीं निकले क्योंकि उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वे किसी का बयान रिकार्ड करें अथवा जांच करें अथवा सबूत देने के लिए मजबूर करें और उनके सम्पर्क सूत्र भी बहुत कम थे । इस के अलावा विदेशों की सरकारी एजेन्सियां, जांच करने वाले निदेशालय के अधिकारियों को कानूनी तौर पर

तब तक सहायता नही कर सकती थी , जब तक कि गठित जांच से संबंधित लेन-देन उस देश के कानून को ठेस पहुंचाती हो । दूतावास में नियुक्त अधिकारियों को या तो जांच संबंधी कार्य का ज्ञान नहीं था अथवा वे करने के इच्छुक नहीं थे । विदेश में कार्यरत सीमाशुल्क अधिकारियों की सामर्थ्य भी सीमित थी तथा उनका सम्पर्क केवल तस्करी के मामलों से ही संबद्ध था । यही कारण है कि उन्होंने यह मामला वित्तमंत्री के सामने उठाया तथा इस संबंध में संक्षिप्त चर्चा की ।

श्री वी.पी. सिंह का कथन है कि जिन फेरा (विदेशी मुद्रा विनियमन आधिनियम के अन्तर्गत आने वाले) मामलों की जांच चल रही है उनके बारे मे विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए विदेशी एजेन्सियो अथवा एजेन्टों के साथ बन्दोबस्त करने की दृष्टि से उनके साथ सम्पर्क करने के लिए , प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति देने के संबंध में वित्त सचिव (श्री पाण्डे) ने कुछ प्रश्न उठाए थे और यह भी कि उनका विचार था कि विदेश में राजस्व आसूचना का कोई तंत्र न होने के कारण और वहां अधिकारियों को अपने थोड़े समय के आवास के दौरान कोई लाभकारी सूचना का पता लगाने में आ रही कठिनाई के कारण तथा इसमे अन्तर्ग्रस्त व्यय को देखते हुए निदेशालय का वहां अपना प्रभावी आसूचना तंत्र बन जाने तक प्रयासों के अनुरूप परिणाम हासिल करने की दृष्टि से बेहतर होगा कि ठोस साक्ष्य प्राप्त किए जाएं । इन्ही परिस्थितियों के अंतर्गत उन्होंने वर्ष 1986 में संसद के मानसून तथा शरत सत्रो के मध्य के आस-पास, इस आशय की मौखिक छूट दी कि ठोस साक्ष्य प्रप्त करने के लिए किसी विदेशी एजेंसी को रख लिया जाए । श्री वी.पी. सिंह द्वारा श्री पाण्डे को और उसके बाद श्री पाण्डे द्वारा श्री भूरेलाल को दी गई इसी "मौखिक छूट" को मद्देनजर रखते हुए ही फेयरफैक्स ग्रुप इंक के श्री हर्शमैन के साथ सहमति हुई । यह तर्क पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नही होता । सरकार इस बात को आवश्यकता पर निश्चित ही विचार कर सकती है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के संदर्भ में, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय यदि मंत्रिमंडल के साथ नही तो कमसे कम प्रधान मंत्री के साथ परामर्श करके तो किए ही जाने चाहिए ।

यहां यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मौखिक छूट तक के बारे में कोई समसामयिक लिखित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । यहां तक कि कार्योत्तर रिकार्ड भी फाइल में पहली बार 9 मार्च 1987 को दर्ज किया गया है । यह टिप्पण पश्चातवर्ती घटनाओ को देखते हुए किया गया । श्री भूरे लाल ने अपनी 6 फरवरी 1987 की दौरा रिपोर्ट अमरीका से लौटने (यह 3 जनवरी 1987 को लौटे थे) के एक महीने से भी अधिक समय के पश्चात तैयार की थी । यह रिपोर्ट श्री पांडे को 10 फरवरी 1987 को प्राप्त हुई । तत्कालीन राज्यमंत्री श्री ब्रह्मदत्त ने इस रिपोर्ट के संदर्भ में 17 फरवरी 1987 को कुछ प्रश्न उठाए । श्री भूरे लाल ने लगभग 20 दिनों तक इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया । 9 मार्च 1987 को उन्होंने इन प्रश्नों पर अपना जवाब भेजा । जब 9 मार्च 1987 को श्री पांडे को जब यह प्राप्त हुआ तो उन्होंने एक टिप्पणी अंकित की जिसमें उन्होंने श्री वी.पी. सिंह द्वारा जब वह वित्तमंत्री थे, मौखिक छूट दिए जाने का उल्लेख किया । तत्कालीन राजस्व सचिव श्री पांडे के अनुसार वे वैसे ही रक्षामंत्री (श्री वी.पी. सिंह) से मिले थे और उन्होंने मौखिक रूप से ही उन्हें फाइल "दिखाने" के लिए कहा था । तदनुसार श्री पांडे ने 9 मार्च, 1987 को, जब श्री वी.पी. सिंह को 24 जनवरी 1987 को वित्त मंत्रालय से स्थानांतरित होकर रक्षा मंत्रालय में गए हुए एक महीने से ऊपर हो चुका था, यह फाइल श्री वी.पी. सिंह को भेजी । किसी मंत्री द्वारा अन्य मंत्रालय से इस प्रकार की फाइल मंगवाने के संबंध में कार्य निष्पादन नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है ।

परन्तु फाइल भेजी गई । और यह फाइल तब तक रक्षा मंत्रालय में, अर्थात वित्त मंत्रालय से बाहर, 9 मार्च 1987 से 11 मार्च, 1987 तक 2 दिन तक रही, जब प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा यह फाइल मंगवाई गई । 11 मार्च 1987 को यह फाइल सौंपने से पूर्व श्री वी.पी. सिंह ने उस "मौखिक छूट" को रिकार्ड किया जो उनके द्वारा पहले दी गई थी । यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री वी.पी. सिंह के अनुसार वह यह नहीं चाहते थे कि फाइल ही उन्हें भेजी जाए परन्तु वह उन्हीं के द्वारा पहले दी गई मौखिक छूट को रिकार्ड करना चाहते थे । यहां यह बात रिकार्ड में लानी आवश्यक है कि न तो श्री पांडे की 9 मार्च 1987 की पहली टिप्पणी में और न ही श्री वी.पी. सिंह को 11 मार्च 1987 को बाद वाली टिप्पणी में ही यह उल्लेख किया गया है कि तथाकथित मौखिक छूट किस वक्त दी गई यह रिकार्ड की स्थिति है । ऐसी मौखिक छूट दी गई थी अथवा नहीं यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में, इसके स्वरूप को देखते हुए, किसी भी अन्य स्रोत से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । मौखिक छूट देने के बारे में कोई समसामयिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण, रिकार्ड से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि यह छूट दी भी गई थी अथवा नहीं और यह कब दी गई थी और किस वक्त दी गई थी । कार्यान्तर टिप्पणियां इस बात का संकेत करती हैं कि ऐसी मौखिक छूट दी गई थी परन्तु उनमें सही-सही वक्त का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी श्री भूरे लाल के साक्ष्य से तथा तत्कालीन राजस्व सचिव श्री पांडे और तत्कालीन वित्तमंत्री श्री वी.पी. सिंह के उत्तर से यह पता लगता है कि इस प्रकार की छूट 1986 में मानसून तथा शरतकालीन सत्रों के मध्य के आस-पास दी गई थी । 9 मार्च 1987 और 11 मार्च 1987 को की गई टिप्पणियों से यह पता चलता है कि छूट इस शर्त पर दी गई थी कि इसमें कोई वित्तीय जोखिम अन्तर्ग्रस्त नहीं था और ठोस साक्ष्य हस्तगत करने के उपरान्त ही अदायगियां की जानी थी तथा इसमें पूर्व अदायगी करने अथवा पूर्व व्यय करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी । श्री भूरे लाल के कथनानुसार इसी पृष्ठ भूमि के आधार पर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस समूह के सलाहकार श्री गुरुमूर्ति को जिक्र किया था, जिन्होंने मैसर्स रिलाएंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सीमा शुल्क अधिनियम तथा फेरा के उल्लंघन करने और शुल्क का अपवंचन करने के मामलों में लपेटते हुए एक लेखमाला लिखी थी । इस परिचर्चा के प्रसंग में श्री गुरुमूर्ति ने उन्हें फोन पर सूचित किया कि डा. हैरिस (श्री हर्शमैन) नई दिल्ली में पधार चुके हैं और वह उन्हें उनकी इच्छानुसार श्री भूरे लाल से मिला देंगे । तदनुसार, श्री भूरे लाल ने डा. हैरिस से होटल में मुलाकात की और उनके साथ कई बैठकें की । ये बैठकें होटलों में, उपवनों में आयोजित की गई थी और ये बैठकें श्री भूरे लाल के कार्यालय के कमरे में नहीं बुलाई गई । श्री भूरे लाल के कथनानुसार उक्त बैठकें गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनके कार्यालय के कमरे में नहीं की गई थी । बैठकें 15 नवम्बर और 19 नवम्बर, 1986 के दौरान की गई थी । श्री भूरे लाल ने उन्हें "रिवार्ड रूलस" दिखाए थे जिन्हें श्री हर्शमैन ने पढ़ लिया था । नई दिल्ली में हुई इन परिचर्चाओं के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था । दिसम्बर, 1986 में, श्री भूरे लाल ने "रिलायन्स" के विरूद्ध छानबीनों के सिलसिले में संयुक्त राज्य अमरीका जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली थी और इस दौरे के दौरान ही उन्होंने श्री हर्शमैन के साथ संयुक्त राज्य अमरीका में ही सम्पर्क किया । श्री हर्शमैन ने "रिवार्ड रूल्स" के आधार पर श्री भूरे लाल द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए श्री हर्शमैन ने अपनी इच्छा व्यक्त की । तथापि, परिचर्या के कार्यवृत्त का कोई रिकार्ड और की गई बातचीत से सम्बन्धित कोई लिखित रिकार्ड नहीं रखा गया । श्री भूरे लाल और श्री हर्शमैन के बीच समझौता यह हुआ था कि श्री हर्शमैन रिलायन्स और लौइस ड्रेफस, दोणी और प्रोफुल शाह जैसे कुछ अन्य

आर्थिक अपराधियों द्वारा किए गए अभिकथित उल्लंघनों के सम्बन्ध में श्री भूरे लाल को साक्ष्य उपलब्ध करायेंगे । श्री हर्शमैन ने आयोग को कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है । आरम्भ में, जब दूतावास के माध्यम से उनके साथ सम्पर्क किया गया उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि आयोग एक सरकारी पत्र उन्हें सीधे भेजे । आयोग ने उन्हें दो अधियाचना पत्र भेजे और उन्हें छानबीन के समय उपस्थित रहने का नोटिस भी भेजा । तथापि, श्री हर्शमैन ने इन अधियाचनाओं में से किसी एक का भी उत्तर देने से परहेज रखा और वे विशिष्ट तारीख को विशिष्ट समय पर उपस्थित नहीं हुए । वस्तुतः, उनके अभि-कथित गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने के लिए आयोग के अनुरोध पर शुरू में भारतीय दूतावास के अधिकारी जब उनसे मिले तब उन्होंने बताया कि वे तभी जवाब देंगे बशर्ते कि आयोग उनके द्वारा किए गए तीन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दें : यथा :-

(1) जांच आयोग के गठन का प्रयोजन क्या था जबकि उनके अनुसार उनकी नियुक्ति तथा वित्तीय प्रबन्धों से सम्बन्धित तथ्य सरकार को पहले से ही ज्ञात थे ।

(2) उनकी लेखन-सामग्री पर जाली पत्रों के सम्बन्ध में, जो उनके अनुसार कुछ व्यक्तियों द्वारा लिखे गए थे, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

(3) सरकार को उसके द्वारा पहले से दी गई सूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही के बारे में क्या उसे सूचित किया गया था ।

विदेश सचिव के 16 मई 1987 के पत्र के अनुसार उनके द्वारा यह प्रश्न उठाये गये थे । इस प्रकार श्री हर्शमैन से कोई सूचना प्राप्त करना सम्भव नहीं था जिसने प्रतिकूल रुख अपना लिया था और भारत सरकार को परेशान करने के लिए सुविचारित कथन भी दिये । वास्तव में उसने यह भी कहा था कि वह कुछ सूचना प्रकट कर देगा, चाहे उसे अस्थिरता लाने के लिए दोषी ठहराया जाता । इन परिस्थितियों में आयोग श्री हर्शमैन से इस पहलू के सम्बन्ध में कोई सामग्री प्राप्त नहीं कर सका । उन तथ्यों और परिस्थितियों, जिनमें श्री हर्शमैन को नियुक्त किया गया था, पर इस रिपोर्ट के संगत अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है । यहां उन्हें संक्षेप में ऊपर बता दिया गया है । बोम्बे डाइंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं0 लि0 के अध्यक्ष श्री नुसली एन0वाडिया के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के दौरान आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री वाडिया ने श्री भूरे लाल द्वारा श्री हर्शमैन को नियुक्त करने के बारे में सक्रिय भूमिका निभायी थी । वे वही थे जिन्होंने मामलों में हेरफेर किया था ताकि हर्शमैन दिल्ली आये । वे उसी होटल में उसी अवधि के दौरान (15 नवम्बर से 19 नवम्बर, 1986 के बीच) ठहरे थे श्री हर्शमैन बोम्बे डाइंग, जिसके श्री वाडिया अध्यक्ष थे, अतिथि थे । आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि श्री वाडिया जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण रिलायंस के प्रति विद्वेष रखते थे, के प्रयोजन की पूर्ति के लिए श्री भूरे लाल तथा भारत सरकार का साधनों के रूप में इस्तेमाल किया गया था । यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्षय नहीं है कि श्री भूरे लाल को श्री वाडिया के हित और उसके द्वारा अदा की गई भूमिका के बारे में जानकारी थी परन्तु जांच पड़ताल से पता चला कि श्री वाडिया ने सक्रिय भूमिका निभाई थी और यह उसकी छल योजनाओं के कारण ही था कि श्री हर्शमैन को श्री भूरे लाल द्वारा नियुक्त किया गया था । आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसलिए किया गया था कि भारत सरकार के अधिकार की आड़ के बिना रिलायंस के कारोबार के सम्बन्ध में अमरीका से सूचना प्राप्त करना कठिन था । तथापि, आयोग निसन्देह किसी निष्कर्ष को रिकार्ड नहीं कर सका है कि क्या श्री वाडिया द्वारा श्री हर्शमैन को कोई भुगतान किया गया था या नहीं अथवा भुगतान करने का वादा किया गया था या नहीं । आयोग ने निसन्देह यह राय बनाई है कि उक्त परिस्थितियों को

ध्यान में रखते हुए इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि फैयरफैक्स और श्री हर्शमैन उन पुरस्कारों के आधार पर काम करने के लिए कभी सहमत हो जाएंगे जो पुरस्कार नियमावली के अन्तर्गत मुखबिरों को दिये जा सकते हैं । पूर्ण चर्चा के लिए इस रिपोर्ट के संगत अध्याय को देखें । ये परिस्थितियां हैं जिनके अधीन फेयरफैक्स को नियुक्त किया गया । उल्लेखनीय है कि आयोग को 20 मार्च 1987 के 'स्टेट्समैन' के अंक में एक रिपोर्ट देखने को मिली जिसमें एक उस "इनसाइट रिपोर्टर" द्वारा लिखी गई रिपोर्ट छपी थी जिसने इंडियन एक्सप्रेस समूह के प्रवक्ता का इन्टरव्यू लिया था । सम्बन्धित प्रवक्ता श्री अरुण शौरी थे जो उस समय पर इंडियन एक्सप्रेस के कार्यकारी सम्पादक थे । रिपोर्ट के अनुसार, श्री गोयन्का श्री गुरुमूर्ति, श्री भूरे लाल, श्री पांडे यह मालूम करने के लिए फेयरफैक्स के प्रतिनिधि से मिले थे कि क्या भारत सरकार द्वारा इस एजेंसी को हायर किया जा सकता है क्योंकि श्री गुरुमूर्ति ने यह पाया कि इस एजेंसी को हायर करना बहुत खर्चीला था । अगले दिन के अपने अंक में 'स्टेट्समैन' ने यह स्पष्ट करते हुए एक अन्य रिपोर्ट प्रकाशित की कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी । जबकि पहली वाली रिपोर्ट "इनसाइट रिपोर्टर" द्वारा लिखी गयी थी परन्तु स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट विशेष प्रतिनिधि" द्वारा लिखी गई थी ।

सम्बन्धित अध्याय में इस पहलू पर विचार किया गया है और आयोग ने यह मत व्यक्त किया है कि जबकि इस मामले से शंका उत्पन्न होती है, कोई जांच पड़ताल करना और इस आशय का कोई निष्कर्ष रिकार्ड करना संभव नहीं है कि पिछली रिपोर्ट सच्ची थी अथवा नहीं, चूंकि वस्तुतः "स्टेट्समैन" के प्रबंधक उस पूरी जानकारी रखने वाले रिपोर्टर (इनसाइट रिपोर्टर) का नाम देने को तैयार नहीं थे, जिसने पिछली रिपोर्ट लिखी थी । संक्षेप में, मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इन्क0 को नियुक्त करने संबंधी स्थिति यही है । महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री गुरुमूर्ति की, जोकि एक बाहरी व्यक्ति था, पसंद की एक विदेशी प्राइवेट खुफिया एजेंसी की सेवाओं को चुनने से पूर्व किसी भी स्रोत से उसके प्रत्यायकों, विश्वसनीयता, सक्षमता अथवा निष्ठा के बारे में जांच-पड़ताल नहीं की गई । यहां तक कि अमरीका में भारत के राजदूत से भी नहीं । और यह भी उसी एजेंसी विशेष की सेवाओं का उपयोग करने के लिए तत्कालीन राजस्व सचिव अथवा वित्त मंत्री के पूर्व अनुमोदन के बिना ही । यदि श्री गुरुमूर्ति की पसन्द को ही माना गया था तो एक सामान्य आदमी निश्चय ही इस बात पर आश्चर्य प्रकट कर सकता है कि क्या मंत्रालय श्री गुरुमूर्ति जैसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ही चलाया जाता है ? इस बात पर भी आश्चर्य प्रकट किया जा सकता है कि इस प्रकार के अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर उच्च अधिकारियों द्वारा कतई कोई निगरानी रखी भी गई थी अथवा नहीं । सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या ऐसे नाजुक मामलों में अधिकारियों को इस प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं और यह भी कि भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इसके बारे में क्या किया जाए ।

(ii)(ख) <u>काम को सौंपे जाने की प्रकृति क्या है, और</u>

(ii)(ङ.) <u>किन शर्तों पर इसे काम सौंपा गया?</u>

इस मुद्दे को पिछली चर्चा में शामिल किया गया है । श्री भूरे लाल ने कहा है कि फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन की सेवाओं के उपयोग के लिए शर्तों के सम्बन्ध में कोई लिखित समझौता नहीं था । कोई अदायगी नहीं की जानी थी और भारत सरकार को तब तक किसी वित्तीय देयता की जिम्मेदारी नहीं आएगी जब तक कि फेयरफैक्स द्वारा कोई ठोस साक्ष्य न उपलब्ध करा दिया जाए और केवल ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर ही श्री हर्शमैन को "पुरस्कार नियमों" के आधार पर अदायगी करनी होगी और पुरस्कार नियमों के अन्तर्गत अदायगी के प्रयोजन हेतु फेयरफैक्स

और श्री हर्शमैन को "सूचना देने वाला" (इनफोरमर) के रूप में समझ कर अदायगी की जाएगी। इस प्रकार शर्तों को लिपिबद्ध नहीं किया गया। सम्बन्ध की वास्तविक प्रकृति को बताना कठिन है। इस को भारत सरकार के साथ करार नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई लिखित समझौता नहीं है और जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 में अभिहित है, करार भारत के राष्ट्रपति के नाम में एक यथा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पन्न किया जाना चाहिए। यह मात्र एक समझौता था और समझौते की तय हुई शर्तें श्री भूरे लाल द्वारा अपनी स्मृति और स्मरण के आधार पर बताई गई। श्री भूरे लाल द्वारा सब से पहले लिखित रिकार्ड उन की 6 फरवरी, 1987 की यात्रा दौरे की रिपोर्ट में दिया गया है अर्थात अमरीका में श्री हर्शमैन के साथ हुए मौखिक समझौते के लगभग एक महीने बाद। उन्होने इस प्रकार कहा।

> *"इस काम को कारगर ढंग से पूरा करने के लिए मैंने फेयरफैक्स ग्रुप लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं - - - - - - इस शर्त पर कि केवल तभी, जब वे दस्तावेजों और साक्ष्य के निश्चित अंश प्राप्त और उपलब्ध करा देंगे।*

यह उल्लेखनीय है कि दौरे की रिपोर्ट में पहले दी गई तथाकथित मौखिक स्वीकृति का कोई हवाला नहीं दिया गया है न ही इस में "पुरस्कार नियमों" का कोई उल्लेख किया गया है। इसमें केवल यह कहा गया है कि अदायगियां केवल तभी की जाएंगी जब दस्तावेजों और साक्ष्य के निश्चित अंश उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तथापि, अपनी गवाही में उन्होने यह कहा है कि अदायगी के प्रयोजनों के लिए फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन को "सूचना देने वाले" समझा जाएगा और अदायगी पुरस्कार नियमों के अन्तर्गत की जाएगी।

ii(ग) - <u>किस के प्राधिकार से इस काम पर लगाया गया था ?</u>

काम पर लगाने, सेवाएं उपयोग करने का काम मौखिक स्वीकृति के संदर्भ में सौंपा गया था। जिसके बारे में अभी पहले उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि मौखिक स्वीकृति श्री पांडे ने श्री वी.पी.सिंह की मौखिक स्वीकृति के आधार पर प्रदान की थी जिन्होने सामान्य रूप से स्वीकृति दे दी थी। एकत्र की गई सामग्री और रिकार्ड से यह पता चलता है कि दी गई स्वीकृति एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी को काम पर लगाने के सम्बन्ध में थी और कि फेयरफैक्स अथवा श्री हर्शमैन के संदर्भ में कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी। दूसरे शब्दों में, एजेंसी के चयन के सम्बन्ध में श्री भूरे लाल ने खुद ही काम किया था। उन्होने एजेंसी के पूर्ववृत्त अथवा साख के बारे में यहां तक कि अमरीका में भारत के राजदूत से भी पता नहीं किया। न ही उन्होने राजस्व सचिव से टैलेक्स अथवा टैलीफोन पर इस संबंध में अनुमति प्राप्त की। यद्यपि श्री पांडे उनके अधिकारी थे, कि क्या इस एजेंसी विशेष को काम पर लगाया जाए और किन शर्तों पर इसे काम पर लगाया गया था। साक्ष्य से पता चलता है कि श्री भूरे लाल ने पूर्णतः इस तथ्य पर विश्वास किया कि श्री हर्शमैन का परिचय उन से श्री गुरुमूर्ति ने कराया था। फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन को जिस प्राधिकार के अंतर्गत काम पर लगाया गया था उसकी यही स्थिति है।

(ii)(घ) <u>इसकी सेवाएं किस प्रयोजन से प्राप्त की गई थी?</u>

पुनः, कोई लिखित रिकार्ड नहीं है। श्री भूरे लाल ने न तो कोई समसामयिक रिकार्ड किया और न ही भारत वापस लौटने के पश्चात कोई कार्योत्तर रिकार्ड लिया केवल उस यात्रा रिपोर्ट के अलावा जिससे कुछ समय पूर्व संबंधित अंश उद्धृत किये गये है। तथापि श्री भूरे लाल के साक्ष्य से प्रकट होता है कि फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन की सेवाएं रिलाएंस, लुईस कैफस, दोशी और प्रोफुल शाह द्वारा तथाकथित किये गये आर्थिक अपराधों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के

उद्देश्य से की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि श्री पांडे द्वारा की गई टिप्पणी में केवल रिलाएंस का उल्लेख है और अन्य पार्टियों का नहीं। यह भी कहा जा सकता है कि श्री भूरे लाल के अनुसार भी उन्होंने रिलाएंस के विरुद्ध जांच करने के संबंध में अमरीका जाने की अनुमति प्राप्त की थी। रिलाएंस के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी का उल्लेख नहीं था। अतः कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है केवल श्री भूरे लाल के उन मौखिक शब्दों के अतिरिक्त जो उन्होंने अपने प्रश्नोत्तर के दौरान कहे थे कि सेवाएं रिलाएंस तथा अन्य कम्पनियों के विरुद्ध जिनपर आर्थिक अपराध करने का संदेह था, जांच करने के प्रयोजन से प्राप्त की गई थी।

(ii) (घ) <u>क्या यह वह कार्य करने में सक्षम थी जो इसे सौंपा गया था ?</u>

इस पहलू पर श्री हर्शमैन से संबंधित अध्याय में चर्चा की गई है। आयोग ने यह राय कायम की है कि फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन यह कार्य करने में सक्षम नहीं थे जो उन्हें सौंपा गया था और फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन की सेवाएं प्राप्त करना बुद्धिमता अथवा विवेकपूर्ण का कार्य नहीं था। वास्तव में वे डूपांट और कैमटेक्स जैसी अमरीकी कम्पनियों से अपने आप कोई कागजात अथवा सूचना प्राप्त नहीं कर सके थे। डूपांट और कैमटेक्स सीधे भारत सरकार को सूचना देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कागजात अथवा सूचना देने से पूर्व भारत सरकार के लैटर हैड पर लिखित प्राधिकार-पत्र के लिए भी आग्रह किया था। वास्तव में कैमटेक्स ने फेयरफैक्स को सूचना देने से इंकार किया था यद्यपि उन्होंने भारत सरकार को सीधे अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। जो भी कागजात एकत्र किये गये और भेजे गये थे, फेयरफैक्स की किसी क्षमता अथवा योग्यता के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके थे। लेकिन भारत सरकार ने लिखित प्राधिकार-पत्र दिया था और श्री भूरे लाल ने कागजात फेयरफैक्स को सौंपने के अनुदेश दिये थे। वस्तुतः रिकार्ड और साक्ष्य से प्रकट होता है कि फेयरफैक्स ने भारत सरकार को भेजे जाने के लिए सौंपे गये कागजात भेजने में एक डाकघर से अधिक कार्य नहीं किया है। डूपांट कागजात फेयरफैक्स के माध्यम से भेजने के लिए तभी सहमत हुए थे जब उन्हें श्री भूरे लाल ने हिदायत दी थी। इन कारणों से और संबंधित अध्यायों [1] की चर्चा के दौरान वर्णित कारणों से आयोग की राय है कि फेयरफैक्स उस कार्य को करने में सक्षम नहीं था जो श्री भूरे लाल द्वारा उन्हें सौंपा गया था।

(iii) (क) <u>क्या फेयरफैक्स ग्रुप इन्क. को दिये जाने वाले किसी भुगतान को अधिकृत किया गया था ? और</u>

(iii) (ख) <u>क्या फेयरफैक्स ग्रुप इन्क. को कोई भुगतान किया गया था?</u>

किसी भी भुगतान को अधिकृत नहीं किया गया था
फेयरफैक्स ग्रुप इन्क. को दिए जाने वाले
जैसा कि उनको नियुक्त किए जाने की शर्तों तथा वास्तविकताओं तथा स्थिति संबंधी बातचीत के 1:
दौरान स्पष्ट किया गयाथा। श्री भूरे लाल के रिकार्ड तथा साक्ष्य से पता लगता है कि फेयरफैक्स
ग्रुप इन्क. को कोई भुगतान नहीं किया जाना था जब तक कि इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं
कर दिया जाता। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि फेयरफैक्स ग्रुप इन्क. को किए
जाने वाले किसी भुगतान को अधिकृत किया गया था। इसलिए वास्तव में अब तक फेयरफैक्स
ग्रुप इन्क. को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(iii) (ग) <u>यदि हां तो किन सेवाओं के लिए ?</u>

किसी भी भुगतान का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था और न ही वास्तव में कोई भुगतान
किया गया अतः यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(iv) <u>सूचना, यदि कोई है, जोकि भारत सरकार को फेयरफैक्स ग्रुप इन्क. से प्राप्त हुई है।</u>

भारत सरकार के रिकार्ड के अनुसार, श्री भूरे लाल के साक्ष्य तथा सम्बद्ध फाइलों से पता

---

[1] अध्याय XIV और XV

चलता है कि फेयरफैक्स ग्रुप इन्क. द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जैसा कि श्री भूरे लाल तथा श्री हर्शमैन के अमरीका में बातचीत तथा उनमें हुई सहमति से पता चलता है। श्री भूरे लाल मैसर्स ड्यूपांट से कुछ कागजात मांगे थे तथा वे इस सम्बन्ध में भारत सरकार के लैटर हैड पर प्राधिकृत किए जाने पर कागजात प्रस्तुत कर सकते थे जिस पर लिखा होना चाहिए था। उससे जिसका भी सम्बन्ध हो और यदि उसको फैयरफैक्स ग्रुप के पक्ष में जारी किया जाय। तथा श्री भूरे लाल द्वारा मैसर्स ड्यूपांट को दिए गए निर्देशों के अनुसार जिनकी अपेक्षा की गई थी तथा उसके भारत सरकार को सूचित करने के लिए फैयरफैक्स को सौंपा गया था, ड्यूपांट यद्यपि इन दस्तावेजों को भारत सरकार के चाहने पर सीधे रूप से भेजे जाने को तैयार थे। इस प्रकार फैयरफैक्स ने केवल संवाहक के रूप में कार्य किया था जिसको कि ड्यूपांट बिना फैयरफैक्स के हस्तक्षेप के सौंपने को तैयार थे जोकि बिना किसी प्रयास के केवल कागजात की सूचना भेजे जाने के माध्यम के रूप में था।

(V) <u>क्या सूचना, यदि कोई है जो कि भारत सरकार द्वारा फेयरफैक्स ग्रुप इन्क. को भेजी गई थी ?</u>

वित्त मंत्रालय के रिकार्ड से इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भारत सरकार ने कोई भी सूचना फैयरफैक्स ग्रुप इन्क. को उपलब्ध कराई थी। श्री भूरे लाल के साक्ष्य से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उन्होंने कोई भी सूचना उपलब्ध कराई थी।

(VI) <u>क्या ऐसे प्रबन्ध करने से भारत की सुरक्षा को किसी प्रकार से क्षति हुई थी ?</u>

आयोग की यह राय है कि एक विदेशी गैर-सरकारी जासूसी अभिकरण को नियोजित करना किसी भी तरह सुरक्षित नहीं है। आयोग ने यह राय भी बनाई कि फैयरफैक्स अथवा श्री हर्शमैन को नियोजित करना असुरक्षित था जैसाकि श्री हर्शमैन द्वारा भारत सरकार को ही दी गई धमकियों और उनके द्वारा की गई निन्दाकशीसूचक छींटाकशी जैसी बाद की घटनाओं से सिद्ध हो गया है। श्री हर्शमैन ने यहां तक कहा है कि उन्हें अस्थिरीकरण का अभियुक्त बनाए जाने का भी डर नहीं है। श्री हर्शमैन द्वारा की गई उद्घोषणा से दिखाई देता है कि उनके कर्मचारी तत्कालीन सी आई ए आदि के कर्मचारियों से लिए गए थे और यहां यह कहना प्रासंगिक होगा कि फैयरफैक्स ग्रुप इंक. के उपाध्यक्ष श्री मैकर्के द्वारा उद्घोषणा से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमरीका की संघीय एजेंसियों को सूचना में आमतौर पर भागीदार बनाया गया था। इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार किया गया है और आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि किसी विदेशी जासूसी अभिकरण को सामान्यतः और फैयरफैक्स तथा श्री हर्शमैन को विशेष तौर पर नियोजित करना भारत की सुरक्षा से संगत नहीं था।

अंत में

अंतिम अध्याय पूरा करने से पहले आयोग के सामने एक अंतिम शब्द कहने की जरूरत है। संबंधित अध्यायों में सामने लाई गई चिंताजनक व असंतोषजनक बातों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इन बातों से मामलों की दुखद स्थिति का पता चलता है। श्री वी.पी.सिंह की कार्यावधि के दौरान एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी को कथित रूप से काम पर लगाने अथवा उसके

सम्बन्ध में कथित मौखिक स्वीकृति देने के बारे में कोई लिखित रिकार्ड नहीं था और सभी कार्योत्तर रिकार्ड काफी समय के बाद सामने आए। जबकि कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ और उन्हें वित्त मंत्रालय के स्थान पर रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया। विदेशी निजी गुप्तचर एजेंसी की सेवाएं भारत सरकार के नाम में और उसी की ओर से उपयोग में लाई जा रही थी और न कि अधिकारियों की ओर से, जिन्होंने ऐसा किया और फिर भी सरकार और यहां तक कि प्रधान मंत्री को भी इन संवेदनशील मामलों की कोई जानकारी नहीं दी गई। सारा कामकाज गोपनीयता से भरा था और रहस्यात्मक परिस्थितियों से घिरा हुआ था। यह अधिकारियों से परामर्श किया गया और उनकी सलाह अथवा मत पर विश्वास किया गया। क्या कदम उठाए जाएं, इस पर विचार करना और निर्णय करना सरकार पर निर्भर करता है जिससे कि जो कुछ हुआ है वह भविष्य में न हो और राष्ट्र को यह जोखिम न उठाना पड़े जो इसे अब उठाना पड़ा है। और इस सावधानी के साथ हम अपनी टिप्पणी पूरी करते हैं।

ह०
(न्यायमूर्ति एम. पी. ठक्कर)
अध्यक्ष

नई दिल्ली
30 नवम्बर, 1987

ह०
(न्यायमूर्ति एस. नटराजन)
सदस्य

222100

आभार

आयोग अपने कर्त्तव्य से विमुख होगा यदि यह उसके काऊंसल के रूप में श्री जी. रामास्वामी अपर महासालिसिटर द्वारा की गई बहमूल्य सेवाओं का आभार प्रकट नहीं करता । श्री रामास्वामी ने अपने कर्त्तव्य का निष्ठापूर्वक, त्यागपूर्वक और क्षमतापूर्वक पालन किया जिससे आयोग पूर्णरूपेण संतुष्ट था । उन्होंने अपनी सुविधा का ख्याल किए बिना किसी भी मामले में अपनी सहायता प्रदान करने के लिए निर्भीकता और उन्मुक्तता से अपनी सेवाएं अर्पित की । अतएव आयोग को उनके द्वारा आयोग के लिए दिए गए बहमूल्य सहायता और सहयोग के लिए अत्यधिक सराहना अभिलेखबद्ध करने में अत्यन्त प्रसन्नता हुई है ।

आयोग यह भी उचित समझता है कि वह केन्द्रीय सरकार की ओर से बहस करने वाले अपर महासालिसिटर श्री कुलदीप सिंह और श्री राम जेठामालानी, जो श्री नसली एन. वाडिया के काऊंसल की हैसियत से हाजिर हुए थे, के द्वारा दी गई उपयुक्त प्रस्तुति और बयानों तथा दोनों के द्वारा दर्शाए गए शिष्टाचार और सहयोग के लिए भी भरपूर सराहना करे ।

आयोग, अपने सलाहकार, श्री टी.एम. सुब्रमण्यम के प्रति भी अपनी सराहना प्रकट करना चाहता है जिन्होंने बड़ी योग्यता और कार्यकुशलता के साथ कार्य किया और अपने कर्त्तव्य निभाए तथा कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना दर्शाई ।

इसी प्रकार आयोग अपने सचिव के रूप में कार्यरत श्री पी.वी. रामनाराय द्वारा गोपनीयता और निष्ठा से समर्पण की भावना से की गई उपयुक्त सेवाओं के लिए भी सराहना प्रकट करना चाहता है ।

आयोग के निजी सचिव क्रमशः सर्वश्री जी. नटराजन और आर.एम. सेठ, श्रीमती निशा भारदवाज और वरिठ वैयक्तिक सहायक श्री मनोहर लाल द्वारा कार्य की दुष्कर प्रकृति के बावजूद दर्शाई गई निष्ठा क्षमता और त्याग की भावना के लिए भी आयोग अपनी सराहना प्रकट करता है । वस्तुतः उन्होंने उन्मुक्त भाव से छुट्टी के दिनों में और अपने कार्य की निश्चित अवधि के बाद भी कार्य किया ।

आयोग के इन सभी अधिकारियों द्वारा अगर सहयोग प्रदान न किया जाता तो उसे अपना कार्य सुचारू रूप से करने में अत्यधिक कठिनाइया होती ।

आयोग उन सभी के प्रति अत्यधिक आभारी है ।